राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ उनासीवां दिवस [संख्या: 27

गुरुवार,

20 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

डीजल, पेट्रोल पर वैट से प्राप्त राजस्व

512. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल एवं पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का उक्त जिलों से सरकार को प्राप्त राजस्व का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में वैट की दर अधिक होने के कारण पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल व डीजल महंगा मिल रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, ''क्या यह सही है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल एवं पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है?''

यह सही नहीं है।

''यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का उक्त जिलों से सरकार को प्राप्त राजस्व का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।''

यह परिशिष्ट 'अ' पर रख दिया गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(2) पेट्रोल व डीजल की कीमतें अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें वैट केवल एक कारक है। प्रत्येक राज्य में डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें डिपो से पेट्रोल पम्प की दूरी के अनुसार अलग-अलग होती हैं, अत: राज्यवार तुलना सम्भव नहीं है। अन्य राज्यों की कीमतों का डाटा भी विभाग के द्वारा संधारित नहीं किया जाता।

राज्य सरकार वैट के राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर ही समयानुसार यथोचित निर्णय लेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सामूहिक तौर पर पूरे राजस्थान में आज पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वैट सर्वाधिक है, 31 परसेंट पेट्रोल पर है और 19 परसेंट डीजल पर है। यह सबको पता है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, पंजाब हो या चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो और चाहे गुजरात हो, सब जगह पर वैट कम है और उसके कारण जो आपने अभी फिगर दिया है कि 3 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य है और वह भी तब जब 2021 में एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो 6.7 परसेंट कम हुआ और उसके बाद 17 परसेंट बिक्री बढ़ी।

मेरा यह निवेदन है कि काफी पेट्रोल पम्प बंद हो गये और यह जो रेवेन्यू आपने बताया है पेट्रोल का, उसमें 531 करोड़ और उसके बाद 583 करोड़ और उसके बाद फिर 562 करोड़ हो गया यानी, कम हो गया। बिक्री बढ़ने का जो कारण था वह था एक्साइज ड्यूटी कम होने के कारण जो कि नवम्बर, 2021 में हुई थी, इसलिए लगातार वहां कमी हो रही है।

मेरा सवाल यह है कि आपके आंकड़ों के बावजूद भी सरकार वैट को कम करने की कोई मंशा रखती है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक सवाल इस बात का है कि वैट कम करने की कोई मंशा रखती है तो मैंने जवाब में ही आपको यह निवेदन कर दिया कि राजस्व पर प्रभाव को देखते हुए आवश्यक होने पर ही समयानुसार निर्णय लिया जायेगा। अभी कोई निर्णय नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जैसा आप कह रहे हैं, सवाल में यह है कि आपकी बिक्री कम होती जा रही है और राजस्व घटता जा रहा है तो मैं आपको आंकड़े बता देता हूं।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

डीजल की जो बिक्री हुई वह 2021-22 में बढ़कर 1 लाख 39 हजार 445 लीटर हो गयी जबकि यह 2020-21 में 1 लाख 9 हजार लीटर ही थी, यह बढ़ गयी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उस समय कोरोना था।

श्री अध्यक्ष: जवाब भी अपने को ही देना है? मदनजी, आपको देना है या आपको देना है? क्या आपका काम है यह?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो हो गयी आपकी डीजल की बिक्री। अब राजस्व जो डीजल का है वह मैं बता देता हूं कि वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर 216.67 करोड़ रुपये आये, लेकिन बढ़कर यह वर्ष 2022-23 में 234.89 करोड़ रुपये हो गये, एक बात। यह तो अलवर में हो गये। अब आप चूरू में ले लो तो चूरू में भी यह राजस्व 2020-21 में 135.76 करोड़ रुपये का था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 150.60 करोड़ रुपये हो गया और फिर वर्ष 2022-23 में बढ़कर 206.93 करोड़ हो गया।

इसी तरीके से श्रीगंगानगर का ले लो आप। श्रीगंगानगर में वर्ष 2020-21 में 136.03 करोड़ रुपये था, वर्ष 2021-22 में 127.73 करोड़ रुपये हो गया और फिर 2022-23 में 144.28 करोड़ रुपये पहुंच गया, यह बढ़ गया। इसी प्रकार से ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप तो सबको लूटो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। I will expel you. I will not allow it. हद हो गयी, मिस्टर मदन दिलावर। There is a limit to it. Being as a senior member of this House, what example do you want to set? मित्रता तो बाहर है। हाउस मित्रता के लिए थोड़े ही है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ये राठौड़ को नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह डीजल का काम करते हैं न।

श्री अध्यक्ष: डीजल में राठौड़ बीच में आ गये?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, वही बात है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसी तरह से अब आप पेट्रोल ले लें। अलवर में जो वर्ष 2020-21 में 94 हजार 737 लीटर बिक्री थी, वह वर्ष 2021-22 में बढ़कर 95 हजार 436 लीटर हो गयी और फिर 2022-23 में 89 हजार 393 लीटर पहुंच गयी। इससे जो राजस्व मिला, वह वर्ष 2020-21 में 223.57 करोड़ रुपये मिला, 2021-22 में बढ़कर 248.41 हो गया और 2022-23 में 244.60 करोड़ रुपये हो गया। बढ़ गया।

फिर इसी तरीके से आप चूरू को ले लें। चूंकि, आपने चूरू के बारे में पूछा तो चूरू को ले लें आप तो वर्ष 2020-21 में 44 हजार 119 लीटर बिका और 2021-22 में 51 हजार लीटर हो गया और 2022-23 में यह जरूर कम हुआ, 38 हजार लीटर हो गया, लेकिन राजस्व बढ़ गया। आप राजस्व देखिए चूरू का ही, वर्ष 2020-21 में 98.75 करोड़ रुपये था, 2021-22 में 119.68 करोड़ रुपये हो गया और 2022-23 में 105.31 करोड़ रुपये हो गया।

इसी प्रकार से आप श्रीगंगानगर ले लें। 60 हजार 444 लीटर पेट्रोल की बिक्री हुई है, जो जरूर कम हुई है, 47 हजार 620 लीटर हो गयी।

जितने सवाल आपने पूछे, श्रीगंगानगर का, चूरू का, अलवर का, हनुमानगढ़ का उसमें सिर्फ एक श्रीगंगानगर का जरूर 10 करोड़ रुपये का राजस्व कम हुआ और पेट्रोल भी कम बिका है।

इसी प्रकार से आप हनुमानगढ़ ले लें तो हनुमानगढ़ में 27 हजार 164 लीटर थी वर्ष 2020-21 में, वह बढ़कर 2022-23 में 28 हजार 338 लीटर हो गयी और पेट्रोल की बिक्री वर्ष 2020-21 में 66.53 करोड़ रुपये थी, 2021-22 में 71.62 करोड़ रुपये थी, यह बढ़ी है और वर्ष 2022-23 में फिर बढ़कर 80.75 करोड़ रुपये हो गयी तो कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब यह है कि अलावा एक श्रीगंगानगर के, बाकी चारों-पांचों जिलों में बिक्री भी बढ़ी है और राजस्व भी बढ़ा है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह पेट्रोल का फिगर आपका ही है, मेरा नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह जो कुल योग आपने बताया था और जिलों के हिसाब से मुझे पता नहीं कि 248 कम होते हैं या ज्यादा? पर बाद में आपने कहा है 244 अलवर का। 119 है चूरू का जो 105 हो गया। 144 है श्रीगंगानगर का जो 132 हो गया। हनुमानगढ़ का 71 है जो जरूर बढ़ा है।

श्री अध्यक्ष: इसी में उलझ जाएंगे। दस मिनट हो गये। दोनों ही आंकड़ों में उलझ रहे हो।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): दूसरा सवाल था, उसमें आपने बताया। वे इसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये मना कर चुके कि वैट को कम नहीं करेंगे, यह समझ में आ गयी। राजस्थान की जनता भी सुन रही है।

दूसरा, इन्होंने मुझे यह कहा है कि यह जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, वह पम्प की दूरी और उसके हिसाब से तय होती हैं तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें जैसे अलग-अलग चीजों का इम्प्रेशन जो आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का, तो क्या राजस्थान की सरकार ने ऑयल डिपो की स्थापना के लिए, क्योंकि यह कम्पनीज करती हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कोई कोरेस्पोंडेंस, कोई डिमांड की है क्या ताकि ट्रांसपोर्टेशन की कोस्ट कम आए और लोगों को डीजल सस्ता मिले। इसके लिए कोई प्रयास किया क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई बार ऑयल कम्पनीज को निवेदन किया और जो केन्द्रीय पेट्रोल मंत्री हैं, उनसे भी कई बार इस बात के लिए बात हुई।

मैं आपको यह उदाहरण देता हूं कि राजस्थान देश का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें एक जिले से दूसरे जिले के बीच की दूरी अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक हो जाती है, इससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। ऑयल कम्पनीज के द्वारा वर्तमान में राज्य की आवश्यकताओं व दूरियों को ध्यान में रखते हुए समुचित स्थान पर पर्याप्त संख्या में डिपो स्थापित नहीं किये हैं। यह जो डिपो स्थापित नहीं किये, उसके लिए हमने कई बार लिखा है और कई बार उनको निवेदन भी किया है।

मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं कि राजस्थान के उत्तरी जिले, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू हैं। ऑयल कम्पनीज के वर्तमान डिपो में, जो वर्तमान जोधपुर डिपो से आता है, जोधपुर डिपो से तेल की आपूर्ति की जाती है। यदि इन जिलों के निकट डिपो स्थापित कर दिये जाएं तो निश्चित ही लागत कम आयेगी और कीमत भी कम होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा, आपने खण्ड एक में स्वीकार किया कि सीमावर्ती राज्यों में वैट के कारण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पेट्रोल, डीजल की दरें कम हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि दिसम्बर, 2018 में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें क्या थीं और आज की तारीख में वैट की दरें क्या हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह फिगर तो मैं लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि तीन वर्षों का ही पूछा गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने तो मोटा-मोटा सिर्फ यह पूछा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मोटा पूछो, चाहे छोटा पूछो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह बता दें, क्या यह सही है कि 2019 में राजस्थान के अन्दर डीजल पर वैट 18 परसेंट था जो आज 19.3 परसेंट है और पेट्रोल पर 26 परसेंट था जो आज 31 परसेंट है?

क्या यह भी सही है कि आपकी सरकार आने के बाद राजस्थान में आपने छह बार डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाया और आपने कहा था कि जी.एस.टी. काउंसिल में हम इसको लेकर जायेंगे। आपने लगातार छह बार वैट बढ़ाया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह बढ़त-घटत चलती रहती है। सेन्ट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कई बार बढ़ी है और कई बार घटी है। आप तो यह देखिए, आपके जो फैसले होते हैं...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: मिस्टर चन्द्रभान आक्या, I will not tolerate it. माननीय धारीवाल साहब, हो गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, डीजल पर वैट और डीजल....

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यह बता दीजिए कि स्टेट और सेन्टर का टैक्स का रेशो कितना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह बता दीजिए कि आपने छह बार डीजल पर वैट बढ़ाया या नहीं बढ़ाया?

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन एवं नारे)

प्रश्न संख्या 513

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री समाराम गरासिया।

(सदन के कूप में होने के कारण माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न नहीं पुकारा गया।)

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। यह मेरा काम है। यह आपका काम नहीं है। मेरा काम आप करोगे?

श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द में भोजपुरा फीडर का कार्य

515. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पंचायत समिति बदनोर की ग्राम पंचायत भोजपुरा में भोजपुरा फीडर का कार्य कब शुरू हुआ, कुल कितनी राशि व्यय हुई व अब कितना कार्य शेष है? उक्त फीडर का कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार शेष कार्य को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में भोजपुरा फीडर के जीर्णोद्धार का कार्य डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट योजनान्तर्गत दिनांक 12.01.2022 को प्रारम्भ कर अब तक राशि रुपये 68.68 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा अन्तिम बिल राशि रुपये 15.20 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। कार्य कार्यादेश अनुसार पूर्ण किया जा चुका है।

फीडर में सुचारु जल प्रवाह हेतु आवश्यक कार्य के प्रस्ताव तैयार कर डी.एम.एफ.टी. मद में स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जबाव मिला है, वह अधिकारियों ने सही नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि भोजपुरा फीडर का कार्य कब शुरू हुआ और अब तक उसमें कितनी राशि व्यय हुई और क्या कारण रहे कि इतने लम्बे समय के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रस्ताव डी.एम.एफ.टी. में भेजे गये थे। वहां से भी कुछ टाइम तक डिले हुआ है, लेकिन हमारे द्वारा कार्य को पूरा कर लिया गया है। अब कार्य शेष नहीं है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि भोजपुरा फीडर का कार्य कब शुरू हुआ? उसमें कितनी राशि व्यय हुई? आप जो बता रहे हैं कि कार्य पूरा हो गया, यह आपके अधिकारियों ने गलत जानकारी दी है। भोजपुरा फीडर का कार्य अभी तक बाकी है। पूरा नहीं हुआ है। डी.एम.एफ.टी. फण्ड से 01 करोड़ 20 लाख रुपये सैंक्शंड थे। उनमें से 68 लाख रुपये लगे हैं। क्या कारण रहा कि वह पैसा लगा नहीं? डिले होने का कारण क्या रहा? मेरी जानकारी के अनुसार भोजपुरा फीडर का कार्य 40 वर्षों से चल रहा है, 40 वर्ष पूर्व चालू हुआ था, पर अब तक पूरा नहीं हुआ। उससे लगभग 150 गांवों को पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो। हो गयी बात। कम्पलीट कब हो जायेगा? दुबारा बता दो कम्पलीट कब हो जायेगा?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): जो पैसा दिया था, कार्य को पूरा कर लिया गया है। 15.20 लाख रुपये का भुगतान करना शेष है। शेष कार्य जो रह गया है उसका डी.एम.एफ.टी. में प्रस्ताव गया है। जब भी स्वीकृत हो जायेगा, हम उसको पूर्ण कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गुरदीप सिंह।

किसानों को पेन्शन

516. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही किसान

(श्री गुरदीप सिंह)

सम्मान निधि की भांति पेन्शन व उक्त निधि में कुछ अंशदान मिलाकर उक्त को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश के लघु, सीमान्त, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर तथा किसानों को पेन्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) पीएम किसान सम्मान निधि योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है।

किसान सम्मान निधि में अंशदान मिलाने के सन्दर्भ में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेन्शन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों की 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष, जो राजस्थान के मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहे हों, को न्यूनतम रु. 1000/- दिये जाते हैं।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेन्शन योजनान्तर्गत लाभार्थी को प्रतिमाह न्यूनतम रु. 1000/- दिया जाते हैं। श्रम विभाग, राजस्थान सरकार में लघु, सीमान्त, खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी मजदूर को पेन्शन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें कि इसमें राज्य सरकार का कितना बजट रखा हुआ है और कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): राजस्थान सरकार का बजट रखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह भारत सरकार की योजना है तो भारत सरकार से आप पूछिए। 26 तारीख को प्रधान मंत्रीजी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की है और वहीं से वित्त पोषित होती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मंजु देवी।

जायल में अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

517. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती मंजु देवी)

(1) जिला नागौर की जायल तहसील में वर्ष 2020 से 2022 तक अतिवृष्टि एवं अल्पवृष्टि से फसलों का कितना-कितना प्रतिशत खराबा दर्शाया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त अवधि में उक्त तहसील के किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी राशि का कितने काश्तकारों को अनुदान दिया गया एवं कितनी राशि का अनुदान दिया जाना शेष है तथा शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जिला नागौर की जायल तहसील में वर्ष 2021 में 140 ग्रामों एवं 2022 में 95 ग्रामों में बाढ़ से काश्तकारों की फसलों में क्रमश: 60 एवं 50 प्रतिशत फसल खराबा हुआ है। वर्ष 2020 में फसल खराबा नहीं हुआ है।

वर्ष 2020 से 2022 तक सूखे से फसल खराबा नहीं हुआ है।

(2) वर्ष 2021 (सम्वत् 2078) में 140 बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में 55.80 करोड़ एवं वर्ष 2022 में 95 बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में 38.08 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान वितरण किया गया है।

उक्त दोनों वर्षों के शेष कृषकों को 94.18 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान शीघ्र वितरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गांववार उपलब्ध कराई गई सहायता राशि एवं शेष का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मंजु देवी (जायल): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि वर्ष 2021-22 की बकाया राशि कितनी है तथा कब तक बकाया राशि का भुगतान कर दिया जायेगा?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में 94.18 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान शीघ्र वितरण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 94.18 करोड़ रुपये बाकी हैं और जितनी राशि दी है और जो शेष है, वह दोनों माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पदमाराम।

चौहटन में परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतें

518. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री पदमाराम)

विधान सभा क्षेत्र चौहटन में ऐसी कौन सी ग्राम पंचायतें हैं जो परिवहन सेवा से वंचित हैं? क्या सरकार उक्त को परिवहन सेवा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): विधान सभा क्षेत्र चौहटन में कुल 104 ग्राम पंचायत हैं, जो परिवहन सेवा से जुड़ी हुई हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री पदमाराम (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चौहटन की 104 पंचायतें हैं, उनमें से राजस्थान पथ परिवहन निगम से कितनी ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं? बताएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): परिवहन निगम से 15 ग्राम पंचायतें जुड़ी हुई हैं और 89 पंचायतें दूसरे साधनों से, जिनको परमिट दे रखे हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं।

श्री पदमाराम (चौहटन): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से जो एसी. कोच बस चल रही थी, उसको वापस चालू करने की मंशा रखते हैं? यदि हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: पंचायत से वहां चले गये डायरेक्ट।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): खर्चा और आय में अत्यधिक गैप था। फिर भी मैं दिखवा लूंगा। वैसे हमने आपके यहां दो नयी बसें शुरू की हैं। एक ही बंद की है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह जी।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

519. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में कितने आवेदनकर्ता बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तथा कितने उक्त से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 21 फरवरी, 2023 को प्रदेश में कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 18,40,044 है जिनमें स्नातक 14,40,916 एवं उच्च योग्यताधारी 1,01,956 हैं। इनका जिलेवार व संख्यावार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में दिनांक 28.02.2023 को कुल 1,90,873 पात्र आशार्थियों को नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है।

योजनान्तर्गत एक समय में अधिकतम दो लाख आशार्थियों को लाभान्वित किये जाने की निर्धारित सीमा के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2023 तक कुल 37,235 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से कितने प्रश्न पूछने की आज्ञा है?

श्री अध्यक्ष: दो ही होती है। एक पूछो तो अच्छा है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने बेरोजगार हैं, जो चार घंटे इन्टर्नशिप करने नहीं पहुंचे और सरकार ने उनका भत्ता बन्द कर दिया? नम्बर दो, सरकार ने अब तक कितने बेरोजगारों को स्किल ट्रेनिंग दी है? इन्टर्नशिप के कारण बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का समय नहीं मिलता है, जिससे वह बेरोजगारी भत्ता नहीं ले पा रहे हैं। क्या सरकार उनकी इन्टर्नशिप हटाने का विचार रखती है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन-चार सवाल हो गये हैं सम्मानित विधायक महोदय के।

कुल 1,70,765 युवा इन्टर्नशिप कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि जो इन्टर्नशिप नहीं करते हैं, क्या उनका नाम बेरोजगारी भत्ते से हट जाता है? यदि वह इन्टर्नशिप की स्वीकृति नहीं देते तो उनका बेरोजगारी भत्ता शुरू ही नहीं होता। जब वह इन्टर्नशिप की स्वीकृति देते हैं, जिला कलेक्टर उनको विभाग में इन्टर्नशिप प्रदान करते हैं, उसके बाद ही उनका बेरोजगारी भत्ता शुरू होता है तो इन्टर्नशिप नहीं करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, योजना के अन्दर उसके नियमों में साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, जो अध्ययनरत है, वह बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति, जो

(श्री अशोक)

एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या कोचिंग कर रहा है, वह बेरोजगार की श्रेणी में नहीं आता। डिग्री पास करके जो पूरी तरह से फ्री है, वही शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आता है। जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो किसी भी चीज की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो चार घंटे की इन्टर्नशिप पब्लिक डोमेन में करने से उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और मुझे लगता है कि पंचायत लेवल पर सामाजिक सेवा भी होती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने दो प्रश्न पूछ लिये। आपने खुद ने पूछा कि कितने प्रश्न पूछ सकता हूं। मैंने आपको तीन प्रश्न अलाउ कर दिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, साहब। हर आज्ञा का पालन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: जितना मदनजी करते हैं, उतना ही आप भी करते हो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आप दिलावर साहब को तो पूछने देते हो। मैं चुपचाप बैठा रहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिए। प्रश्न पूछिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस प्रकार का नहीं लिखा गया था कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जायेगा और कोई कंडीशन नहीं रहेगी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): सम्मानित माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता प्रकट की, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जायेगा, लेकिन उसके लिये उनका एप्लाई करना जरूरी है। कुल 19 लाख 15 हजार बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 16 लाख शिक्षित बेरोजगारों की श्रेणी में आते हैं, उनमें से मात्र 11 लाख 93 हजार ने ही एप्लाई किया है। 6 लाख 80 हजार इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। उसमें से 1 लाख 96 हजार 843 का बेरोजगारी भत्ता चालू है। 3 लाख 11 हजार ऐसे हैं, जिनकी फॉर्मेलिटी अभी बाकी है और वे बैक टू सिटीजन, उनको फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 3 लाख ही, 12 लाख में से लम्पसम दिये हुए हैं। 22 हजार जांच हेतु लम्बित हैं। 12 लाख में से मात्र 62 हजार 80 फार्म ही रिजेक्ट हुए हैं, बाकी सब या तो भत्ता पा चुके हैं, या पा

(श्री अशोक)

रहे हैं या प्रक्रिया में हैं। साथ ही साथ, माननीय सदस्य की जो चिंता है, समस्त बेरोजगारों की वे बात कर रहे हैं तो जब उन्हीं की सरकार थी तो एक लाख का कैप लगा रखा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान के बेरोजगार लोगों की पीड़ा को समझते हुए पहले उस सीमा को बढ़ाकर एक लाख 60 हजार किया, फिर उस सीमा को बढ़ाकर दो लाख तक कर दिया। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है तभी एक लाख की सीमा को बढ़ाकर दो लाख किया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जे.पी. चन्देलिया।

सुजानगढ़ में नवीन सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) के कार्यालय की स्थापना

520. श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी) (श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़) के स्थान पर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम विद्युत कार्यालय सहायक अभियन्ता उप खण्ड, छापर से जुड़े हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सुजानगढ़ शहर में सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) का नवीन कार्यालय खोलकर उक्त ग्रामों को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी हां। चूरू वृत्त के सुजानगढ़ तहसील के कुछ गांव उप खण्ड कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, छापर से जुड़े हुए हैं। वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में चूरू वृत्त में नवीन उप खण्ड कार्यालय सुजानगढ़ (ग्रामीण) खोले जाने की घोषणा की गयी है, जिसकी अनुपालना में उक्त नवीन उप खण्ड कार्यालय खोले जाने हेतु आदेश जारी किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

उप खण्ड कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), जोधपुर डिस्कॉम, सुजानगढ़ का सृजन करने के पश्चात् उप खण्ड कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस), छापर से सुजानगढ़ तहसील के जुड़े हुए गांव को विद्युत सम्बन्धित कार्य हेतु नवीन उप खण्ड कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण), जोधपुर डिस्कॉम, सुजानगढ़ से जोड़ा जाना निम्न कारणों से साध्य नहीं होगाः-

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

1. उप खण्ड कार्यालय छापर से जुड़े हुए एक दो गांवों को छोड़कर बाकी सभी गांव भौगोलिक रूप से नवीन उप खण्ड कार्यालय सुजानगढ़ के स्थान पर उप खण्ड कार्यालय छापर के निकट हैं।

2. उक्त गांवों को विद्युत आपूर्ति भी उप खण्ड कार्यालय छापर के अधीन 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों से की जा रही है।

3. नवीन उप खण्ड कार्यालय सुजानगढ़ की उक्त गांवों से अधिक दूरी होने के कारण उपभोक्ताओं को समय व धन का नुकसान होगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अभिनेश महर्षि।

कालेज शिक्षा द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 के अनुसरण में जारी नोटिफिकेशन

521. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कालेज शिक्षा द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 के अनुसरण में जारी नोटिफिकेशन 31 जनवरी, 2018 को रद्द या वापस किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2018 को जारी नोटिफिकेशन की अनुपालना की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त नोटिफिकेशन के क्रम में 477 पदों पर पदोन्नतियां की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 31.01.2018 (परिशिष्ट 01) द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन किये गये थे। यू.जी.सी. रेगुलेशन, 2018 के प्रावधानों का यथोचित समावेशन करते हुए पुनः दिनांक 14.10.2022 (परिशिष्ट 02) को अधिसूचना जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियमों में संशोधन किया गया है। सेवा नियमों में नोटिफिकेशन 31.01.2018 के कुछ प्रावधान वर्तमान में भी विद्यमान हैं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

(2) अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है और उक्त नियम, 1986 में विहित प्रावधानों की पालना की जा रही है। अत: नियमों के अन्तर्गत प्राचार्य पद के लिए वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की डी.पी.सी. दिनांक 29.01.2021 को आयोजित की गई तथा दिनांक 04.12.2020 को सहायक आचार्य के पदों के लिए भर्ती हेतु आर.पी.एस.सी. को अर्थना भेज कर 754 पदों की भर्ती की गई।

(3) जी नहीं। राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 14.10.2022 द्वारा उक्त नियम, 1986 के नियम-26A को भूतलक्षी प्रभाव दिनांक 18.07.2018 से विलोपित (Deleted) कर, आचार्य के पद को नियम-26B में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (सी.ए.एस.) में सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए नियम 26A(iv) में आचार्य के 477 पदों का प्रावधान विलोपित होने के कारण इन पदों (477) पर पदोन्नति नहीं की गयी है। अपितु नियम-26B के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 1,309 सह-आचार्यों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत आचार्य के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर को पढ़ा हुआ माना जावे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। आप प्रश्न पूछिए।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): मैं प्रश्न पूछ लूं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने एक, दो और तीन के अन्दर जो उत्तर दिये हैं, उसके बाद में जो तीन नम्बर में उत्तर दिया है, 477 पदों पर पदोन्नति नहीं की गयी है और आपने उत्तर में बताया है कि इनको समाहित करते हुए 1,309 सह-आचार्यों के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अन्तर्गत आचार्य पद पर पदोन्नति दी गयी है। ऊपर 477 को विलोपित करने वाली बात कही गयी है। अब यह इसके अन्दर शामिल करके दिया है क्या? एक तो प्रश्न यह है कि इनको शामिल कर लिया क्या? दूसरा, यह है कि यह जो सह-आचार्यों से आचार्यों का तो लिखा है, लेकिन सहायक आचार्यों से सह-आचार्यों की पदोन्नति के बारे में इसमें नहीं लिखा है। मेरा यह सवाल है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 477 पदों को इसमें मिलाकर यू.जी.सी. के जो नये नोर्म्स आये थे, उसमें 1,309 लोग योग्य पाये गये थे, इसलिए 1,309 लोगों की डी.पी.सी. हुई है।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहायक से सह-आचार्य में जो प्रमोशन होना था, एक तो वह है और दूसरा अभी इतने प्रमोशंस किये हैं, और भी भर्ती कर रहे हैं तो रतनगढ़-राजलदेसर के कालेजों के लिए तो सारे पद खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए कोई घोषणा तो करो।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सह-आचार्यों वाला भी अभी प्रक्रियाधीन है और जो आपने बात कही है, अभी विद्‌या सम्बल से भी शुरू कर दिया और हमारे पास अभी जितने आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपके यहां भी पूर्ति कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर सदर थाना क्षेत्र को ब्यावर सी.ओ. सर्किल में ही रखने की कार्ययोजना

522. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2022-23 में मसूदा को सी.ओ. सर्किल बनाया गया था? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर सदर थाना को भी मसूदा सी.ओ. सर्किल में शामिल किये जाने से उक्त थाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है?

(3) क्या सरकार सदर थाना ब्यावर को पूर्व की भांति ब्यावर सी.ओ. सर्किल में ही रखने के आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी। धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। मसूदा सी.ओ. सर्किल के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ब्यावर सदर थाना को ब्यावर सी.ओ. सर्किल में शामिल करने से समस्या का समाधान हो गया है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(3) सदर थाना ब्यावर को पूर्व की भांति ब्यावर सी.ओ. सर्किल में सम्मिलित करने का आदेश दिनांक 14.07.2023 को जारी कर दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): उत्तर पढ़ा हुआ माना जावे। मैं सवाल ही पूछ लूं सीधा?

श्री अध्यक्ष: उत्तर चाहिये? माननीय मंत्रीजी, उत्तर मान लिया। आप प्रश्न पूछ रहे हो? माननीय मंत्रीजी, वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हां, प्रश्न पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया। आप प्रश्न पूछें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे सवाल लगे हुए छह महीने हो गये। रजिस्टर्ड हुए अभी चार दिन हुआ है। अब रजिस्टर्ड होने के बाद में इसका आर्डर निकला। 6 महीने तक उन लोगों को ऐसी सज़ा क्यों दी? यह थोड़ा बता दें।

श्री अध्यक्ष: सज़ा तो हो गयी, अब क्या हो सकता है?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): खाली सज़ा मिली है, उसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये प्रशासनिक फैसले होते हैं। प्रशासनिक फैसले में, जैसा आपने कहा कि 6 महीने तक क्यों सज़ा दी, यह सवाल आप पहले ही लगा देते न। यह पहले क्यों नहीं पूछा आपने?

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद

523. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) (डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) के स्थान पर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मेवाराम जैन)

(1) क्या यह सही है कि विभाग के प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक का एक ही पद स्वीकृत है? यदि हां, तो कितने विद्यालयों में? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार, 2009 की पालना के अन्तर्गत न्यूनतम दो शिक्षकों के पद स्वीकृत करते हुए अध्यापकों के पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के 131 राजकीय प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक का एक ही पद स्वीकृत है। विवरण मय संस्था का नाम जिला व संस्थागत नामांकन परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की पालना के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है। पद स्वीकृत होने पर पदस्थापन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के अधिकार 2009 के अंतर्गत उसकी पालना में न्यूनतम 02 पद स्वीकृत होने चाहिए। वह पद कब तक स्वीकृत कर वहां अध्यापक लगायेंगे? कृपया बताएं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने रिक्त पदों की भर्ती हेतु वित्त विभाग में पत्रावली भेजी हुई थी। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 05 जुलाई, 2023 को 339 अध्यापकों, यानी तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्वीकृति मिल चुकी है। जैसे ही हम भर्ती करेंगे, इनकी नियुक्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सरकार के विरुद्ध न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

524. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुभाष पूनिया)

(1) सरकार के विरुद्ध दिनांक 01 जनवरी, 2023 तक अधीनस्थ, जिला व उच्च न्यायालय में कितने वाद लम्बित हैं? विगत चार वर्षों में कितने नये वाद प्रस्तुत किये गये व कितने वादों में निर्णय हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा कितने प्रकरणों में उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई एवं कितने प्रकरणों में निर्णय हुआ? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मुकदमेबाजी को कम करने के लिए प्रयासरत है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) राज्य सरकार के विरुद्ध अधीनस्थ, जिला व माननीय उच्च न्यायालय में 01 जनवरी, 2023 तक कुल 1,27,390 वाद लम्बित हैं। विगत चार वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत कुल नये वाद 1,52,438 हैं तथा विगत चार वर्षों में कुल 1,05,095 वादों में निर्णय हो चुका है।

(2) विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुल 1,834 अपीलें प्रस्तुत की गई हैं एवं 636 मामलों में निर्णय हो चुका है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मुकदमे कम करने के लिए समय-समय पर मेगा लोक अदालत/लोक अदालत में प्रकरणों का निस्तारण करवाया जाता है तथा स्टेट लिटिगेशन पालिसी 2018 में मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, नये मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या प्रयास किये, यह इन्होंने बताया, लेकिन क्या बढ़ते हुए मुकदमों को निपटाने हेतु राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को नये न्यायालय खोलने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कई प्रस्ताव गये हैं और प्रस्तावों पर काम भी हुआ है। कई नई कोर्ट्स खुली हैं। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार के द्वारा नवीन न्यायालयों की स्थापना की जा रही है और की जाती रही है। 2023-24 में माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बजट घोषणा में 69

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

विभिन्न स्तर के न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की गई, जिनमें से माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर 29 विभिन्न श्रेणी के न्यायालयों की स्थापना की गयी है। शेष न्यायालयों की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने पर की जा सकेगी।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): मैं तो यह पूछ रहा हूं कि जो खुल चुके वह तो ठीक हैं, क्या नये न्यायालय खोलने के कोई और प्रस्ताव भेजे हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बताया न आपको।

श्री अध्यक्ष: हाई कोर्ट से ही क्लियर होकर नहीं आ रहे हैं। बैठें, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

रामगढ़ विषधारी अभयारण्य क्षेत्र (बूंदी) में विस्थापितों को मुआवजा

525. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को शीघ्र ही पर्यटकों हेतु प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो अभयारण्य का क्षेत्र कितना होगा व इसमें कौन-कौन से गांव, शहर स्थित हैं, जिन्हें विस्थापित किया गया है? विस्थापितों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा पर्यटकों के भ्रमण हेतु सफारी प्रारम्भ करने से पूर्व अभयारण्य क्षेत्र में प्रवेश द्वार बनाया जाना व शुल्क निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो प्रवेश द्वार कहां-कहां, कितने बनाये जायेंगे व मुख्य प्रवेश द्वार कहां स्थित होगा? भ्रमण के शुल्क सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। जिला बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में पयर्टकों हेतु सफारी दिनांक 23.06.2023 से प्रारम्भ कर दी गई है। अधिसूचना दिनांक 16.05.2022 अनुसार रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1,50,189.21 हैक्टेयर है। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कुल 8 गांव क्रमश: भैरूपुरा, केशोपुरा, गुढामकदूका, गुलखेडी, हरिपुरा, भीमगंज, धूंधला जी बाडा एवं जांवरा स्थित हैं।

(वन मंत्री)

इन गांवों का स्वैच्छिक विस्थापन किया जाना है। प्रथम चरण में गुलखेड़ी ग्राम का विस्थापन हेतु चयन किया गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित राशि 15 लाख प्रति परिवार की दर से विस्थापन पैकेज दिया जाना है। प्रथम चरण में 180 परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 3.00 लाख प्रति परिवार के हिसाब से कुल राशि 540.00 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(2) पर्यटकों के भ्रमण सफारी हेतु रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी के बफर एरिया में 3 रूट बनाये गये हैं, जिनका प्रवेश द्वार एवं विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। किसी भी प्रवेश द्वार को मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में घोषित नहीं किया गया है। अभयारण्य क्षेत्र में भ्रमण शुल्क का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

आप प्रश्न पूछ लें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सम्मानीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्रम संख्या 1 में गुलखेड़ी के विस्थापित किसानों को जो 15 लाख रुपये प्रति परिवार देने की आपने बात कही है, उसमें प्रति परिवार को परिभाषित करते हुए वहां के भूमिहीन किसानों व सीमान्त कृषकों को किस दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? मुआवजा तय करने के लिए जिस नियम का हवाला दिया है, उस नियम को भी आप परिभाषित करें।

साथ ही दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या रामगढ़ अभयारण्य में जाने का रियासतकालीन रास्ता ग्राम पीपलिया में था, जिसे हम बंद करने जा रहे हैं। रामगढ़ अभयारण्य घोषित होने के बाद ग्राम पंचायत पीपलिया के लगभग सभी गांवों की मूलभूत सुविधा सरकार ने पिछले 18 सालों से बंद कर रखी है, प्रतिबंध लगा रखा है तो क्या रामगढ़ के पर्यटकों के आने-जाने का प्रवेश द्वार ग्राम पंचायत पीपलिया में बनाना उचित नहीं होगा? मैं यह पूछ रही हूं आपसे क्योंकि बरसों से हमारा वहां गेट बना हुआ था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। एक्सप्लेन नहीं करें आप। प्रश्न पूछ लिया आपने?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): वहां इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। आपकी मंशा क्या है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, उत्तर आने दें। आप प्रश्न भी पूछते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): बता दें।

श्री अध्यक्ष: हां, बोल दें मंत्री जी।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): प्रश्न के उत्तर में आपको परिशिष्ट-1 में दे दिया है कि 3 द्वार पर्यटकों के लिए खोले गये हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): ये मेरी विधान सभा के बाहर है और मेरे गांव वंचित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया। आप गेट दूसरी विधान सभा में लेकर जा रहे हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्त्तर नहीं सुनना है? मंत्री खड़े हैं और आप खुद खड़ी होकर प्रश्न पूछ रही हैं। उत्तर सुनना ही नहीं है अपने को। प्रश्न ही पूछना है खाली। गलत परम्परा है। पहले मंत्री का सुनें आप।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): पर्यटकों के लिए इसमें 3 द्वार खोले गये हैं। आप और द्वार खोलने की बात कह रही हैं। मैं विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके परीक्षण करवा लूंगा। अगर परीक्षण में यह उपयुक्त पाया गया तो इसको खोल दिया जायेगा और उपयुक्त नहीं पाया गया तो नहीं खोला जायेगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): गेट पहले से ही बना हुआ है। चांदना जी से पूछ लो।

श्री अध्यक्ष: मंत्री बैठे नहीं हैं और वापस प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। दूसरा प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय मंत्री महोदय, मेरा इतना सा निवेदन है कि हमारे मंत्री महोदय भी यहीं विराजमान हैं, बूंदी वाले एम.एल.ए. भी विराजमान हैं, किसी का कोई आब्जेक्शन नहीं है। जहां रियासतकालीन गेट है, उसको बंद न करें। उसी को गेट बनाया जाए। जो 3 गेट बना रहे हो, एक उसको शामिल कर लें। किसानों ने अपना सब कुछ ही दे दिया। अपने मकान दे दिये, अपनी जमीनें दे दीं। उनको फायदा मिलना चाहिए। इतना-सा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: दुबारा बोल दो दिखाने का। दुबारा बोल दो।

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): मैंने आपको बता दिया न। अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर लूंगा। परीक्षण करवा लूंगा। उपयुक्त पाया गया तो खोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गजराज खटाणा।

मिस्टर आक्या, मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूं। यह बैठे-बैठे बोलने की आदत है न, तीसरी बार एम.एल.ए. हो। गलत शिक्षा ले रहे हो आप। तीसरी बार बनने की इच्छा रख रहे हैं, वह नहीं बनना चाहते हैं। हमें लगता है। लोग यू-ट्यूब पर सब देख रहे हैं। सब आपका बिहेवियर यू-ट्यूब पर देख रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): तीसरी बार आपने बोला।

श्री अध्यक्ष: तीसरी बार वे आशा कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला। मैं किसी को डिसअपोइंटेड नहीं करता।

श्री गजराज खटाणा।

बांदीकुई में ईसरदा बांध से पेयजल की आपूर्ति

526. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के ईसरदा बांध परियोजना का माह फरवरी, 2023 तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजना का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या सरकार उक्त बांध परियोजना से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई तथा बसवा तहसील को पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) ईसरदा बांध परियोजना का कार्य फरवरी, 2023 तक 47 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिस पर माह फरवरी, 2023 तक राशि रुपये 487.79 करोड़ व्यय हो चुकी है।

(2) उक्त परियोजना का सम्पूर्ण कार्य माह अगस्त, 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई तथा बसवा तहसील के समस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री

(श्री गजराज खटाणा)

महोदय से पूछना चाहूंगा कि लगातार 2 साल अगर बरसात ठीक नहीं हुई तो बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो ईसरदा में जायेगा। अगर बरसात नहीं हुई तो इसकी क्या आल्टरनेटिव व्यवस्था है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात तो किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हम जल्द से जल्द पूरा करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने खण्ड (1) में कहा कि 47 प्रतिशत काम पूरा हुआ है और खण्ड (2) में आपने परियोजना समाप्ति की तिथि अगस्त, 2024 तक बताई है तो क्या 53 प्रतिशत काम आप इसी अवधि में पूरा कर लेंगे? क्या यह सही है कि जब बांध का निर्माण हुआ ही नहीं, उससे पहले आप बांदीकुई के अंदर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टेंडर कर रहे हैं, पाइप लाइन डाल रहे हैं, क्या यह उचित है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य अलग-अलग किया जा रहा है। वैसे कार्य करीबन 63 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। आगे की डिमांड को देखते हुए और जे.जे.वाई. की डिमांड को देखते हुए हम अग्रिम कार्य को कर रहे हैं, ताकि जैसे ही डैम बन जाएगा तो आम जनता को समय पर पानी मिल सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपाल लाल मीना।

किसानों की कर्जा माफी

527. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ किया गया है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितने किसानों का कितना कर्जा माफ किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के किसानों का सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का, दो लाख रुपये तक का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राज्य के सहकारी बैंकों

(सहकारिता मंत्री)

द्वारा किसानों की ऋण माफी बाबत राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाएं जारी की गई हैं:-

1. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (अल्पकालीन)।

2. राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 (मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन)

विगत 3 वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा की गई ऋण माफी निम्नानुसार हैः-

वर्ष	**लाभान्वित कृषक**	**माफी राशि (राशि करोड़ में)**
2020-21	42,866	325.14
2021-22	10,083	49.83
2022-23	7,034	35.63

(2) जी नहीं। राष्ट्रीयकृत बैंक भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है एवं उनके द्वारा ऋण माफ करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ में आगजनी की घटनाएं

528. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में कई आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो कितनी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं के पश्चात् आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर संबंधित को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवा दी गई है? यदि हां, तो किस-किसको व कितनी? लाभार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत 3 वर्षों में शहरी क्षेत्र में शून्य एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11 आगजनी की घटनाएं घटित हुई हैं।

(आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री)

(2) जी नहीं। उक्त प्रकरणों में घटित हुई 11 घटनाओं में से 05 घटनाएं खेत-खलिहान एवं बाड़े में आग लगने एवं 06 घटनाएं विद्युत शोर्ट सर्किट से होने के कारण एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार सहायता देय नहीं है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता था कि एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स के बारे में, आपने खण्ड 2 में मुझे जवाब दिया है कि उक्त प्रकरणों में घटित हुई 11 घटनाओं में से 5 घटनाएं खेत-खलिहान और बाड़े में आग लगी और 6 घटनाएं विद्युत शोर्ट सर्किट से हुईं। ये सभी एसडी.आर.एफ. नोर्म्स में नहीं होने के कारण इसमें सहायता देय नहीं है तो मैं एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स क्या हैं, वे जानना चाहता हूं। क्या एसडी.आर.एफ. के नोर्म्स में बदलाव किया जा सकता है किसानों के हित में? क्योंकि चार महीने की पूरी फसल बाड़े में खतम हो जाती है, आपने स्वयं ने माना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं?

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या इसके नोर्म्स में किसानों के हित में परिवर्तन किया जा सकता है और नोर्म्स क्या हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जारी एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार खलिहान और बाड़े में रखी फसल का नुकसान एवं विद्युत शार्ट सर्किट से हुए नुकसान में आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। एस.डी.आर.एफ. में विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता का विवरण निम्न प्रकार है। मानव अंग की क्षति, मानव घायल, भर्ती होने पर, मानव पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर, जीविका गम्भीर रूप से प्रभावित होने पर, पशु क्षति, मुर्गा पालन, चारा...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह तो हो गया, मालूम है।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): यह सारणी मैं इनको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो खतम हो गया।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): इनको हम लोग नहीं कर सकते, केन्द्र सरकार के ही हाथ में है, अगर वे चेंज करेंगे तो हम लाभ दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायतें

529. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कौन-कौनसी ग्राम पंचायत व उप तहसील मुख्यालय परिवहन सेवा से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में जिला श्रीगंगानगर में कितनी नवीन बसें प्रारम्भ की गईं तथा कितने मार्गों पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उप तहसील मुख्यालय जैतसर पर प्रारम्भ में रोडवेज व लोक परिवहन की कितनी बसें संचालित थीं? क्या सरकार लोक परिवहन व रोडवेज बसों को पुन: जैतसर से चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कुल 4 ग्राम पंचायत मुख्यालय (गुडली, मालेर, उदयपुर, 4 जे.एस.डी. बुगिया) परिवहन सेवा से वंचित हैं। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कोई भी उप तहसील मुख्यालय परिवहन सेवाओं से वंचित नहीं है।

(2) विगत 2 वर्षों में श्रीगंगानगर जिले में बसों के 369 नये परमिट जारी किये गये हैं एवं 148 बसों के परमिट सरेण्डर किये गये हैं।

विगत 2 वर्षों में श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 26 नई बसों का संचालन प्रारम्भ किया गया तथा 3 मार्गों पर निगम बस सेवाओं का संचालन बंद किया गया।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा उप तहसील मुख्यालय जैतसर के सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग पर पूर्व में 05 निगम बसों का संचालन किया जा रहा था, जिनमें से 01 बस सेवा का लगातार वाया जैतसर संचालन किया जा रहा है तथा शेष 04 बस सेवाओं का संचालन तुरन्त प्रभाव से वाया जैतसर होकर प्रारम्भ किये जाने हेतु सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धकों द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-9(671)परि/एसटीए/मु./2019/स्कॉप/पार्ट-2/00201/24381, दिनांक 23.02.2019 क्रम सं. 391 द्वारा मार्ग सूरतगढ़-अनूपगढ़ पर लोक परिवहन सेवा के 20 अनुज्ञा-पत्र एवं 70 सेवाएं स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध मार्ग पर 20 अनुज्ञा-पत्र व 70 सेवाएं जारी हैं। सूरतगढ़-अनूपगढ़ मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण पूर्व में लोक परिवहन सेवा के 20 वाहन जैतसर को वाया 5जीबी चल रहे थे।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में वाहन वाया जैतसर होकर संचालित नहीं हो रहे हैं। ऐसे वाहनों के अनुज्ञापत्र धारकों को जरिये नोटिस जैतसर होकर संचालन हेतु पाबन्द कर दिया गया है। साथ ही परिवहन निरीक्षकों को जांच हेतु विशेष ड्यूटी लगाकर पाबन्द किया गया है कि वाहन अपने निर्धारित मार्ग जैतसर होकर ही संचालित होवें। जो वाहन जैतसर होकर संचालित नहीं हो रहे थे उनके चालान भी बनाये गये हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

वाहन संख्या	चालान संख्या	दिनांक
RJ13PA6380	RJ56996221128122805	28.11.2022
RJ13PB0071	RJ56996221128124128	28.11.2022

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या सरकार 4 पंचायतें जो परिवहन सेवा से वंचित हैं, उनको परिवहन सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? उप तहसील जैतसर वाया जैतसर होकर पूर्व में जो बसें चलती थीं उन बसों को अनुबंधित बसों समेत चलाने का सरकार विचार रखती है क्या?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन 4 पंचायतों का माननीय सदस्य प्रसंज्ञान में लाये हैं, उनको दिखवा लेंगे और अनूपगढ़ के लिए परमिट के लिए कोई एप्लाई करेगा तो, आप भी उसमें कोशिश करें, हम परमिट उसके दे देंगे। जैतसर उप तहसील के लिए 5 बसें वहां हमारे रोडवेज की जाती थीं, उनमें अभी 01 जा रही थी कल से पहले तक, आज भी जा रही है। अनूपगढ़-चण्डीगढ़-अनूपगढ़, ये चार बसें जो वहां से नहीं जा रही थीं, 3 किलोमीटर दूर 5जीबी है, वहां से होकर गुजर

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)
रही थीं, वहां सवारियों को उतार रही थीं और बीच में यह अनूपगढ़-सूरतगढ़ मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था, बहुत डैमेज हो गया था, वह ठीक हो गया है। फिर भी वे बसें बाहर से जा रही थीं, आपके प्रश्न लगने के बाद जब मैंने जवाब के लिए अधिकारियों को बुलाया तो मैंने उनको निर्देश दे दिया है और कल से ही आर्डर जारी कर दिए हैं, वे चारों बसें जैतसर होकर जा रही हैं। बीस बसें लोक परिवहन की थीं, वे बसें भी बाहर से ही जा रही थीं सारी की सारी, तीन किलोमीटर दूर से, तो उनको भी निर्देशित कर दिया है। हमने हमारे परिवहन विभाग के सक्षम अधिकारी की वहां पर ड्यूटी लगा दी है कि वे सब बसें जैतसर से होकर ही जाएं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पहली बार आपने धन्यवाद दिया है।

प्रश्न संख्या 530

अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

गडरा रोड तहसील के ग्राम हाफीया में 33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण

531. श्री अमीन खां (शिव): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि द्राया-ढंगरी, बोई मोढड़ी आदि गांवों की दूरी ज्यादा होने के कारण वहां पर बिजली नहीं मिलती है? यदि हां, तो क्या सरकार गडरा रोड तहसील के ग्राम हाफीया उर्फ सांखली में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): जी नहीं। बाड़मेर जिले के गांव द्राया-ढंगरी बोई मोढड़ी आदि में किसानों को कृषि उपयोजनार्थ दिन में 6.0 घंटे के ब्लॉक में व रात्रि में 7.0 घंटे के ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में लगभग 20 से 24 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

गडरा रोड तहसील के गांव हाफीया उर्फ सांखली में नवीन 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को आर.डी.एस.एस. योजना की माडर्नाइजेशन स्कीम में सम्मिलित किया गया है। योजना की स्वीकृति आर.ई.सी., भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने के पश्चात् उक्त सब-स्टेशन के निर्माण हेतु आगामी कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अमीन खां (शिव): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर।

पावटा के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की कार्ययोजना

532. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय महाविद्यालय पावटा में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। आदेश दिनांक 30.06.2023 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय पावटा में वाणिज्य संकाय स्वीकृत किया जा चुका है। प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना राजकीय महाविद्यालय, पावटा को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति आदेश दिनांक 08.06.2023 द्वारा जारी की जा चुकी है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने, जो डिमांड मैंने की, वह पूरी की।

श्री अध्यक्ष: आज सब धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री समाराम।

आपको कुछ पूछना है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, आपने परिशिष्ट-2 में राजकीय महाविद्यालय, पावटा (जयपुर) में सहायक आचार्य के 2, प्रयोगशाला सहायक के 1, प्रयोगशाला वाहक के 1, इन पदों के सृजन करने की बात की। क्या इन पदों पर नियुक्ति कर दी है? ये पद सृजित हो गये हैं। क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, पावटा में 63 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं आपके कुल मिलाकर?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इन पदों को भरने के लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): कितने खाली हैं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि यह हमेशा होता आया है, संस्थाएं खुलती हैं, कालेज खुलते हैं, विश्वविद्यालय खुलते हैं, पर मानव संसाधनों का सृजन नहीं होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने पद सृजित किये थे जब आपने इस महाविद्यालय की यह सैंक्शन निकाली है और कितने पदों पर आपने आज पदस्थापित कर दिये, जो मैंने कहा, सारे पद खाली पड़े हैं, क्या यह सही है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): 63 प्रतिशत कहा आपने। अभी सत्र शुरू हुआ है जो बाकी हैं, उन्हें पूरा कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): कितने समय में? कोई समय-सीमा बताएंगे आप?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): विद्या सम्बल में जितने प्रार्थी आ जाएंगे, उनसे और बाकी बाहर से पूरे करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनके अनुभवों का भी कुछ लाभ लेकर काम करें। कोई भी सरकार इंस्टीट्यूट्स खोल देती है और पोस्ट्स क्रियेट करने में गैप करती है। निश्चित तौर पर जब सरकारें कालेज खोलें तो साइमलटेनियसली पदों का सृजन करें, पोस्टिंग्स करें, तब उसका लाभ मिलता है। सरकारें चाहे इधर की हों, चाहे उधर की हों, हम इंस्टीट्यूशंस खोल देते हैं, पद क्रियेट करने में डिले करते हैं और पद भरने में और ज्यादा डिले करते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

मैं समझता हूं कि इस पर रिव्यू किया जाना चाहिये कि जब आपके आलरेडी सैंक्शंड पद ही नहीं भरे हुए हैं और नये कालेज खोलने के बाद नये पद कर देते हैं, तो चीजें बहुत एक्युमुलेट हो रही हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार को कालेज खोलने से पहले निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिये।

श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 514, जिस प्रकार से मुदरला में...

श्री अध्यक्ष: मान्यवर, उत्तर तो आने दें। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं आप? प्रश्न संख्या बोलें आप तो।

मुदरला ग्राम पंचायत (पिंडवाड़ा) के काश्तकारों को जमीन के उपयोग का अधिकार

514. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा की ग्राम पंचायत मुदरला में वन खण्ड नहीं होने के उपरान्त भी पंचायत क्षेत्र में कई काश्तकारों की भूमि वन खण्ड में दर्शाने के कारण उक्त काश्तकारों को अपना जमीनी हक़ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पंचायत क्षेत्र में वन सीमा में दर्शायी भूमि को पंचायत क्षेत्राधिकार में देने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

वन मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): जी हां। मुदरला ग्राम पंचायत में वन खण्ड नहीं होने के बावजूद ग्राम मुदरला, पटवार हलका अमथला, भू.अभि.नि. किवरली, तहसील आबू रोड के खसरा संख्या 111/10, रकबा 57.06 बीघा भूमि राजस्व विभाग की जमाबन्दी में वन विभाग के नाम दर्ज है। जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्तमान में विभाग अन्तर्गत प्रचलित अधिनियम/नियम/परिपत्र अनुसार राजस्व विभाग की जमाबन्दी में वन विभाग के नाम दर्ज वन भूमि को पंचायत क्षेत्राधिकार में देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या यह सही है कि 1962 में काश्तकारों को अलाटमेंट हुआ था और 1975 में वह भूमि सैटलमेंट के हिसाब

(श्री समाराम गरासिया)

से वन विभाग में गलत दर्ज हुई है, जबकि वन विभाग वालों ने यह भी दर्शाया है कि वास्तव में गलत तरीके से दर्ज हुई है। मंत्री जी, क्या आप उस भूमि को सही करने का विचार रखते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं। आपने यह प्रश्न लगाकर मेरा और मेरे विभाग का ध्यान आकर्षित किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम मुदरला, पटवार हलका अमथला, भू.अभि.नि. किवरली, तहसील आबू रोड, जिला सिरोही के खसरा संख्या 111/10, रकबा 57.06 बीघा भूमि राजस्व विभाग की जमाबन्दी में वन विभाग के नाम है। यह तो मैंने आपको बता दिया।

जो 1960 से पूर्व वन विभाग के नाम दर्ज थी, परन्तु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.11.1960 द्वारा उक्त भूमि बनास कमांड एरिया में आने से वन विभाग से रिलीज की जाकर काबिज आबंटी राजस्व विभाग को दी गयी। उसके बाद में राजस्व विभाग द्वारा विज्ञप्ति, दिनांक 01.02.1965 द्वारा जिला सिरोही में आबू रोड तहसील आबू रोड रेंज के वन खण्ड मुदरला पार्ट 1, मुदरला पार्ट 2 को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया। उक्त भूमि बनास कमांड एरिया में आने से उप-खण्ड अधिकारी आबू पर्वत के आबंटन आदेश 27.02.1966 द्वारा ग्राम किवरली में 14 और ग्राम मुदरला में 10 आबंटियों को कृषि भूमि का आबंटन किया गया, जिसकी कापी मेरे पास है। आप चाहें तो मैं आपको दे दूंगा। सबका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है।

ग्राम मुदरला के 10 आबंटी हैं। उनमें से क्रम संख्या 4 पर जो आबंटी है, जिसका नाम है सोमा पुत्र काला, उसके आबंटन आदेश की पालना में सोमा पुत्र काला ने जरिये रसीद संख्या 48, दिनांक 19.04.1966 से 200 रुपये राजकोष में जमा कराये। फिर इसके बाद 21.08.1966 को प्रारम्भिक विज्ञप्ति को निरस्त किया गया, जो वन विभाग की थी। तत्पश्चात् उक्त वन भूमि बनास कमांड एरिया में आने से रिलीज की गयी। वन विभाग के सैटलमेंट अभियान 1972-73 में जमाबन्दी में मात्र त्रुटिवश वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी। उसके बाद यह जो क्रम संख्या 4 पर मैंने बताया सोमा पुत्र काला का, यह हाई कोर्ट गया।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सिविल रिट पिटीशन नं. 864/2000 गया, तब हाई कोर्ट से निर्णय इसके पक्ष में पारित हुआ। उस निर्णय की हमारे विभाग ने आगे अपील नहीं की और उसका नाम दर्ज कर दिया। सोमा की डैथ हो गयी। उसकी पत्नी लाडू के नाम दर्ज कर दिया। बाकी जो आबंटी हैं, उनका मामला अभी भी वैसे ही चल रहा है। जो मैं समझ पाया हूं, जब एक आबंटी हाई कोर्ट में चला गया, जो निर्णय हुआ है, विभाग को उसे मानते हुए वही निर्णय सभी आबंटियों पर लागू कर देना चाहिये। उन सबको हाई कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतने गरीब किसान हैं, वे हाई कोर्ट जा नहीं सकते। यह विभाग इधर से उधर उन बेचारों को लटका रहा है।

दूसरा, वन विभाग ऐसा विभाग है, इसमें एक तो राजस्थान सरकार, एक भारत सरकार, ये दो पाट हैं। इन दो पाटों के बीच में काश्तकार पिस रहा है। अब राजस्थान सरकार कहती है कि भारत सरकार करेगी। भारत सरकार कहती है कि राजस्थान का राजस्थान सरकार जाने, इसलिए त्रुटिवश वन विभाग का नाम हो गया। फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो बताएं, आखिर किसान जाए तो जाए कहां, इसलिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया। मैं तो यह समझता हूं, मैंने तो अधिकारियों को यही निर्देश दिया, आप करते क्या हैं, किसान की आप सुनवाई नहीं करते हैं। वह गलत है तो मत करें, लेकिन आप मान रहे हैं, वन विभाग के नाम दर्ज हो गयी, जमीन अपनी नहीं है, कब्जा उनका है, काबिज वे हैं, अलाट हो चुकी है।

एक हाई कोर्ट गया। सही करा लाया। बाकी रो रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि इनकी समस्या का हल हो जायेगा। आप विभाग को एप्लाई तो कर दें, आवेदन तो कर दें। वैसे यह राजस्व विभाग का काम है। राजस्व रिकार्ड को राजस्व विभाग मेंटेन करता है। रिकार्ड में यदि त्रुटि हो गयी तो राजस्व रिकॉर्ड को इसमें सुधार करना चाहिये, पर राजस्व विभाग में एप्लाई करें, उन बच्चों को ज्ञान तो है नहीं, वकील के लिए शायद उनके पास इतना पैसा होगा नहीं। जो हाई कोर्ट गया, उसका लड़का कोई नौकरी में है, तो वह कुछ ठीक था, इसलिए हाई कोर्ट में चला। बाकियों के पास कुछ नहीं है। वे जा नहीं सकते। रेवेन्यू रिकार्ड के लिए इसे ठीक कर लेना चाहिये।

सुओमोटो, राजस्थान लैंड रेवेन्यू की धारा 136 है, जिसमें यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

अधिकार है कि कोई भी अगर त्रुटि हुई है और रेवेन्यू रिकार्ड में अगर कोई गलती हुई है, उसे सुधार सकते हैं, पर यह सुधार का काम रेवेन्यू विभाग का है। यह हमारे विभाग का काम नहीं है। हमारा विभाग यह बिलकुल मानने के लिए तैयार है कि यह जमीन हमारी नहीं है, उन काश्तकारों की है, जिन्हें यह अलाट हुई है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, आप वन विभाग को यह तो कह सकते हैं न कि उन्हें स्वतंत्र करें, वे वहां न तो पानी का बोरिंग करवा सकते, न बेच सकते, न खुद का मुकाम बना सकते। क्या आप ये सारे अधिकार उन्हें देने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का धन्यवाद...

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें। किसी चीज का रास्ता निकल रहा है और आप खड़े हो रहे हैं। माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस विधान सभा में कई वर्षों से हूं। मंत्री महोदय, मैं आपको आपकी स्टेट्समैनशिप के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का आपका यह जवाब, जिसमें एक मंत्री नहीं, बल्कि एक किसान बोला, वह हम सबके लिए प्रेरणाप्रद रहेगा। इसी तरह हमें आगे बढ़ना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, सुओमोटो उसके अन्दर धारा है तो जहां-जहां भी इस तरह की प्रोब्लम्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कैम्पेन करके त्रुटियों को करेक्ट करने का काम करना चाहिये, जिससे उसे एप्लिकेशन देने की जरूरत न पड़े।

मैं समझता हूं कि इस विधान सभा का यह सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि इतनी बड़ी रिलीफ माननीय मंत्री जी ने दी और राजस्व विभाग से हम अपेक्षा करते हैं कि आप सुओमोटो एक बार अपने पूरे विभाग को दें। जहां-जहां भी इस तरह की समस्या है उसका सुओमोटो काग्निजेंस लेकर इन लोगों को रिलीफ देने का काम करें।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(समय : 12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति।

(श्री अध्यक्ष)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

ओम्मन चाण्डी, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (केरल)

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिन दिवंगत हुए केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ओम्मन चाण्डी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

केरल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ओम्मन चाण्डी का जन्म 31 अक्टूबर, 1943 को केरल के कुमारकोम में हुआ। आपने बीए. व एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री ओम्मन चाण्डी 12 बार केरल विधान सभा के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप केरल विधान सभा की अनेक समितियों के सदस्य रहे तथा 1996-98 के दौरान आपने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन किया। संसदीय परम्पराओं के पोषक रहे श्री चाण्डी चार बार केरल विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। आप केरल सरकार में वित्त, गृह और श्रम जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री चाण्डी वर्ष 2004 से 2006 तथा 2011 से 2016 तक केरल के मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान आप केरल राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे।

समाज कल्याण एवं गरीबों के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे श्री चाण्डी को केरल राज्य के विकास में इनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2013 में एशिया पेसिफिक क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया। सामाजिक कार्य में रुचि रखने वाले श्री चाण्डी अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

श्री ओम्मन चाण्डी का दिनांक 18 जुलाई, 2023 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की क्रियान्विति नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं-

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार
2. श्री कन्हैया लाल
3. श्री जोराराम कुमावत
4. श्री अमृतलाल मीणा
5. श्री गुरदीप सिंह
6. श्री जब्बर सिंह सांखला
7. श्री राजेन्द्र राठौड़
8. श्री सतीश पूनियां
9. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
10. श्रीमती सूर्यकांता व्यास
11. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या
12. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर)
13. श्री कालूराम
14. श्री धर्मनारायण जोशी
15. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल
16. श्री नरेन्द्र नागर
17. श्री संदीप शर्मा
18. श्रीमती कल्पना देवी
19. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)
20. श्री जोगेश्वर गर्ग
21. श्रीमती संतोष

(श्री अध्यक्ष)

22. श्री रामप्रताप कासनियां
23. श्री निर्मल कुमावत
24. श्रीमती अनिता भदेल
25. श्री बाबुलाल (झाडोल)
26. श्री रामलाल शर्मा
27. श्री अर्जुन लाल जीनगर
28. श्री शंकर सिंह रावत
29. श्री नारायण सिंह देवल
30. श्री अविनाश
31. श्री हमीर सिंह भायल
32. श्री रूपा राम (मकराना)
33. श्री पब्बाराम
34. श्री बिहारीलाल
35. श्री अभिनेश महर्षि
36. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
37. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी
38. श्रीमती शोभा चौहान
39. श्री वासुदेव देवनानी

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की ग्राम पंचायत बमोरीघाटा के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिंडवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की आबंटित राशि का उपयोग विकास कार्यों में नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से कार्तिक भील हत्याकाण्ड में परिजनों द्वारा न्याय के लिए जिला मुख्यालय पर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में

(श्री अध्यक्ष)

विद्युत कनेक्शनों से सम्बन्धित उपकरण उपलब्ध नहीं होने से कनेक्शनों में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए। अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्रीमती कल्पना देवी, श्री जोगेश्वर गर्ग, श्री रामप्रताप कासनियां, श्री रामलाल शर्मा, श्री अविनाश, श्री हमीर सिंह भायल, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री गिरधारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्यगण, हम एक्सेप्शन कर रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव जनरली दो-दो मिनट के होते हैं, but today I am doing exceptional और माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय दो मिनट का दिया गया है, सामने घड़ी लगी हुई है। स्वयं डिसिप्लिन में रहकर अपनी बात पूरी करें। अन्त में, माननीय लीडर आफ अपोजिशन अपनी बात कहेंगे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से जोधपुर हवाई अड्डे का स्व. महाराजा उम्मेद सिंह के नामकरण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कैलाशचन्द्र मीणा, सदस्य की ओर से पुलिस थाना सदर, सीकर में छात्र की हत्या के दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रूपा राम (मकराना), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से प्रदेश के ईंट एवं मिट्टी के बर्तनों के निर्माताओं की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

(5) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर तक सड़क का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में खनिज प्रसंस्करण उद्योगों पर लागू की गई पंजीयन एवं ट्रांजिट पास की व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलौदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नदबई में उप-तहसील लखनपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में चिकित्सा व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के कतिपय गांवों को रावतभाटा चम्बल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पैरीफेरी क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों की भूमि का नियमन कर उन्हें पट्टा आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(13) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के विद्यालयों को क्रमोन्नत कर नवीन भवन बनाने एवं पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1)(A) के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर में पेयजल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल। (व्यवधान) आप बैठें। I will not allow you Mr. Rajkumar. Please be seated. I will not allow it. मैं आपको गलत परम्परा नहीं डालने दूंगा। माननीय बैठें। प्लीज, गलत परम्परा नहीं। आखिरी सेशन है, don't do that. प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा।

माननीय कन्हैया जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली घोषणा की क्रियान्विति का अभाव

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने जिस तरह से पिछले घोषणा पत्र 2018 में वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ायेंगे, इन्होंने कर्ज माफी की तरह इसे भी असत्य साबित किया है, क्योंकि आज बिल जो दिसम्बर, 2018 में आ रहा था, उतना ही बिल आज उपभोक्ताओं के आ रहा है। इन्होंने स्थाई शुल्क के नाम पर, फ्यूल चार्ज के नाम पर तीनों डिस्कॉम्स, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के मिलाकर लगभग 3 हजार 749 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की है। अभी भी कहते हैं, जिस तरह से इन्होंने घोषणा की थी कि इस बजट में 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, बाकी जो बिजली के बिल आ रहे हैं, पहले से डबल आ रहे हैं। हमारे सारे उपभोक्ता, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे व्यापारी हों, सबके बिल डबल आ रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने किसानों के कृषि कनेक्शन, इन्होंने कहा था कि हम लगभग एक लाख कनेक्शन जारी करेंगे। इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 500 से ज्यादा कृषि कनेक्शन पिछले दो साल में जारी किये हैं। बाकी वहां पर मौके की बात करें तो किसी के तो पोल खड़े हुए हैं किसी के तार नहीं लगे, किसी का ट्रांसफार्मर नहीं आया है और लगभग 500 में से 100 से ज्यादा कनेक्शन दो साल में नहीं कर पाये हैं।

इसी तरह से आज सबसे बुरी स्थिति बिजली कटौती के नाम पर हो रही है। इन्होंने लोड शैडिंग के नाम पर इतनी कटौती कर दी है कि लगभग तीन से चार-चार, पांच-पांच घंटे, जबकि इस बार तो टेम्प्रेचर भी कम रहा,

(श्री कन्हैया लाल)

बारिश की मेहरबानी की वजह से इतनी डिमांड नहीं बढ़ी, फिर भी लगभग तीन से चार-चार घंटे जब किसान, मजूदर काम करके शाम को आते हैं तो सीधे ही लाइट जाती है, खाना बनाने का समय होता है, चाहे पढ़ने का समय होता है, हमेशा बिजली जाती है। वे कहते हैं कि लोड शैडिंग भी करें तो दिन में करें। बाकी किसको कहें, बहुत स्थिति खराब है।

इसके साथ-साथ कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो महीने-महीने भर तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इसकी वजह से इतने उपभोक्ता परेशान हैं, अगर कहीं पर कोई पैसे दे दे तो उसके ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते हैं। मैंने मेरे टोडारायसिंह के ए.ईएन. से कई बार कहा कि ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदल रहे हो तो वे कहते हैं कि हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है। दो-दो महीने से ट्रांसफार्मर नहीं है तो अगर नहीं है तो फिर काहे को आप असत्य घोषणाएं करते हो कि हम बिजली की दरें कम करेंगे। आपके पास पैसा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है और क्वालिटी ऐसी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कि अगर महीने भर में ट्रांसफार्मर बदल भी दिया तो उसकी गारंटी नहीं है कि वह पांच दिन चलेगा कि सात दिन चलेगा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार तो शायद कभी देखा ही नहीं।

मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई जगह झूलते तार हैं, नंगे तार हैं, इनकी वजह से आये दिन इस बरसात में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मेरे यहां धाकड़ कालोनी में चार दिन पहले एक महिला का एक्सीडेंट हुआ। बृजलाल नगर के अन्दर भी हुआ तो उनको भी शिफ्ट करने के लिए आप कोई न कोई व्यवस्था करें और जिस तरह से जो यह घोषणा की है, यह बिलकुल असत्य है। पूरी जनता आपसे त्राहि -त्राहि कर रही है। इसका सबक आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की दिक्कत पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रही है और चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत ज्यादा है। लोड शैडिंग के नाम पर शाम को खाना खाने के वक्त ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिनको बात करनी है, चैम्बर है, यहां नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): इस मौके पर तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच घंटे रात को अध्यक्ष महोदय, बिजली बन्द रहती है। मच्छर खाते हैं, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने बीमार हो रहे हैं। इस बारे में लोड शैडिंग के मामले में एक बार, मंत्री महोदय विराजे रहे हैं, लोड शैडिंग के मामले में इस बारिश के टाइम पर आप जरूर विशेष देखें। किसान काफी परेशान हैं और लोड शैडिंग के मामले में 7-8 घंटे बिजली दिन में काट देते हैं। सिंगल फेज, थ्री फेज लाइट आ नहीं रही है। उसके बारे में आप चर्चा करें। जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं वे 20-25 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं उसके बारे में भी, अध्यक्ष महोदय, आप थोड़ा ध्यान देकर मंत्री महोदय को बताएं। नये कृषि कनेक्शन के एक-डेढ़ साल से सामान नहीं हैं। उन सामान के बारे में भी आप विचार करें कि सामान बिलकुल, एक भी सामान वहां नहीं है, डेढ़-डेढ़ साल से उनको सामान नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, फ्यूल चार्ज के नाम से 2018 में 18 पैसे फ्यूल चार्ज लगता था। आज वह 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लग रहा है। बिजली में बिल आपने माफ क्या कर दिये, डबल बिल आ रहे हैं। उसमें आपने काफी चार्ज लगा दिया। उसके बारे में भी आप चर्चा करें और इस वी.सी.आर. का टारगेट दे रखा है, मंत्री महोदय, आपके एम.डी. साहब ने वी.सी.आर. के टारगेट निकाले हैं। एक एक्स.ईएन. सौ करेगा, ए.ईएन. बीस-बीस करेगा। इस प्रकार के जो आदेश निकाले है उन आदेशों की कॉपी मैं आप लोगों को दे दूंगा। फर्जी बनाएं, कैसे भी बनाएं। आप इस प्रकार का टारगेट उन लोगों को नहीं दें। फर्जी वी.सी.आर. भर के लाखों रुपये किसानों से ऐंठ रहे हैं। उसके बारे में आप चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट ठेकेदारों को ठेका दे रखा है कृषि कनेक्शन के नाम पर, भार निकालने के नाम पर। उनके बारे में भी आप सोचें, क्योंकि वे अनाप-शनाप लूट-खसोट कर रहे हैं। उसके बारे में आप लोग चर्चा करें। विद्युत भार निकालने के नाम पर बीस-पच्चीस दिन बन्द रखते हैं। वह आपने ऑनलाइन कर रखा है, पर ऑनलाइन भी कोई देखने वाला नहीं है उसके बारे में एक बार, अध्यक्ष महोदय, चर्चा करवा दें। एक ओ. एंड एम. के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के राज में तो वास्तव में बिजली के जाने का इंतजार करते थे किसान और अब आने का इंतजार करते हैं। वास्तव में किसान इतने दुःखी हैं, अध्यक्ष महोदय, लाइट के बारे में चर्चा करवा दें। इस सरकार को ले डूबेगी यह बिजली, मैं हण्ड्रेड परसेंट कह रहा हूं। यह हण्ड्रेड परसेंट ले डूबेगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 50-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जहां सरकार एक ओर बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ अघोषित कटौती चिह्नित लोगों के वी.सी.आर. एवं बढ़े हुए बिलों से जनता को परेशान कर रही है। कटौती की बात करूं तो आये दिन हमारे यहां डैली मुझे फोन आते हैं कि हमारे यहां बिजली नहीं आ रही है। कभी तो लोड शैडिंग का बहाना, कभी मेंटिनेंस का बहाना, तो कभी ट्रिपिंग का बहाना करके वहां कटौती हो रही है। चाहे मैं अपने ग्राम खेड़ा रसूलपुर, आरामपुरा, मवासा, रणखेड़ा, मांगलिया की बात करूं या कसार में, विशेष तौर से यहां यादव मोहल्ला, भाट मोहल्ला या कुम्हारों के मोहल्ले की बात करूं तो एक साल से लगातार डेली वहां कटौती की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण इलाकों में यह स्थिति है, शहर में भी मैं बात करूं तो राजनगर की बात करूं या वार्ड नम्बर 17 में धाकड़ खेड़ी की बात करूं तो वहां भी लोग इससे परेशान हैं। धाकड़ खेड़ी में पहले जो जी.एस.एस. से कनेक्शन था, वहां इनके कोई परेशानी नहीं, थी, पर कुछ समय पहले किस कारण से, मुझे पता नहीं, इनका जी.एस.एस. बदला गया और आये दिन यहां भी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। तो क्यों इनको बदला गया? अगर बदला गया है तो इनकी सुविधा बेहतर होनी चाहिये, न कि बदतर।

वी.सी.आर. की बात करूं तो राजनीतिक द्वेषता से चिह्नित लोगों के मनमानी करके मनमर्जी से अमाउंट भर कर वी.सी.आर. भरे जा रहे हैं और यहां तक कि आंकड़ा किसी और का लगाया गया है और वी.सी.आर. किसी और की भरी जा रही है। यह मैं आपको एग्जाम्पल से ग्राम गन्दीफली की बात कर रही हूं, वहां यह सिचुएशन हुई थी। ट्रांसफार्मर की बात करूं तो आपने नियम बनाये हैं कि 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देंगे, पर किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भले ही उसकी फसल जल रही हो, ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है।

सरचार्ज के नाम पर आपने कहा कि बिजली की दर नहीं बढ़ाओगे, पर सरचार्ज के नाम पर आपने 3,049 करोड़ लिया है, पर जनता को इसके बदले में क्या सुविधा दी गयी? न तो आपने लाइन अण्डरग्राउण्ड की है, न झूलते हुए तारों को ठीक किया है। फिर भी आप इनसे सरचार्ज के नाम पर बिल बढ़ा कर पैसे वसूल रहे हैं।

(श्रीमती कल्पना देवी)

अगर मैं बात करूं तो बोरखेड़ा के जी.एस.एस. की बात है। साढ़े चार साल पहले सबसे पहले बजट में आपने इस जी.एस.एस. की स्वीकृति दी थी। साढ़े चार साल हो गये, अभी तक धरातल पर यह जी.एस.एस. तैयार होकर राहत नहीं दे रहा है और आप राहत की बात कर रहे हैं। डेली मुझे बोला जा रहा है कि तीन महीने में चालू होगा, पर पहले बजट की घोषणा आज तक धरातल पर तैयार नहीं है।

ऐसे ही केन्द्र की ओर से कुसुम योजना से सब्सिडी दी जा रही है, परन्तु आपने यहां सोलर एनर्जी पर भी टैक्स लगाया हुआ है तो यह क्या मतलब है? आप राहत की बात करते हो ऊपर से टैक्स लगा रहे हो, सरचार्ज लगा रहे हो, बिजली के बिल बढ़ा कर दे रहे हो।

आप मेरा बोरखेड़ा का जी.एस.एस. और जनता को राहत दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय। उस दिन बहुत अच्छा लगा था जब 15वीं राजस्थान विधान सभा के गठन के पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां खड़े होकर पहले ही भाषण में कहा था कि राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है। जो राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस था, दूसरे राज्यों को बिजली दे रहा था, वह पिछले चार साल से लगातार बिजली कटौती को भुगत रहा है। बिलकुल इतनी भारी कटौती पिछले डेढ़-दो साल में देखने को मिली है कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान पचास साल पीछे की स्थिति में पहुंच गया। सब जगह फैक्ट्रियां बन्द, दुकानों में बिजली नहीं, घरों में बिजली नहीं, खेतों पर बिजली नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और इसका जवाब जनता को इनको देना पड़ेगा।

दूसरा, ट्रांसफार्मर जो जलते हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिए जोधपुर डिस्कॉम का पूरा ठेका जोधपुर के एक ठेकेदार को दे दिया गया और 72 घंटों की नीति सरकार की घोषित नीति है, लेकिन 72 दिन तक नहीं पहुंचे ट्रांसफार्मर 2022 की गर्मी में। सर्दी में तो होता है, हमेशा होता है। सर्दी में तो खींचतान रहती है, गर्मी में जब ट्रांसफार्मर कम काम में आते हैं कम जलते हैं, तब भी 70-72 दिनों तक यह सरकार जले हुए ट्रांसफार्मर बदल नहीं पायी।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इसका रिकार्ड जालौर में डिस्कॉम कार्यालय में उपलब्ध है। यह जो कलंक लगा है वह भी इस सरकार के माथे पर लगा है। सिर्फ अपने चहेते ठेकेदारों को ओब्लाइज करने के चक्कर में इन्केपेबल ठेकेदारों को काम दे दिया, उसके कारण से वह हुआ और ट्रांसफार्मर ट्रांसपोर्टेशन किसान के कुएं से ट्रांसफार्मर लाना और वापस पहुंचाना, उसके लिए आपने ठेका दे दिया। ठेकेदार को प्रति ट्रांसफार्मर सात सौ रुपये पेमेन्ट हो रहा है जबकि काश्तकार को लाना पड़ रहा है और काश्तकार को पहुंचाना पड़ रहा है। खर्चा काश्तकार का हो रहा है और पेमेन्ट आपके चहेते ठेकेदार को जा रहा है। यह कलंक भी राजस्थान की सरकार पर इस पूरे कार्यकाल में लगा है। ऐसे ही जो आप बिजली में राहत की बात कर रहे हैं कि हमने माफ कर दिया सौ यूनिट, दो हजार यूनिट उसके बावजूद जो बिल आ रहे हैं वे ज्यादा आ रहे हैं। हमारे जालौर में तो 12-13 सौ फैक्ट्रियां हैं। उनमें तो फ्यूल सरचार्ज के नाम पर और अदर चार्ज के नाम पर पचास हजार से लेकर एक लाख रुपये का एक्स्ट्रा अनअकाउंटेड, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं, ऐसा पैसा जोड़-जोड़ कर बिल आये हैं। सारे उद्यमियों में आक्रोश है। इसी प्रकार काश्तकारों के भी बिल बढ़े हैं। घरेलू बिल भी बढ़े हैं और आप कह रहे हो कि हमने राहत दी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

आखिरी बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो तूफान आया, उस तूफान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 11 करोड़ रुपये का नुकसान बिजली विभाग को अकेले जालौर जिले में हुआ है और उसका राजस्थान सरकार की तरफ से तो अभी तक पैसा मिला नहीं है और मिलेगा तो भी...

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सिर्फ एक लास्ट पाइंट, मिलेगा तो भी ठेकेदारों को मिलेगा और खर्चा सारा काश्तकारों ने किया है। पोल और तार पहुंचाना, मौके पर खड़े करवाना, तार खिंचवाना, सारा खर्चा काश्तकारों का हुआ है और बिल ठेकेदारों को जा रहा है। यह सरकार पिछले पांच साल से ऐसा ही कर रही है। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूं और सरकार से आग्रह भी करता हूं कि जिन काश्तकारों ने खर्चा किया है, उनको भुगतान करने की व्यवस्था करें, अन्यथा काश्तकारों में भारी रोष है, जो आपको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है तब से लेकर बराबर पूरे पांच वर्ष तक बिजली से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यह मैं कोई बी.जे.पी. में हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। पूरा राजस्थान त्राहि-त्राहि करके रो रहा है, किसान रो रहे हैं। मेरे सूरतगढ़ में सबसे बड़ा थर्मल है। हमारे लोगों ने भूमि दी, प्रदूषण सहन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद एक घंटे भी किसान को पूरी लाइट नहीं मिलती। आये दिन डिम लाइट रहने के कारण मोटरें जलती हैं, स्टार्टर जलता है, समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, बार-बार लाइन फाल्ट होती है। इस सरकार ने बिजली में बेड़ा गर्क कर दिया। यह ठेकेदारी प्रथा इस विभाग को लेकर बैठ गई। लाइनमैन इतने बेकंट्रोल हैं, किसी भी अधिकारी से बात करो कि अमुक लाइनमैन काम नहीं करता। कहते हैं कि, साहब, इनकी तो यूनियन है, तो माला फेरो, छोड़ो इस डिपार्टमेंट को। किसानों के साथ इन पांच वर्ष में इतना अन्याय हुआ है। किसान आये दिन इस सरकार को कोसते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके किसान ट्यूबवैल लगाता है। सरकार वाह-वाही लूटने के लिए हर वर्ष हजारों कनेक्शंस के आदेश कर देती है। स्ट्रक्चर निर्माण करते नहीं, जी.एस.एस. का निर्माण करते नहीं, नई लाइनें खींचते नहीं और कनेक्शन करके उल्टा लोड बढ़ाने का काम सरकार स्वयं करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपकी मौत यह बिजली बन कर रहेगी, यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह जितने भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिजली में यह कमी है, बिजली में वह कमी है, एक बात के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इस बात के लिए है कि तीन साल के बच्चे से भी पूछें कि लाइट क्यों गई, वह कभी यह नहीं कहता कि फाल्ट की वजह से लाइट गई है। वह तीन साल का बच्चा भी यह बोल रहा है कि लोड शैडिंग हो रही है। यह बच्चा ही नहीं बोल रहा, जो नया मेहमान आ रहा है, उससे भी आप पूछोगे कि बिजली क्यों गई, तो वह यह नहीं कहेगा कि फाल्ट आ गया या बिजली कट गई, वह भी यही बोलेगा कि लोड शैडिंग हो रही है। अध्यक्ष महोदय, लोड शैडिंग के नाम पर आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 4-5 घंटे की आप बिजली कटौती

(श्री रामलाल शर्मा)

कर रहे हो। आज गांव वाले कहने लग गये कि हमें गहलोत जी की सब्सिडी नहीं चाहिये, हमें तो बिजली दे दो, पूरा पैसा देने के लिये हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, बिजली देने का काम करें नहीं और वाह-वाही लूटने का काम करें। यह है आपकी हकीकत।

अध्यक्ष महोदय, 2018 में आपने कहा था कि हम एक पैसा बिजली की दरों में नहीं बढ़ायेंगे। 2018 में जुलाई से लेकर सितम्बर में जयपुर डिस्कॉम ने 19 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाये। 2018 में अक्टूबर से लेकर दिसम्बर तक 37 पैसे प्रति यूनिट आपने बढ़ाये। जनवरी, 2019 से लेकर मार्च, 2019 तक 37 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज का बढ़ाया। अप्रैल, 2019 से लेकर जून, 2023 में 55 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाये। अभी जनवरी, 2023 से लेकर जुलाई, 2023 के बीच में 33 पैसे फ्यूल चार्ज का आपने बढ़ाया। 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज का एक बार आपने बढ़ाया। 52 पैसे पिछले महीने आपने बढ़ाने का काम किया। किसान को आप कहां राहत देने का काम कर रहे हो? 833 रुपये की सब्सिडी को बंद कर रहे हो और घोषणा बड़ी-बड़ी कर रहे हो कि 1,000 रुपये प्रति माह की सब्सिडी देंगे। अध्यक्ष महोदय, धरातल पर आपकी बिजली की 50 यूनिट, 100 यूनिट की सब्सिडी के बाद में जहां किसान और आम उपभोक्ताओं को 762 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी, वह 552 रुपये पर आकर टिक गई। कहां वाह-वाही लूटने का काम कर रहे हो? आज किसान का ट्रांसफार्मर जले हुए 25 दिन हो गये, 25 दिन में ट्रांसफार्मर बदलने का काम आप नहीं कर रहे हो। किसान का डिमांड नोटिस जमा हुए 6 महीने हो गये, ट्रांसफार्मर आपके पास है नहीं, बिजली के तार आपके पास है नहीं, डी.पी. आपके पास है नहीं, कहां किसान को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हो?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अधिकारी ऐसे लगा रखे हैं कि आम किसान अपनी समस्या लेकर जाए, तो उसको धक्का देकर बाहर निकालने का काम करें। मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट की, मंत्री जी तो सीधे आदमी हैं, इन्होंने कहा, एम.एल.ए. साहब, आप जानते हो कि अधिकारी मेरे कहने से थोड़े ही लगते हैं, ऊपर से लगते हैं। मोटी रकम लेकर आप अधिकारी लगाओगे, फिर जनता को लूटने का काम करोगे। अध्यक्ष महोदय, यह सहन करने योग्य नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप किसानों की सब्सिडी बंद कर दें, लेकिन किसानों को बिजली तो देने का काम करें। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, आम उपभोक्ता परेशान हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, वह सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र का नहीं, पूरे राजस्थान का है। सवाल यह है कि सरकार ने बजट में 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की और 31.05.2023 के बाद देर रात्रि को 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की घोषणा की, धरातल पर इसका क्या हुआ, यह मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज कुछ बिल विधान सभा सदन में लेकर आया हूं। यह एक बिल आया है, रामचन्द्र जी जांगिड़, संजीवनी नर्सिंग होम, जैतारण। इसमें बिल तो आया है लगभग 3,876 रुपये का, उसमें अन्य के नाम पर 1,003 रुपये का सरचार्ज जोड़ा हुआ है। दूसरा बिल आया है, मीठालाल पुखराज माली, इसमें स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 772.56 रुपये और मेरा खुद का, अविनाश गहलोत, नाथूराम गहलोत, जैतारण, इसमें बिल में 1375.58 रुपये स्पेशल फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिल आया है। एक और है, रामचन्द्र जांगिड़, हरिराम जांगिड़, बांजाकुडी रोड, मोडरी की बगीची के पास में, स्पेशल फ्यूल सरचार्ज 261 रुपये। अध्यक्ष महोदय, आज एक सर्कुलर मैं लेकर आया हूं जो राजस्थान के पूरे ए.ईएन. आफिस में लगा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कार्यालय सहायक अभियंता, आवश्यक सूचना। समस्त उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि माह जून, 2023 के विद्युत बिल के कालम संख्या 8 में दी गई राशि फ्यूल सरचार्ज की राशि है, जो कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पिछले वर्ष विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग लाये जाने वाले कोयला ईंधन के मूल्य में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए जोड़ी गई है। यह फ्यूल सरचार्ज की राशि विद्युत उपभोक्ताओं से पिछले वर्ष के 01 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक के उपभोग पर 0.07 पैसा, एक अप्रैल; 2022 से 30 जून, 2022 के उपभोग पर 0.45 पैसा; एक जुलाई, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 के उपभोग पर 0.52 पैसे के आधार पर जोड़ी गई है।

अत: उपरोक्त त्रैमासिक के कुल उपभोग पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार फ्यूल सरचार्ज की राशि क्रमश: वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक संख्या 1007, दिनांक 21.09.2022; वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक 1033, दिनांक 28.04.2023 और वाणिज्यिक परिपत्र क्रमांक संख्या 1036, दिनांक

(श्री अविनाश)

18.05.2023 के आधार पर की गई है। चूंकि विद्युत उत्पादन के लिए कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, जिसका खरीद मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अत: उपभोक्ताओं से निवेदन है कि धैर्य रखें। फ्यूल सरचार्ज राशि के वाणिज्यिक परिपत्र साथ में चस्पा किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने बजट में घोषणा की थी कि हम फ्यूल सरचार्ज नहीं बढ़ायेंगे, यह ए.ईएन. आफिस में लगा हुआ सूचना पत्र है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार की उस वादाखिलाफी को जरूर इंगित करता है। अभी 9 महीने में एक रुपये से ज्यादा का फ्यूल सरचार्ज अभी-अभी आपने लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले अख़बार में आया था।

श्री अध्यक्ष: 3 मिनट हो गये हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): एक मिनट में खतम करता हूं।

अख़बार में आया था कि सी.एम. साहब की घोषणा, राजस्थान सरकार की घोषणा, हर महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री। हकीकत में एक यूनिट उपभोग पर भी 103 रुपये का बिल आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बताइए कि जिस आदमी का बिजली का बिल एक यूनिट है, उसका भी 103 रुपये सरचार्ज के नाम पर आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यह जो लोड शैडिंग के नाम पर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): बस, मैं 30 सैकण्ड में खतम कर रहा हूं।

यह जो लोड शैडिंग के नाम पर, अधिकारियों को फोन करते हैं तो लोड शैडिंग का बहाना बनाते हैं। मेरे वहां का मगरा इलाका ब्यावर के 220 के.वी. से जुड़ा हुआ है मैदानी इलाका है, बिलाड़ा 220 के.वी. से जुड़ा हुआ है। जब अधिकारियों से पूछते हैं तो वे कहते हैं कि लोड शैडिंग है लेकिन जब लोग वहां धरना देते हैं, रात को जाते हैं तो तब वहां पांच मिनट में लाइट चालू कर दी जाती है। ये बहाना बनाते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि लोड शैडिंग के नाम पर जो आप बिजली कटौती कर रहे हो, शाम के समय इसको बंद करें और जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं

(श्री हमीर सिंह भायल)

निवेदन करना चाहता हूं कि बिपरजॉय तूफान से पूरे राजस्थान और बाड़मेर में जितने भी तार, खम्भे गिरे थे, आज 40 से 45 दिन होने को आये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी तक कई गांव और ढाणियों में आज दिन तक वहां पर खम्भे खड़े नहीं गये हैं। कनेक्टर नहीं गया है, ट्रांसफार्मर जलने के बाद नहीं मिला है। डेढ़ से दो महीने तक, आज दिन तक खड़े नहीं हुए हैं। इसमें डंडाणी से लेकर अरनियाणी गाणानाड़ी, चाडो की ढाणी और सजाणा से लगाकर कई गांव वंचित हैं। सरकार ने वादा करने के बाद यह हालत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह रहा हूं कि यह किसानों की फसल का समय था। वहां अनार की खेती थी। खम्भे गिर गये। ये खम्भे लाने का काम, खड़े करने का कार्य व्हीकल लेकर किसानों ने किया है। सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ और पेमेंट फर्जी ठेकेदार उठायेंगे। यह हालत बनी हुई है। डिमांड किसानों से भरवा दी गयी। बूंद-बूंद सिंचाई की डिमांड भरवा दी गयी। एस.सी., एस.टी. के भाइयों की डिमांड भरवायी गयी। आज तारीख तक कई कनेक्शन ऐसे पड़े हैं कि आज दिन तक कनेक्शन नहीं हुए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 122 कनेक्शन और बाड़मेर जिले में हजारों कनेक्शन वंचित पड़े हैं। जो कि सरकार के पास कह रहे हैं, वह नहीं है। दो-दो महीने तक ट्रांसफार्मर जलने के बाद नहीं मिल रहा है। वह भी किसान को अपना व्हीकल लेकर जाना पड़ता है। जमा कराने के बाद में वापस लाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी हालत आजादी के बाद, बिजली आने के बाद नहीं देखी है। सरकार ने बिजली के सरचार्ज बढ़ाकर इतने किसानों पर भार डाल दिया है, घरेलू कनेक्शनों पर भी भार डाल दिया है। बिजली की वजह से इस सरकार ने तबाही कर दी है। किसान हार गये हैं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 2020-21 में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देते हुए मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान अब 23 हजार 309 मेगावाट के साथ विद्युत की दृष्टि से सरप्लस स्टेट हो गया। इसी 31 मार्च, 2023 के बाद राजस्थान के किसानों रात में बिजली नहीं, अब दिन में दो ब्लाक में बिजली मिलेगी। राजस्थान के किसानों को ने सोचा, उपभोक्ताओं ने सोचा, शायद दिन फिर गये। हम बचपन में कहा करते थे, अंधेर नगरी और चौपट राजा। अगर मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

देखूं, माननीय सदस्यों ने कहा, शहर के शहर कटते चले गये, कटौती का दंश झेलते चले गये।

मैं सदन का ध्यान बजट 2023 के पैरा 5 (2) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त में बिजली देते हैं, उसको हम सौ यूनिट करेंगे। इसी बजट के पैरा 6(4) में कहा, डेढ़ सौ यूनिट तक की बिजली, उसमें तीन रुपये प्रति यूनिट की हम सब्सिडी देंगे और तीन सौ यूनिट तक की बिजली में दो रुपये प्रति यूनिट हम सब्सिडी देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं, बजट की घोषणा के बाद कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 01 अप्रैल को स्वत: ही लागू हो जाती है। हां, यह सही है कि 2022-23 में 50 यूनिट फ्री बिजली की आपने जो घोषणा की थी, 01 अप्रैल से लागू की। फिर एक दिन राजस्थान के उपभोक्ताओं के मोबाइल पर बात चमकी कि 10 बजकर 45 मिनट पर मैं बड़ी घोषणा करूंगा, मुख्य मंत्री जी ने कहा। उन्होंने घोषणा की कि सौ यूनिट बिजली मुफ्त होगी और 200 यूनिट बिजली पर फ्यूल चार्ज माफ होगा। यानी सदन में जो घोषणा की थी, डेढ़ सौ से तीन सौ यूनिट पर दो रुपये सब्सिडी और डेढ़ सौ यूनिट तक तीन रुपये की सब्सिडी से मुकर गये। नतीजा यह निकला कि आम उपभोक्ताओं को आपने जो बजट में वादा किया, उसमें लगभग साढ़े सात सौ की सब्सिडी मिलती थी। वह कम होकर 565 रुपये हो गयी। इसके साथ ही यह डिजाइन बाक्स कम्पनी आयी है, इसके कहने पर आपने 62 करोड़ के विज्ञापन लगाकर इन उपभोक्ताओं पर और वज़न डाल दिया। आज हालत क्या है?

अध्यक्ष महोदय, मैं वह बिल लेकर आया हूं। हर उपभोक्ता के पास बिल जाता है। अब बिल डेढ़-दो महीने से जाने लगा है। मेरे पास यह बिल है। आप कहें तो टेबल कर दूं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो उपभोक्ता 50 यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट की परिधि में आता था, जब उसका बिल ही डेढ़-दो महीने का आया तो वह उस परिधि को पार कर गया और सब्सिडी से महरूम हो गया। यह खेल क्या है? यह मेरी समझ के पार है। आपने टैरिफ में दे रखा है। इसी बिल के पीछे दे रखा है। 50 यूनिट तक 4 रुपये 75 पैसे, 50 से 150 यूनिट पर 6 रुपये 50 पैसे, 150 से 300 यूनिट पर 7 रुपये 35 पैसे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्लेब को पढ़ रहा हूं। मैं यह पहली बार देख रहा हूं। मैं वह बिल भी लाया हूं, जो हर महीने जारी किया जाता था और वह बिल भी लेकर आया हूं, जो डेढ़-दो महीने से जारी किया गया है। यह खेल इसलिए है कि घोषणा कर देते हो, पर उपभोक्ताओं को कुछ देने से बचना चाहते हो।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने कहा। यह फ्यूल चार्ज का खेल है। फ्यूल चार्ज का टैरिफ आर्डर मैंने पढ़ा है। आप महंगा कोयला खरीदो, आप महंगी बिजली खरीदो, आप वेरिएबल कोस्ट बढ़ाओ और उसके बाद फ्यूल चार्ज के नाम पर जेब काटो। अगर मैं पिछले तीन महीने के क्वार्टर की बात करूं, आपने 1,476 रुपये राजस्थान के उपभोक्ताओं से झटके हैं। आज उद्योग बन्द हो रहे हैं। आज उद्योग के लिए सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, महाराष्ट्र के बाद। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल लेकर आया हूं। एक ही कम्पनी है। माइन्स एण्ड मिनरल्स, अध्यक्ष महोदय आपके इलाके की कम्पनी है। इसके अन्दर बिजली का बिल, जिसका अप्रेल के अन्दर अन्य भार 56 हजार 960 रुपये, अगले महीने में जिस महीने का बिल अभी मेरे हाथ में है, वह 1 लाख 66 हजार है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप लूट रहे हैं। आपने अपने शासनकाल में 60 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसा था। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि आप यह जो 60 पैसे स्पेशल फ्यूल चार्ज ले रहे हैं, अडानी जी को पैसा देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अगला जो टैरिफ आर्डर पढ़ा है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगला टैरिफ आर्डर जो मैंने पढ़ा है उसके अन्दर 52 पैसे फ्यूल चार्ज अगले क्वार्टर का, और 60 पैसे स्पेशल फ्यूल चार्ज। वे दिन हवा-हवाई हो गये, आपने जो राहत दी थी। अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। फ्यूल चार्ज के नाम पर 6 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान के उपभोक्ताओं से लिया। राजस्थान को आपने सब्सिडी दी। एक उपभोक्ता है। पुरानी घाट का रहीम खान। उसको सब्सिडी दी, 579 रुपये। उससे 3,443 रुपये फ्यूल चार्ज लिया। दूसरा उपभोक्ता, शीला देवी, आपने सब्सिडी दी 660 रुपये, फ्यूल चार्ज 1,159 रुपये, आप कहो तो मैं पूरी लिस्ट पढ़कर सुना सकता हूं। पर, समय की पाबन्दी है। अध्यक्ष महोदय, आज क्या हो रहा है, जो डिस्कॉम पर आपने आर्डर जारी कर दिया, 100 यूनिट और 200 यूनिट तक का फ्यूल चार्ज फ्री करने का, पैसा एक नहीं दिया। यह जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 62 है, वह यह कहता है कि आपको एडवांस में पैसा डिस्कॉम को देना चाहिए। आपकी डिस्कॉम घाटे पर जा रही है। आपकी डिस्कॉम हर महीने 6,500 करोड़ का इंट्रेस्ट दे रही है। यह इंट्रेस्ट का पैसा वैरिएबल कोस्ट में जाकर जुड़ता है। आप उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज के नाम पर वसूल करते हैं। पिछले वर्षों का देखूं तो आप कह रहे हैं कि हम सरप्लस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्टेट हैं। आपने महंगी बिजली खरीदी। निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से खरीदी। 4 रुपये 70 पैसे से लेकर, 17 रुपये तक खरीदकर वह पैसा भी आपने हमसे लिया। आपने राजस्थान को लूटने का काम किया।

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने 19 रुपये में, अपने कार्यकाल में।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, गलत बात है। यह गलत परम्परा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपने किसान को झुनझुना पकड़ा दिया, 2 हजार यूनिट तक की बिजली फ्री कर रहे हैं। आपने जनआधार से जोड़ दिया। अध्यक्ष महोदय, किसान का परिवार बढ़ गया, जोत बढ़ गयी। एक की जगह तीन-तीन कुएं एक परिवार में हो गये। एक किसान को सब्सिडी दे रहे हैं। मंत्री महोदय, आप यह जो खेल कर रहे हैं, फ्यूल चार्ज का पैसा 6 गुना ज्यादा ले रहे हैं। आपने कहा था कि हम दिसम्बर तक के पैंडिंग कनेक्शन जारी कर देंगे, 3 लाख 46 हजार। यह टर्नकी प्रोजेक्ट का खेल क्या है? 2,300 करोड़ का टर्नकी प्रोजेक्ट अचानक 3,900 करोड़ का कैसे हो गया? आपने छह बार टेण्डर क्यों बढ़ा दिये? यह भ्रष्टाचार का तांडव है। आर.टी.पी.पी. एक्ट की धज्जियां उडाते हुए 1,042 करोड़। मैं आरोप लगा रहा हूं कि 1,042 करोड़ का टेण्डर आपने अडानी की कम्पनी को दिया। सिंगल टेण्डर दिया। 18 हजार मीट्रिक टन से दिया है। आपके दामन दागदार हैं। अध्यक्ष महोदय, आप यह कह रहे हैं कि समस्या इतनी विकट हो गयी है। अब हम समझते हैं कि आप उपभोक्ताओं के पास जा रहे हैं। आज की तारीख में आपने जो वादा किया था, सौ यूनिट फ्री का, आपने जो वादा किया था 200 यूनिट तक फ्यूल चार्ज फ्री का, बढ़े हुए बिल आये हैं। दिसम्बर, 2018 का बिल उठा लेना। अगर इस वक्त दिसम्बर, 2018 के बिल से ढाई गुना बिल नहीं आये तो मैं विधान सभा को छोड़कर चला जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, लूट नहीं चलेगी। इसमें निश्चित तौर पर करनी होगी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, बिल टेबल करवा दीजिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनके बिल टेबल करवाइए।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे।)

श्री अध्यक्ष: माननीय गिरधारीलाल।

डूंगरगढ़ में उपकरणों के अभाव में विद्युत कनेक्शनों में विलम्ब

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 50 स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में विद्युत कनेक्शन के मांग पत्र जमा कराये गये। सामान नहीं होने के अभाव में किसानों को कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा महंगे ट्यूबवैल हैं। ट्यूबवैल खुदने के बाद एक ट्यूबवैल पर 10-10, 20-20 लाख रुपये लगते हैं। मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि ...(व्यवधान) जल्दी से जल्दी जो डिमांड नोटिस जमा हैं, ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, उनको तुरंत प्रभाव से सामान उपलब्ध करवाएं।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वोल्टेज की ज्यादा समस्या है। मैंने सरकार से पहले भी मांग की है। (व्यवधान) मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जालबसर, डेलवा, आडसर, लिखमीसर, दिखणादा, देराजसर में नये 33 के.वी. जी.एस.एस. के स्वीकृत किये जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): इसको देखते हुए, हमारा विरोध है ...(व्यवधान) मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, साथ ही उस क्षेत्र में स्वीकृत ...(व्यवधान) 33 के.वी. के सब-स्टेशन भोजास, मणकरासर, बिग्गा, मेऊसर, दुसारणना बड़ा में स्वीकृत जी.एस.एस. शुरू कराए जाएं। साथ ही सरकार से आग्रह करूंगा कि 132 के.वी. जी.एस.एस. राजपूत पुनरासर, जाखासर में शीघ्र बनाये जावें। जब बिजली में वोल्टेज कम है तो वह चार साल से स्वीकृत ट्यूबवैल शुरू कराए जाए। साथ ही साथ निवेदन करूंगा 33 के.वी. जी.एस.एस. बने हुए हैं। एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर के लिए किसान लम्बे समय से मांग कर रहे हैं, कम वोल्टेज की वजह से किसानों के मोटर, पम्प जल जाते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर को जरा सुधार कर डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की सुचारु व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। 295, श्री खुशवीरसिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर हवाई अड्डे का स्व. महाराजा उम्मेदसिंह के नाम से नामकरण

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। जोधपुर हवाई अड्डे का स्व. महाराजा उम्मेदसिंह जी के नामकरण हेतु विधान सभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजने के क्रम में निवेदन है कि जोधपुर महाराजा ने 24 हवाई पट्टियों का निर्माण आजादी से पूर्व सन् 1924 से 1945 के बीच करवा दिया था, जिसमें सामरिक दृष्टि से आज भी उत्तरलाई एवं जोधपुर महत्वपूर्ण हैं। इनके निर्माण में, उत्तरलाई पर 9,610 एवं जोधपुर हवाई अड्डे पर 1,36,810 रुपये की लागत उस समय आयी थी। जोधपुर महाराजा पहले भारतीय थे, जिन्हें एयर मार्शल की पोस्ट मिली थी और जिनके द्वारा जोधपुर फ्लाईंग क्लब की भी स्थापना की गयी।

(समय: 12.43 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

उनके द्वारा इतनी अधिक हवाई पट्टियों का निर्माण करते देखकर उस समय अंग्रेजों में भय का संचार हुआ और अंग्रेजों द्वारा उन्हें और अधिक हवाई पट्टियों का निर्माण न करने की सलाह दी गयी थी। सन् 1936 तक जोधपुर हवाई अड्डा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया था, जहां से प्रथम वर्ष में 761 हवाई जहाज़ों का संचालन हुआ था। सन् 1962 में इन्होंने अपना निजी जहाज भी सेना को समर्पित कर दिया, जो उस समय भारत चीन युद्ध में काफी कारगर साबित हुआ था। उस समय पर इनके द्वारा मात्र 10 रुपये शुल्क में पर्यटकों को धार्मिक एवं दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था कर रखी गयी थी।

मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त हवाई अड्डे का नामकरण स्वर्गीय महाराजा उम्मेद सिंह जी के नाम पर करवाने हेतु जोधपुर नगर निगम द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। राज्य सरकार की विधान सभा से प्रस्ताव जाने के पश्चात् भारत सरकार के नियमों के तहत उक्त नामकरण करवाया जा सकेगा। अतः ऐसे गौरवशाली महापुरुषों के नाम से जिन्होंने आजादी से, पूर्व राष्ट्र के उत्थान हेतु इतना अधिक योगदान दिया, जिसमें 1,200 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार भी उन्होंने करवाया, जोधपुर से कराची

(श्री खुशवीरसिंह)

तक, उनके नाम पर जोधपुर हवाई अड्डे का नामकरण करने का प्रस्ताव राजस्थान विधान सभा से पारित कर भारत सरकार को प्रेषित करवाया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

सीकर के सदर पुलिस थाने में दर्ज छात्र की हत्या के प्रकरण में कार्यवाही का अभाव

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): सभापति महोदय जी, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हनीमेश पिता रमेश चन्द्र खांट निवासी चौथ माल, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा का होकर प्रथम वर्ष एम.बी.बी.एस. छात्र श्री कल्याण राजकीय मेडिकल कालेज, सीकर में अध्ययनरत था। सीनियर छात्रों द्वारा कई बार रेगिंग की जाती रही है। नये छात्रों के साथ उक्त कालेज में हमेशा यही अत्याचार होता है। हनीमेश पिता रमेश खांट की 19.06.2023 की रात्रि को कालेज के सीनियर छात्र ओम प्रकाश मीणा एवं इनके साथियों ने रैगिंग के दौरान नृशंस हत्या कर बॉडी को छत से नीचे फेंक दिया। उसके शरीर की बॉडी में पोस्टमार्टम में 11 फ्रेक्चर पाये गये हैं। शरीर पर कई चोटें थीं। हनीमेश के साथ ओम प्रकाश मीणा नामक छात्र एवं उनके साथियों द्वारा कई बार रेगिंग के नाम से अज्ञात जगहों या बंद कमरों में मारपीट करना, शराब पिलाना, नशे की सिगरेट पिलाकर कुकृत्य कर परेशान करने का कई बार घटनाक्रम हुआ है जिसकी जानकारी हनीमेश कालेज प्रबंधन व परिजनों को आप बीती बता चुका था। हनीमेश की हत्या का मुकदमा सदर थाना, सीकर में दिनांक 20 जून, 2023 को दर्ज है। किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है। परिजन एवं सामाजिक संगठन दिनांक 11 जुलाई, 2023 से लगातार उप खण्ड कार्यालय आनन्दपुरी, जिला बांसवाड़ा में धरने पर बैठे हैं। पीड़ित को अभी न्याय नहीं मिला है। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो रहा है। घटनाक्रम के दिनों में छात्रावास के कैमरे भी बंद या खराब कर दिये गये थे, जिससे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उक्त मुकदमे में लीपापोती होने की आशंका है। अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मुकदमे में संज्ञान लेकर जल्द से जल्द कार्यवाही की जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम जी।

मकराना में विद्युत सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मकराना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अग्रिम सूचना के विभाग द्वारा मनमाने तरीके से विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे किसान, गृहिणियां, छात्र, व्यापारी वर्ग के साथ सभी आम उपभोक्ता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो सरकार 100 यूनिट तक फ्री देने की घोषणा कर रखी है, वहीं विभाग के कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए उपभोक्ताओं के घर पर नहीं जाकर आफिस में बैठे-बैठे ही मनमाने तरीके से यूनिट लिख लेते हैं। फिर मीटर रीडिंग के लिए अगली बार घर जाकर देखने पर वास्तविक यूनिट दुगुने पाये जाते हैं, जिससे सरकार की घोषणा असत्य साबित हो रही है और उपभोक्ताओं को फ्री का फायदा नहीं मिल पाता है। सरकार द्वारा एक तरफ तो बिजली बिल शून्य की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज और स्थायी बिल बढ़ाकर बिल की राशि को बढ़ा दिया जाता है, जिससे आमजन को फायदा नहीं मिल पा रहा है। औद्योगिक इकाइयों पर स्पेशल फ्यूल सरचार्ज प्रति यूनिट तक 52 पैसे बढाने से व्यापारी वर्ग को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

ईंट एवं मिट्टी बर्तन निर्माताओं की समस्याओं का निराकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत कुम्हार (प्रजापति) समाज के ईंट कजावा से संबंधित समस्याओं को लेकर विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

(श्री संयम लोढ़ा)

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के सिरोही, पाली तथा जालौर जिले में बहुतायत रूप से कुम्हार (प्रजापति) समाज का मुख्य कार्य मिट्टी के बर्तन बनाना एवं ईंट कजावा निर्माण करना है। कजावा छोटा ईंट भट्टा होता है, जिसमें चिमनी का उपयोग नहीं होता है तथा ईंधन के रूप में विलायती बबूल, कंटीली झाड़ियों, सरसों की भूसी का उपयोग होता है।

वर्तमान में ईंट निर्माताओं के स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि नहीं होने से ईंट निर्माण करने हेतु अन्य खातेदारी की कृषि भूमि में मौखिक सहमति/समझौता के आधार पर ईंट निर्माण करता है तथा उसके प्रतिफल के रूप से मौखिक समझौते अनुसार खातेदार को ईंटों में से कुछ हिस्सा या नकद रुपया भुगतान करता है। निवेदन है कि राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से अकृषि संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम-6 के अनुसार खातेदार अपनी कृषि भूमि से एक एकड़ तक के क्षेत्र में कजावा (छोटा ईंट भट्टा) बिना संपरिवर्तन अनुज्ञा के लगा सकता है, की सीमा बढ़ाकर एक हैक्टेयर करते हुए श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक/प.9(78) राज-6/2007/12, दिनांक 03.10.2017 के तहत अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदारों को पुनः आदेशित किया जावे।

निवेदन है कि खातेदार को जारी अनुज्ञा प्रमाण पत्र तथा खातेदार की सहमति से जारी ईंट कजावा निर्माता को जारी ईंट निर्माण/विक्रय/परिवहन की अनुमति के आधार पर ईंट कजावा लघु उद्योग की श्रेणी में शामिल करते हुए रियायती ब्याज दर पर बैंकों से ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया जावे।

निवेदन है कि इस बार गत माह बेमौसमी बारिश से ईंट कजावा निर्माताओं को लाखों का नुकसान हुआ है। आकस्मिक व प्राकृतिक आपदाओं से कई ईंट कजावा निर्माता इस नुकसान से कर्ज तले दब गये हैं। इस प्रकार के आकस्मिक आघात से उबारने के लिए सरकार द्वारा मुआवजे का प्रावधान किया जावे तथा वर्तमान में हुए नुकसान का भी सर्वे करवाया जाकर पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलाया जावे। भविष्य में प्राकृतिक आपदा प्रायः बेमौसमी बरसात से नुकसान होने पर सरकार द्वारा बीमा कवर दिया जावे।

निवेदन है कि खातेदारी कृषि भूमि ईंट कजावा प्रयोजनार्थ उपयुक्त मिट्टी उपलब्ध नहीं होने पर बिलानाम सार्वजनिक बांध/तालाब/नाड़ी/एनिकट में से मिट्टी खुदाई कर परिवहन करने की अनुमति तहसीलदार द्वारा जारी की जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत (अनुपस्थित)।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

खनिज प्रसंस्करण उद्योगों पर लागू की गई पंजीयन एवं ट्रांजिट पास की व्यवस्था की समाप्ति

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018 खनिज पाउडर एवं अन्य खनिज प्रसंस्करण उद्योगों के खनन विभाग में पंजीयन करवाने और ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू की थी। वर्ष 2022 राज्य सरकार ने इन उद्योगों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये पंजीयन नवीनीकरण शुल्क के रूप में जमा कराने एवं प्रत्येक ट्रांजिट पास पर 10 रुपयों की राशि प्रभारित करने का निर्णय लिया। इस व्यवस्था का राजस्थान के सभी उद्योग संगठन भारी विरोध कर रहे हैं। खनिजों का प्रसंस्करण करना खनन गतिविधि में नहीं आता है। इन उद्योगों को खनन विभाग के पास पंजीयन करवाने के लिए बाध्य करना खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम में अप्रधान खनिजों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकारों को दी गई शक्तियों की सीमा के बाहर है।

राजस्थान बेरोजगारी में देश में पहले स्थान पर है। बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य में उद्योगों में नया निवेश बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार उद्यमों की समस्याओं की अनदेखी करके राज्य में निवेश का वातावरण बिगाड़ रही है। अप्रधान खनिजों के प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों का खान विभाग में पंजीयन करवाने एवं उनके उत्पादों के निर्गमन एवं परिवहन के लिए ट्रांजिट पास की व्यवस्था हमारे किसी भी पड़ोसी राज्य में नहीं है। खान विभाग का अधिकार क्षेत्र खनन करने वाली इकाइयों एवं खनन क्षेत्र तक ही सीमित है। जो इकाइयां खनन कार्य में संलग्न नहीं हैं, उन पर इस प्रकार की व्यवस्था लागू करना पूरी तरह से गलत है।

राज्य सरकार खनिज प्रसंस्करण उद्योगों पर लागू की गई पंजीयन एवं ट्रांजिट पास की व्यवस्था अविलम्ब समाप्त करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

फलौदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन

श्री पब्बाराम (फलौदी): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के जिला अस्पताल व दोनों ब्लाक फलौदी व बाप के सभी उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक केन्द्रों में अधिकतर रिक्त पदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राजकीय जिला अस्पताल फलौदी में 141 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 74 पद पर कार्यरत हैं और 67 पद रिक्त हैं। ब्लाक बाप व घंटियाली में 268 में पद स्वीकृत हैं। इनमें से 106 पदों पर कार्यरत हैं और 162 पद रिक्त हैं। ब्लाक फलौदी में 118 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 58 पदों पर कार्यरत हैं और 60 पद रिक्त हैं।

मान्यवर, राजकीय चिकित्सालयों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्हें मजबूरन जिला मुख्यालय या दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। कई गांवों में मात्र एक-एक कार्मिक के भरोसे स्वास्थ्य केन्द्र है।

मेरी आसन के माध्यम से सरकार से मांग है कि तत्काल सभी राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भर कर आम जनता को राहत दी जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह जी अवाना।

नदबई की उप-तहसील लखनपुर का तहसील में क्रमोन्नयन

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नदबई में उप-तहसील लखनपुर को तहसील में क्रमोन्नत करवाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई की उप-तहसील लखनपुर जो कि नदबई तहसील से लगभग 30 से 40 किमी. की दूरी पर स्थित है, दूरी ज्यादा होने के कारण वहां के स्थानीय आमजन/लोगों के द्वारा मुझसे कई बार उक्त उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग की जाती रही है। उक्त उप-तहसील लखनपुर को तहसील में करवाने के लिए समस्त पात्रताएं रखती है। उक्त उप-तहसील का गठन लगभग 9 वर्ष पूर्व में किया गया था तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत कुल 15 ग्राम पंचायतें (जिनमें कुल 44 गांव) आती हैं जिनका क्षेत्रफल काफी बड़ा है। स्थानीय लोगों

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

को लखनपुर से नदबई में तहसील स्तरीय कार्यों के लिए आने-जाने में आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का जनहित के उक्त मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र नदबई की उप तहसील लखनपुर को तहसील में क्रमोन्नत करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित)।

श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी के कतिपय गांवों का रावतभाटा चम्बल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जुड़ाव

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि रामगंज मण्डी (जिला कोटा) उप खण्ड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अलोद, बैडारूद्धा, घाटोली देवलीकलां एवं सालेड़ाखुर्द के गांवों को रावतभाटा चम्बल नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़कर कृषि कार्य हेतु सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाना नितान्त आवश्यक है, क्योंकि उक्त पंचायतें सिंचाई परियोजना से वंचित हैं और सिंचाई सुविधा नहीं होने के कारण यहां के किसानों की हालत काफी कमजोर है।

महोदय, बजट सत्र 2023-24 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चितौड़गढ़ जिले के बेगूं विधान सभा क्षेत्र के कुण्डाल क्षेत्र में चम्बल नदी से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस लिफ्ट सिंचाई परियोजना से रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती हैं, क्योंकि कुण्डाल क्षेत्र उक्त पंचायतों से लगा हुआ क्षेत्र है, जिससे किसानों की माली हालत में सुधार हो सकता है। मैं यह भी उल्लेख करना उचित समझता हूं कि उक्त ग्राम पंचायतें डार्क जोन में होने से भू-जल काफी नीचे चला गया है और सिंचाई के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। केवल अच्छी बरसात के आधार पर ही व भगवान के भरोसे यहां के किसान फ़सलें पैदा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा आपके

(श्री मदन दिलावर)

माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस गम्भीर मामले को गम्भीरता से लेकर उक्त ग्राम पंचायतों को रावतभाटा की चम्बल नदी से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाया जाए।

यह काफी लोक महत्व का मामला है, इसलिए विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से कार्यवाही हेतु निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय, बिजली से रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के किसान.....

श्री सभापति: जो इसमें लिखा है, वही पढ़िए। जो इसमें लिखा है वही पढ़ें। बाकी अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: बाकी अंकित नहीं होगा। श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)।

श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर के पेरीफेरी क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों की भूमि का नियमन कर उन्हें पट्टा आवंटन

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पेरीफेरी में वर्षों से निवासरत खेती कर रहे आदिवासी लोगों को उनकी भूमि का नियमन करा जाए तथा उन्हें उनकी भूमि का पट्टा आबंटन किया जाए।

राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग के शिविरों में गांवों में व शहरों में तो पट्टे दिए जा रहे हैं, परन्तु पेरीफेरी गांवों में आदिवासियों को क्यों नहीं पट्टे दिए जा रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा भूमि आबंटन व पट्टों की जरूरत आज आदिवासियों को है।

आदिवासी प्राय: अशिक्षित व बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनको सबसे अधिक भूमि के स्वामित्व की आवश्यकता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत बिलडी, गोकुलपुरा, भाटपुर, मालपुर, ददोडिया, सुरपुर, बोरी, राजपुर आदि ग्राम पंचायतों में आदिवासियों के अलावा जो भी पात्र हों, उनको पेरीफेरी में भूमि आबंटन हेतु पेरीफेरी में पट्टे जारी करें तथा शीघ्र नियमन किया जाए।

आदिवासी भूमि पर ही निर्वाह होते हैं। यदि भूमि आबंटन हेतु विशेष

(श्री गणेश घोघरा)

कैम्प लगाकर सरकार इनको इनका अधिकार दे देती है तो इनको स्थानीय रोजगार मिलता रहेगा। इस प्रकार ये आदिवासी दूसरे राज्यों में पलायन भी नहीं करेंगे।

ये लोग इसकी मांग लम्बे समय से कर रहे हैं। नगरपालिका व नगर परिषद् भी नहीं बनाई गई थी, तब से ये लोग इस भूमि पर निवासरत हैं।

अतः माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि उक्त अति संवेदनशील ज्वलंत समस्या का शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। धन्यवाद।

(समय 13.00 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री वाजिब अली।

नगर के विद्यालयों को क्रमोन्नत कर नवीन भवन बनाने एवं पदों का सृजन

श्री वाजिब अली (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब है और इसका मुख्य कारण रहा कि आज भी 70 साल पुराने स्कूल सिर्फ पांचवीं तक के ही हैं। अभी मुख्य मंत्रीजी 15 जून, 2023 को विधान सभा क्षेत्र के कस्बा सीकरी में पधारे और आम सभा को सम्बोधित करते हुए जनता की मांग पर घोषणा की कि आपके सभी स्कूलों को क्रमोन्नत किया जायेगा, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। जो स्कूल पूर्व में क्रमोन्नत हुए उनमें भी पद सृजित नहीं हो पाये हैं, न ही भवन व कमरे बनाने के लिए बजट मिला है। विधान सभा के गांव बिडगावा में स्कूल को क्रमोन्नत हुए 3 साल हो गये, बच्चों के प्रवेश हो गये, लेकिन न पद हैं और न ही व्याख्याता।

ऐसे ही गांव सीकरी में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने के बाद वहां भी 1-8 कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल नहीं है।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से इस विषय में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन करता हूं कि इस समस्याओं से क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1)(A) के तहत आरक्षण की व्यवस्था

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था को लेकर जारी 2013 की अधिसूचना एवं 2016 की अधिसूचना ST-SC वर्ग के लिए वर्तमान समय में घातक साबित हो रही है इसलिए राज्य सरकार से तत्काल अनुसूचित क्षेत्र में अनुच्छेद 244(1)(A) के तहत आरक्षण व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में निवेदन है।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि अनुसूचित क्षेत्र में 2013 एवं 2016 की अधिसूचना के आधार पर ST वर्ग के लिए 45%, SC के लिए 5% एवं 50% सामान्य की व्यवस्था की गयी है। 50% जो पद हैं, उनमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर जा सकते हैं, यह कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। कुछ पिछली भर्तियों का उल्लेख, जिसमें पुलिस भर्ती 2013 में बांसवाड़ा में कुल 175 पद थे, इनमें से SC के 8, ST के 78 और सामान्य के 89 पद थे। इन सामान्य 89 पद पर ST- SC के मात्र 3 अभ्यर्थी गये। पुलिस भर्ती 2019 में बांसवाड़ा जिले में 197 पद स्वीकृत हुए इनमें SC 3 पद, ST 36 और शेष सामान्य 158 पद रहे। इन पदों पर एक भी ST-SC का अभ्यर्थी नहीं लिया गया। वहीं पुलिस भर्ती 2018 डूंगरपुर जिला में कुल 166 पद स्वीकृत हुए जिनमें SC 10 पद, ST 20 और शेष 136 पद में से ST-SC का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया।

इस प्रकार वर्तमान समय में जारी RAS/RTS भर्ती 2023 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 27 पद स्वीकृत किये, जिनमें ST के लिए 8 पद, SC के लिए 0 पद। यह आदिवासी समुदाय एवं SC समुदाय के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसमें पूर्व RAS भर्ती 2013, 2016 एवं 2018 में भी ST-SC को नाम मात्र पद मिले और जो 50% सामान्य पद हैं उनमें उक्त तीनों भर्तियों में ST-SC का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया। यह आदिवासी क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया जा रहा है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी एवं SC समुदाय के शिक्षित बेरोजगारों के साथ कुठाराघात बन्द करें, नहीं तो

(श्री राजकुमार रोत)

आदिवासी क्षेत्र का युवा राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा आन्दोलन करेगा। इसलिए राज्य सरकार गम्भीरता से अनुसूचित क्षेत्र की आरक्षण व्यवस्था को सुधार ले।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

भीलवाड़ा शहर में पेयजल की समस्या का निराकरण

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भीलवाड़ा शहर में चम्बल परियोजना से पेयजल की सप्लाई होने के बाद भी शहर में कई कालोनियों एवं बस्तियों में पेयजल की लगातार समस्या बनी रहती है। प्रतिदिन लगभग 10-12 कालोनियों एवं बस्तियों से फोन पर शिकायत मिलती रहती है कि आज हमारे पानी नहीं आया। किसी कालोनी से 5-7 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं होती है। किसी कालोनी में पानी दिया भी जाता है तो 10-15 मिनट तक पानी आता है जो कि अपर्याप्त होता है। किन्हीं कालोनियों में, जैसे कि संजय कालोनी, जो कि 5 वार्डों को कवर करती है, लगभग 15-20 दिनों में उस पूरी कालोनी में दूषित पानी का वितरण किया जा रहा है, जिसमें सीवरेज का पानी मिला हुआ है। 15-20 दिनों बाद भी पी.एच.ई.डी., प्रशासन, कलेक्टर को ज्ञापन देने के बावजूद भी स्थितियां विकट हैं एवं 40-50 हजार आबादी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है।

कई बस्तियों में पानी की पाइप लाइन बहुत पुरानी है। बार-बार टूट जाती है। कई बस्तियों की आबादी कई गुना बढ़ गई है और पाइप लाइन अभी भी छोटी है, जिससे पर्याप्त सप्लाई नहीं मिलती है। कई बार कलेक्टर को कहने के बावजूद एवं बार-बार पी.एच.ई.डी. एवं चम्बल परियोजना के अफसरों को कहने के बावजूद, पी.एच.ई.डी. कहती है कि चम्बल परियोजना वाले करेंगे और चम्बल परियोजना वाले कहते हैं कि पी.एच.ई.डी. वाले करेंगे। इसी लीपापोती में चम्बल परियोजना से पेयजल की आपूर्ति होने के बावजूद शहर की जनता पेयजल की समस्या से ग्रस्त है और रोज पेयजल के लिए हाहाकार मचता है। यह हालात तब है जबकि हर सोमवार को कलेक्टर द्वारा पेयजल

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

के बारे में इन विभागों की मीटिंग ली जाती है। अतः सरकार एवं मंत्रीजी से निवेदन है कि भीलवाड़ा की पेयजल व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त किया जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जानी वाली अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं, नगरीय विकास विभाग और आवासन मण्डल की:-

श्री अध्यक्ष: इसमें 17 अधिसूचनाएं हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अच्छा, यह बोलना है क्या?

वित्त (कर) विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त (कर) विभाग की निम्नांकित 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/टैक्स/2023-47 दिनांक 29.03.2023 जिसके द्वारा ट्रांसजेण्डर व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति की समस्त लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/टैक्स/2023-48 दिनांक 29.03.2023 जिसके द्वारा 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति की समस्त लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-01 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) एफडी/टैक्स/2017-पार्ट-III-153 दिनांक 29.12.2017 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-02 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा निरस्त पंजीयन को पुन: चालू किये जाने के आवेदन करने की समय सीमा में वृद्धि की गई है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-03 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-04 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा धारा 62 के तहत जारी कर निर्धारण आदेशों को वापस लिया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-05 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा निर्धारित अवधि में जीएसटीआर-9 के तहत रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए विलम्ब शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-06 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा निर्धारित अवधि में जीएसटीआर-10 दाखिल नहीं करने वालों के लिए विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-07 दिनांक 01.04.2023 जिसके द्वारा राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168ए के तहत सीमा विस्तार किया गया है;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-पार्ट-I-16 दिनांक 09.05.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56) एफडी/टैक्स/2017-पार्ट-I-49 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)एफडी/टैक्स/2023-पार्ट-I-17 दिनांक 13.05.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46) एफडी/टैक्स/2017-पार्ट.V-152 दिनांक 30.03.2020 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.2(30)एफडी/टैक्स/2015-49 दिनांक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

05.05.2023 जिसके द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के दौरान हकत्याग के दस्तावेजों का पंजीयन करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अधिकृत किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: एफ.2(25)एफडी/टैक्स/2010-50 दिनांक 17.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 में संशोधन किया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: एफ.2(2)एफडी/टैक्स/2023-51 दिनांक 29.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: एफ.2(18)एफडी/टैक्स/2020-52 दिनांक 07.06.2023 जिसके द्वारा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा निष्पादित पचास हजार रुपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है;

16. अधिसूचना संख्या: एफ.5(4)एफडी/टैक्स/2023-53 दिनांक 13.06.2023 जिसके द्वारा प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख पर देय रजिस्ट्रीकरण फीस में रियायत प्रदान की गई है; एवं

17. अधिसूचना संख्या: एफ.6(2)एफडी/टैक्स/2021-54 दिनांक 11.07.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एफडी/टैक्स/2021-280 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश चन्द मीना।

पंचायती राज विभाग

श्री रमेश चन्द मीना (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(10)पीआर/लीगल/संशो/2023/169 दिनांक

(श्री रमेश चन्द मीना)

05.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: एफ.139(45)पंरा/विधि/संशो/2021/183 दिनांक 23.05.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है; एवं

3. अधिसूचना संख्या: एफ.139(45)पीआर/लीगल/संशो/2023 दिनांक 06.06.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट (वर्ष 2020-21)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पृथक् संपरीक्षा रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री दयाराम परमार।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 4)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति 'ख' 2023-24, समिति का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाला विधेयक। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, माननीय सदस्य। आज चार बिल हैं, सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन है कि समय का ध्यान रखें और समय पर अपनी बात कहें।

श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पांचवें वर्ष में, इस अन्तिम सत्र में सरकार यह बिल लेकर आयी है। मृत लोगों का सम्मान, मृत शरीर का सम्मान। जो सरकार अपने पूरे कार्यकाल में जिंदा लोगों का सम्मान नहीं कर पायी, न किसान का, न नौजवान का, न महिला का, न दलित का, किसी का सम्मान नहीं कर पायी, वह यह बिल लेकर आयी है मृत शरीर का सम्मान।

राजस्थान राज्य में मृत शरीर का सम्मान और उसके मूल मानव अधिकारों को बनाये रखने और उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक आया है।

(समय: 13.10 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापतिजी, THE RAJASTHAN HONOUR OF DEAD BODY BILL, 2023 किसी की मत्यु के बाद भी गरिमा के अधिकार को बढ़ाने का प्रयास तो प्रगतिशील है, लेकिन इसी में डेटा को डिजिटल कराना, उनकी गोपनीयता, धाराएं भी जोड़ी हैं, वे भी महत्वपूर्ण हैं। बिल में कुछ

(श्री बिहारीलाल)

विवरणों का अभाव है। उनको लेकर मेरा माननीय मंत्रीजी को सुझाव है। बिल की धारा 2 का 'ज', जिसमें विरोध remonstration को आपने लिखा है। इसकी परिभाषा पर्याप्त व्याख्यात्मक नहीं है। इस विधेयक को इसकी पूर्ण महिमा में लाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसे और एलोब्रेट करना चाहिए था, इसे और विस्तृत किया जाना चाहिए था, ताकि इसकी व्याख्या को पूरी तरह समझा जा सके।

इसी की धारा 9, जिसमें लिंग के आधार पर शवों को अलग करने की बात कही गयी है, क्या मृत्यु के बाद भी यह डिस्क्रिमिनेशन जरूरी था? इसकी जरूरत थी क्या?

नम्बर तीन, उक्त विधेयक के कई प्रावधानों में अस्पताल का उल्लेख है, लेकिन इसमें कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पताल शब्द की परिभाषा से यह समझने में नहीं आता कि हम इसकी परिभाषा किस सन्दर्भ में करें। यह भी इस बिल में पूरा नहीं है।

इसी की धारा 16, 17 और 18 जो दण्ड का प्रावधान करती है, जुर्माने के सन्दर्भ में मौन है। धारा 16 से 18 में जुर्माने के सन्दर्भ में दण्ड का उल्लेख नहीं किये गये जुर्माने की मात्रा का निदान पूरी तरह अनुपस्थित है और यह पूर्णतः न्यायपालिका के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

विधेयक में पुलिस या निर्धारित प्राधिकारी के लिए किसी दण्ड का उल्लेख नहीं है। जहां यदि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो क्या कार्यवाही होगी? इसकी अज्ञानता इस विधेयक के उद्देश्यों की विफलता का कारण भी बनेगी। इस बात का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है।

इस विधेयक का मसौदा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से किया गया होगा, जो विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ प्रतिरोध पैदा करता है।

माननीय सभापति जी, इसके उद्देश्यों में हम जाएं तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि जिन्दा लोगों का सम्मान हम पांच वर्ष में सरकार में नहीं कर पाये, महिला अत्याचार में नम्बर एक, दलित अत्याचार में नम्बर एक, बलात्कार में प्रदेश नम्बर एक, गैंग रेप में, संगठित अपराध में, अबोधों के खिलाफ में प्रदेश नम्बर एक।

सरकार जो बिल लेकर आयी है, इसके उद्देश्य और कारणों के कथन में पढ़ें तो धुंधला सा दिखता है। जो लोग इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलन्द

(श्री बिहारीलाल)

करते हैं, कहीं न कहीं उद्देश्यों में धुंधला-धुंधला यह दिखता है कि डाक्टर किरोड़ी मीना दिन में भी, रात में भी सरकार के सपनों में आते होंगे। ऐसे लोगो को, जो जनता के हक के लिए आवाज उठाते हैं, उनको रोकने के लिए यह बिल लाया गया होगा। इसमें मैंने कई सुझाव धारा 2 'ज' के लिए, धारा 9 में और धारा 16 से 18 में दिये हैं। उन सबको समायोजित करते हुए इस बिल को पारित किया जायेगा। नहीं तो हमारी मांग है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री बाबुलाल झाडोल।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 लेकर आयी है। इसके उद्देश्य मैंने पढ़े हैं। सरकार ने हवाला दिया है कि कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह लाना आवश्यक था। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ लोग विरोध करने के लिए मृत शरीर का उपयोग करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसको पढ़ने के बाद लगा है कि आपने, कुटुम्ब के सदस्य शव को रोके रखते हैं। कोई कारण हो सकते हैं। विरोध करने के लिए अगर किसी को परमिट करते हैं या सहयोग करते हैं तो उसके लिए इसमें दण्ड का प्रावधान किया गया है, एक वर्ष, दो वर्ष का। विरोध करने की मंशा से किया जाता है तो उसके लिए पांच वर्ष का कारावास है।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहां कई कारण होते हैं। वहां पर हत्या होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं मौताणे का पक्षधर हूं, लेकिन समाज की रिवाज है कि जब हत्या होती है तो पूरा समाज मिलकर विरोध करता है और जो हत्या करने वाला समाज है, उसका बहिष्कार टाइप होता है, तो आपस में पंच बैठकर फैसला करते हैं। यह विवाद न बढ़े, दुबारा हत्या नहीं हो, क्योंकि वहां पर बदला लेने की प्रथा है। पहले बदला होता था तो उसके कारण से कई लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे हत्या करने से डरते हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ होगा तो बदले की कार्यवाही भी हो सकती है। वह यह भी सोचता है कि मेरे समाज के साथ हो सकता है। ऐसी मानसिकता थी। उसका उद्देश्य ठीक था, लेकिन यह कानून आने के बाद लोग ऐसा करेंगे। करेंगे तो आपने उसको रोकने के लिए दण्ड देने का प्रावधान किया है, तो आप उनको सज़ा भी देंगे। वह मृत शरीर

(श्री बाबुलाल)

को ऐसी स्थिति में नहीं लेता है तो आप कब्जे में लेंगे और कब्जे में लेकर दण्डनायक को कहेंगे कि वे शव नहीं ले रहे हैं। उनको यह लगेगा कि नहीं ले रहे तो उस मृत शरीर को कुटुम्ब या परिवारजन के अलावा पुलिस शव को जला देगी।

माननीय सभापति महोदय, यह स्थिति उस क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको और ठीक से बनाएं। उस क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक नहीं है। उन लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था करें कि वहां पर यदि ऐसा होता है तो उसके लिए रियायत दें। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री प्रताप लाल भील (अनुपस्थित)। श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): माननीय सभापति महोदय, मृत शरीर के सम्मान के लिए यह जो बिल लाया गया है, जैसा कि झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी बताया है, उसी प्रकार मैं भी आदिवासी क्षेत्र से आता हूं। मेरा भी जनजाति बहुल क्षेत्र है। डूंगरपुर झाडोल जैसा ही क्षेत्र मेरा है। आदिवासी क्षेत्र के अन्दर यह बिल अपराध बढ़ाने का काम करेगा। इससे और भी अपराध बढ़ेगा, क्योंकि जनजाति समाज के अन्दर जमीन के मामले हों या कोई और अन्य मामले हों, लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं और दबाव बना रहता है कि उनका घर, जमीन बिकेगी। इस भय से मर्डर नहीं होते हैं। आदिवासी और जनजाति समाज में मदिरा पीने की आदत होती है। मदिरा पीने के बाद वह होश भूल जाता है। इसमें अपराध को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए और कोई नियम कानून बनाएं। घटना होने के बाद सरकार क्या उसको मुआवजा देती है? आजीविका किस तरह से चलायेगा वह? कमजोर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। पंचों से मिल कर वह बिठा कर मामले को सुलझा लेता है। पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं होती है। जनजाति में वही पंच होते हैं और वह ही फैसला करते हैं। उसका सम्मान होता है।

माननीय सभापति महोदय, आप जो कानून लाये कि शव को कुटुम्ब को नहीं देकर पुलिस कस्टडी में लेकर जलायेंगे, यह बहुत ही गलत है। आपने अपराध को बढ़ाने का काम किया है। और कोई व्यवस्था करें। कोई घटना होती है तो 10-5 लाख रुपये देने की व्यवस्था सरकार करे। नियमों को संशोधित करे। आप जो बिल लाये हैं, इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री रामप्रतापजी कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 सदन में लाया गया है। मैं इस विधेयक को एक तरफ सही मानता हूं। सही इसलिये कि मेरे जैसे खद्दरधारी राजनीति करने के लिए 20 साल का जवान की हत्या हो जाये, मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसको लेकर सड़क पर लेकर बैठकर राजनीति करना, यह उचित नहीं है, न्यायसंगत नहीं है। विरोध करना है तो तरीके और भी बहुत हैं पर घर के लोग, जब तक उस शव का दाह-संस्कार नहीं होता, खाना भी नहीं खाते थे। उस दृष्टि से देखें तो यह उपयुक्त है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे आदिवासी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात भी सही है, इसका भी ध्यान रखना चाहिये और कोई कारणवश, वैसे तो इस बिल के अन्दर प्रावधान हैं, जैसे कोई मृत शरीर वाले का भाई-बंधु दूर विदेश में रहता है तो उसके आने में समय लगता है तो इस तरह के मामले में छूट होनी चाहिये, पर कोई व्यक्ति शव को लेकर सड़क पर राजनीति करे, इससे तो डूब मरना अच्छा है। लाश पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिये। इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, पर फिर भी यह मामला अध्ययन करने के लायक है। सबकी राय लेकर इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिये। यह मेरा सरकार से आग्रह है, माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जब यह बिल सदन की मेज पर आया THE RAJASTHAN HONOUR OF DEAD BODY BILL, 2023, माननीय सभापति महोदय, जहां पर हम जीवित लोगों का सम्मान ढंग से नहीं कर पा रहे, वह प्रदेश डेड बॉडीज के सम्मान के बारे में सोच रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। एक के बाद एक बिल इस सदन में पेश होते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज के हम करीबन 125 बिल इस सदन में पेश कर चुके हैं। अब यह मृत शरीर का बिल आया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले राजसमन्द की एक घटना

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। नईनई विधायक बनी थी और उस वक्त हिन्दुस्तान जिंक, दरीबा, मेरे यहां पर सब परिचित होंगे, बहुत बड़ी माइन्स है। हमारे यहां DMFT का बहुत बड़ा फण्ड वहां से आता है। उस माइन्स में ब्लास्टिंग हुई और उस ब्लास्टिंग की वजह से माइन्स के बिलकुल पास में एक गांव है संदेसरा कलां, उस संदेसरा कलां के एक छोटे से घर में ब्लास्टिंग की वजह से हड़कम्प मचा, उससे जो काऊ शैड होता है, वह गिर गया और उसके नीचे जो पशुधन था, उसका नुकसान हो गया। माननीय सभापति महोदय, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था माइन्स के सामने और एक हफ्ते तक यह प्रदर्शन चला था कि अभी तो सिर्फ पशुधन का नुकसान हुआ, हमारे को आप यहां से शिफ्ट करें और उनकी यह डिमांड बहुत सालों से है। आप हमारे गांव को यहां से शिफ्ट करें, वरना ब्लास्टिंग की वजह से आज पशुधन का नुकसान हुआ है, कल को किसी न किसी मनुष्य का नुकसान होगा।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दू धर्म संस्कृति या किसी भी धर्म संस्कृति के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो हर परिवार वाला यह सोचता है, यह जानता है और यह मानता है कि जो रीति-रिवाज पूरे हो सकें, वे पूरा करने चाहिये। हमारी क्षमता हो या नहीं हो, गांव के लोगों की क्षमता हो या नहीं हो, किसी परिवार की क्षमता हो या नहीं, लेकिन मृत व्यक्ति के लिए वह अपनी क्षमता से ज्यादा जो चीज कर सकता है, वह सारे रीति-रिवाज पूरे करता है, ताकि उनको अच्छी गति मिले। माननीय सभापति महोदय, कोई भी यह नहीं चाहता कि हम शरीर को रखें और हम उसके सामने प्रदर्शन करें। ऐसी क्या जरूरत हुई सरकार को, कि इस तरीके का बिल इनको लाना पड़ा है। क्या हम संवेदनशील होना भूल गये हैं, क्या हम यह भूल गये हैं कि किस तरीके से उस परिवार को कितनी तकलीफ होगी कि वह मृत शरीर को, किसी का बेटा होगा, किसी का पिता होगा, किसी की पत्नी होगी, उसको लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कोई न कोई तो मजबूरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, जब इस बिल को पढ़ रही थी तो उसमें यह लिखा है कि राजस्थान में ऐसे केसेज बढ़ गये हैं जिनकी वजह से हमें यह बिल लाना पड़ा है। आप हमें यह डेटा दीजिये कि पिछले चार सालों में ऐसे कितने केसेज हो गये, जिसकी वजह से इतना जरूरी सदन का समय लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय कहकर गये हैं कि चार बिल्स हैं। आप सदन का समय ढंग से यूज करें। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यह बिल हमें इस सदन

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

में लाना पड़ा। क्या आपने डेटा दिया, कितने मृत शरीर ऐसे हुए, कितने लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति अगर ऐसे गलत-वे में किसी को भी धमकाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट है, हमारी पुलिस के पास अलग-अलग कानून हैं, जिसके अन्दर क्रिमिनल कोर्ट है, भारतीय दण्ड प्रक्रिया है और ऐसी कितनी चीजें हैं, जिनके अन्दर वे आराम से इसको कर सकते हैं, इस पर अपनी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन मृत शरीर का यह बिल लाना एक और तरीके से, फिर से हमारे मानवाधिकारों का दमन है। जैसे आर्गनाइज्ड क्राइम में बिल लाये कि अब कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति मृत शरीर को रखकर अपनी पीड़ा सरकार को भी नहीं बता सकता और हम संवेदनशील होने की जगह उनके प्रति सहानुभूति रखने की जगह हम ऐसे बिल लाकर सदन में पास कर रहे हैं और हम सब जन-प्रतिनिधि, जिनका पहला नियम यह है कि अगर हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ अपनी सहानुभूति रखें।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। मेरे पास का एक विधान सभा क्षेत्र है। उस विधान सभा क्षेत्र में पूरे परिवार को जला दिया गया। पंडित के बच्चों को सरकार ने बोला कि हम आपको नौकरी दे देंगे। दो महीने उन्होंने नौकरी दी और अब उनको नौकरी से भी निकाल दिया। कुल मिलाकर इस सदन में यह सरकार यह बिल इसलिये लायी है, ताकि जो असत्य वादे हैं उनसे भी आप लोग बच सको। असत्य वादे करने में तो हम एक्सपर्ट हैं ही, लेकिन अब उनसे भी बचना चाहते हैं। इस वजह से हम यह बिल यहां पर लाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहूंगी कि यह विधेयक बिलकुल भी यूजफुल नहीं है। आलरेडी हमारी लॉ इतनी अच्छी है जिसमें अगर ऐसी कुछ चीजें हों तो हम उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। इतने नियम और इतने कानून लाने से हम कहीं न कहीं बिगर गवर्नमेंट और लैस गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य होना चाहिये कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में मैं यह कहना चाहूंगी कि इस विधयेक को आपको वापस लेना चाहिये। मैं इस पूरे सदन से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सोचिए कि यह विधेयक इतना जरूरी है कि हमें चुनाव के तीन महीने पहले ही इसको पास करना है या नहीं? धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, इस बिल के उद्देश्य और कारणों का जो कथन किया गया है, उसका कारण यह बताया गया है कि रिट पिटीशन 14.03.2001 आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन आफ इंडिया में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अदावाकृत मृत शरीरों के शिष्टतापूर्वक दफन या दाह-संस्कार करने के निर्देश जारी किये हैं। अब आपने इसकी आड़ में क्या-क्या कर दिया, इस बिल के माध्यम से, यह सरकार इस लोकतंत्र में अगर इस तरह का व्यवहार करेगी तो निश्चित रूप से जनता के अधिकारों का हनन होगा। आज हम अदावाकृत शरीरों के लिए, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं दिख रहा है, कोई परिचित नहीं मिल रहा है, ऐसे शरीरों का सम्मानपूर्वक दाह-संस्कार के नियम बनायें, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह कहा है कि अगर कोई फैक्टरी में मर जायेगा और मजदूर गरीब आदमी है, अगर गांव वाले या उसके मजदूर साथी कहते हैं कि इसको कुछ मिलना चाहिये, इसके बच्चे हैं, पीछे परिवार वाले हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई जान-बूझकर मारा जाता है, किसी की हत्या हो जाती है और जिस तरह से आजकल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और जो हत्या की वारदातें इस सरकार में बढ़ी हैं और जिस तरह से फैक्टरियों में गरीब मजदूरों का कहीं न कहीं मशीनों के माध्यम से या किसी और कारण से डैथ हो जाती है, ऐसे समय पर यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस शरीर को या उस परिवार को सहारा दे। अगर उसके सहयोगी या बंधु यह कहते हैं कि यह गरीब आदमी है, मारा गया है या मार दिया गया है, इसकी कुछ व्यवस्था करिए, ऐसे लोगों के लिए सरकार अगर दण्डात्मक प्रक्रिया अपनाती है तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र की हत्या है। लोगों को अधिकार है कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हुआ है तो निश्चित रूप से वे सरकार से मांगेंगे, वे उस मालिक से मांगेंगे कि हमारे साथ यह अन्याय हुआ है, इसकी आप पूर्ति करिए। अगर ऐसे लोगों को हमने दंडित नहीं किया तो निश्चित रूप से सरकार उद्योगपतियों और ऐसे जो बड़े प्रभावी लोग हैं, वे इस कानून का दुरुपयोग करेंगे। यहां तक कि पुलिस को यह अधिकार दिये हैं कि अगर कोई रिश्तेदार या उसके परिचित उस शरीर को कब्जे में नहीं लेते हैं तो सरकार उसका दाह संस्कार कर देगी। यह अन्यायपूर्ण है। यह अन्याय का कानून है। इस कानून का विरोध होना चाहिए।

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें, अन्यथा यह बिल इस राजस्थान में एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आयेगा। कई जगह ऐसा होता है कि अन्यायपूर्वक मर्डर किये जाते हैं। अन्यायपूर्वक फैक्ट्रियों में मौतें होती हैं। लापरवाही से मौत होती है। ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई सुविधा मांगने का अधिकार होना चाहिए। चाहे गांव वाले मांगें, चाहे उसके रिश्तेदार मांगें, ऐसे लोगों के साथ दंडात्मक प्रक्रिया अपनाना लोकतंत्र की हत्या है।

श्री सभापति: श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 लायी है। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।

हम जिस क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। वहां बरसों से परम्परा है कि जिस प्रकार कोई घटना घट जाती है, पुलिस खुद इन्वाल्व होती है। पंचों को समझाती है कि आप आपस में समझौता कर लें, चाहे किसी का मर्डर हुआ हो या कोई दुर्घटना घटी है किसी से। यह जो बिल लाये हैं, यह राजस्थान के आदिवासियों के खिलाफ लाये हैं, जिसकी वजह से यह समस्या ज्यादा बढ़ेगी।

इसमें आपने यह भी कहा है कि 6 महीने का कारावास होगा, एक वर्ष का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा और 10 वर्ष का होगा। आपने यह भी कहा कि कुटुम्ब की जरूरत नहीं है। कुटुम्ब बगैर तो हम सभी चल ही नहीं सकते। कुटुम्ब नहीं आता है, तब तक दाह संस्कार नहीं होता है। जो बिल लाये हैं, विशेषकर यह आदिवासी विरोधी बिल है। जिसकी वजह से मैं इस बिल को जनमत जानने के लिए, मौका मिले, धारीवाल साहब, तो इसको विदड्रा करने में ही फायदा है। बिल को विदड्रा कर दीजिए, नहीं तो जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। यह मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित)। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सरकार अपने

(श्री रामलाल शर्मा)

बचाव के लिए सारी माकूल व्यवस्थाएं कर रही है। सरकार राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 लेकर आई है।

सभापति महोदय, जहां राजनीतिक आधार पर शव को रखा जाता है, मैं भी उस पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जहां हक की लड़ाई हो, जहां न्याय की लड़ाई हो, जहां कानून की लड़ाई हो, उस जगह अगर उसके साथ इन्जस्टिस होता है तो मेरे ख्याल से अनुचित है।

सभापति महोदय, इस राजस्थान के अंदर कई घटनाएं हमने ऐसी देखी हैं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं। दुर्घटना बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से होती है। एफ.आई.आर. दर्ज भी नहीं होती। तत्काल दबाव इस बात का डाला जाता है कि अंतिम संस्कार करो। परिवाद दे दो, जांच करने के बाद ही एफ.आई.आर. दर्ज होगी।

सभापति महोदय, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि एक बार दाह संस्कार होने के बाद कोई भी उस लड़ाई को ज्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं रहता। कई बार हास्पिटलों के अंदर डाक्टर्स की लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं।

सभापति महोदय, हक की लड़ाई के लिए कई बार राजस्थान के अंदर इस तरह के माहौल भी हम सबने देखे हैं। पुजारी की हत्या होती है। शव को लेकर न्याय प्राप्त करने के लिए मांग की जाती है। सरकार समझौता करती है। समझौते के अंदर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहते हैं। सरकार के नुमाइंदे मौजूद रहते हैं। उसके बावजूद भी उस समझौते की पालना आज दिन तक नहीं होती, तो आखिरकार फिर न्याय कब मिलेगा? दंड के आधार पर, भय के आधार पर, कानून के आधार पर इस तरीके से आप अन्याय करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। फिर प्रावधान ऐसा कि परिवार अगर मृत शरीर नहीं लेगा तो उसके लिए एक वर्ष की सज़ा है। कुटुम्ब नहीं लेगा तो 2 वर्ष की सज़ा है। कोई तीसरा व्यक्ति अगर विरोध दर्ज करायेगा तो उसको 5 साल की सज़ा का प्रावधान कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मेरे ख्याल से कई अपराध इस प्रकार के होते हैं, हत्या होती है, आज क्राइम करने वाला भी सावचेत होकर क्राइम करता है। राजस्थान में कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, चाहे वह हत्या की हो, चाहे चोरी की हो, चाहे डकैती की हो, आपके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आप अपराधियों

(श्री रामलाल शर्मा)

को पकड़ सकें। आप पकड़ते किसके आधार पर हो? मोबाइल लोकेशन के आधार पर। आप पकड़ते किसके आधार पर हो? सी.सी.टी.वी. के आधार पर। आप पकड़ते इस आधार पर हो कि बी.टी.एस. उठाते हो। अगर आज चोर सावधान हो गये, हत्या करने वाले सावधान हो गये, सतर्कता उन्होंने बरती, कहीं सी.सी.टी.वी. कैमरों में नहीं आये, कहीं आपकी बी.टी.एस. उठाने में नहीं आये, कहीं आपकी लोकेशन में नहीं आये तो आप उनको सज़ा देने का काम कैसे करोगे? आप तो यही मानकर चलोगे कि अज्ञात वाहन की टक्कर से या किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या, इस पर एफ.आर. लगाकर उसको बंद करने का काम करोगे।

लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार मिला हुआ है, उस जनता के अधिकार को छीनने का काम नहीं करें। कृपा करके मेरा निवेदन है सदन से कि 6 महीने के लिए सरकार इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करे, ताकि आम व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा हो सके।

श्री सभापति: श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 सरकार लेकर के आई है। मैं समझता हूं कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने अपनी अलग पीड़ा रखी है। सरकार ने यहां तक तो चिंता की है कि मरे हुए आदमी का भी वजूद है सम्मान है।

सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला आ जाता है, ऐसे गरीब लोग कुचले जाते हैं, ऐसे लोग मारे जाते हैं, जिनकी आवाज उनके साथ तब तक खड़ी रहती है जब तक वह शरीर है।

2012 की घटना मुझे याद है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा बड़े जोरों पर था। हरियाणा के शराब माफिया आये दिन हरकतें करते थे। 02 लोगों को कुचल दिया। परिवार के लोग इकट्ठे हुए कुटुम्ब के लोग इकट्ठे हुए। 11, 12 बजे तक 2 से 5 हजार लोग इकट्ठे हो गये। मुझे भी बुलाया गया। मैं वहां गया। पुलिस ने मेरे पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर आपको यह उपक्रम करने की कहां जरूरत थी? अपराध और दंड, कुटुम्ब के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा विरोध के लिए दंड,

(श्री बलवान पूनियां)

उसमें कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 वर्ष, तो फिर राजकार्य वाले 332, 53 में क्या है? आपका शीशा भी नहीं टूटा, फिर भी धारा लगा दी। उसमें तो इससे ज्यादा दंड है। इसको करने का क्या मतलब है?

माननीय सभापति महोदय, यह बिल जिस उद्देश्य के साथ लाया गया है, वह उद्देश्य यहां तक सही है कि मृत आदमी का सम्मान होना चाहिए। उसकी भी डी.एन.ए. जांच हो। आज से 2 साल बाद कोई पूछेगा कि हमारा फलां आदमी गुम था, उसकी डी.एन.ए. रिपोर्ट आ जाए। यह आदमी तो आपका था। उसका अंतिम संस्कार सरकार कराए, यहां तक भी ठीक है।

मेरी यह भी मांग रहेगी कि जहां अंतिम संस्कार हो गया, वहां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। आज एक एक्सीडेंट कोटा में हुआ। उसको भादरा ले गये। मृत्यु प्रमाण-पत्र कोटा में जारी कराओ। इसमें सब लोग सक्षम नहीं होते। एक्सीडेंटों में परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। कोई बचता ही नहीं है। संवेदना तो उस समय तक खड़ी रहती है जब घटना हुई है। 5 दिन बाद, 7 दिन बाद दुनिया अपने काम पर लग जाती है। जहां अंतिम संस्कार हुआ है, वहां उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी हो। तब हम समझेंगे कि मृत आदमी के सम्मान में सरकार यह बिल लेकर आयी है।

मेरा विरोध यहां तक आज भी कायम है कि यह जो आपने अध्याय 6 में कुटुम्ब के सदस्यों और कुटुम्ब के अलावा जो सदस्य हैं, सोसाइटी के लोग, उसमें चाहें राजनीतिक पार्टी के लोग भी हैं, इनके लिए यह जो आपने ताबीज करने का काम किया है, यह वापस लेते हुए फिर विधेयक को पास करा जाए। मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव इन 2 बिन्दुओं के एतराज के साथ वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सरकार जो बिल लेकर के आई है, Rajasthan Honour of the Dead Body Bill, 2023 इसके उद्देश्य और कारण में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया है। आश्रय अधिकार अभियान, जो जस्टिस जी.बी. पटनायक और ब्रजेश कुमार की बैंच ने 2001 में दिया था। यह फैसला उन्होंने दिया था कि जो लोग आवासहीन हैं, जिनकी सड़क पर मौत हो जाती है। जो सड़क पर रह रहे हैं उनकी मौत हो जाती है, किसी तरह का उनका आश्रय नहीं है उनको लेकर फैसला दिया था। यह जो विधेयक लेकर आये हैं, उसमें उस फैसले का तो कोई

(श्री संयम लोढ़ा)

कारण दिखाई पड़ता नहीं है। मूल रूप से जो कारण है, वह तो यह है कि समाज में एक प्रवृत्ति बन गई है, खुद को कानून से ऊपर समझने की। कानून की पालना नहीं करने की और हमारे जो सरकारी अहलकार हैं, उनके द्वारा भी विद्यमान कानून का उपयोग नहीं करने की, इस प्रवृत्ति के कारण मैं समझता हूं कि यह सरकार यह कानून लाने के लिए प्रवृत्त हुई है। क्या स्थिति है? सबको मालूम है, टू व्हीलर चला रहे हैं तो हैलमेट पहनना चाहिए, यह बाध्यकारी है, पर हम अपनी शान समझते हैं, हैलमेट हम नहीं लगाते हैं। कोई रोक ले तो कौन है जो हमें हैलमेट नहीं लगाने पर रोक रहा है? जिस तरह के भी वी.वी.आई.पी. निकलते हैं, जिन-जिन के लिए भी आप रास्ते रोकते हैं, क्या कानून में उन सबके लिए रास्ते रोकने का प्रावधान है? सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर, इनके लिए रास्ते रोककर जगह देने का प्रावधान है। जिनके लिए नहीं है, सत्ता की गुलामी करने के लिए उनके लिए भी रास्ते रोकते हैं, 15-15 मिनट लोगों को खड़ा रखते हैं। रोज मैं विधान सभा आता हूं, रोज ट्रैफिक रुका हुआ मिलता है। यह सब कानून के ऊपर काम कर रहे हैं। आप 'नो व्हीकल जोन' डिक्लेयर कर दो, एक तरफा यातायात डिक्लेयर कर दो, सबसे पहले वह गाड़ी, जिस पर बत्ती चमक रही है, आसमानी और लाल कलर की, वे ही उसमें जाएंगे, आप किसी भी बड़े मंदिर में यात्रा का ले लो, जहां गाड़ी कोई अलाउ नहीं हो, उन्हें जाना है तो गाड़ी जरूर जाएगी। यह कानून तोड़ने का स्वभाव बना है। ये सारी परिस्थितियां उनके कारण बन रही हैं। आप गाड़ियां देखो, पट्टी लगी हुई है लाल, हर गाड़ी पर। सरकारी गाड़ी है, जिला कलेक्टर की गाड़ी के आगे 'जिला कलेक्टर' लिखा हुआ है। अब आप बताइए, उस गाड़ी के आगे 'जिला कलेक्टर' नहीं लिखेगा तो क्या 'कलेक्टर' नहीं रहेगा? पुलिस अधीक्षक, सांसद, विधायक, कौनसे नियम में लिखते हो, कौनसे नियम में लिखते हो भाई? यह तो शासन में बैठे हुए लोग खुद नियम तोड़ते हैं। और तो और, लोग जातियों के नाम लिखते हैं, मोटर साइकिल के आगे, कार के पीछे, अपना एक घमंड महसूस करते हैं। यह जो स्वभाव हम विकसित कर रहे हैं और खास तौर पर वे लोग, जिन पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वे लोग लिखते हैं। प्राइवेट टैक्सियां भाड़े पर ली हुई हैं, वे लिख रही हैं 'राजस्थान सरकार', 'सांसद' लिखा हुआ है और उसमें अफीम जा रही है, दारू जा रही है। क्या जा रहा है? ऐसी पचासों गाड़िया पकड़ी गई हैं। जयपुर शहर में तो इस विधान सभा से जा रही हैं एम.एल.ए. के पास लगी हुई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिल पर आइए प्लीज। बिल पर ही आइए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++

श्री सभापति: बिल पर बोलिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान) बिल पर ही बोल रहा हूं मैं। उसी पर आ रहा हूं मैं।

माननीय सभापति महोदय, यह कानून क्यों लाना पड़ा, बॉडी रखते हैं उसके लिए? क्यों कानून लेकर आए आप अलग से? क्या राज कार्य में बाधा का कानून पर्याप्त नहीं है कार्यवाही करने के लिए? लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है, आपमें साहस नहीं है उसका पालन करवाने का। नहीं तो उसी वक्त मुकदमा दर्ज करके, उठाकर आप बंद कर सकते हैं। लेकिन यह डरा हुआ प्रशासन, इच्छाशक्ति से कमजोर प्रशासन, खड़ा रहता है ऐसे। आप तो स्वयं कलेक्टर रहे हुए हैं। बहुत ऐसे अनुभव आपने लिए होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हम भी देखते हैं। अभी तीन दिन पहले मैं देख रहा था, करौली के हास्पिटल के अंदर रेप के मामले में, एक नेताजी कैसे डाक्टर को धमका रहे थे कि वो वर्जिनिटी की जो झिल्ली होती है, तूने वह क्यों नहीं लिखा कि वह टूट गई। बताइए आप? यह काम है? कोई लड़की, कोई बालिका खेलते हुए भी उसकी वर्जिनिटी की झिल्ली टूट सकती है, लेकिन जन प्रतिनिधि डाक्टर को अस्पताल के अंदर धमका रहे हैं। क्या मुकदमा बनता है उसका? उसका मुकदमा नहीं बनता है? आप एक लोक सेवक को इस तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं कि वह अपनी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या लिखे, लेकिन नहीं, हमारा प्रशासन इतना कमजोर हो चुका है कि खड़े-खड़े टुकुर-टुकुर कर देखेगा।

अभी टोंक में घटना हुई थी मरने की, शंकर मीणा की। क्या हुआ? तीन दिन लाश पड़ी रही, तीन दिन, सबूत नष्ट हो जाते हैं। सिरोही में भी एक वाकया हुआ। नेताजी आये बाहर से, आठ दिन लाश को पड़ा रखा। क्या हुआ? क्या उसके बाद में पोस्टमार्टम करे, इस लायक वह बॉडी रहती है? लेकिन इन सभी मामलों पर कार्यवाही करने के लिए राजकार्य में बाधा का कानून सक्षम था, माननीय सभापति महोदय, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जब तब आप इस प्रशासन में इच्छा शक्ति पैदा नहीं करेंगे, जो यह चेहरे देखकर टीके निकालते हैं, चेहरे देखकर टीके। कानून इस पर लगाना है, साधारण-सा आदमी अपनी पानी की समस्या को लेकर जाएगा और ए.ईएन. से

(श्री संयम लोढ़ा)

कहेगा कि गंदा पानी आ गया, बोटल लेकर जाएगा, ऐसा पानी हम कैसे पीएं, तू पीकर देख, तो वह ए.ईएन. राजकार्य में बाधा में बुक करेगा, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ जमा करके सरकार को ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपये मांग रहे हैं, एक करोड़ रुपया दो, सरकारी नौकरी दो, वहां राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। क्यों? डरते हैं। अभी कल प्रतिपक्ष के सारे लोग उठा रहे थे, हमारी ओसियां की माननीय सदस्या ने भी पहले उठाया, आज भी चार लाशें पड़ी हुई हैं वहां, आज तीसरा दिन है, पड़ी हुई हैं तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन अधिकारियों की काउंसलिंग करो कि कानून की पालना क्या होती है। कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं है, और वे खुद भी कानून से ऊपर नहीं हैं। सबसे पहले तो आप पालना कराना चाहो तो जितनी सरकारी गाड़ियां हैं, सब पर से नेम प्लेटें हटवाइए, ये सब कानूनी प्रावधान के खिलाफ हैं, किसी कानून में कोई प्रावधान नहीं है जो इस प्रकार की इजाजत देता हो। जिला कलेक्टर, एस.पी., सांसद, विधायक, आप इस तरह का लिखें। ये जो प्रावधान किये हैं मैं तो स्वागत करता हूं उनका, होना चाहिए, इस तरीके से आप हरेशमेंट करते हैं, लेकिन साथ में आप यह भी प्रशासन को निर्देशित करें कि कई बार ऐसे अवसर होते हैं, जैसे कि ठेके पर काम कर रहा है, बिजली के ठेके पर काम कर रहा है, बिजली के ठेकेदार के अधीन काम कर रहा है, साधारण-सा आदमी है, दिन के कोई दो-तीन सौ रुपये पर काम कर रहा है, उसके करंट लग गया, वह मर गया, फिर क्या? उसको सहायता कौन देगा? आपकी बिजली कम्पनी तो हाथ झटक लेगी कि हमारे यहां तो काम ही नहीं करता था। वह तो उस ठेकेदार के यहां काम करता था और वह ठेकेदार भाग जाएगा। तब क्या होगा? ऐसे अनेकों किस्से हैं। इसलिए आप व्यावहारिक रूप से चीजों को देखते हुए करो कि किस तरीके की परिस्थिति में करना है, किसमें नहीं करना है, थोड़ा इसमें खुलासा कर देते तो ज्यादा अच्छा होता। आप एक ऐसा कानून ला रहे हो, जिससे व्यापक रूप से जनता जनार्दन जुड़ी हुई है तो क्या फर्क पड़ता है? हर जिले में जिला कलेक्टर होता है, उन्होंने फीडबैक दिया है, आपने लिखा है इसमें कि जिला कलेक्टरों से हमें यह फीडबैक मिला है, तो उनके जरिये ही आप वार्ता कर लो, उनके जरिये ही आप जनता में चर्चा कर लो कि किस-किस तरीके से इस इश्यू को हैंडल किया जाना चाहिए।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा मतलब सिर्फ इतना-सा है कि साधारण आदमी, जिसकी कोई वॉइस नहीं है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, जिसके लिए कोई बड़ा नेता बैठने वाला नहीं है, उनके साथ भी न्याय हो सके, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित), श्री सुरेश टाक (अनुपस्थित)। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं इस कानून के पक्ष एवं विपक्ष में अपने साथियों की दलीलें सुन रहा था। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि पहली बार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सदन में यह बिल लेकर आये हैं। ये पहले मुख्य मंत्री हैं, जो जिन्दा के साथ-साथ मरने वाले लोगों की भी परवाह कर रहे हैं। जिन्दा लोगों की परवाह इसलिए की कि 25 लाख रुपये का इलाज और एक्सीडेंट के बाद में 10 लाख रुपये तक के बीमे की व्यवस्था भी इसी सरकार ने की है।

वैदिक काल की परम्पराओं को कायम रखने के लिए और ये सब चीजें वैदिक काल में होती थीं कि सरकार के माध्यम से, राज के माध्यम से मृत शरीर का संस्कार भी सरकार करती थी। उस परम्परा को कायम करते हुए मुख्य मंत्री ने जो फैसला लिया है सरकार जो बिल लेकर आयी है, निश्चित तौर पर राजस्थान के जो हालात हैं, उनमें यह बिल कामयाब होगा। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बृजेश पाठक के 2001 के जजमेंट की दलील दे रहे थे। उन्होंने जजमेंट को ठीक से पढ़ा नहीं है।

इस जजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइजरी जारी की गयी है कि आप इस तरह का कानून लेकर आएं, जिस तरीके से डेड बॉडी के बिहाफ पर लोग नेतागीरी कर रहे हैं, जिस तरीके के प्रेशर ग्रुप्स हर जगह, हर स्टेट में डवलप हो गये हैं, डैथ किसी भी कारण से हो, वह एक अलग इश्यू हो सकता है, पर उसे इश्यू बनाकर पोलिटिकल माइलेज लेने के लिए, सरकार पर प्रेशर डालने के लिए, अपनी नेतागीरी चमकाने के लिए जो वातावरण पैदा करने की

(श्री जगदीश चन्द्र)

कोशिश की जाती है, समाज में जो वातावरण खराब करने की कोशिश होती है, उस पर बिलकुल बैन लगना चाहिये।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक परम्परा, एक आदत सी बन गयी है लोगों की, इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास एग्जिस्टिंग लॉ तो है सरकार में। उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरा सरकार को इसमें सुझाव है, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप कम से कम एक नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जरूर बनाएं ताकि इस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं, इस एक्ट के ट्रायल से पहले-पहले वह नोडल अधिकारी कोई न कोई इसकी जांच करे, ताकि सही का सही और गलत का गलत हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और जिस जिले से आता हूं, वहां साइजेबल पापुलेशन माइग्रेंट्स की हैं। जो एन.आर.आईज. हैं, कैनेडा, अमेरिका या दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, उन्हें आने में निश्चित तौर पर दो, तीन, चार दिन लगते हैं, परिवार का एक सिम्पैथेटिक व्यू होता है कि हमारा बच्चा आ जाए, बेटी आ जाए, भाई आ जाए, उसके लिए सरकार कोई न कोई क्लाज जरूर मेन्शन करे ताकि संस्कार के लिए कम से कम दो-तीन दिन का ग्रेस पीरियड हो। सभापति महोदय, धारा 16 में आपने एक साल की सज़ा का जो प्रावधान किया है, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसे और सख्त करें। लोग तो इसे लिबरल करने के लिए कह रहे हैं। मैं कहता हूं, और सख्त करना चाहिये।

जो प्रेशर ग्रुप्स, न्यूसेंस क्रिएटर्स इस समाज में पैदा हो गये हैं, उन्हें दबाने का एक मात्र तरीका है, इसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ाएं। सज़ा का प्रावधान हो, ताकि इस तरीके की वारदातें न हों। जो बिल सरकार लेकर आयी है, निश्चित तौर पर जो लाशों पर राजनीति करते हैं, काफी ऐसी पोलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो सिर्फ लाशों पर राजनीति करते हैं। वे इन्तजार करते रहते हैं, किसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके कारण पर ही नहीं जा रहे, बिजली के एक्सीडेंट से हो गयी, बिजली की तार से कोई गिर कर मर गया। सड़क पर चलते हुए एक्सीडेंट हो गया, गांव के लोगों ने धरना लगा दिया मुआवजे के लिए। हमारे जैसे लोग जाकर इस तरह की नेतागीरी करते हैं, वह ठीक नहीं है। वह मानवता के आधार पर ठीक

(श्री जगदीश चन्द्र)

नहीं है। जो डेड बॉडी है, उसका सम्मान होना चाहिये। ये हमारी परम्पराएं हैं, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे रीति-रिवाज हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो एक-दो सुझाव मैंने दिये हैं, सरकार उन पर गौर करे। मैं जनमत जानने का अपना संशोधन प्रस्ताव वापस लेता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 को आज सरकार ने यहां रखा। कुछ हद तक तो ठीक है, मगर इस बिल में अगर परिवार वाला मना कर दे कि मैं बॉडी नहीं ले रहा हूं, वह कैसी स्थिति में मना करता है? चूंकि कोई एक व्यक्ति है और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और उसकी वाइफ ही है, घर में कोई नहीं है, उसके बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में वहां पर वह यह कहे कि मेरे भरण-पोषण के लिए कुछ करें और उसे यदि एक वर्ष की सज़ा दें तो वास्तव में यह अन्याय है। इस बिल में परिवार के लिए तो यह किया कि यह कब्जे में नहीं लेगा तो एक वर्ष या इसमें जुर्माना भी हो सकता है।

दूसरा, परिवार का कुटुम्ब अगर कोई विरोध करता है तो उसे दो वर्ष की सज़ा या जुर्माना, दोनों ही हो सकता है। साथ में अगर मान लें, तीसरे में जो यह बताया, पंच परमेश्वर, जो आज दिन तक पंचों पर आम समाज विश्वास करता है, ये राजनीति की बात करते हैं, पार्टी पोलिटिक्स को एक तरफ रखें, वे पंच परमेश्वर गांव के मुखिया होते हैं, उनका किसी पार्टी से लेना-देना नहीं होता है। वे न्याय की मूर्ति हैं, वे न्याय करने का प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, ये ऐसा बिल लेकर आये हैं, इससे हत्याएं बढ़ेंगी, मर्डर बढ़ेंगे, क्योंकि रात के अन्धेरे या अकेले में कहीं किसी का मर्डर कर दिया तो सबूत या गवाह नहीं होने की वजह से वह बरी हो जायेगा और ऐसी स्थिति में बहुत सारे अपराध बढ़ जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, आप इस बिल में कुछ ऐसा संशोधन कर दें, जो दोनों काम होते। मैं मानता हूं कि सड़क पर रखकर बॉडी पर राजनीति नहीं करनी चाहिये। मगर उसका भी, आप इसके

(श्री फूल सिंह मीणा)

अन्दर यह प्रावधान करते कि कोई ऐसा अपराध कर दिया है और जांच हो तो उनके बाल-बच्चों का या परिवार में उसका कोई वारिस है, उसके पालन-पोषण के लिए कोई जवाबदार नहीं है तो इस बिल में वह भी कहीं न कहीं जोड़ देते तो मैं मानता।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं इस बिल के लिए यही कहूंगा कि ये पंच परमेश्वर, जो वास्तव में कहीं ऐसी स्थिति में न्याय करना चाहते हैं, वे कोई राजनीति नहीं करते हैं, उनके लिए आप ऐसा कोई प्रावधान रखें और इस बिल को छह महीने के लिए जनता में परिचालित करने के लिए दिया जाए और जनता का भी सुझाव लें कि हम यह बिल ला रहे हैं। उसके बाद इस बिल को पारित करें। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): धन्यवाद, सभापति महोदय। आज पूरा देश दु:खी है, निःशब्द है और स्तब्ध है। कारण, कर्नाटक में जैन आचार्य कुमार नन्दी महाराज की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है और शव के टुकड़े-टुकड़े करके बोरवैल सहित कई स्थानों पर डाल दिये जाते हैं। आज जिस बिल की राजस्थान में चर्चा हो रही है, उसका नाम है राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक। मृत शरीर का सम्मान, जब सरकार विधेयक ला रही है, ऐसे समय में पूरा देश जिस बात के लिए आन्दोलनरत है, आज हमारा देश ऋषि-मुनियों की परम्पराओं का देश है, सन्तों की आस्था का देश है, आज सन्त हमारी आस्था और संस्कृति के प्रतीक हैं।

जिस प्रकार से हमारे सन्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, आज सकल राजस्थान जैन समाज इस बात को लेकर उद्वेलित है। जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं, ज्ञापन दिये जा रहे हैं। जैन समाज ने आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द रखे हैं। यह सर्व समाज के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है कि जिस बिल पर राजस्थान की विधान सभा चर्चा कर रही है, आज आप यदि देखें तो पूरा देश उद्वेलित है।

कर्नाटक में जिस पार्टी की सरकार है, वह सरकार बनने के बाद जो रुझान आ रहे हैं, राजस्थान में भी उसी पार्टी की सरकार है। मैं मांग करूंगा, वह सरकार आज के बिल में इस बात के लिए एश्योर करे कि राजस्थान में इस प्रकार से किसी सन्त के साथ कोई अपमान नहीं होगा। तब तो यह बिल

(श्री अशोक लाहोटी)

लाना सार्थक है, अन्यथा यह बिल लाकर केवल असत्य चर्चा करना, मैं समझता हूं, इस बिल को एक बार जनमत के लिए भेजें और बिल पर चर्चा करवाने के बाद ही आगे बढ़ें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 पर बोलने का आपने अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक जीवन में जब हम किसी शासन में, सत्ता में होते हैं या कहीं काम करते हैं तो काम करने वाले उस प्रत्येक दल का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि ईश्वर ने यहां इस धरती पर जिन्हें प्राण देकर भेजा है, सांस देकर भेजा है, उनकी हिफाजत रखें। चाहे वह जानवर हो, चाहे इंसान ही क्यों न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो बिल अन्क्लेम्ड बॉडीज के लिए लेकर आये हैं, मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2019 में कोविड आने के बाद डैड बॉडीज की क्या स्थिति हुई? उसमें न किसी की हत्या थी, एक महामारी के कारण नैचुरल डैथ हुई लेकिन उसके बाद में डेड बॉडीज का अन्तिम संस्कार होना था। सरकार ने उसमें क्या सहयोग किया?

(समय: 14.00 बजे)

अभी कुछ दिन पहले जब गायों के अन्दर लम्पी की महामारी आई, लाखों गोवंश काल का शिकार बने। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। ग्राम पंचायतों को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गायों के अन्तिम संस्कार के लिए, जे.सी.बी. से खड्ढा खुदवाने के लिए भी।

माननीय सभापति महोदय, अभी एक प्रकरण मेरी जानकारी में आया है कि सोजत में गोसेवा धाम हास्पिटल संस्थापक, जंदेड़ी गोसेवा संस्थान में अनेक सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं। वे गोवंश और जानवर के मरने के बाद उनका अन्तिम संस्कार नगरपालिका, सोजत की सहायता से गोचर की जमीन में करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह वाकया दिनांक 13.07.2023 का है। जब दो गायें और एक बछड़ा दो दिन पहले मृत हो गये। उन्हें अन्तिम संस्कार हेतु गोचर की जमीन पर ले जाया गया और यह सारा नगरपालिका की सहमति से होता है। माननीय सभापति महोदय, जब अन्तिम संस्कार करके

(श्री अविनाश)

आते हैं, उसके बाद में वहां कुछ असामाजिक तत्व, जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, जुल्फिकार अहमद, जो अपने आपको 'पीर साहब' कहता है, उसका एक भतीजा शाजिद अली, जो पार्षद है। उनके साथ लगभग 100 लोगों को लेकर आता है और यह कहता है कि आप यहां आइन्दा से इस प्रकार के गोवंश को दफनाओगे नहीं, अन्तिम संस्कार नहीं करोगे।

माननीय सभापति महोदय, एलान-ए-धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि यह काम बंद कर दो।

श्री सभापति: दूसरे विषय पर नहीं जाएं। आप बिल पर ही आ जाएं।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं समझता हूं कि सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग जो इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा प्रकरण दर्ज हो और उसके बाद भी अगर पुलिस की कोई कार्यवाही नहीं हो तो मैं मृत शरीर के सम्मान विधेयक पर क्या बोलूं, यह समझ से परे है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि अभी हाल ही में कर्नाटक में जिस जैन मुनि की हत्या हुई टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये, उसके विरोध में सम्पूर्ण सकल जैन समाज के लोग हड़ताल पर हैं। उन्होंने पूरे राजस्थान भर में प्रतिष्ठान भी बंद रखे। क्या इस स्वस्थ लोकतंत्र में किसी साधु, सन्त की, किसी जैन मुनि की हत्या करके इस प्रकार का वातावरण फैलाया जाए, क्या यह ठीक बात है? मैं समझता हूं कि न्याय के लिए अगर सकल जैन समाज अहिंसक तरीके से, जो महावीर स्वामी जी का मूल मंत्र है, उसके हिसाब से अगर काम करे तो क्या यह कानून की परिधि के बाहर होगा?

माननीय सभापति महोदय, कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान में काम करता है। किसी फैक्टरी में काम करता है, किसी सामाजिक संगठन में काम करता है और वहां काम करते-करते अगर किसी कारण से उसकी डैथ हो जाए और वाकई में वह बिलकुल गरीब आदमी है, दो सौ, सवा दौ रुपये की प्रतिदिन की मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता है, अपना गुजारा करता है, उसके मरने के बाद में कुछ लोग, उसके साथी इस बात के लिए किसी फैक्टरी से, किसी प्रबन्धन से, उद्योग से यह डिमांड करेंगे कि आपकी गलती के कारण से इसकी मृत्यु हुई है। उस समय जब तक फैक्टरी वाले मुआवजा

(श्री अविनाश)

नहीं देंगे, उसको आर्थिक सहायता नहीं देंगे, तब तक यह कानून उनके ऊपर लागू होगा। इस तरीके का कानून बनाने से किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाए, गैंगवार में निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिरौती के मामले में जब फिरौती नहीं दे, उसके बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाए और वह व्यक्ति बिलकुल निर्दोष हो। क्या उसके बाद भी इस कानून के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं, मेरे वहां ज्यादातर फैक्टरी में बहुत लोग काम करते हैं। वहां ब्लास्टिंग भी होती है। उससे मकान के अन्दर दरारें आ जाती हैं। कभी मकान कॉलेप्स हो जाते हैं, नीचे दबने से मौत हो जाती है। जो पशु चरते हैं, उनको नुकसान होता है, उनकी मौत हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार पीड़ित परिवार अगर अपनी मांगों को लेकर कोई डिमांड करता है। मैं समझता हूं, वह गलत भी नहीं है। आज हो क्या रहा है, चाहे गांव हो या शहर हो, वहां कोई भिखारी हो, लावारिस हो, अनाथ हो या कोई साधु, सन्त ही क्यों न हो, अगर नैचुरल तरीके से मौत होती है तो ससम्मान उसका अन्तिम संस्कार किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि हिन्दू धर्म में रिवाज है, अगर कोई नन्दी, गौमाता, बन्दर सहित अन्य जानवर, उनका भी सम्मान के साथ अन्तिम संस्कार किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि इस बिल के अन्दर जो क्लॉज दिये गये हैं, इन क्लॉज में परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपने कहा कि इस परिवार के सदस्य अगर राजनैतिक दृष्टि से या अपने स्वार्थ के लिए इसके कारण दुरुपयोग करेंगे तो उनके खिलाफ सज़ा का प्रावधान भी है।

मैं समझता हूं कि ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा, जो किसी नैचुरल डैथ के कारण इस प्रकार के जमाव, इस प्रकार के आंदोलन के रास्ते को अख्तियार कर उसके लिए कोई आंदोलन करता होगा। मैं समझता हूं कि यह कतई जायज नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि यह जो बिल आप लेकर आये हैं, इसको 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित), श्री छगनसिंह (अनुपिस्थत)। श्री जोराराम जी कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 के उद्देश्यों में लिखा है कि अन्यायपूर्ण मांगों के लिए विरोध करने की घटनाएं राज्य में बढ़ती जा रही हैं और इस मामले में विद्यमान विधि में कोई पर्याप्त उपबन्ध नहीं है। इसी तरह, अदावाकृत शरीरों का अभिलेख रखना, डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से आनुवंशिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता रखना वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह प्रस्तावित विधि, मृत शरीरों की गरिमा का उपबन्ध करने के अतिरिक्त, विरोध की बढ़ती प्रवृत्ति के विरुद्ध निवारक के रूप में भी काम करेगी और अदावाकृत शरीरों से सम्बन्धित डाटा के संरक्षण के सम्बन्ध में भी काम करेगी।

सभापति महोदय जी, मैं आपके मार्फत सरकार को यह बताना चाहूंगा कि आजादी के 75 वर्षों के बाद लोकतंत्र के इस राज में मनुष्य की मृत्यु होती है, पूरा परिवार और ग्रामवासी मिलकर मृत शरीर का सम्मानपूर्वक दाह-संस्कार करते हैं और तो और लावारिस मृत शरीर का समाज व उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर के, समाजसेवी मिलकर मृत शरीर का भी पूरा सम्मानपूर्वक दाह संस्कार करते हैं। सारी व्यवस्थाएं प्रकृति के अनुरूप चल रही हैं। जब प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य होगा, अप्राकृतिक घटनाएं होंगी, दुर्घटनाएं होंगी तो उसका प्रतिकार जरूर होगा।

हमारे समाज में तो मनुष्य, बन्दर, गाय, बैल और पशु, पक्षियों तक का पूरे सम्मान के साथ उनके मृत शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। ये जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तो यह प्रशासन की विफलता है। मृत शरीर के सम्मान के लिए कई कानून बने हुए हैं। सरकार और प्रशासन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह बिल लाई है।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक-दो घटनाओं के सम्बन्ध में आपको जानकारी देना चाहूंगा। पिछले 15 दिन पहले साकदड़ा पैणावा रोड पर देवासी समाज के तीन व्यक्ति खड़े थे, जो रोड के साइड किनारे होकर चल रहे थे। एक बस अचानक तेज गति से आई और उनको टक्कर मारकर चली गई, जिससे तीनों व्यक्तियों की वहां मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनको हास्पिटल

(श्री जोराराम कुमावत)

पहुंचाया और बस को भी पकड़कर हास्पिटल ले गये। पूरे प्रशासन के दबाव के बाद में भी वह जो बस का मालिक था, वह हास्पिटल सहायता के लिए नहीं पहुंचा। इतना बड़ा वह मालिक है कि उन मृत व्यक्तियों की किसी तरह की सहायता के लिए भी नहीं पहुंचा और प्रशासन भी उसमें कुछ नहीं कर पाया। ऐसी परिस्थिति में यह जो कानून है कि यह बिलकुल इन लोगों के विरोध में है। एक घटना सांडेराव की मैं बताता हूं बिजली विभाग का लाइनमैन अपने बदले प्राइवेट आदमी को पोल पर चढ़ा कर कार्य करवा रहा था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आज चार बिल हैं, कृपया थोड़ा संक्षेप में।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): उसकी करंट से मृत्यु हो गयी तो दो वर्ष बीत जाने के बाद में भी उसका अभी मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपको यह घटना इसलिये बता रहा हूं कि जैसे यह जो बिल है इसमें ऐसे लोगों को मदद मिलने वाली नहीं है। जब-जब घटनाएं-दुर्घटनाएं होती हैं बॉडी को अपन मोर्चरी में रखते हैं और जब उनको कोई मदद नहीं मिलती है तब जाकर के कोई समाजसेवी या राजनेता जाकर के उनकी मदद के लिए, उनके लिए प्रयास करता है, लेकिन अब यह जो कानून आया है तो इसमें निश्चित रूप से उनके परिवारजनों पर मुकदमे दर्ज करने का कानून है। यह बहुत ही गलत है और निश्चित रूप से इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आदिवासी क्षेत्र में इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो परम्पराएं बनी हुई हैं, उन परम्पराओं के विरोध में यह कानून है। इसलिये मैं इस कानून का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस कानून को वापस जनमत जानने के लिए भेजें और जनता की पूरे राजस्थान में सभी वर्गों की राय लेकर के जो जनता की राय आए, उसके अनुसार उस कानून में संशोधन करें और फिर कानून को लागू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, सरकार मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 लेकर आयी है। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों के साथ-साथ सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यदि अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय होना

(श्री संदीप शर्मा)

चाहिये। यदि किसी व्यक्ति के साथ उसका मर्डर हो गया हो, लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गयी हो, चिकित्सा विभाग के द्वारा अथवा विद्युत विभाग की लापरवाही से अथवा अन्य प्रशासनिक लापरवाहियों से यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाने का अधिकार लोगों का निश्चित रूप से होता है। निश्चित रूप से यदि हम देखें, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में प्रशासन पूरे दबाव में होता है जो परिजनों की सुनवाई नहीं करता है, ऐसे में लोग यदि बैठकर शान्तिपूर्वक अहिंसक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं तो इसमें इस बिल को लाने की कहां आवश्यकता थी, क्योंकि आपका आशय मृत शरीर को सम्मान देने का है, परन्तु यदि हिन्दू परम्पराओं में हम देखें तो शरीर से भी बढ़कर आदमी का आत्म तत्व होता है। यदि उसे न्याय नहीं मिल पायेगा, माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित रूप से उसके आत्म तत्व को भी शान्ति नहीं मिलेगी। जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक में हमारे एक जैन सन्त की हत्या कर दी गयी और उसका शान्तिपूर्वक सम्पूर्ण देश में प्रदर्शन हो रहा है। उनके लिए लोग उस हत्या का विरोध कर रहे हैं तो क्या हम पूरे जैन समाज पर मुकदमा लगा देंगे?

माननीय सभापति महोदय, जब हम अंग्रेजों के शासन काल में थे तो गांधी जी भी सत्याग्रह किया करते थे, तो किस तरीके का कानून हमारी सरकार लेकर आ रही है यह समझ में नहीं आता है। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के खिलाफ यह जो कानून लाया जा रहा है, इसको आनन-फानन में लाया जा रहा है। इस बिल पर पुनर्विचार करते हुए इसे 6 माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित), डा. जितेन्द्र सिंह।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं तहेदिल से माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि वे राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को लाये। मृत शरीर का भी इतना बड़ा सम्मान है, यह हमारी संस्कृति कहती है। सरदार भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश एम्पायर ने जनता के भय से एक दिन पहले फांसी दे दी और आनन-फानन में सतलुज के किनारे ले जाकर उन तीनों के शवों का आधा-अधूरा क्रियाकर्म कर दिया। दूसरे दिन हजारों की भीड़ को पता लगा। भीड़ उमड़ पड़ी।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

सतलुज के किनारे पहुंची। मान-सम्मान के साथ जो उनके अवशेष थे उनका हुसैनीवाला में पुन: दाह संस्कार किया। आज वहां उनकी याद में स्मारक बना है। वह एरिया पाकिस्तान में है, लेकिन दो बार हिन्दुस्तान के हमारे सैनिक जाते हैं और वहां तिरंगा फहराते हैं।

माननीय सभापति महोदय, डैड बॉडीज का कितना बड़ा महत्व है? एल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को परीक्षण के लिए रखा गया कि उसमें क्या विशेषता थी। नेपोलियन के शरीर के परीक्षण से वर्षों बाद, सैकड़ों साल बाद पता लगा कि नेपोलियन को सेंट हेलेना में अंग्रेजों ने स्लो आर्सेनिक पाइजन दिया था, क्योंकि नेपोलियन पोनी टेल रखता था। उसका स्कल रखा हुआ था और बालों में पचास साल बाद भी आर्सेनिक पाया गया तो आज शरीर की बहुत महत्ता है। आज मेडिकल कालेज में शरीर दान बहुत बड़ी समस्या है। मेडिकल ग्रेजुएट्स को एनाटॉमी डिपार्टमेंट में बॉडीज नहीं मिलती हैं कैडेवर्स नहीं मिलते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे टीचर थे डा. रामेश्वर शर्मा, वे प्रिंसिपल रहे, हैड आफ द डिपार्टमेंट पी.एस.एम. रहे और अपनी मृत्यु के बाद अपना शरीर एस.एम.एस. मेडिकल कालेज को दान कर दिया बच्चों को एनाटॉमी का परीक्षण करने के लिए। मैं सलाम करता हूं। आज वे नहीं हैं लेकिन ऐसा सोच हर व्यक्ति का नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, आर्गन डोनेशन इससे जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी It's a part of it क्योंकि मृत्यु के बाद एक प्रतिशत डोनेशन होता है हिन्दुस्तान में, अमेरिका में 23 प्रतिशत होता है। हमारे हार्ट, लीवर, किडनी सारे के सारे, हमें जागरूक करना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद, मैंने स्वयं ने अपने शरीर को मृत्यु के बाद डोनेट कर रखा है मेडिकल कालेज को कि मेरे लीवर, किडनी और हार्ट को इस्तेमाल कर लिया जाए किसी के लिए भी, अगर उनको जरूरत हो तो। यह जागरूक करना पड़ेगा, सभापति महोदय, हमारी आम जनता को जागरूक करना पड़ेगा। हजारों लाखों लोग क्यू में लगे हुए हैं। हालांकि It's not part of this हमारे इस प्रोग्राम का, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह हमारे लीवर, किडनी और हार्ट तो आफ्टर डैथ ही लिये जायेंगे इमीजिएट इन्फोर्म करके डाक्टर्स की टीम को।

प्राचीन काल में रोमन शासक अपनी बॉडीज को ममी के रूप में

(श्री जितेन्द्र सिंह)

प्रिजर्व करते थे और रखते थे उसको अपने स्थान पर। उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। जीसस क्राइस्ट को सलीब पर चढ़ा दिया गया। स्पार्टाकस, जो महान योद्धा थे, सलीब पर चढ़ा दिया गया और जिन्दा उनको मरने के लिए मजबूर किया गया। सबसे दुर्भाग्य की बात है, सभापति महोदय, आज मृत शरीर एक राजनीति का कारण बन गया। आप रोज पढ़ते हैं अखबारों में कोई नेचुरल डैथ हो गयी, उनके परिवारजन, जो कि उकसाये हुए होते हैं, डैड बॉडी को लेकर बैठ जाते हैं सड़क पर, सरकार पर दबाव बनाते हैं। पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या है। मैं तो ऊर्जा मंत्री रहा। वे सही फरमा रहे थे, हमारे बैठे हुए, कि तार के ऊपर बॉडी लटक रही है दिन भर और निगोशिएट करो साहब, कितना पैसा दोगे, कितना हृदय विदारक मंजर है। मैंने स्वयं देखा कि तार पर बॉडी लटक रही थी। मैंने कहा कि इसको उतारो, तुम्हें जो लेना हो सो ले लेना। यह भगवान के लिए अन्याय मत करो इस शरीर के साथ।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने यह बिलकुल सही किया। एक साल की सज़ा अगर कोई क्लैम नहीं करता है अपने रिश्तेदार की बॉडी को, दो साल की सज़ा अगर कोई रिश्तेदार दुर्भावना से बॉडी को लेकर बैठ जाता है और पांच साल की सज़ा अगर कोई नेता दुरुपयोग करके उस बॉडी को और उसके रिश्तेदारों को ओवरपावर करके बैठ जाता है।

डी.एन.ए. टेस्ट कांफिडेंशियल होता है। अगर कोई डी.एन.ए. टेस्ट से रिलेटेड मैटर को आउट करता है तो उसको 10 साल की सज़ा है। मुख्य मंत्री को यह इस वजह से मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा कारण आज यह हो गया। आपने देखा है, शेखावाटी में शहीदों का कितना सम्मान होता है। वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। खुद मेरे विधान सभा क्षेत्र में 70 शहीद हैं और आपके पिलानी में भी बहुत सारे हैं। लोग जानते हैं कि मृत व्यक्ति का सम्मान किस तरह से होता है। वहां हजारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शहीदों के जगह-जगह बुत लग रहे हैं। यह सम्मान है हमारे शेखावाटी में मृत व्यक्ति का।

सभापति महोदय, मैं डाक्टर होने के नाते कहूंगा कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में घर वाले जानते नहीं हैं। हैपेटाइटिस-बी; टी.बी., कोरोना, अगर उसकी डैड बॉडी प्रिजर्व नहीं है, इसलिए मुख्य मंत्री ने रोका था कि पांच से ज्यादा दाह संस्कार के लिए नहीं जायेंगे; हाइड्रोफोबिया, जिसका दुनिया में

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इलाज नहीं है; एच.आई.वी. का इलाज बहुत मुश्किल है कोई इलाज नहीं है, ये डैड बॉडी के कांटेक्ट में आने से होते हैं। इसलिए उस डैड बॉडी को प्रिजर्व करके उसका दाह संस्कार बड़े तरीके से करना चाहिये। यह इसमें नहीं है, यह मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं। डैड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास डीप फ्रीजर्स नहीं हैं। हमारे हास्पिटल में डीप फ्रीजर्स होने चाहिये। आपको पता है, विदेशों में, शेखावाटी के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं, उनके फादर की मृत्यु हो गई तो तीन दिन तक बॉडी कहां रखेंगे, हमारे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में डीप फ्रीजर होना चाहिये। सरकार अगर अरेंज नहीं कर सकती, 5-6 लाख रुपये का आता है, एम.एल.ए. को अपने फंड से डोनेट करना चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मृत शरीर के अपने खुद के कानून हैं। मृत शरीर का अधिकार है कि उसका सम्मान किया जाए। मृत शरीर का दुरुपयोग न करें।

सभापति महोदय, मैं अंत में कहना चाहूंगा कि बहादुरशाह जफर अंतिम सम्राट थे, रंगून में अंग्रेजों ने कैद कर दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको दफन हिन्दुस्तान में किया जाए। अंग्रेजों ने बात नहीं मानी, मौत के बाद रंगून में उनको दफना दिया। बहादुर शाह जफर ने कहा था

'कितना है बदनसीब 'जफर' दफ्न के लिए,

दो गज जमीन भी न मिली कू-ए-यार में।'

जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ पंडित नेहरू रंगून से उनके अवेशेषों को लाये और लाल किले में दफनाया। इस बिल को लाने के लिए मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और मैं पुरज़ोर शब्दों में इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 लाई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नाम बहुत अच्छा है और वास्तव में बिल आना भी चाहिये, मैं इसका समर्थन भी करता हूं, परन्तु मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे सम्पूर्ण आदिवासी क्षेत्र में पंच परम्परा है। पुरानी पीढ़ी के सब लोग जानते हैं कि पंचायत में न्याय पंचायत एक विभाग होता था और गांव के सारे निपटारे उस न्याय पंचायत में होते थे। पुलिस में कोई नहीं जाता था परन्तु हमने नये-नये कानून लाकर उस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। मेरा माननीय मंत्री

(श्री धर्मनारायण जोशी)

महोदय से निवेदन है कि अच्छा विधेयक है, परन्तु आपने इसका विभाजन नहीं किया। जिस आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके शरीर का सम्मान तो होना चाहिये, परन्तु मेरे क्षेत्र में एक आदमी मार्बल की थड़ी के बीच में आकर मर गया। वह 12 साल से वहां नौकरी करता था। गरीब गाडरी समाज का आदमी है। उसका फैक्टरी मालिक बाहर रहता है। उसने कहा डेढ़ लाख रुपये ले ले, जैसे वह उसको कोई भिक्षा दे रहा हो। उस आदमी की उम्र 40 वर्ष है और उसके चार बच्चे हैं। आपने इसमें यह प्रावधान नहीं किया कि उस आदमी के परिवार का क्या होगा। कोई अपराधी व्यक्ति किसी का मर्डर कर देगा और मर्डर करने के बाद भाग जायेगा, आप डैड बॉडी को जलाने का प्रावधान कर रहे हो। पुलिस की गोली से आदमी मर गया। इसके भी प्रावधान इसमें सम्मिलित होने चाहिये थे।

स्वाभाविक मौत का निश्चित रूप से होना चाहिये, एक्सीडेंट से मर गया, एक स्वाभाविक मौत है, परन्तु किसी गुंडे-बदमाश ने मार दिया, आप क्या करोगे? मेरे क्षेत्र में एक तीस साल का आदमी सवेरे-सवेरे खेती पर गया, खेत पर हल चला रहा था। वहां बिजली विभाग ने ऐसा दृश्य खड़ा कर रखा है, बिजली के पोल रेत में डाल रखे हैं। पोल को पेड़ के बांध रखा है, क्योंकि उसमें पूरी सामग्री, सीमेंट वगैरह लगी ही नहीं, उसमें पैसे खाने को मिलते हैं। मंत्री महोदय, यह निवेदन है कि वह आदमी गया, तार खुला हुआ था, वहीं मर गया। इसमें यह प्रावधान भी आपको करना चाहिये था कि स्वाभाविक मौत में तो डैड बॉडी का सम्मान होना चाहिये, परन्तु किसी गुंडे-बदमाश ने मार दिया, फैक्टरी में आदमी मर गया, इस कानून में सरकार फैक्टरी मालिक का बचाव कर रही है, फैक्टरी में काम करते हुए मरा, तो उसके परिवार का पोषण कैसे होगा? मैं सोचता हूं कि इसमें आपको इसको भी सम्मिलित करना चाहिये था।

मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपने सज़ा का 1-2-5 साल का प्रावधान किया है। किसी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी ने किसी आदमी को मार दिया और भाग गया, आप तो कहोगे उस बॉडी का सम्मान करना। अभी हमारे बहुत सीनियर विधायक बोल रहे थे, मेरा निवेदन है कि उसमें आप यह प्रावधान भी करते कि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी किसी को गोली से उड़ा दे, फैक्टरी में आदमी मर जाए, तो उसके रिटायरमेंट तक उसके बच्चों का पालन-पोषण कैसे होगा, यह प्रावधान भी इसमें करना चाहिये था। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसमें सुधार करके, इसमें और संशोधन करके इसको जनता में भेजना चाहिये और अभी इस बिल को स्थगित करके जनता में इसको परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023, जो इस सदन में लाया गया है, इससे पहले मैं मणिपुर के बारे में कहना चाहूंगा। मणिपुर हमारे भारत का ही हिस्सा है। वहां ट्राइबल महिलाओं से सामूहिक बलात्कार करके निर्वस्त्र करके उनको सड़कों पर घुमाने का वीडियो वायरल हो रहा है। यह पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। आज महिलाओं के सम्मान को लेकर उधर से बात जरूर हो रही है, लेकिन मणिपुर में जो हादसा हुआ है, यह पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है।

सभापति महोदय, राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को लाने की किसके दिमाग की उपज है? हम सब कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बिल को ला रहे हैं। क्या हम इस बिल को लाकर मृतक के शरीर को सम्मान देना चाह रहे हैं या फिर हम हमारी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक अप्राकृतिक। प्राकृतिक मृत्यु में कोई शरीर को लेकर बैठा रहे, ऐसा नहीं होता है। अप्राकृतिक मृत्यु हो, मर्डर हो, कोई दुर्घटना हो, कोई संदिग्ध मृत्यु होती है, उसी में परिजनों द्वारा या सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो या सम्बन्धित प्रशासन से मांग की जाती है कि उसका खुलासा किया जाए या उस पीड़ित परिवार को राहत दी जाए। अप्राकृतिक घटना में भी जो गरीब परिवार है, एस.टी.-एस.सी. है या माइनोरिटी है या किसी भी समाज का गरीब परिवार है, जो संदिग्ध मृत्यु हुई है, वह किस प्रकार हुई है, किसने की है, उस बात से वह संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होने से वह इस प्रकार की मांग करता है। इस बिल का विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में काफी दुष्प्रभाव पड़ेगा। हमारे आदिवासी समुदाय में गमेती व्यवस्था होती है।

अलग से न्याय व्यवस्था होती है। भले ही हमारे आई.पी.सी. और सीआर.पी.सी. के कानून हैं, लेकिन पहले का जो पारम्परिक रीति-रिवाज बना हुआ है। वह रीति-रिवाज और परम्परा आज भी निहित है। कई बार ऐसी व्यवस्था गांव के गमेतियों द्वारा तय की जाती है कि इसमें यह होना चाहिए। यह जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में न्याय मिलता है। वह न्याय मिलने के बाद उस परिवार को संतुष्टि मिलती है और भविष्य में आगे द्वेष भावना कभी नहीं रहती है। हमारा जो कानून ला रहे हैं, हम दबाव बनाकर उसको यह

(श्री राजकुमार रोत)

कर देंगे, लेकिन एक द्वेष भावना भविष्य में उस परिवार के अन्दर व परिजनों में रहेगी और भविष्य में दूसरे अपराध का वह कारण बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। एक उदयपुर में, एक नाबालिग बच्ची थी, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद उसके नौ टुकड़े कर दिये। उसको अलग-अलग जगह पर डाल दिया गया। एक आदिवासी बच्ची थी। जब पता चला, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पूरा समाज इकट्ठा हुआ और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की। मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया। किसी भी प्रकार से लाश लेकर बैठने का कोई औचित्य नहीं। बहुत बड़ी घटना थी। एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके, उसके नौ टुकड़े करके अलग-अलग जगह डाल दिये थे, लेकिन उस बॉडी को दो-चार दिन कहीं नहीं रखा और प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की, परिजन संतुष्ट हुआ। उस परिवार को कुछ राहत मिली और तुरन्त दाह संस्कार हो गया।

इसी तरह सिरोही के अन्दर कार्तिक भील का घटनाक्रम हुआ। इस आदमी के साथ बुरी तरह से 19 जनवरी के आसपास मारपीट होती है। उसके हाथ-पैर तोड़ दिये जाते हैं। उसके सहयोगी द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। 19-20 दिन तक उसका इलाज होता है। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है और तब पुलिस नींद से जगती है। पुलिस गुजरात में उसके परिजनों को वॉर्न करती है कि पहले तुम यह लिखकर दो कि हम ले जाकर सीधा दाह संस्कार करेंगे। जिस आदमी के साथ घटनाक्रम हुआ, उसके मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उसके परिजन और उस व्यक्ति, उसकी मृत्यु से पहले दो थानों में रिपोर्ट दी थी कि मुझे जान का खतरा है, उस आदमी ने सम्बन्धित एस.पी. को, सम्बन्धित आई.जी. को कई बार पत्र लिखे थे कि मेरे साथ कभी भी अनहोनी घटना हो सकती है। पूरा परिवार जानता था कि इस आदमी को परेशान किया जा रहा है, इस आदमी को कभी मारा जायेगा। ऐसी घटना होती है तो स्वाभाविक है कि परिवार उग्र होगा, सहयोगी उग्र होंगे, समाज उग्र होगा और हमारे जैसे जन प्रतिनिधि भी इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। मैंने दो घटनाएं बतायीं। हम पहले सिचुएशन ही ऐसी पैदा क्यों कर रहे हैं कि इस तरीके की व्यवस्था हो। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके मुलजिम का पता नहीं चलता है, उसकी मृत्यु का कारण पता नहीं चलता है और हम कहते हैं कि शरीर का सम्मानजनक दाह संस्कार किया जाए।

(श्री राजकुमार रोत)

माननीय सभापति महोदय, हर समाज में अलग-अलग व्यवस्था होती है। आदिवासी समाज के अन्दर गाड़ने की व्यवस्था होती है। मतलब, बॉडी को जमीन के अन्दर गाड़ा जाता है, लेकिन कई बार अप्राकृतिक घटना में पुलिस प्रेशर करती है कि आप इस बॉडी को गाड़ेंगे नहीं, आप उस बॉडी को जलाएंगे। हमारे समाज की व्यवस्था है, हमारे समाज की परम्परा है कि उसका दाह संस्कार किया जायेगा या जमीन में गाड़ा जायेगा, लेकिन पुलिस उस परिवार को वॉर्न करती है कि आप जमीन में नहीं गाड़ेंगे, आप उसको जलायेंगे। यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर एक तरह का कानून थोपा जायेगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था को खतम किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जितने भी खनन क्षेत्र हैं, रेलवे ट्रैक का बड़ा काम चलता है, उदयपुर में एक घटनाक्रम हुआ, एक आदमी कम्पनी के ट्रक में जा रहा था। वह चला रहा था और उसकी डैथ हो गयी। उसका मालिक कहता है कि मैंने इसको यहां मजदूरी पर नहीं रखा है। वह मालिक मना कर देता है। गाड़ी के कोई कागज नहीं हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि जितनी जो बड़ी कम्पनियां हैं, माइनिंग इलाकों में जो गाड़ियां या वाहन चलते हैं, पी.डब्ल्यू.डी. के जो बड़े ठेकेदार हैं, उनकी गाड़ियों के कागज नहीं होते हैं। न इंश्योरेंस होता है, न गाड़ी का कोई कागज होता है। वह कहीं न कहीं हमारे प्रशासन, माइनिंग विभाग की, पुलिस विभाग की, परिवहन विभाग की लापरवाही है। इसी कारण से परिजन उस समय दावा करता है, जिसके घर में खाने का ठिकाना नहीं है। जो व्यक्ति दो सौ-तीन सौ रुपये का रोजगार कर रहा है, उसके क्रियाकर्म की भी व्यवस्था नहीं है और उसको हम कहेंगे कि तेरे शरीर का सम्मान हो जाए, जबकि मालिक मना कर देता है। मालिक पुलिस को पैसे खिलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस परिवार का दाह संस्कार, उस परिवार के जो बच्चे हैं, तीन-चार बच्चों के पालन-पोषण के लिए तैयार नहीं होता।

माननीय सभापति महोदय, हमें सोचना पड़ेगा। यह बिल तो ले आयेंगे, बहुमत से पारित भी हो जाएगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम कितना होगा? यह जो घटना होगी, उसके बाद हम कानूनी कार्यवाही कर देंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, कोई भी मां-बाप नहीं चाहेगा। उसका बेटा-बहू या कोई भी मरा है, उसके शरीर को लेकर बैठना कोई भी नहीं चाहेगा। कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कारण होंगे, कुछ मांगें होंगी। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि

(श्री राजकुमार रोत)

शरीर को लेकर बैठें। हर मां-बाप चाहता है कि परिवार का जो भी मरा है, उसको सम्मान मिले। लेकिन इस कानून की वजह से आदिवासी समाज की जो व्यवस्था है, आदिवासी समाज की जो परम्परा है, इन पर कुठाराघात होगा।

माननीय सभापति महोदय, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। एफ.एस.एल. रिपोर्ट भेजते हैं। एफ.एस.एल. रिपोर्ट दो-तीन साल तक नहीं आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्दर मेरोप गांव है, उसमें आदमी की तीन साल पहले मृत्यु हुई। परिजन कह रहे हैं कि लगभग यही है। उसकी पहचान पूर्ण रूप से नहीं हो पायी। आज तीन साल हो गये हैं, एफ.एस.एल. रिपोर्ट नहीं है। हमारी ऐसी व्यवस्था है। हम कह रहे हैं कि उस मृतक शरीर को मान-सम्मान देंगे।

श्री सभापति: कन्क्लूड करिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध है कि इस कानून को ट्राइबल क्षेत्र में नहीं लागू किया जाए। लागू किया जाए तो वहां के लोगों की भावना है, वहां के लोगों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप लागू किया जाए। कोई भी कानून आता है, लोगों की भावना के हित में, लोगों के हित में लाया जाता है, लेकिन यह कानून कहीं न कहीं ट्राइबल इलाके, आदिवासी इलाके के लिए घातक होगा। इससे अपराध कम नहीं होंगे, इससे अपराध और बढ़ेंगे और लोगों में असन्तोष पैदा होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कानून को तीन माह तक के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। सभापति महोदय, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

सूचना

विधायकों के अरावली एन्क्लेव स्थित फ्लैट्स में रखरखाव के अभाव में हादसे की सम्भावना

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आवश्यक सूचना। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, विशेषकर स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अरावली एनक्लेव में जो फ्लैट विधायकों को आबंटित किये थे, उनमें कभी भी हादसा हो सकता है। सभापति महोदय, 60 लाख रुपये खर्च कर दिये और

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आज जाकर कोई भी मौका देख लो, नीचे से दरार आ गयी। बेसमेंट के अन्दर पानी पड़ा है। कभी भी हादसा हो जायेगा। यह मैं समय रहते हुए सूचना दे रहा हूं। हम राजस्थान का भला कैसे करेंगे, जब हम हमारी ही सुरक्षा नहीं कर सकते। मंत्री महोदय, बहुत बुरी हालत है। आप स्वयं जाकर मौके पर देखें। हमने लाख-लाख रुपये जमा करवाए। वे भी खर्च कर दिये। पानी 24 घंटे दिन-रात टपकते रहता है। जितने विधायक रहते हैं, सबसे पूछें। समय रहते हुए समस्या का समाधान करवाएं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज यह सदन राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, उद्देश्यों और कारणों के कथन को जब मैं पढ़ रहा था, एक रिट पिटीशन नम्बर 143/2001, आश्रय अभियान बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, इस निर्णय का उद्धृत करते हुए मंत्री महोदय ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा कि अन्क्लेम्ड, लावारिस मृत शरीरों को शिष्टतापूर्वक दफनाना या दाह संस्कार किया जाना चाहिए। बिलकुल ठीक है। किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर के शिष्टतापूर्वक दफन या दाह संस्कार गरिमा के अधिकार राइट टू डिग्निटी के समान है। सभापति महोदय, इसमें कोई दोराय नहीं है। यह बहस का कोई मुद्दा भी नहीं है। सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि यह रिट पिटीशन करने वाला आश्रय अभियान एक एन.जी.ओ. है। इस एन.जी.ओ. ने पूरे देश के अन्दर अलग-अलग लोगों को प्रेरित किया कि जो लावारिस रूप से, जो लोग किसी न किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उनके दाह संस्कार के लिए कोई ऐसा कानून बन जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि चंदा करके आपस में, सरमायेदार लोगों से पैसा लेकर इनका दाह संस्कार करना ये एन.जी.ओ. का काम था। एन.जी.ओ. के इस काम की आड़ में मंत्री महोदय, आप क्या कह रहे हैं, यहां तक तो ठीक है मृत शरीर का डी.एन.ए. प्रोफाइलिंग और डिजिटाइजेशन के माध्यम से जैनेटिक डाटा की सूचना एकत्रित करना, बिलकुल ठीक बात है। सरकार ने अन्यायपूर्ण मांगों के साथ शव के साथ विरोध करने की घटनाओं के बढ़ने से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत विधेयक, ये अन्यायपूर्ण घटनाएं क्यो घटित हो रही हैं, क्या कारण हैं?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आप और हम सब लोग साक्षी रहे हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें बनती हैं, जनमत से बनती हैं। सरकार जिस तंत्र को तैयार करती है शासन देने के लिए, वह तंत्र जब निरंकुश हो जाता है, वह तंत्र जब सुनवाई नहीं करता, अगर ये कानून आज पास होगा, सबसे पहले मुकदमा दर्ज होगा ओसियां से आने वाली माननीय सदस्या पर, क्योंकि वहां जिस प्रकार की घटना उस गांव में हुई, चार-चार लोगों की हत्याएं हुयीं, अगर परिवार के लोग ये कहें कि इस हत्या में हत्यारों को गिरफ्तार करने तक हम दाह संस्कार नहीं कराएंगे, अगर मैं चला गया तो जो इनका सेक्शन है 16, 17, 18, इस 18 में मुझे भी सज़ा हो जाएगी।

मैं समझता हूं कि कम से कम ये लोमहर्षक घटनाएं जब घटित होती हैं, जब गैंगस्टर किसी निर्दोष को मारकर चला जाता है। सभापति महोदय, आपने वह फोटो देखी होगी, सीकर के अंदर राजू ठेहट पर हमला करने के लिए गैंगस्टर आते हैं। एक पिता अपनी बेटी को, जो कोचिंग सेन्टर में भावी डाक्टर बनाने के लिए कोचिंग करने के लिए पैसे देने आता है, एक किसान गोली का शिकार हो जाता है और उस पिता के शव के साथ उस बच्ची की तस्वीर को देखकर मानवता सिहर उठी। आपके सामने इसी सप्ताह मानसून आया। मानसून के अंदर सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की। मंत्री जी ने भी की कि मानसून के अंदर मैनहोल खुले नहीं रहने चाहिए। जहां पानी का भराव है, पानी निकलना चाहिए, सड़कों में गड्ढे नहीं रहने चाहिए। हम सबने सीकर के अंदर जिला प्रशासनिक समिति की बड़ी बैठक में इस राजस्थान में अशोक गहलोत जी के बाद सबसे बड़े नेता और एक सभापति तालिका पर गरिमापूर्ण रूप से बैठने वाले माननीय सदस्य को उलझते देखा। बात यहीं खतम हो जाती तो ठीक थी। ठीक चार दिन बाद उसी मैनहोल में जिसके लिए सरकार और सत्ता में बैठे लोग आपस में खींचातानी कर रहे थे, एक बच्चा जो इंजीनियर बनता है, उस मैनहोल में आकर मर जाता है। उसके बाद कोई किसी को कहने नहीं आता। वहां के सामाजिक संगठन अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं हमने इतनी बार आपको ज्ञापन दिया। बच्चे के परिजन पहुंचते नहीं, इससे पहले वह कहते हैं कि हम इस डैड बॉडी को नहीं उठाने देंगे। और कितने बच्चे शिकार होंगे? आप सेक्शन 17 में उनको सज़ा दे देंगे पांच साल की।

मैं समझता हूं कि सरकार अपने आखिर समय में इस कानून को लाकर, इसके पीछे हेतु क्या है? सभापति महोदय, आप और हम सब लोग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सामाजिक प्राणी हैं। हम सब लोग किसी न किसी शोकाकुल दौर से गुजरे हुए लोग हैं। दिल टूट जाता है, जब परिवार के किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में नहीं है। कौन रखता है अपने परिवार का शव सड़क पर? क्यों रखता है अपने परिवार के शव को सड़क पर? वह हालात पैदा किसने कर दिये? क्यों कर दिये? मंत्री महोदय, कम से कम इस पर विचार कीजिए।

सभापति महोदय, यह एक तरह से वही हालत है कि हम एक ऐसा भय पैदा कर दें, हम जनतंत्र में जनता की आवाज को कुचल दें। आपातकाल के अंदर भी इसी रास्ते पर आप निकले थे। इसी प्रकार डी.आई.आर., दूसरे कानून लेकर आये थे। उनका नतीजा आपने देख लिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं ये जो खाजूवाला की घटना, मैं वे घटनाएं बता रहा हूं जिनके अंदर और किसी का कोई कसूर नहीं। खाजूवाला की घटना में, मेरे पास भी इस मामले में दूरभाष पर टेलीफोन आया। मैंने सारी जानकारी ली। बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है। हत्या में रक्षक-भक्षक के रूप में पुलिस कांस्टेबल शामिल हो जाते हैं। कोई साथ नहीं गया। बच्ची का पिता, मैं उनसे मिलकर आया बाद में। बच्ची का ताऊ, बच्ची का पिता नहीं, बच्ची का ताऊ, बच्ची की मां और बच्ची की एक चचेरी बहन जाकर बैठ गयी। जब उनको लोगों ने घंटों, घंटों, घंटों बैठे देखा, बात चलती चली गयी। लोग जुड़ते चले गये। उनके साथ आंसू बहाते चले गये। अगर अबकी बार आपने आंसू बहाये तो सेक्शन 17 में 5 साल की सज़ा, ये क्या कानून लेकर आये हैं? मेरे समझ से परे की बात है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 की धारा 2, आपने विरोध को परिभाषित किया है। मंत्री महोदय, विरोध, इस विरोध ने अंग्रेजों को भगा दिया था। ये विरोध वह विरोध है, जब जन विरोध खड़ा होता है तो बड़ी-बड़ी सल्तनतों को हमने हिलते देखा है। आप विरोध परिभाषित करते हैं और क्या कहते हैं, किसी अभ्यापत्ति, अवज्ञा आंदोलन, ये अवज्ञा, गांधी जी की बात करते हो, अवज्ञा आंदोलन की बात करते हो, आप कानून बनाते हो। ये एक-एक शब्द जनता के बीच लेकर जाएंगे। ये गांधी जी का नाम लेने वाले लोग कहते हैं अवज्ञा, आंदोलन, प्रकोपन इत्यादि और ये किसी मृत शरीर के पास में बैठकर विरोध प्रकट करते हैं तो धारा 2 में विरोध। इसके बाद मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान और विशेष तौर पर ये जो गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, गुढ़ा जी का मैं सबसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्यादा आदर इसलिए करता हूं कि ये जो बात कहते हैं बात में बड़ी सार होती है। सभापति महोदय, एलाइनमेंट खराब होना बुरी बात है। गाड़ी चलती नहीं है।

सभापति महोदय, किसी न किसी वाहन में बैठकर हम आते हैं। फार्च्यूनर की बात आती है। 200 की विधान सभा में एक फार्च्यूनर आये, तीर्थ स्थल करके आये, वह बात भी बड़ी गम्भीर बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आपका ध्यान आकर्षित करके कि यह सेक्शन 7(1) में आप क्या कह रहे हैं, 7(1) में कह रहे हैं कि पुलिस मृत के शरीर पर कब्जा करेगी। थाना भारसाधक अधिकारी को निजी जानकारी, निजी जानकारी या विश्वास हो जाए कि किसी की आकस्मिक मृत्यु होने पर परिजन अपनी मांगों के लिए मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं तो पुलिस जाएगी, वाह, और कोई काम बचा ही नहीं। क्या बात करते हैं, ये डिजाइन बॉक्स, अरोड़ा जी ने कहा था कि इस तरह का एक्ट ले आना। हो क्या रहा है? मंत्री महोदय, आप और हम दोनों कई विधान सभा में रहे हैं। आपके होते हुए ऐसा कानून? आप एक तरफ सम्मान की बात करते हो, मृत शरीर का ससम्मान दाह संस्कार करना चाहिए, डिग्निटी की बात करते हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं करते तो पुलिस मृत शरीर पर कब्जा कर लेगी, 7(1) में और 7(2) में उस मृत शरीर को निकटतम हास्पिटल में ले जाएगी तुरन्त। इसके 8(1) में क्या कहते हैं, फिर एस.डी.एम. साहब, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। वह शव को, जो पुलिस के कब्जे में है, परिजनों को नोटिस देगा कि भई, तुम्हारे परिजन का शव है। अब सभापति महोदय, कई हादसे हो जाते हैं। कई बार मैं जिस जगह से चुनकर आता हूं, हमारे यहां बड़ी संख्या में लोग अरब और दूसरी जगह अरब कंट्री में जाकर नौकरी करते हैं। कोई हादसे का शिकार हो गया, किसी जगह हादसा हो गया, परिवार के लोग नहीं आये, मोहल्ले के लोग आज इस तरह की मातमपुर्सी में बैठते हैं। ये हमारे सामाजिक संस्कार हैं। वे कहते हैं इसका पोस्टमार्टम कराओ। मोहल्ले वाले कहते हैं, बेटा आएगा, पिता आएगा, चाहे बेटा आए, चाहे पिता आए, इन्होंने पूरा बंदोबस्त कर दिया और ये क्या करेंगे, सभापति महोदय, वह एस.डी.एम., वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट परिजनों को 8(1) में नोटिस देगा और 8(2) में 24 घंटे का समय देगा और अंतिम संस्कार करा देगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं चाहता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस तो होगा राजस्थान में मैं चेतावनी दे रहा हूं, एक जगह का, एक बात में, एक व्यक्ति का जबरदस्ती अंतिम संस्कार करके देखना आपकी सरकार का संस्कार नहीं हो जाए तो मुझे कह देना। मैं कोई लफ्फाजी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं।

आप एक तरफ उद्देश्यों व कारणों के कथन में डिग्निटी की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के उन लोगों के हवाले की उस रिट पीटिशन की बात करते हो जिन एन.जी.ओ. ने लावारिस लोगों को दफनाने में, संस्कार करने में एक सेवा का मार्ग अपनाया। उसकी आड़ में एक कानून बनाते हो और कानून बनाकर यह कहते हो कि हमारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम., कलेक्टर कह देगा तो दाह संस्कार कर देगा।

सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से सेक्शन 8(3) की ओर आपका मुलाहिजा फरमाने के लिए निवेदन कर रहा हूं। 8(3) में कह रहे हैं कि अगर कोई भीड़ इकट्ठी हो गई तो सीआर.पी.सी. का सेक्शन 129 व 132, यह बल प्रयोग का है, यह लाठी प्रयोग का है। यह बल प्रयोग करवाएंगे। उसके प्रावधानों के अनुसार बल प्रयोग करने का आदेश देगा। लाठी का राज, आप लाठी तंत्र को बनाओगे। राजस्थान के लोग इस लाठी को खाना भी जानते हैं तो लाठी को पकड़ना भी जानते हैं। आप यह क्या कानून लेकर आये हैं?

सभापति महोदय, कई बार छद्म रूप से कई एजेंडा आ जाते हैं। मंत्री जी, आप मालूम करना, मैं बड़े नम्र शब्दों से कह रहा हूं, यह ड्राफ़्ट जिसने किया है, वह कोई न कोई हमारा आदमी निकलेगा। सभापति महोदय, कई बार राजनीति के अन्दर 'राज' और 'नीति', वह नीति जिससे राज आये...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप सेक्शन 8 पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि कुटुम्ब का सदस्य मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने का अगर इच्छुक नहीं है तो ऐसी अवस्था में कुटुम्ब के सदस्यों को 24 घंटे में अंतिम संस्कार करने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश प्रसारित करेगा। ठीक है न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): ठीक है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आगे पढ़िए। ऐसा नहीं करने के पर्याप्त कारण होने पर अवधि बढ़ा सकता है। यदि यह साबित हो जाए कि चूरू का आदमी जो कुवैत में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रहता है, अगर उसके आने में देर लग रही है, प्राधिकृत अधिकारी के सामने उसके कुटुम्ब वाले यह सबूत प्रस्तुत करते हैं कि दो रोज ठहर जाइये, वह आ जाएगा, उसके सामने कर लेंगे, तो वह इजाजत दे सकता है। उस बात को छुपाओ मत। सदन में गलत तथ्य मत बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पत्थर का जवाब पत्थर से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, आप पत्थर का जवाब किसी से ले लेना, पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, सारी बात रिकार्ड में जा रही है। पन्द्रहवीं विधान सभा के अन्तिम सत्र में आप जो लेकर आये हो...

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): नेता प्रतिपक्ष, रिकार्ड में यह भी जा रहा है कि आप लाठी पकड़ने के लिए, लाठी का जवाब लाठी से देने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कमजोर होना यह प्रकृति की बात है, पर कमजोर आदमी को तरेर के आकर दबा देना यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान) मैं इस पन्द्रहवीं विधान सभा के आखिरी सत्र में देख रहा हूं। मंत्री महोदय, गुरूर में मत रहो।

"जहां आज तू है वहां कोई और था,
यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था।"

इस दौर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं मंत्री जी की बात का इत्तेफाक रखता हूं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एस.डी.एम. ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका पूरा दल कमजोर है, अब किस-किसको दबावें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): तेल बताएगा तेल की धार बताएगा, समय बताएगा समय का चक्र बताएगा, आप और हम यहीं रहेंगे। सभापति महोदय, ये बात करते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विश्वास करने पर उसके क्षेत्राधिकार के भीतर ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इन्होंने क्या बोल दिया इनको यह ही ध्यान नहीं है। इन्होंने बोला कि हम जहां है वहीं रहेंगे। यह रिकार्ड पर आया है कि हम जहां है वहीं रहेंगे। आपने क्या बोल दिया, सर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मुंगेरीलाल जी बहुत गजब के आदमी थे, उनको पूरी जिंदगी कोई भी हसीन सपने देखने से नहीं रोक पाया। मुंगेरीलाल जी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं कह रहा था 8(2) के अन्दर मंत्री जी जो कह रहे हैं मैं समझता हूं कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दे रहे हो। आगे मैंने आपको कहा कि आप 8(3) में सीआर.पी.सी. को लिखकर दे रहे हो। बल प्रयोग कर लेना।

इसके बाद सेक्शन 16, मृत शरीर का कब्जा नहीं लेने पर परिवारजनों को एक वर्ष की सज़ा। कब्जा नहीं लेने पर एक साल की सज़ा और जुर्माना अलग है। वाह, जय हो आपकी। यानी अगर कोई घटना हो गई और परिवार के लोगों ने यह कहा कि इस घटना को कारित करने वाले लोगों को, हम अपना ज्ञापन देना चाहते है सरकार के पास, हम मृत का शरीर नहीं लेंगे, इन्होंने तो कर दिया सज़ा का इंतजाम। इसी तरह परिजन अगर विरोध करें तो दो वर्ष की सज़ा। परिजन के साथ अगर अन्य लोग विरोध करें तो पांच साल के दण्ड का भागी। सभापति महोदय, यह कानून लाया गया है, सरकार इतनी भयभीत व भयाक्रांत है, सरकार यह सोचती है कि ऐसे कानून बनाकर सीआर.पी.सी. की प्रोविजन धारा 129 और 133 तक आदेश देकर किसी की आवाज दबा लेंगे।

मैं फिर कहता हूं, मैं बिलकुल बुनियादी तौर पर इस बात को मानता हूं, आज इस देश में हमारी संस्कृति कुछ भी हो सकती है पर हमारी सामाजिक संस्कृति व धर्म संस्कृति, कोई आदमी अपने परिजन के अन्तिम दर्शन की बात जरूर कर सकता है, पर जब तक अत्याचार, अन्याय, अनाचार की पराकाष्ठा नहीं हो जाए, तब तक कोई आदमी अपने परिजनों के शव को सड़क पर नहीं रखेगा। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा, कोई जबरन उनको कहे तो उनको कहेगा कि नहीं, मेरे परिजन का शव है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं करने देगा। इसलिए आप भावनाओं से खिलवाड़ करके यह कानून लेकर आये हो। मैं तो चाहूंगा कि आपमें ताकत हो तो आप इस कानून के सहारे से एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी, एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं, दर्जनों घटनाएं हैं, मन्दिर के अन्दर पुजारी को जलाकर मार दिया जाता है, न्याय नहीं मिलता, परिवार के लोग धरने पर बैठते हैं तो वे दोषी हैं।

सभापति महोदय, जिस शासन में हर सप्ताह एक निर्भया कांड आकार लेता हो, जिस शासन के अन्दर हर सप्ताह गैंगस्टर निर्दोष को उड़ाते हों उस शासन में विरोध प्रकट करने के नाम पर आप इस प्रकार का कानून लाये हो। जिसके लिए लाये हो वह भी कोई ड़रने वाला व्यक्ति नहीं है, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, इसलिए इस कानून को आप जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, करीब-करीब 15 माननीय सदस्यों ने इस पर अपने-अपने विचार रखे हैं। मैंने सबके तो नोट नहीं किये, लेकिन फिर भी काफी कुछ नोट किये हैं। सबसे पहले बिहारीलाल जी बोले कि पांच साल बाद आपको यह बिल लाने की क्या जरूरत आ गई, शरीर का सम्मान तो पांच साल पहले भी किया जा सकता था। दो-दो बार आपकी सरकार बनी वह भी कर सकती थी फैसला। सुप्रीम कोर्ट का तो 2001 में ही आ गया था। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि 24 नवम्बर से लेकर 27 नवम्बर, 2016 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने लगातार तीन रोज तक डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स की मीटिंग ली। एक रोज पूरा का पूरा, कई डिस्ट्रिक्ट कलक्टर्स इस बात के लिए बोले कि लावारिस लाशों का कोई कानून बनाइये, हम इनको कैसे पकड़ें, कैसे जलाएं। यह जो धरने-प्रदर्शन होते हैं, जिनमें करोड़ों रुपये मांग लिये जाते हैं, नौकरी मांग ली जाती है, सात-सात, आठ-आठ रोज तक पड़े रहते हैं, हम इनको कैसे पकड़ें, इसके लिए कानून बनाइये। उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिये थे कि इस प्रकार का कानून बनाओ, लेकिन आप लोगों ने कहीं यह कानून नहीं बनाया। यह 2016 की बात है।

(समय: 15.00 बजे)

बाबुलाल जी झाडोल ने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ है। यह आदिवासियों के खिलाफ कैसे है? मैंने आपसे भी बात की। जिस रोज मृत्यु हो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जाती है, उसी रोज पंचायत आपकी बैठ जाती है और पंचायत उसी रोज फैसला कर देती है। अगर उस रोज नहीं बैठ सकती तो दूसरे रोज बैठ जाती है, रात-बिरात की कोई बात हो तो दूसरे रोज बैठ जाती है, उसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं है।

सेक्शन 18 में कुटुम्ब के सदस्यों से भिन्न कोई व्यक्ति की बात उठाई। जहां तक सवाल, इस सेक्शन 23 में यह बात उठाई गयी कि सद्भावनापूर्ण की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण प्राप्त किया गया है, जो भी कार्रवाई, अगर मान लीजिए सद्भावनापूर्ण की जाती है तो उसको पूरा संरक्षण दिया गया है, इस कानून के तहत में।

कासनियां साहब ने यह कहा कि वाजिब कारण होते तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। श्रीमती दीप्ति माहेश्वरीजी ने कहा कि क्या जरूरत पड़ गयी? क्या आपने डाटा दे दिया? डाटा के लिए ही तो तैयार किया जा रहा है। इस सबका डाटा रखा जायेगा। जो लावारिस लाशें मिलती हैं, उनका डाटा इसीलिए रखा जायेगा। विट्ठल शंकर अवस्थी साहब ने यह कहा कि अन्यायपूर्ण मौत होती है, उसके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी? अन्यायपूर्ण मौत होती है तो उसके लिए बाकायदा क्षतिपूर्ति के कानून बने हुए हैं। उन क्षतिपूर्ति कानूनों के तहत उनको दिया जा सकता है। धर्मनारायणजी जोशी साहब ने भी कहा। आपराधिक मामलों में चाहे हत्या हो या चाहे मृत्यु हो, क्षतिपूर्ति करने के लिए 'पीड़ित प्रतिकर' योजना बनी हुई है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। वाहन दुर्घटना हो, करंट लग गया हो, फैक्टरी में काम करते समय मृत्यु हो गयी हो, मोटर वाहन अधिनियम के तहत घातक दुर्घटना हो गयी हो, आदि के कानूनों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के आलरेडी प्रावधान हैं, इसमें प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

ऐसी स्थिति में शव को रखकर धरना-प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अर्जुन लालजी ने भी कहा कि, साहब, यह आदिवासियों के विरुद्ध है। मैंने आपको साफ बात बता दी कि जिस तरीके का व्यवहार दूसरी जातियों के साथ होगा, आदिवासियों के साथ भी वह का वह ही होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई अलग से नहीं है। रामलालजी ने कहा कि जहां पर अंतिम संस्कार हुआ है वहां डैथ सर्टिफिकेट, एक पूनियां जी ने बढ़िया बात कही है कि जहां पर मान लीजिए डैथ हुई है किसी दूसरी जगह पर और किसी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दूसरे जिले में जाकर उसका अंतिम संस्कार होता है तो डैथ सर्टिफिकेट के लिए लोगबाग चक्कर काटते रहते हैं। कायदे से यह बात सही है, इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है कि डैथ सर्टिफिकेट वहीं पर मिले, जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है। संयम लोढ़ा साहब ने कहा कि राज के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है। कानून है तो फिर इस बिल को क्यों लाये? आपने कहा, लेकिन उस कानून में यह अधिकार पुलिस को नहीं है या यह अधिकार प्रशासन को नहीं है। जो आपने बताया कि सरकारी काम को करने में अगर कोई रोड़ा अटकाता है तो उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा हो सकता है, लेकिन इस मामले में आज तक इस बिल के लाने के पहले उनको अधिकार ही नहीं था कि वह इस प्रकार से लावारिस या किसी शव को उठाकर ले जाएं, इसलिए लाना पड़ा इसे। जगदीशचन्द्रजी ने कहा कि, साहब, नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसमें नोडल अधिकारी नियुक्त करने का प्रोविजन है। नोडल अधिकारी बनेगा, कोई प्राधिकृत अधिकारी बनेगा।

जहां तक सवाल प्रतिपक्ष के नेताजी का है तो वह तो मैं बता चुका हूं। हालत यह है। सेक्शन 4 में भी यह प्रावधान किया गया है कि निकट सम्बन्धियों के पहुंचने में अगर विलम्ब होता है और मेडिकल लीगल के आधार पर भी इंतजार करने की मांग की जाती है तो इसका प्रावधान इसमें आलरेडी है। यह नहीं है कि, साहब, उसको उठाकर वैसे ही कर दिया जाए।

अब आप यह देखें कि दिन-ब-दिन ये घटनाएं बढ़ी हैं। राज्य में मृत व्यक्ति के धरने और प्रदर्शन, खास तौर पर यह है कि 2014 में 17 घटनाएं घटीं, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 2015 में 15 घटनाएं घटीं, 4 प्रकरण दर्ज हुए। 2016 में 16 घटनाएं घटीं, 3 प्रकरण दर्ज हुए। 2017 में 17 घटनाएं घटीं, 14 प्रकरण दर्ज हुए। 2018 में 17 घटनाएं घटीं और 5 प्रकरण दर्ज हुए। इस प्रकार से उन पांच सालों में जहां आपका शासन था 82 घटनाएं घटी हैं। 2019 से लेकर 2023 तक 306 घटनाएं घट गयी हैं। यह घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगर यह कानून नहीं लाते तो और ज्यादा संख्या बढ़ जाती। दर्ज प्रकरण भी 91 हुए हैं, आपके टाइम पर तो सिर्फ 30 ही हुए थे और आज ये 91 हुए हैं। यह जो जिस प्रकार की आदत बन गयी है लोगों की कि शव को पटके रखो सात रोज, आठ रोज पटके रखो, नौकरी मांगो, पैसा मांगो, वह मांगो, यह मांगो, तो दिन-ब-दिन यह प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जहां तक लावारिस शव का, क्योंकि इस बिल के दो पार्ट हैं, एक तो अनक्लेम्ड बोडीज और एक परिवार में किसी की मौत। अनक्लेम्ड बोडीज की हालात यह है कि अभी तक वर्ष 2023 तक 3,216 ऐसी बोडीज पायी गयी हैं, अब उन बोडीज का क्या करें? क्या किया जाए? कोई अधिकार नहीं है पुलिस को आज तक। वह ठीक है +++ में जो है, आप भी +++, पुलिस भी +++।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मुझे एतराज है। इस +++ शब्द को बाहर निकालो, एक्सपंज करवाओ। हमारा शानदार इतिहास रहा है। हमारा कुर्बानियों का इतिहास रहा है। हां, हटवाइये।

श्री सभापति: यह +++ शब्द हटा दीजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप अपने नाम के आगे +++ नहीं लगाते? क्यों निकलवा रहे हो? कल से हमें सिर्फ राजेन्द्रजी ही कहना पड़ेगा आपको।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): धारीवाल साहब, +++ करवा दो इसको भी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): कौन +++ होगा, यह तो समय बतायेगा। +++ नहीं +++ होंगे।

श्री सभापति: यह +++ और +++ और +++, यह हटा देना। ये शब्द हटा देना, मैं तो यह बोल रहा हूं। ये शब्द हटा देना। हटा दिये गये हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो मोटे तौर पर जितने भी मेरे प्रतिपक्ष के साथी बोले हैं मैंने उन सबका जवाब देने की कोशिश की है और मेरा यह ख्याल है कि आप, जो मैंने जवाब दिया, उसके बीच में आपके अलावा और कोई बोला नहीं है, तो इसका मतलब आप संतुष्ट हैं।

मैं आपसे यह अपील करूंगा कि यह जो जनमत जानने के लिए जिस प्रकार से यह कागज रोज लिखकर दे देते हो, उसको विदड्रा करो।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

(स्वीकृत)

श्री सभापति: विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 25, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 25 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय, प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि 2001 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसके तहत यह कानून लाया गया है, क्योंकि unclaimed bodies का रिकार्ड और डी.एन.ए. profiling और digitalization के माध्यम से जेनेटिक डाटा सूचना का संरक्षण और सूचना की गोपनीयता के प्रावधान किये जाने की आवश्यकता थी, ताकि भविष्य में ऐसे

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मृत व्यक्तियों की पहचान हो सके। कोई लावारिस लाश है, उसका पता ही नहीं लगता था कि किसकी है, किसकी नहीं है। अगर उसका डी.एन.ए. टेस्ट हो जायेगा, उसका जेनेटिक डाटा वगैरह सब कुछ तैयार हो जायेगा और रिकार्ड रह जायेगा तो कभी न कभी उसके परिवार वाले ढूंढते हुए आयेंगे तो उनको पता लग जायेगा कि हां, साहब, यह हमारे घर का आदमी है। उनके परिवार का यह आदमी है। इसीलिए यह सब कुछ काम किया गया है। एक पार्ट तो इसका यह है।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान एनोटॉमी एक्ट, 1986 बना हुआ है, जिसमें अनक्लेम्ड बॉडीज को मेडिकल कालेज में भेज दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स उसके बारे में काफी कुछ सीख सकें। अनक्लेम्ड बॉडीज के रिकार्ड के संधारण और विशेष रूप से प्रावधान इसीलिए किये गये हैं, वजह यह है कि अनक्लेम्ड बॉडीज को अस्पताल में रखने और उनकी पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने तथा जैविक नमूने और वांशिक डाटा वेबसाइट के माध्यम से संधारित करने, डी.एन.ए. प्रोफाइल बनाने आदि का प्रावधान किया गया है, ताकि परिजनों के द्वारा पहचान की जा सके। जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति इस डाटा को प्रकट करता है या मृत व्यक्ति की पहचान को उजागर कर देता है तो उसे न्यूनतम सज़ा का भी प्रावधान रखा गया है।

जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि उनके क्षेत्र में कई बार मृत व्यक्ति के परिजन, संयम लोढ़ा साहब, जैसा मैंने आपको बताया, यह बात आपने कही थी इसलिए बता रहा हूं, मृत व्यक्ति के परिजन व अन्य लोग डैड बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन करते हैं और डैड बॉडी को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पेशल एक्ट नहीं था अब तक, न ही किसी एक्ट में यह प्रोविजन है। इस प्रकार की घटनाओं में दिनों-दिन वृद्धि होती जा रही है, उसी के कारण यह बिल लाया गया।

माननीय सभापति महोदय, यह भी देखने में आया है कि डैड बॉडी के साथ प्रदर्शन करके गैर वाजिब बातों को मनवाये जाने के लिए दबाव डाला जाता है, जबकि हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

देती है कि दिवंगत व्यक्ति की देह का तिरस्कार हो। हमारी संस्कृति इस बात की इजाजत नहीं देती है, तो संस्कृति को कायम रखने के लिए ही इस प्रकार का कानून लाया गया है। यह आवश्यक भी हो गया था कि इस प्रकार का कानून बनाया जाए।

इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके समुदाय, धर्म की परम्परा और रूढ़ि के अनुसार ही किया जायेगा।

पुलिस प्रशासन के द्वारा परिजन को मृतक का शरीर सौंपा जाए, वह उसे प्राप्त करे एवं अविलम्ब उसका अंतिम संस्कार करे। मृतक के शरीर का प्रयोग remonstration के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर परिजन, किसी व्यक्ति के द्वारा remonstration के लिए उपयोग की सूचना मिलती है तो थानाधिकारी व्यक्ति के शरीर को अपने कब्जे में लेगा और सूचना कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को देगा। परिजन अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो नोडल आफिसर जो भी बनेगा, अथोराइज्ड आफिसर, उसके द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया जायेगा। परिजन द्वारा मृत शरीर का कब्जा नहीं लिया जाता है तो एक वर्ष की सज़ा दी गयी है। मृत शरीर का उपयोग धरना प्रदर्शन के लिए करता है तो दो वर्ष की सज़ा है। ये सब सजाएं इसीलिए रखी गयी हैं कि जिस प्रकार का लोगों ने धंधा बना रखा है और दबाव डाल कर जिस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, उस पर रोक लगे और परिजन भी धरने -प्रदर्शन की इजाजत नहीं दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023.

विधेयक पर विचार

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

इस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया है कि राज्य सरकार और नेतृत्व विकास संस्थान, जयपुर और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन के अवसान और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड द्वारा वित्तीय दायित्व को पूरा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने प्रबन्ध बोर्ड की संरचना और विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करने का विनिश्चय किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम अब इस अधिनियम की प्रारम्भ की तारीख से विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर होगा।

माननीय सभापति महोदय, कहीं स्किल का नाम आ जाए, कौशल का नाम आ जाए, हुनर का सवाल का आए, हुनर की चर्चा आ जाए तो निश्चित तौर पर उसके साथ विश्वकर्मा जुड़ ही जाता है। भगवान विश्वकर्मा इस धरती पर, कहें तो, पहले शिल्पकार, पहले आर्किटेक्ट, पहले इंजीनियर कहे गये हैं। आज भी हुनरमंद हाथ प्रत्येक व्यक्ति जो अलग-अलग कौशल रखता है वह हमेशा अपना काम शुरू करने से पहले विश्वकर्माजी का पूजन करता है, अर्चन करता है और आज का जमाना, स्किल इण्डिया की बात देश के यशस्वी प्रधान मंत्रीजी भी करते हैं। यह स्किल की ही ताकत है कि आज के जमाने में बेरोजगारों को रोजगार देने में सबसे बड़ी यदि कोई ताकत है तो यह कौशल विकास ही है।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल के कठिन समय में जब सब लोग अपने-अपने स्थानों से घर लौटने को तैयार थे, कोई इस प्रदेश से उस प्रदेश में और उस प्रदेश से इस प्रदेश में, ऐसे समय में मैं नोखा का एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा। कम से कम 21 हजार से ज्यादा लोग दूसरे प्रदेशों से नोखा में आये। 16 हजार लोगों से मैंने खुद ने बात की। उन 16 हजार लोगों में से लगभग शत-प्रतिशत लोग, नौजवान पीढ़ी के लोग नोखा में आये। पता चला कि ये हैदराबाद में क्यों थे, मुम्बई में क्यों थे, तेलंगाना में क्यों थे, ये कर्नाटक में क्यों थे? कोई इंटीरियर के काम में, कोई मार्बल व्यवसाय में, बारहवीं पढ़े हुए, ग्रेजुएशन किये हुए नौजवान हजारों की संख्या में हैं। अगर यह स्किल नहीं होती और पुरखों ने इसको सहेजकर नहीं रखा होता, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद उन पर नहीं होता तो ये किसी सरकार के लिए, चाहे प्रदेश की हो, चाहे केन्द्र की हो, उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि हजारों-हजार हाथों को रोजगार दे पाते।

माननीय सभापति महोदय, इंटीरियर के क्षेत्र में मेरे नोखा की उसमें बहुत बड़ी काबिलियत है। अब देश की नई संसद बनी है और नई संसद में भी हमारे नोखा के नरसी ग्रुप ने और नरसीजी की टीम ने, हजारों हुनरमंद लोगों के हाथों ने नई पार्लियामेंट बनाने का काम किया। इसमें नोखा का नाम गौरव के साथ लिखा जायेगा। इसलिये इसमें यह जो प्रावधान लेकर आये हैं नाम बदलने का, तो निश्चित तौर पर जब वित्तीय फाइनेंस, वित्त निगम नहीं कर रहा, सरकार को ही करना है, तो निश्चित रूप से विश्वकर्मा जी का नाम इसके साथ जुड़े तो यह और प्रगति की बात होगी। कौशल विकास के जितने प्रावधान, यह तो खाली यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का और कुलपति को हटाने की और भी सारे नियम और प्रक्रियाएं लेकर आये हैं, तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबका मान-सम्मान इस बिल में है। मेरा जनमत जानने का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को मैं वापस लेता हूं। इसमें नाम बदलने का प्रस्ताव है, प्रस्ताव पारित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित),

श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित),

श्री अमृतलाल मीणा (अनुपस्थित),

श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित),

श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित),

श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित),

(श्री सभापति)

श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)।

श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सरकार राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर का नाम परिवर्तन और संशोधन विधेयक लेकर आयी है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा हूं कि वायदे तो हमसे बहुत किये गये, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो जरा इस मौके पर हमको यह तो बताओ कि इस यूनिवर्सिटी की यह दुर्दशा क्यों हुई? यह आई.एल.डी. जयपुर और आई.एफ.सी.आई. इन दोनों के सहयोग से आपने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। क्या तो इसकी पृष्ठभूमि थी? किसको कितना धन लगाना था और अब आप कह रहे हैं कि IFCI से जो MOU किया था, उसमें धन उपलब्ध कराने में विफल हो गयी। आप इस सदन में विधिवत, जब एक यूनिवर्सिटी का स्वरूप स्टेट फण्ड से इसको देने जा रहे हो तो मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि पिछले छह साल की पृष्ठभूमि कौशल विश्वविद्यालय की जो है, वह सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने जरूर रखें।

माननीय सभापति महोदय, अब चूंकि यह फण्ड अब वह अवेलेबल नहीं करा रहे हैं तो यह तो ठीक ही है कि उसका नाम आई.एल.डी. का हटा दो कौशल विश्वविद्यालय से और आप विश्वकर्मा जी के नाम पर यह नामकरण कर रहे हो, इसका तो मैं स्वागत करता हूं। माननीय सभापति महोदय, लेकिन समझ में यह नहीं आया कि जब 2017 में इसको फोर्म्ड किया था तो कुलपति की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया रखी गयी थी? किस प्रक्रिया से इसमें नियुक्ति कुलपति की हुई, किस प्रक्रिया से बने? क्योंकि पिछले चार-पांच साल में वापस जब इस सदन में आये हैं तो हमें कभी यह जानने का अवसर नहीं मिला और जो-जो कौशल का काम चलाते हैं, राज्य भर में स्किल का, पढ़ाने का, प्रशिक्षण का, मैंने इस यूनिवर्सिटी की, इस कौशल विश्वविद्यालय की किसी टीम को कभी किसी जगह आकर निरीक्षण करते हुए नहीं देखा या जानकारी लेते हुए नहीं देखा। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी यह भी बताएं कि इन छह सालों में कितनी जगह तो इस कौशल विश्वविद्यालय ने निरीक्षण किये? प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनी रहे, स्टैण्डर्ड बना रहे, यह कब-कब इसने जांचने का प्रयास किया? जो आपने संशोधन प्रस्तावित किये हैं, उससे तो यह पता चलता है कि अब तक इस कौशल

(श्री संयम लोढ़ा)

विश्वविद्यालय को निरीक्षण का कोई अधिकार ही नहीं था। आप सेक्शन 7 में यह प्रोविजन लेकर आये हैं कि यह कौशल विश्वविद्यालय सम्बद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा, संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्रशिक्षण के स्तर की जांच कर सकेगा। अब आपने इस अमेंडमेंट के जरिये यह प्रावधान किया है। इससे पहले ये छह साल क्या करते रहे? वाइस चांसलर की नियुक्ति का कोई प्रोसेस नहीं था। अब आप यह अमेंडमेंट लाये हैं कि कुलपति की पूर्णकालिक नियुक्ति होगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य प्लीज, स्पीकर को बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। आप सुनिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं भी आपकी इस महत्वपूर्ण बहस में शामिल होना चाहता हूं।

श्री सभापति: सुनिये प्लीज। आप बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अब यह प्रोविजन किया है कि यू.जी.सी. के मानदण्ड फोलो होंगे और उसकी पात्रता और प्रक्रिया अब इस एक्ट के अमेंडमेंट के जरिये निर्धारित की गयी है। यह प्रावधान किया है कि 10 वर्ष के अनुभव के बाद का प्रोफेसर होना चाहिये। बाकायदा सर्च कमेटी का भी इसमें प्रोविजन किया है कि सर्च कमेटी के जरिये नियुक्ति होगी। यह जो खोजबीन समिति बनायी है, इसमें यू.जी.सी. का नोमिनी होगा, एक स्टेट का नोमिनी होगा, एक बोर्ड का नोमिनी होगा, एक चांसलर का नोमिनी होगा। अब तक यह कौशल विश्वविद्यालय वाले किस तरह से कुलपति का चयन कर रहे थे? यह भी एक बड़ा जटिल समझने लायक प्रश्न हम लोगों के सामने हो गया। अब इस एक्ट में आपने कुलपति को भी हटाये जाने का प्रावधान किया है। मैं सुबह कभी-कभी खासाकोठी जाता हूं घूमने, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर भी साथ होते हैं। मुझे वहां पर एक बोर्ड कौशल विश्वविद्यालय का लगा हुआ जरूर दिखता है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ कमरों में वहां से यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। सात साल में, माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिवाय एफिलिएशन के इस यूनिवर्सिटी ने कोई काम नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, कुछ संशोधन इन्होंने किये हैं। पहले तो रिटायर्ड अधिकारी इसमें वाइस चांसलर लगते रहे, क्योंकि कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। अब आपने प्रक्रिया निर्धारित की है, तो इसके लिए तो

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपको धन्यवाद देता हूं और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के लिए भी पहले आपने यह प्रोविजन कर रखा था कि सीनियर RAS भी इसमें लग सकता है, IAS भी इसमें लग सकता है, इसमें भी आपने संशोधन कर दिया और इस संस्थान को IAS से मुक्त कर दिया। अब आपने RAS का प्रोविजन कर दिया है। हमारे मंत्रीजी चांदना साहब बहुत काबिल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स में इन्होंने काफी अच्छे रिफोर्म्स किये हैं। मैं चाहूंगा कि सदन के माध्यम से इस बिल के माध्यम से राजस्थान को यह जानकारी जरूर मिलनी चाहिये कि यह 6 साल का क्या गड़बड़झाला रहा है और किस तरीके से इस स्थिति तक पहुंचा है कि स्टेट को इसको आन करना पड़ा है। वह जो आपके स्पोंसर थे, साथ में जो इसके प्रायोजक थे, वह क्यों भाग गये? सदन के माध्यम से लोगों की जानकारी में बात लायेंगे तो आपका आभारी रहूंगा। मैंने यह जो प्रस्ताव दिया है जनमत जानने का, माननीय सभापति महोदय, मैं इसको वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा (अनुपस्थित),

श्रीमती संतोष (अनुपस्थित),

श्री अविनाश (अनुपस्थित),

श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। मंत्री महोदय।

राजेन्द्र राठौड़ जी। उनको बुलाइए, वे बोलना चाहें तो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह लगातार गैर-जिम्मेदाराना, लापरवाही देख रहे हैं। आप इनको प्रताड़ित करिए। इनको आसन से प्रताड़ित करिए। आप अपनी जगह पर नहीं होते हैं। हमारे जैसे नये लोग क्या सीखेंगे? हम तो आपसे सीखने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: राजेन्द्र जी, आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): यह बात सही है कि संयोग कुछ ऐसा बैठा। मैं लगातार सुबह से आकर बैठता हूं, पर जब मैंने देखा कि इस बिल पर बहस प्रारम्भ हो रही है और मेरा नाम सोलहवें नम्बर पर है तो मैं सोच रहा था और बीच में जब नाम सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य का देखा, मैं सोच रहा था कि विश्वविद्यालय पर ये अपने गम्भीर रूप से चिंतन करेंगे, गंभीर रूप से कुछ बात कहेंगे, पर मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ये भी पढ़-लिखकर नहीं आते। एक बिल को पकड़ कर, बिल के टाइटल के आधार पर चार बातें इधर-उधर की कह जाते हैं। मेरा आज भ्रम टूट गया। आइंदा मैं देखूंगा। आज मुझे मालूम पड़ गया कि आइंदा आप खड़े होंगे तो आप चार सैकण्ड-दस सैकण्ड से ज्यादा बोलते नहीं हो, मैं तुरन्त आ जाऊंगा। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): आप हमारी गम्भीरता पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा रहे हो। अनुपस्थिति में नाम किसके थे, यह तो बता दीजिए।

श्री सभापति: बोलिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन चर्चा कर रहा है।

सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा था कि इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह लिखा है कि राज्य सरकार लीडरशिप डवलपमेंट संस्थान, जयपुर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के मध्य 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान के दरमियान एक एम.ओ.यू. हुआ था।

सभापति महोदय, मैं उस समय भी था जब यह एम.ओ.यू. हुआ, उस समय दुनिया में चर्चा चली कि इस देश के अंदर पहली स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान में आ रही है। जो इसका मूल एक्ट है वह 2017 का है। 2017 से जो विश्वविद्यालय आकार ले ले, सबसे पहले मंत्री महोदय मैं जानना चाहूंगा कि यह जो एम.ओ.यू. है, जिसके अंदर इस संस्था ने अपने वित्तीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, यह एम.ओ.यू. क्या था? इस संस्था ने अपने एम.ओ.यू. की शर्तों के अनुसार अपना फाइनेंशियल आब्लिगेशन कब बंद किया और कब आपने यह निर्णय लिया कि अब इस संस्था का नाम भी बदलेंगे? इसके बोर्ड आफ मैनेजमेंट को तो निश्चित तौर पर बदला ही जाना चाहिए। इसके आर्डिनेंस को भी बदलेंगे।

सभापति महोदय, यह जो राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय का अधिनियम, 2017 है, इसके सेक्शन 35ए में, 35बी में, 40ए और 40बी में और 40सी को री-राइट करके एक नई उप धारा इन्सर्ट करने के लिए संशोधन लेकर आये हैं। उसके पीछे सरकार कुछ आर्डिनेंसेज बदलना चाहती है। कुछ ट्रांजिटरी प्रोविजंस को बदलना चाहती है।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 1 की उप धारा 1 जिसमें राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय को हटाकर अभिव्यक्ति विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय प्रतिस्थापित करने का जो संशोधन लेकर आये हैं, इसमें उन्होंने कारण बताया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। धारा 1 की उप धारा 1 में लिखा है कि लोंग टाइटल हो गया। लम्बा नाम हो गया, इसलिए यह सदन के अंदर एक छोटे टाइटल के लिए भगवान विश्वकर्मा का नाम आगे इसके अंदर लिख रहे हैं।

मंत्री महोदय, यह देवी-देवताओं का देश है। 33 करोड़ देवी-देवताओं को हम मानते हैं। ऋग्वेद के अंदर इस बात का वर्णन है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी के पुत्र शिल्प शास्त्र के आदि पुरुष वास्तुदेव जी थे। वास्तुदेव जी के पुत्र भगवान विश्वकर्मा थे। आप उनके नाम को सिर्फ इसलिए इन्सर्ट कर रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि पहले विश्वविद्यालय का नाम एक लोंग टाइटल था।

मैं समझता हूं कि यह भावनाओं का मामला है। हमें भगवान के नाम को, अगर आप यह कहते, हम इस नाम को लेकर उद्देश्य और कारणों के कथन में कहते या सैक्शन 1 के सैक्शन बी में जो आपने कहा, उसमें आप यह कहते कि भगवान विश्वकर्मा शिल्प कला के अंदर, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर उनकी मान्यताएं, उनकी परम्पराएं, उनकी पूजा करते हैं लोग, इसलिए नाम जोड़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता। मैं समझता हूं कि जैसा आपने सैक्शन 2 और 3 में कहा, इस प्रकार का कृत्य, यह एक तरह से जाने-अनजाने, यह धार्मिक भावनाओं का देश है, यह आप अपमान करने की जो बात कर रहे हो, वह नहीं करनी चाहिए।

जिस तरह मैंने कहा कि लीडरशिप डवलपमेंट संस्था, जयपुर और इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कारपोरेशन इंडिया के मध्य 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान के दरमियान जो एम.ओ.यू. हुआ था, उस एम.ओ.यू. में जो अलग-अलग आब्लिगेशंस थे, उनकी पालना किस जगह और क्यों नहीं हुई?

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा हमारे उन लोगों को तैयार करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत से अति बुद्धिमता के नाम पर आगे बढ़ते हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हमारा उच्च शिक्षा का तंत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंत्र है। हमसे आगे अमेरिका और चीन है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी को, अब तक उच्च शिक्षा के अंदर विश्वविद्यालयों के लिए, उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान 2023-24 में हुआ, 1 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ। हमारी नई शिक्षा नीति भी आई। उसका भी एक उद्देश्य था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2017 के बाद जो स्थिति इस विश्वविद्यालय की रही, मंत्री महोदय, उस पर भी निश्चित तौर पर आपको गौर करना चाहिए। फाइनेंशियल आब्लिगेशंस किसी ने नहीं किया, हम उस नये आर्डिनेंस के लिए, नये नामकरण के साथ एक संशोधन विधेयक लेकर आ गये। निश्चित तौर पर आना ही चाहिए। मैं उस पर कोई एतराज भी नहीं करता। लेकिन क्या कारण है कि आज इस विश्वविद्यालय से मात्र 3 हजार विद्यार्थी जुड़े हुए हैं? पिछले 3 सत्रों में परीक्षाएं ही समय पर नहीं हुईं। विद्यार्थियों के एडमिशन समय पर नहीं हुए। इस आईएल.डी. के साथ पिछले 2 सत्रों से जिन कालेजों का एफिलिएशन होना चाहिए था, 3 सत्र पहले 150 कालेज एफिलिएशन के लिए आवेदन कर रहे थे, आज उनमें से आधे भाग खड़े हुए। आज 75 रह गये।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज जब बिना सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रमोट किये जाते हैं, बिना परीक्षा के प्रमोट किये जाते हैं तो आज जो यह चर्चा सदन में हो रही है, निश्चित तौर पर इस बात का मंथन और चिंतन भी होना चाहिए कि विश्वविद्यालय खोलते हैं, हमारे समय में भी खोले गये और आपने तो कमाल ही कर दिया, इस सदन के अंदर कोई ऐसा सत्र नहीं रहा जब निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में आधा दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालयों के एक्ट हमने पारित नहीं किये हों। लेकिन क्या इन विश्वविद्यालयों के लिए विश्व मानक की बात, इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन कई जगह विश्व मानक की बात करते हैं। क्या हमारे पास फैकल्टी है? क्या इन विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार के शोध हो रहे हैं? क्या उस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन के लिए यू.जी.सी. की ग्रांट के अनुसार हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं?

सभापति महोदय, अभी राजस्थान में 92 रिकार्ड विश्वविद्यालय हैं। 92 में से 'नैक' जो यह सर्टिफाइड करता है कि यू.जी.सी. के मापदंडों के अनुसार आधारभूत संरचनाएं विश्वविद्यालयों के पास हैं या नहीं हैं? मानव संसाधन हैं या नहीं हैं? शोध और शोध पत्रों का प्रकाशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? 'नैक' इन बातों को लेकर मान्यताएं देता है। 'नैक' में सरकारी क्षेत्र में 28 में से एक, वह भी महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर है। यह जो 92 हैं, इनमें निजी विश्वविद्यालय भी हैं, इनमें 22 विश्वविद्यालय 'नैक' से मान्यता प्राप्त हैं। 17 प्राइवेट और 4 डीम्ड। यह विश्वविद्यालय भी 'नैक' से मान्यता प्राप्त नहीं कर पाया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, जब एम.ओ.यू. करके, मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि चाहे सरकार आपकी हो चाहे हमारी हो, रिसर्जेंट राजस्थान हमने चलाया, आपने इंडस्ट्रियल समिट चलाई, हमारे वहां उस समय 3 लाख 40 करोड़ के एम.ओ.यू. हुए, आप तो 11 लाख को पार कर गये। संस्थाएं आती हैं। संस्थाएं हस्ताक्षर करती हैं, लेकिन फाइनेंशियल आब्लिगेशन के बाद ये संस्थाएं चली जाती हैं, तो कम से कम इस सदन के माध्यम से इन संस्थाओं के बारे में पता लगना चाहिए।

मंत्री महोदय, आप बड़े नौजवान हो, अच्छा जवाब देते हो, लेकिन पीछे जो घोषणाएं आपके डिपार्टमेंट के आधार पर की गई थीं, वे कहां खड़ी हैं? यह जो 2020-21 में आपने संकल्प लिया था, अलग-अलग बजट के अंदर संकल्प, सातवां संकल्प था, कौशल एवं तकनीकी प्रधान, उसके पैरा 161 में आपने बजट में कहा, राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इसी स्किल यूनिवर्सिटी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, स्किल यूनिवर्सिटी के सहयोग से इमर्जिंग न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, ऑनलाइन डिजिटल स्कूल कोर्स, एक भी चालू किया? मैं समझता हूं कि हम यहां बात करके और मेजें थपथपा कर चले जाएं, सत्ता पक्ष के लोग अपने मंत्रीगण के भाषण पर मेजें थपथपाएं, हम छोटी-मोटी बात कहें तो उसको दरकिनार करके चले जाएं, लेकिन कम से कम इस बात का आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों ही होना चाहिए।

वर्ष 2023-24 में आपने स्किल पर्सनलिटी डवलपमेंट के लिए नई युवा नीति, 500 करोड़ से युवा कल्याण कोष और 200 करोड़ रुपये कौशल प्रशिक्षण रोजगार के लिए, जरूर आपने योजनाएं बनाई होंगी, मुझे अच्छा लगेगा, यदि आप सदन को बताएंगे तो, पर ये 2020-21 और 2023-24 की घोषणाओं का क्या हुआ?

अब आप इसके अंदर जो संशोधन लेकर आये हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। मूल अधिनियम, 2017 में धारा 7 के खण्ड (ए) में उसके साथ (एए) जोड़ रहे हैं। उसमें विश्वविद्यालय को निरीक्षण का अधिकार दे रहे हैं, कोई एतराज नहीं, आप निरीक्षण का अधिकार तो ले रहे हो, पर निरीक्षण के अधिकार से पहले विश्वविद्यालय, जो आज एग्जिस्टेंस में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है पुराना, नया विश्वविद्यालय होता तो मैं बात नहीं करता, अब यह तो मालूम करो कि जिन महाविद्यालयों के निरीक्षण के लिए अधिकार ले रहे हो अमेंडमेंट के माध्यम से, विश्वविद्यालय, उनको एफिलिएशन तो दे दिया क्या? कितने एफिलिएशन के लिए स्किल यूनिवर्सिटी है? स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर वे ही संस्थाएं, वे ही महाविद्यालय, तो स्किल एजुकेशन के अंदर अपने कोर्स को संचालित करते हैं, एफिलिएशन उन्हीं का होता है, उन्हीं के द्वारा दी गई परीक्षा के बाद में उनकी डिग्री की मान्यता के लिए एफिलिएशन जरूरी है। इस पर जरूर निश्चित तौर पर आप ध्यान दें तो जरा ठीक होगा। इसके अंदर कहीं हम फिर पिछले दरवाजे से इंस्पेक्टर राज तो नहीं ला रहे हैं?

माननीय मंत्रीजी, आप मुलाहिजा फरमाएं। 2017 में जो मूल एक्ट है, उसकी धारा 22 में पहले से कुलपति को अधिकार है कि उसको शिकायत मिली तो जांच करा सकते हैं। धारा 16 की उप धारा 5 में जो आप संशोधन लेकर आये हैं, शब्द 'each' और 'faculty' के मध्य में 'subject or group of subjects pertaining to the...' ये शब्द जोड़ रहे हैं। यानी 2017 की धारा 5 में मैं जो समझा हूं, I wanted to be wrong. क्योंकि मैंने रात को ही इसको पढ़ा है। जो प्रत्येक फैकल्टी में एक डीन हो, board of studies का यह तो हमने देखा है, पर group of subjects में इस संशोधन के माध्यम से आप किसको स्थापित और पदस्थापित करना चाहते हो, क्या लेकर आये हो, यह मेरे समझ के परे है।

सभापति महोदय, हम सोशल साइसेंज की बात करें, सोशल साइसेंस, इसकी फैकल्टी का डीन तो मैंने देखा है, पर सोशल साइसेंज की ब्रांचेज हैं, सोशियोलॉजी हो गई, पोलिटिकल साइंस हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, क्या आपका इरादा सब जगह एक-एक डीन को पदस्थापित करने का है? अगर है तो क्या हमारे पास आज की तारीख में, क्योंकि यू.जी.सी. ने डीन के लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन तय कर रखी है, हम कई बार लोक लुभावने प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं, क्या हमारे पास आज अगर आप इस संशोधन को, आपके पास ब्रूटल मेजोरिटी है, आप पास कर लोगे तो हमारे पास फैकल्टी है क्या? आपके पास आज के समय में जो असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर से नीचे तो डीन बन नहीं सकता, क्या उनको आप इतने कम समय में प्रमोट कर दोगे? इसके बारे में निश्चित तौर पर बताएं। जहां तक मैंने जानकारी की है, मुझे बताया गया है कि 62 प्रतिशत फैकल्टी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खाली पड़ी है आपकी, हो सकता है, कम हो, ज्यादा हो, मैंने तो एक समाचार पत्र में एक समाचार लिखा हुआ पढ़ा है, बहुत पहले आया था, उसके अनुसार मैं कह रहा हूं, तो यह भी जरा आप मुझे बता दें।

मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सेक्शन 17 के अंदर पहले कुलपति की योग्यता का निर्धारण नहीं था, आपने यू.जी.सी. के मापदंड के अनुसार उसमें कुलपति की योग्यता के बारे में अर्हताएं तय की हैं, पर सेक्शन 21(1) में कुलपति की जो सलेक्शन कमेटी थी, उसकी जगह पर सर्च कमेटी का प्रस्ताव लेकर आये हैं और सर्च कमेटी में आप राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, कोई परिभाषित नहीं किया गया है, राज्य सरकार मुझे नामित कर दे, माननीय सभापति महोदय, मैं क्या जानूं, काला अक्षर भैंस बराबर, कह दूंगा कि यही ठीक है, तो कम से कम इस प्रकार के संशोधन के माध्यम से इस बात का हमें विचार करना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कौन होगा, इसको डिफाइन कर देते तो निश्चित तौर पर बात ठीक होती।

सेक्शन 21(1) के अंदर जो धारा आप जोड़ रहे हो, कुलपति को हटाने का व्यापक अधिकार ले रहे हो, मैं समझता हूं कि हम इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्त होने की बात कह रहे हैं। इस विश्वविद्यालय ने इस राजस्थान विधान सभा को कई मंत्री दिये हैं। एक मंत्री तो मेरे सामने विराजे हैं। एक मंत्रीजी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको आपने उतार दिया, यह दूसरी बात है, पर हमने हमेशा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की बात कही है। विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी की बात कही, सरकार को व्यापक अधिकार दे दोगे, सरकार विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को ताश के पत्तों की तरह बदलती चली जाएगी तो हम उच्चतम शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए, माननीय मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें, ताकि सारे बातें सामने आ जाएं और हमने जो आज बात कही है, यदि यह दो दिन पहले, चार दिन पहले सर्कुलेट हो जाता तो हम इसको और ज्यादा पढ़कर आते, मेरी निजी जानकारी में जो बातें थीं, मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): सम्मानित सभापति महोदय, सदन के साथियों ने इस अमेंडमेंट के ऊपर, नाम के बदलाव के ऊपर

(श्री अशोक)

अपने-अपने विचार रखे। उन विचारों में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य, बिहारीलालजी ने कहा, उनकी बात के अंदर हालांकि उन्होंने पूरे बिल का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि कोरोना काल का पलायन और उस पलायन में उनके इलाके में आये हुए लोग, उन लोगों के साथ की हुई चर्चा, उसके ऊपर तो उन्होंने अपने विचार साझा किये, लेकिन उन पलायन करने वाले लोगों को कोरोना काल में पूरे देश में जो पीड़ा हुई, शायद उसका उल्लेख करना वे भूल गये। मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज के विषय का हिस्सा नहीं है। देश के करोड़ों मजदूरों, करोड़ों काम करने वाले लोगों को प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा केन्द्र सरकार के अचानक लॉकडाउन लगाने से और उसमें कैसी-कैसी पीड़ा उन्होंने भुगती, लेकिन आपने समर्थन किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सदस्य, संयम लोढ़ाजी ने सवाल उठाया कि स्किल यूनिवर्सिटी की दुर्दशा क्यों? निरीक्षण के इनको पूर्व में, अभी जो अधिकार दे रहे हैं तो पूर्व में क्यों नहीं थे और पूर्व में क्या प्रक्रिया निर्धारित थी? जैसा कि माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी बताया, एम.ओ.यू. राजस्थान सरकार और Institute of Leadership Development, Jaipur संस्था के बीच में और Industrial Finance Corporation of India (IFCI Ltd) के बीच में रिसर्जेंट राजस्थान, 2015 में एम.ओ.यू. हुआ है। हालांकि जनता के तो वह डिटर्जेंट राजस्थान समझ में आया तो उन लोगों को धोकर साफ कर दिया, क्योंकि उसका रिजल्ट आया नहीं। उसका नहीं रिजल्ट आना ही इस यूनिवर्सिटी की 6 साल की दुर्दशा का कारण है। उस दुर्दशा के कारण से ही हमें नियमों में ये नये संशोधन लाने पड़े। यदि नियमों में ये संशोधन नहीं आते तो राजस्थान के युवाओं के साथ में धोखा, जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया, उन्हें सपना दिखाकर, उनके सपनों को खोखला छोड़कर चले गये, वे अगर, ये नियम नहीं आते तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं के साथ में धोखा होता। 2017 में एक्ट बना, आप देखिए, बोर्ड आफ मैम्बर्स के अंदर, 11 मैम्बर आई.एन.डी. जिनके साथ में पूर्ववर्ती सरकार का एम.ओ.यू. हुआ, उनके 11 मैम्बर बोर्ड आफ मैम्बर्स में थे। उसके बाद में उन्हें लागत लगाकर यूनिवर्सिटी बनानी थी, वे उसके बाद कभी भी दिखे नहीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यह कहना है कि बड़े-बड़े नेता, जो यह पूछते हैं कि दुर्दशा क्यों हैं, उनको सोच लेना चाहिए कि बिना नियम

(श्री अशोक)

के यदि किसी निजी संस्था के किसी यूनिवर्सिटी में 11-11 बोर्ड आफ मैम्बर बैठे रहेंगे तो उसके पीछे क्या मंशा रही होगी? हालांकि अब हम उसको बदलने का काम कर रहे हैं और वह मंशा ही इस स्किल यूनिवर्सिटी की 6 साल की दुर्दशा का कारण है। उसमें ये 38 कालेजज अभी एफिलिएटेड हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने एक बात कही कि पूर्व में भी शिकायत के ऊपर निरीक्षण का अधिकार तो है, लेकिन रूटीन निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है। मतलब यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आप निरीक्षण कीजिए, वरना आपको अधिकार नहीं है। पाठ्यक्रम क्या चल रहा है, उनकी परफोर्मेंस क्या हो रही है, क्वालिटी आफ स्किल क्या दी जा रही है, निरंतर उसका परीक्षण हो, इस बिल के अंदर हम नया प्रावधान लेकर आये हैं।

साथ में, नेता, प्रतिपक्ष ने कहा, एक बहुत विचित्र बात, हालांकि हम तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं इनके सामने और दूसरी बार के विधायक हैं, हम तो इनसे सीखते हैं। दस साल से देख रहा हूं इन्हें, दस साल से ये विधान सभा में करीब-करीब अपना पूरा औरा चलाते हैं और इस आधी विधान सभा को ये ही चलाते हैं। इन्होंने सदन को एक गुमराह करने वाली बात कही कि कुलपति को हटाने के लिए सरकार ने पावर अपने हाथ में ली, जबकि नियम साफ-साफ कहता है कि यदि कुलपति ने कोई ऐसा कृत्या किया हो, जिससे उन्हें अपने पद पर शोभित होने का अधिकार नहीं है, तो केवल गवर्नर को ही अधिकार है कि वे उन्हें नोटिस देकर सरकार के संज्ञान में डालते हुए और सरकार से चर्चा करते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई करें। यह अधिकार सरकार के पास नहीं, महामहिम गवर्नर, जो कि चांसलर आफ आल द यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अधीन है।

साथ ही साथ, उन्होंने एक बात और कही कि जो पद खाली रहे और जो पद खाली हैं, उनका क्या? हम 40 (बी) में नियम लेकर आये हैं, जिसके अन्दर सम्माननीय महामहिम चांसलर के संज्ञान में लाकर उन पदों को भरा जा सकता है। तत्पश्चात् अगली बार जब भी बोर्ड आफ मैम्बर्स की मीटिंग हो, उनसे केवल अनुमोदन कराने की जरूरत है, लेकिन समस्त पद वी.सी. को चांसलर महोदय से परमिशन लेकर भरने का अधिकार है। वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं।

कुछ और बातें माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहीं, युवाओं पर बजट

(श्री अशोक)

आया, आपने 500 करोड़ की घोषणा की, उसमें क्या काम हो रहे हैं? हालांकि मार्च में बजट का एंड हुआ तो अप्रैल, मई, जून तीन महीने का समय हमें मिला। आपको शायद याद होगा कि 100 मेगा जॉब फेयर्स का माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवाओं को तोहफा दिया। उसमें से 14 मेगा जॉब फेयर्स पूरे हो गये हैं और अगले महीने में चार से पांच मेगा जॉब फेयर होने जा रहे हैं। हर महीने जिला स्तर और सम्भाग स्तर के कम से कम चार से पांच मेगा जॉब फेयर्स होंगे। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि 13 से 14 मेगा जॉब फेयर्स में प्रदेश के 40 हजार युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में आन द स्पाट जाइनिंग दी गयी है और तकरीबन 40-50 हजार युवाओं को फर्दर इंटरव्यूज के लिए शोर्ट लिस्ट कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि आज से पूर्व किसी भी सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए इस प्रकार का काम नहीं किया।

साथ ही साथ, बहुत जल्दी, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स एक नया आइडिया है, आज से पूर्व में किसी सरकार ने सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे यहां स्किल्स तो दे देते हैं, चूंकि हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि अलग-अलग भाषाओं से लोग आते हैं, वे हायर एजुकेशन भी ले लेते हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी ले लेते हैं, लेकिन जब वे हमारे स्किल डवलपमेंट के प्रयासों से, खुद की मेहनत से किसी नौकरी को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी कभी-कभी भाषा की समस्या आ जाती है। डिसिप्लिन और बिहेवियर के सम्बन्ध में उन्हें बहुत जल्दी नौकरी से वापस निकाल दिया जाता है।

सॉफ्ट स्किल्स एक मात्र ऐसा टूल है, जिससे राजस्थान के युवाओं को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और आने वाले समय में न केवल नौकरी पाना, बल्कि उसके बाद उसमें बैटर परफोर्म करना, उसका रिपोर्ट कार्ड अपने सीनियर्स को देना और समय से प्रमोशंस को पाना, इस प्रकार की गतिविधियां उन्हें आगे भी नौकरी लग जाने के बाद भी काम आने वाली हैं। ये सब सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से ही सम्भव है। बहुत जल्दी इसका भी, चाहे आई.टी.आई. के स्टूडेंट्स ने, चाहे हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आर.एस.एल.डी.सी. के जो स्किल के प्रोग्राम ले रहे हैं, वे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जल्दी ही सॉफ्ट स्किल्स का प्रोग्राम दिया जायेगा। यह मैं नेता, प्रतिपक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

(श्री अशोक)

मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई चर्चा का विषय है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 17, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 17 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय, प्रस्ताव करें।

विधेयक का पारण

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान आई.एल.डी. कौशल

(श्री सभापति)

विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर (नाम परिवर्तन और संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया गया।

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित), श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, पूरा सदन, पूरा प्रदेश इस बात से चिन्तित है कि पहले भी अनेकों विश्वविद्यालयों के बिल इस सदन ने पास किये, सैकड़ों महाविद्यालयों के बिल सदन ने पास किये। उनकी क्या स्थिति है, इस पर पूरा प्रदेश और सदन चिन्तित है। हम रोजाना एक नये विश्वविद्यालय का बिल सदन में लेकर आ रहे हैं। उसी कड़ी में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 है। यह भी जोधपुर में। दो दिन पहले हमने राजीव गांधी फिनटेक विश्वविद्यालय का बिल पास किया जोधपुर में। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय भी जोधपुर में।

माननीय सभापति जी, मैं बीकानेर से आता हूं। आप भी बीकानेर में रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। राजस्थान का पहला मेडिकल कालेज एस.एम.एस. मेडिकल कालेज, जयपुर। उसके बाद राजस्थान का दूसरा मेडिकल कालेज सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर। बहुत बड़ा सम्भाग है। चार जिले हैं, अनूपगढ़ नया जिला बन गया, पांच जिले हो गये। दूसरा सबसे पुराना मेडिकल कालेज, यह हमारी पात्रता, हमारी दावेदारी बनती थी कि मुख्य

(श्री बिहारीलाल)

मंत्री जी दूसरा मेडिकल विश्वविद्यालय खोल रहे हैं और यह राजस्थान प्रदेश, हमसे भी ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, लेकिन दूसरा मेडिकल कालेज राजस्थान में खुलने जा रहा है तो निश्चित तौर पर बीकानेर पर भी मुख्य मंत्री जी कृपा दृष्टि करते।

कांग्रेस के तीन-तीन विधायक बीकानेर से आते हैं, तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। कुछ के बारे में तो क्या कहें, मारवाड़ी में कहते हैं, ''बिना ब्याव ही मुकलावा हो ग्या।'' ऐसे भी चार लोग हैं। सात-सात मंत्री हैं बीकानेर में, फिर भी अगर बीकानेर को उसके हक की सौगात नहीं मिलती तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद करते थे। पत्र भी लिखा, मुख्य मंत्री जी से आग्रह भी किया कि सरदार पटेल के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बीकानेर में खोली जाए। बीकानेर का पी.बी.एम. अस्पताल खाली बीकानेर ही नहीं, पूरे नोर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। बीकानेर सम्भाग के पांचों जिलों से ही नहीं, हरियाणा, पंजाब से और स्पेशली कैंसर की चिकित्सा के लिए भी हजारों-लाखों लोगों का आना-जाना रहता है पड़ोस के स्टेट्स से।

(समय: 16.00 बजे)

दूरदर्शी महाराजा गंगासिहजी ने कितनी जगह, ऐसा भी नहीं कि आप जोधपुर में यूनिवर्सिटी बनायेंगे तो कोई बीस-तीस किलोमीटर दूर जगह ढूंढ़नी पड़ेगी, लेकिन दूरदृष्टि महाराजा गंगासिह जी की कि जब एस.पी. मेडिकल कालेज बना तो उसके लिए इतनी जगह रखी कि आज हम रोज उसमें डिपार्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं, बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं, फिर भी इतनी पर्याप्त जगह है कि आप उसमें आराम से बहुत बड़ी बिल्डिंग और बहुत बड़ा कैम्पस बना सकते हैं।

सरदार पटेल के नाम से पता नहीं आपको क्या चिढ़ है? क्या सरकार को चिढ़ है? 1946 कैबिनेट मिशन, आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने अन्तरिम सरकार के गठन करने की बात की और कैबिनेट मिशन में कहा कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा, वही इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधान मंत्री होगा। महात्मा गांधी ने मौलाना आजाद को कहा कि स्टेप डाउन कीजिए। नये अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और नये अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो प्रदेश की 16 कांग्रेस कमेटियां थीं, 14 ने सरदार पटेल को चुना, एक ने जे.बी. कृपलानी को वोट दिया और एक ने क्या पता किसे दिया। जवाहर लाल नेहरू जी को एक ने भी वोट नहीं दिया, लेकिन प्रधान मंत्री वे बने, सरदार पटेल नहीं बने।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कि उस

(श्री बिहारीलाल)

लौह पुरुष को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से इतनी ऊँचाई दी, जिसके वे असली हकदार थे। सरदार पटेल के नाम से एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बीकानेर में भी होती। इसके लिए पात्रता भी पर्याप्त है।

माननीय सभापति जी, हमारे पी.बी.एम. अस्पताल का जिक्र किया और मुख्य मंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके लिए मुख्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, उसमें भी माननीय मंत्री जी, पिछले वर्ष प्रदेश में सबसे अव्वल कोई रहा तो बीकानेर रहा। इस 2023-24 की तिमाही में भी सबसे अव्वल कोई है तो पहला स्थान बीकानेर का है। यह बीकानेर की पात्रता थी। हमारी मांग है कि बीकानेर में इसको खोला जाता लेकिन आप जोधपुर में लेकर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बात की चर्चा का तो कोई मतलब नहीं है। इतनी ही बात मेरे बीकानेर के हक की थी, जो मैं आपको कहता हूं। इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए कहता हूं।

दूसरा एक विषय, माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मेरे बीकानेर में पी.बी.एम. के बाद में दूसरा डी.एस.सी. कोराना काल में नोखा को मिला। 2021 में स्वीकृत हो गया, पी.ए.बी. केन्द्र से बजट भी मिल गया, लेकिन स्थान को लेकर इतना विवाद पैदा किया जा रहा है कि अभी तक नींव भी नहीं लगी है, ईंट भी नहीं लगी है। दानदाता करोड़ों रुपये की जगह देने को तैयार है। करोड़ों रुपये खुद लगाने को तैयार हैं। आपका और जनता का पैसा बच रहा है। नोखा की जनता का काम हो रहा है, लेकिन अड़चनें डाल-डालकर उसको बार-बार रोका जा रहा है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्री जी आपको कि जब हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने वह जगह, जो दानदाताओं की करोड़ों की जमीन है, उसकी वैल्यू एग्रीकल्चर से करके भेज दी। जब यह बात सदन के मार्फत आपके संज्ञान में लाये, तो आपने अपने सैक्रेटरी के साथ डिस्कस करते हुए पूरे प्रदेश का नियम बदल दिया कि जो भी दानदाता अपनी जमीन देगा, सरकारी बिल्डिंग के लिए, अस्पताल के लिए तो हम उसकी कॉमर्शियल डी.एल.सी. काउंट करेंगे और उसके आधार पर दुबारा कलेक्टर से हमने रिपोर्ट भिजवा दी है। उस जगह की कॉमर्शियल डी.एल.सी. 12 करोड़ होती है और 10 करोड़ वह दानदाता जेब से लगाने को तैयार है तो 50 प्रतिशत से ज्यादा अंशदान वह करने को तैयार है। आपके पास प्रस्ताव सी.एम.एच.ओ., कलेक्टर से आये हुए पड़े हैं। हमारी मांग है कि नोखा को स्वीकृत डी.एस.सी. अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसको भी जल्दी से शुरू करवाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित),

श्री गिरधारी लाल (अनुपस्थित),

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित),

श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित),

श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित),

श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित),

श्री बलवान पूनिया (अनुपस्थित),

श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)।

श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि आपने मुझे मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आगामी चुनावी वर्ष में आप अपनी घोषणाओं को अमलीजामा पहना रहे हैं। धरातल पर विकास और कामकाज न के बराबर हैं। इस विधेयक में विश्वविद्यालय के उद्देश्य के बिन्दु संख्या 4 के 'ग' में वर्णित अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित एवं पोषण की बात की है।

महोदय जी, सोजत में ट्रोमा सेन्टर की बजट की घोषणा होने के बावजूद विगत तीन वर्षों में एक भी पत्थर नहीं लगा है। महोदय जी, घोषणा करने और बड़ी-बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। सोजत में आपने ट्रोमा सेन्टर की जो घोषणा की है, वह अभी भी अधूरी है और राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है।

इस विधेयक के उद्देश्य बिन्दु 4 के 'ग' में प्रबन्धन की बात कही है, तो आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगी कि विधायक निधि कोष से मैंने सोजत विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक चिकित्सा केन्द्र एवं अस्पतालों में लाखों रुपये के उपकरण लगाये, लेकिन राजनीतिक दबाव और भ्रष्ट नौकरशाही के चलते स्टोर के कमरों में धूल फांक रहे हैं और जंग लग रही है। आप किस प्रबन्धन की बात कर रहे हैं? मेरी मांग है कि इस विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जी को राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि इस सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान को उन्होंने उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जहां देश का कोई राज्य नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, गौरव की अनुभूति होती है कि राजस्थान के समस्त 33 जिलों के अन्दर मेडिकल कालेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 30 जिलों के अन्दर 30 मेडिकल कालेज प्रदेश में चल रहे हैं। 6 राजकीय क्षेत्र में, एक आर.यू.एच.एस. का सम्बद्ध कालेज, 12 राजमेस के और निजी क्षेत्र के 9 कालेज चल रहे हैं।

भारत सरकार के सहयोग से अलवर में तथा एम्स जोधपुर में चल रहा है। इसके साथ-साथ प्रसन्नता की बात है कि तमाम जिलों के अन्दर नर्सिंग कालेज भी स्वीकृत किये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश के अन्दर एम.बी.बी.एस. की कुल 3 हजार 330 सीटें हैं। यह कोई कम गौरव का विषय नहीं है। अगले दो-तीन वर्षों में जब पूरे 33 जिलों में मेडिकल कालेज शुरू हो जायेंगे तो ये सीटें बढ़कर 4 हजार 830 के आसपास हो जायेंगी। राजस्थान इस स्थिति में आ जायेगा कि आने वाले कुछ सालों में हर साल 5 हजार डाक्टर देगा। वह समय था, जब किसी समय पूरे एक जिले के अन्दर 50 डाक्टर भी राजस्थान में नहीं होते थे और आज इस सरकार के सतत प्रयास की बदौलत राजस्थान इस स्थिति में आया है।

राजस्थान में पी.जी. की कुल 1 हजार 690 और सुपर स्पेशियलिटी की 153 सीटें राजस्थान के मेडिकल कालेजों में स्वीकृत हैं। दो साल के पोस्ट एम.बी.बी.एस. डिप्लोमा कोर्स शुरू किये गये हैं जिनमें 2022-23 से 505 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है। सभी डिविजनल हैड क्वार्टर पर पब्लिक हैल्थ कालेज खोले जा रहे हैं। जयपुर में 2021-22 में आर.यू.एच.एस. में कालेज शुरू कर दिया। जोधपुर और उदयपुर में इन-प्रोसेस है और बचे हुए चार सम्भागों में भी ये प्रस्तावित हैं। माननीय सभापति महोदय, इससे भी 175 छात्र लाभान्वित होंगे।

सभी जिलों में गवर्नमेंट के नर्सिंग कालेज खोले हैं। इस समय राजस्थान में कुल 40 गवर्नमेंट के नर्सिंग कालेज हैं जिनमें 2 हजार 390 बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम की सीटों के साथ संचालित हैं और 2023-24 में भी चार नर्सिंग कालेज शुरू हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के उस पिछड़े जिले से आता हूं, जिसे भारत सरकार के नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों में शामिल किया था। मैं जब पहली बार इस सदन में आया और तब मेरे साथियों ने मुझे एक

(श्री संयम लोढ़ा)

बार बताया कि पालड़ी एम, ऊपर जो पूरी आबादी के गांव हैं, कलदरी, बड़ाबेरा, शालियों का बेरा, भोगा, भागली सब, कोई भी महिला गर्भवती होती है तो उसको खाट में डालकर नीचे लाना पड़ता है। आज सौभाग्य से इस सरकार की बदौलत उसी क्षेत्र की ग्राम पंचायत की भूमि पर 330 करोड़ रुपये का एक मेडिकल कालेज इसी सरकार के कार्यकाल में न केवल स्वीकृत हुआ, बल्कि पिछले साल चालू हो गया, मेडिकल के 100 स्टूडेंट्स पढ़ने आ गये। अभी तक भी गम्भीर बीमारी हो, हम गुजरात के सीमावर्ती जिले से आते हैं। लोगों को इलाज के लिए पालनपुर, मेहसाणा, अहमदाबाद जाना पड़ता है, लेकिन आने वाले साल तक हम इस स्थिति में आ जायेंगे कि जब हमारे मेडिकल कालेज का डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल भी फंक्शन में आ जायेगा। अभी तो पुराने हास्पिटल को उससे सम्बद्ध किया गया है। नया हास्पिटल बनने की प्रक्रिया में है तो सिरोही जिला भी उस स्थिति में आ जायेगा कि जब आस-पास के जिलों के लोग इलाज कराने के लिए उस जगह आ सकेंगे। आपने दूसरा डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल भी शिवगंज के अन्दर दिया और, माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा आज मनमोहन सिंह सरकार को और तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद को, जो एक ऐसी नीति लेकर के आये राज्य और केन्द्र सहभागिता की। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, केन्द्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे ही सम्भाग के पाली, बाड़मेर सहित अनेक जिलों के अन्दर मेडिकल कालेज स्वीकृत किये और उसी योजना के तहत इस सरकार में भी राज्य और केन्द्र की सहभागिता में...(व्यवधान) हां, मुझे मालूम है कि 60 प्रतिशत पैसा मोदी जी का है इससे हम इन्कार नहीं कर रहे हैं, सहभागिता योजना में ये नये कालेज स्वीकृत किये गये जिसमें 40 प्रतिशत पैसा स्टेट देता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह 60 प्रतिशत वाली बात धीरे क्यों बोल रहे हैं जोर से बोलो न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरी आवाज ही इतनी जोरदार है।

40 प्रतिशत स्टेट, जमीन स्टेट की और 60 प्रतिशत पैसा सेन्टर देता है। अभी प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय कह रहे थे कि जोर से बोलो। मैं तो चाहे जोर से बोलूं चाहे धीरे बोलूं, मेरी आवाज तो अशोक गहलोत ने भी सुन ली और मेरी आवाज दिल्ली की सरकार ने भी सुन ली, लेकिन आप लटक गये। आपकी पार्टी की नौ साल से केन्द्र में सरकार होने के बाद भी 2004 से

(श्री संयम लोढ़ा)

जालौर से भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुने जाने के बाद भी जालौर के अन्दर आप कालेज नहीं खुलवा सके। आप वहां ज्ञापन लेकर के घूमते रहे। किसी ने आपका नोटिस नहीं किया। आज खड़े होकर के अशोक गहलोत को धन्यवाद देना कि जब आपकी सरकार ने नहीं सुनी, दिल्ली ने नहीं सुनी, अशोक गहलोत ने अपने फंड से राजस्थान सरकार के फंड से आपके विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जालौर में मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की। यह वह सरकार है...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अभी नहीं है, हवा में बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हवा में कुछ नहीं होता है इस सरकार के अन्दर। इस सरकार के सारे काम जमीन पर होते हैं। सारे काम धरातल पर होते हैं और प्रजातंत्र में इसका जवाब जनता देती है। राजस्थान में पिछले साढ़े चार साल में आठ उप चुनाव हुए। एक के बाद एक चुनाव में जो जचा के राजस्थान की जनता ने आपकी ठुकाई की है वह राजस्थान की जनता का जवाब है। वह राजस्थान की जनता का फैसला है कि यह सरकार काम करती है या खाली वादे करती है, और मैं तो क्या कहूं, भारत सरकार ने अनेकानेक इस सरकार के कार्यों पर पुरस्कार दिये। वे पुरस्कार अपने आप में जाहिर करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तो जब पूरी दुनिया सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही थी कोरोना के रूप में तब जिन्हें आप विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता कहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उन्हीं नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के कोरोना प्रबन्धन की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी।

माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं आज इस मौके पर माननीय चिकित्सा मंत्री जी से यही विनती करूंगा कि आपके सेक्रेटरी भी जाकर के आये, लेकिन इस दौरे के बाद भी सिरोही मेडिकल कालेज को कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारे पद खाली पड़े हुए हैं। टीचिंग स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। आप भर्ती तो करते हो, पर सिरोही को देते-देते आपका खजाना खाली हो जाता है। हम फिर से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि हम आकांक्षी जिलों में हैं, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, पिछड़े जिलों में हैं। आपकी सरकार की जैसे कृपा रही है, इन साढ़े चार सालों में आप नये जो टीचर्स लगाएं, नये डाक्टर लगाएं, आपकी कृपा हमारे जिले पर रहनी चाहिये, जिससे हमारा जिला भी पिछड़ेपन की उस अवस्था से बाहर आकर के

(श्री संयम लोढ़ा)

एक विकसित जिले की श्रेणी में आकर के खड़ा हो सके। आप यह विधेयक लाये हैं, मैं आपको राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप राजस्थान में दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से भी और जनसंख्या के मामले में भी बड़ा माना गया है और इस दृष्टि से जहां उसका क्षेत्र बड़ा हो, जहां आबादी ज्यादा हो, वहां उस क्षेत्र की जनता की चिकित्सा और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जवाबदारी वहां की सरकार की होती है। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए आज यह बिल लाया गया है। पहले से जोधपुर में, माननीय सभापति महोदय, कितने कालेज हैं, क्या सरकार की यह मंशा नहीं होती कि ऐसे किसी पिछड़े जिले में जहां इस मेडिकल कालेज की आवश्यकता हो, जहां चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता हो वहां पर इसको खोला जाए और मात्र चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा, यह कतई सम्भव नहीं है। जैसा आपने इस विश्वविद्यालय के अध्याय 2 के पैरा 4 में बताया कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं और उद्देश्यों में आपने 'ख' में लिखा स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य प्रबन्धन, अस्पताल प्रबन्धन, स्वास्थ्य नीति वगैरह-वगैरह इनको प्रमुख रूप से तैयार करना, विकसित करना।

अब माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, स्वास्थ्य योजनाओं को पूरा करने के लिए किसी भी चिकित्सा संस्थान में पैरा मेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, चिकित्सकों की जरूरत पड़ती है, जी.एन.एम. की जरूरत पड़ती है लेकिन आज हालात देखिये राजस्थान के उस सब सेन्टर के उस पी.एच.सी. और सी.एच.सी. के, जहां आधे से ज्यादा पद इन पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली हैं। शहर में हो सकता है कि किसी हास्पिटल में वे पद भरे होंगे, लेकिन गांवों में उस व्यक्ति से पूछिए, जिसको चिकित्सा व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती

(श्री अविनाश)

है, लेकिन पूरे चिकित्सक नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाता और गरीब आदमी जिसके पास में साधन, संसाधन नहीं होते, किसी बाहर के शहर में दूरस्थ स्थान पर उसके लिए जाना सम्भव नहीं होता। क्या इस विश्वविद्यालय में जो हमने लिखा, क्या इसकी स्थापना से ये सारी सुविधाएं पूरी हो जायेंगी और माननीय सभापति महोदय, इसके आगे 'घ' के अन्दर आपने लिखा, मल्टीस्पेशियलिटी अस्पतालों, रेफरल स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं से चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना, स्थापित करना, विकसित करना, पोषित करना।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि आप बड़े ईमानदार मंत्री हैं आपकी कार्यशैली पर किसी को कोई शंका नहीं। आप हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन साढ़े चार साल बीत जाने के बाद भी मैं जिस डिमाण्ड को सदन में रखता आया हूं कि जहां किसी हास्पिटल के अन्दर जिसका जिक्र आपने 'घ' में किया, कोई पी.एच.सी. हो, कोई सी.एच.सी. हो, एक चिकित्सक के ऊपर तीन से चार पैरा मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होती है, लेकिन आज बहुत से हास्पिटल्स के अन्दर वह स्टाफ नहीं होने के कारण आज उस अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, व्यवस्था धूमिल हो रही हैं। क्यों नहीं विश्वविद्यालय की स्थापना करने से पहले हम यह सोचें कि जहां चिकित्सक हैं वहां उसके साथ पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं लगायेंगे तो वह हास्पिटल चलेगा कैसे? हास्पिटल विकसित कैसे होगा और उन लोगों को इलाज कैसे मिलेगा? एक चिकित्सक के भरोसे पूरा अस्पताल चल सकता है क्या? मेरा माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि जहां चिकित्सक लगे हुए हैं उनके साथ में तीन से चार जो गवर्नमेंट नोर्म्स के अनुसार हैं वह पैरा मेडिकल स्टाफ आप लगाएं और माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इन साढ़े चार वर्षों में नवीन पी.एच.सी. और सी.एच.सी. की भी घोषणा की। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने आनन्दपुर कालू के अन्दर भी सी.एच.सी. की घोषणा की। बर के अन्दर सी.एच.सी. की घोषणा की। जैतारण में सी.एच.सी. में 50 को 75 बैड्स करने की घोषणा की। घोषणा अच्छी हो सकती है हम स्वागत करते हैं इसका लेकिन असली लोगों को इसका सेवा भाव के तरीके से जो उनको लाभ मिलना चाहिये था वह उनको नहीं मिल रहा है। आनन्दपुर कालू में आपने पिछले साल घोषणा की, एक भी नवीन पद आपने सृजित नहीं

(श्री अविनाश)

किया, कागजों के अन्दर पद आपने स्वीकृत कर दिये। पहले से कुल 22 पद स्वीकृत थे और वर्तमान में 14 पद हैं। इसके अतिरिक्त आपने 11 पद और स्वीकृत कर दिये, लेकिन वे कब तक भरे जायेंगे, कब तक वे पी.एच.सी., सी.एच.सी. के रूप में काम करने लग जायेंगी? मैंने पत्र के माध्यम से लिखा कि जिस जगह वह बिल्डिंग बनी हुई है..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिये।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं इसी बिल पर, इसी में लिखा हुआ है माननीय सभापति महोदय, यह जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य के पाइंट 'घ' में लिखा हुआ है कि मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों, रेफरल चिकित्सा, सी.एच.सी., पी.एच.सी., सब-सेन्टर को विकसित करना चाहते हैं, ये तब तक विकसित नहीं होंगे जब तक वहां पूरा स्टाफ नहीं लगेगा।

सभापति महोदय, अगर भामाशाह बिल्डिंग बनाते हैं, जैसे इस आनंदपुर कालू हास्पिटल की बात बता रहा हूं, जिस पी.एच.सी. के भवन में बिल्डिंग चल रही है, उसके पड़ोस में इसी हॉस्पिटल के खातेदारी की जमीन है, क्यों नहीं उस सी.एच.सी. को वहीं पर शुरू कर दिया जाए। वहां पूर्व में स्कूल चल रही थी। हमने पत्र भी लिखकर दिया, भामाशाह तैयार हैं कि उस बिल्डिंग में और पैसा लगाकर तैयार करवा देंगे। इससे राज्य सरकार को अतिरिक्त रूप से किसी पैसे की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसी प्रकार से गांवों में बहुत से ऐसे लोग हैं..। आज मेरा एक छोटा सा गांव देवरिया है। वहां सब सेन्टर बना हुआ है। अगर आप पीएच.सी. बनाते हैं तो पूरी बिल्डिंग आपको वहां के भामाशाह बनाकर दे देंगे। एक रुपया सरकार का नहीं लगेगा। अगर आप पी.एच.सी. बनायेंगे, तभी तो गांवों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जन सहभागिता को काम में लेकर जो सब सेन्टर की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, पी.एच.सी. की बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, उसमें भी अगर सरकार सहयोग करेगी तो मैं समझता हूं कि ज्यादा ठीक रहेगा।

इसी बिल के उद्देश्य के 'ड' में लिखा है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और चिकित्सा-सामाजिक विज्ञानों के लिए केन्द्रों को स्थापित करना। माननीय सभापति महोदय, क्या जनसंख्या नियंत्रण के केन्द्र स्थापित करने से जनसंख्या नियंत्रण हो जायेगी? मैंने इसी सदन में प्राइवेट

(श्री अविनाश)

बिल के माध्यम से कहा था कि क्यों नहीं यह राजस्थान सरकार सदन में बिल लेकर आये कि पूरे देश में, इन राज्यों में, राजस्थान मिसाल पेश करे और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर देश में यह साबित करे कि हां, राजस्थान इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम सब लोग मिलकर जनसंख्या नियंत्रण कानून को साबित करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं। लेकिन जब बिल लेकर आते हैं, तब सरकार बोलती नहीं है और इस प्रकार के जो पाइंट लिखते हैं, उसकी असली क्रियान्विति तब होगी, जब हम वास्तविक रूप से, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आज एम्स कितना बड़ा हास्पिटल है। एम्स में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार मारवाड़ यूनिवर्सिटी, जो आप जोधपुर में लगा रहे हैं, आज अगर यह मेरे जैतारण, ब्यावर, पाली, सोजत के आस-पास लगाते, यहां कोई इतना बड़ा मेडिकल कालेज नहीं है, वहां लोगों को फायदा मिलता, सुविधा भी मिलती। यहां से लोग जयपुर जाते हैं, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर जाते हैं, इधर उदयपुर जाते हैं। ढाई सौ किलोमीटर से पहले इतना बड़ा कोई हास्पिटल नहीं है कि जहां लोग आज इलाज करा सकें।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि जिस आयुष्मान योजना को केन्द्र सरकार ने लागू किया, उसको राजस्थान सरकार ने लागू नहीं किया। लागू नहीं करने के कारण राजस्थान के लोगों को राजस्थान के बाहर उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस केन्द्र की योजना को मोदी जी ने पूरे देश में लागू किया, राजस्थान में दलगत राजनीति के कारण आपने उसको लागू नहीं किया और जिसका फायदा राजस्थान से बाहर बैठे लोगों को नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, जिस प्रदेश में कोटा में एक व्यक्ति इलाज के लिए जाता है और उसके आक्सीजन मास्क में आग लग जाती है, क्या परिस्थिति रही होगी? यह जो अस्पताल का प्रबंधन है, अस्पताल की व्यवस्था है, क्या हम सबको यह सोचने पर विवश नहीं करती? मैं समझता हूं कि इनको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उनको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री अविनाश)

मेडिकल में बहुत इन्टेलिजेंट लड़के एडमिशन लेना चाहते हैं, एम.बी.बी.एस. करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फीस कितनी है? प्राइवेट कालेज की फीस इतनी है कि वे अफोर्ड नहीं कर पाते। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का भी एक कानून लाया जाए या आपकी तरफ से निर्देश दिये जाए कि प्राइवेट कालेज में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वह आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण एडमिशन नहीं ले पाते, उनको विशेष रियायत देकर, उनको उस कालेज में एडमिशन दिलाने की कृपा करें, जिससे वे उनके सपनों को पूरा कर सकें।

आपने इसी विधान सभा में घोषणा की थी कि प्रत्येक सी.एच.सी. पर डायलिसिस शुरू करेंगे। माननीय मंत्री महोदय, कब की घोषणा है? आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सिवाय मेरे जैतारण की आदर्श सी.एच.सी., जिसको मैंने 2 करोड़ रुपये राज्य सरकार के आदेश पर आदर्श सी.एच.सी. बनाने के लिए दिये, उसके अलावा पूरे राजस्थान की किसी सी.एच.सी. पर डायलिसिस सुविधा शुरू नहीं हुई है। घोषणा करना बड़ा आसान है लेकिन उसकी क्रियान्विति करने के लिए सच्चे इरादों की जरूरत होती है, दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, विल पावर की जरूरत होती है। आज मैंने उस गरीब की पीड़ा को समझा है, मैं दो साल पहले से शुरू करना चाह रहा था। सरकार ने बजट घोषणा नहीं की थी, उससे पहले करना चाह रहा था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी कमी रही। हमारे चिकित्सा विभाग की कहीं कमी रही, जिनकी इच्छा शक्ति नहीं कि वह चालू हो, लेकिन मैंने वहां चालू करवा दी। मैं धन्यवाद देता हूं उस जैन समाज के पावन धाम ट्रस्ट का, जिन्होंने वह मशीन डोनेट की। अभी मैं अपने विधायक कोटे से एक एक्स्ट्रा मशीन देकर उन गरीब लोगों का, जिनके एक डायलिसिस में 5 हजार रुपये लगते हैं, सप्ताह में दो बार होता है, महीने का 30-35 हजार रुपये खर्चा आता है, वह निःशुल्क जैतारण के राजकीय रेफरल चिकित्सालय में सुविधा शुरू हो रही है। हम लोग क्यों नहीं करते? ऐसे काम हम करेंगे तो उससे लोगों को फायदा मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, आज ट्रोमा सेन्टर की जितनी आवश्यकता है, मेरा जैतारण कस्बा 2-3 नेशनल हाईवे के बीच में बसा हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप डिमांड के रूप में बोल रहे हैं, चर्चा बिल पर हो रही है।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, सी.एच.सी. को क्रमोन्नत कैसे करेंगे, विकसित कैसे करेंगे, यह इसी विश्वविद्यालय के पाइंट में लिखा हुआ है।

मैं अंतिम बात करके मेरी बात को खतम करूंगा। ट्रोमा सेन्टर भी अगर आप वहां विकसित करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, डेढ़-दो लाख रुपये की राशि से ट्रोमा सेन्टर नहीं बनता। हमारे जैतारण ट्रोमा सेन्टर का जो साढ़े सात करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, कम से कम उसकी स्वीकृति करायेंगे, तो जो वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और जिनको इलाज नहीं मिलता, उस ट्रोमा सेन्टर के माध्यम से इलाज मिल जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, बस अंतिम बात कहना चाहूंगा कि आजकल जो बच्चे फार्मेसी करते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए कई महीनों तक उनको वेट करना पड़ता है। कम से कम फार्मेसी काउंसिल को निर्देश देकर तुरन्त प्रभाव से फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करवा दें। मैं समझता हूं कि यह बिल तो अच्छा हो सकता है, लेकिन इसको अगर जोधपुर की बजाय जैतारण, बिलाड़ा, ब्यावर के आस-पास देते तो और भी अच्छा होता। मैं समझता हूं कि जो बातें मैंने बताईं उनको आप अपने इस बिल के जवाब में शामिल करेंगे और इस बिल को 6 माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल (अनुपस्थित)। श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर विचार हो रहा है। इसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरवरी में की थी। उसका बजट सत्र निकल गया, अब जब जुलाई समाप्त होने की ओर है, तब आप इस विधेयक को लाये हैं, क्योंकि आपको पता है कि तीन महीने में हम जा रहे हैं, कुछ होना नहीं है। जमीन नहीं है, भवन बनेगा, विश्वविद्यालय शुरू होगा, यह तो केवल घोषणाओं पर घोषणा है। उनको लगता है कि उनकी जोधपुर विधान सभा सीट खतरे में है। मैं कैसे जीतूं, इसलिए जोधपुर में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं खोल कर जनता को बेवकूफ बनाया जाए। मैं आज कह सकता हूं कि जोधपुर में इस बार वे खुद चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, पार्टी को तो जितायेंगे या नहीं जितायेंगे, यह तो ईश्वर मालिक है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं नहीं चाहिये, संसाधन चाहिये। संसाधन हैं ही नहीं, बिना संसाधनों के काहे के विश्वविद्यालय खोल रहे हो? आज चिकित्सा की बात करें, आज किस प्रकार की हालत चिकित्सा की हो रही है? अभी मेरे से पूर्व सिरोही के विधायक कह रहे थे कि हमने राजस्थान में इतने चिकित्सा महाविद्यालय खोल दिये, विश्वविद्यालय खोल दिये, यह तो मोदी जी ने खोले हैं। केन्द्र सरकार की मेहरबानी है, उनको धन्यवाद दो। केन्द्र सरकार ने उनको स्वीकृत किया है और आपके यू.जी. और पी.जी. की सीटें भी बढ़ी हैं, तो वह केन्द्र सरकार की सहमति से बढ़ी हैं, आपका उसमें कोई बहुत योगदान नहीं है। आपने तो जितने अड़ंगे लगाये ...(व्यवधान) आप बैठो, मैं बताता हूं आपको अभी, आपकी बात का भी जवाब दूंगा ...(व्यवधान) मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) बोल क्या रहे हो ...(व्यवधान) इस सरकार ने आकर खोले हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में बात नहीं करें, आपस में बात नहीं करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) स्कूलों का भी जवाब दूंगा।

श्री सभापति: बैठिए आप, बैठिए आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) बोलना आता नहीं, कुछ भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए प्लीज, आपस में बात नहीं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ...(व्यवधान) इस सरकार में एक भी स्कूल नहीं खोल पाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इधर बात करें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं तो बिल पर ही बोल रहा था, डिस्टर्ब उन्होंने किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजस्थान में मेडिकल कालेज के लिए धन्यवाद केन्द्र सरकार को दो। (व्यवधान) आप कह रहे थे, जालौर के साथ अन्याय किसने किया? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए आप, माननीय सदस्य, बैठिए आप। आप कन्टीन्यू करें। माननीय मंत्री महोदय, दिस इज नोट अलाउड।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, ये बात कर रहे हैं राज्य सरकार की, ये कह रहे थे कि जालौर में महाविद्यालय नहीं खोला, उसका जिम्मेदार कौन है?

इन्होंने जमीन के आबंटन में बहुत देर कर दी, जमीन नहीं होगी तो कैसे मिलेगा? बिस्तरों की संख्या कम थी, इसको पूरी राज्य सरकार ने नहीं किया। जो जमीन आबंटित की थी, वह भी पर्याप्त नहीं थी जालौर में। जहां-जहां नहीं खुले, उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है। वहां पर करते क्या हैं? अभी जब मैं संसाधनों का जिक्र कर रहा था। एम.सी.आई. की जब टीम आ रही होती है, उस समय एक मेडिकल कालेज से ट्रांसफर करके दूसरे मेडिकल कालेज में दिखाते हैं, उपस्थिति दिखा देते हैं। एम.सी.आई. को स्वीकृति देते हैं, 15 दिन बाद डाक्टर वापस वहीं ट्रांसफर कर देते हैं। फैकल्टी तो है नहीं, फैकल्टी तो रिक्रूट करना स्टेट का काम है। डाक्टर्स तो दें। जब डाक्टर्स नहीं देंगे तो कालेज में कौन पढ़ायेगा? जब कालेज में पढ़ाई नहीं होगी तो किस प्रकार की गुणवत्ता वाले डॉक्टर तैयार होंगे? यदि गुणवत्ता नहीं होगी तो मरीजों का क्या इलाज होगा? इस प्रकार की घोषणाओं से, केवल राइट टू हैल्थ, चिरंजीवी....। चिरंजीवी क्या है? मुझे एक भी बता दें, आपने दस लाख रुपये से ज्यादा किसी को दिया हो तो। 25 लाख रुपये तो दूर की कौड़ी है। दस लाख भी नहीं, उसमें 5 लाख की तो केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना है। यानी केन्द्र के पैसे से ही इन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कुछ करते-धरते नहीं हो, केवल विधान सभा में बोलकर। जाकर राजीव स्टडी सर्कल की बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड करिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++ और यहां आकर बात करते हो।

श्री सभापति: ये डिलीट करिये। +++ यह डिलीट करिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): +++ रीट का पेपर आउट करने वाले, रीट का पेपर लीक कराने वाले ये हैं।

श्री सभापति: माननीय बैठिए, प्लीज।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): राजीव स्टडी सर्कल से पेपर लीक कैसे हुआ?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पेपर किसने कलेक्ट किया?

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनिए, आप उनको इन्वाइट क्यों कर रहें हैं? आप मेरी तरफ देखकर बात करिए। Why are you inviting them?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मंत्री होकर डिस्टर्ब करते हैं। इनको इतना सब्र नहीं है।

श्री सभापति: आप मेरी तरफ बात करिए। Why are you inviting them? प्लीज कम्पलीट करिए। बैठिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): प्रत्येक मेडिकल कालेज के 325 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से मिले। उसके बाद जब अभी भी मेडिकल कालेज के निर्माण की बात है, राज्य सरकार की सुस्ती के कारण वे अभी तक फंक्शनिंग में नहीं आ पाये हैं। ये केवल राइट टू हैल्थ की बात करते हैं। लेकिन स्टाफ भी दिखाकर, वापस ट्रांसफर, बिना स्टाफ के नहीं होगा। वहां पर उपकरण नहीं होगा। यदि मैं बात करूं तो हमारे सम्भाग का जो अजमेर हास्पिटल है, एक दिन की बरसात आयी, एक दिन की बरसात के अन्दर पानी भर गया। वहां पर नावें चल जाएं, जैसी स्थिति आ गयी। आर्थोपेडिक वार्ड के मरीजों को ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट करना पड़ा। मैं भी वहां गया। जहां पर उपकरण थे, सारे भीग गये, रिकार्ड भीग गया। इस प्रकार की दुर्दशा आपने एक संभागीय अस्पताल की बनायी है तो किसलिए खोल रहे हैं?

एस.एम.एस. की हालत क्या है? एम.एम.एस. की हालत देखो। अटेंडेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। अटेंडेंट बाहर घूमते रहते हैं। यानी आपको सुधारना है तो उसको सुधारो और अजमेर में कोई ड्रैनेज सिस्टम आज तक नहीं बना। पोस्टें खाली पड़ी हैं। डाक्टर्स नहीं हैं। इस प्रकार के काम करते हैं, मैं समझता हूं कि इससे घोषणा पूरी होने वाली नहीं है। नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है। इसके बाद भी ये कहें कि हमने बहुत गुणवत्ता वाले किये हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि न तो कहीं एम.आर.आई. मशीन और कहीं पी.पी.पी. मोड पर। क्या है? जो सरकारी चल रहे हैं, उन पर तो लाओ। केवल दिखावे की बात करेंगे। डायलिसिस मशीन, लोग बाहर जाकर महीनों इन्तजार करते हैं। टेस्टिंग के लिए करते हैं। वहां एक्स-रे मशीन खराब। इन अस्पतालों की हालत सुधारो, तब जाकर जनता को लाभ होगा। इतनी गन्दगी है कि टॉयलेट में कोई नहीं जा सकता है। उन व्यवस्थाओं को सुधारो। वास्तव में राइट टू हैल्थ

(श्री वासुदेव देवनानी)

यह है कि दुबारा बीमार होकर तो नहीं निकले। चिकित्सा मंत्री सज्जन आदमी हैं। बातों की गम्भीरता समझते भी हैं, लेकिन शायद इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं कि कर नहीं पा रहे हैं। शायद ऊपर मुख्य मंत्री जी इनकी नहीं सुनते या नीचे प्रशासन नहीं सुनता। इसलिए मेरा इस बिल के माध्यम से यह आग्रह है कि आप सुविधाएं सुधारो, संसाधनों को उपलब्ध कराओ। स्टाफ उपलब्ध कराओ और बाकी लोगों के चक्कर में मत आओ, ये लोग तो इस तरह भ्रमित करेंगे। वैसे तीन महीने के अन्दर न तो विश्वविद्यालय खुलना है, न प्रारम्भ होना है और न मेडिकल कालेज शुरू होना है। इस प्रकार का जो दृश्य आपने खड़ा किया है, केवल वाहवाही नहीं लूटो। केवल राइट टू हैल्थ का प्रचार जनता देख रही है। बड़े-बड़े बोर्ड हैं, 25 लाख के। मोमबत्ती लेकर ढूंढ़ रहे हैं कि किसको दिये 1 लाख, 25 लाख, एक भी हो तो बताएं। केवल 13 हजार एवरेज एक मरीज के नाम आये हैं। केवल 13 हजार रुपये मिले हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस चिकित्सा सुविधा में केवल मेडिकल यूनिवर्सिटियां खोलकर वाहवाही मत लूटो। आप केवल उनका सुधार करो, जितनी हैं।

श्री सभापति: कन्क्लूड करें। एक बिल और बाकी है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जितने मेडिकल कालेज केन्द्र की राय से, केन्द्र के पैसे, केन्द्र सेवा से खुल रहे हैं, उस केन्द्र सरकार को धन्यवाद दें और सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि केन्द्र के द्वारा खोले जा रहे मेडिकल कालेज सही ढंग से चल सकें, लोगों को चिकित्सा मिल सके। जब तक व्यवस्था नहीं करो, तब तक छह महीने के लिए बिल को जनमत हेतु परिचालित किया जाए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

श्री सभापति: नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आज सदन मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर चर्चा कर रहा है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने यह कहा है कि बजट घोषणा 2023-24 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी 500 करोड़ की घोषणा और जो वित्तीय ज्ञापन संलग्न किया है, उसमें इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के आवृत्ति व्यय के लिए दो करोड़ रुपये की जरूरत है। दो करोड़ रुपये के रैकरिंग एक्सपेंडिचर में कोई सैटेलाइट हास्पिटल भी नहीं चल सकता है। इसका मतलब नीति और नीयत तो सामने आ गयी कि बजटीय घोषणा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, यह सदन, 15वीं विधान सभा का यह सत्र, 15वीं विधान सभा साक्षी रहेगी, मैं बैठे-बैठे गिन रहा था कि हमने निजी और सरकारी कितने विश्वविद्यालयों के बिल यहां पारित कर दिये। यह 24वां बिल है। 24वें बिल में मैंने इस बिल को भी देखा है। इसमें विस्तृत रूप से 42 धाराओं को भी देखा। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन को भी देखा। इसके अन्दर अलग-अलग परीक्षा समिति से लेकर, बोर्ड आफ डाइरेक्टर से लेकर, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और सब चीजों को मैंने देखा और मैंने महसूस किया कि मात्र आगे टाइटल बदल दो। नीचे लगभग वही प्रावधान रहते हैं। इसमें कोई इतर बात भी नहीं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मॉडल एक्ट बनाने की बात कही। शायद उसी तर्ज पर होगा। पर आज हो क्या रहा है?

सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी बात कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ यही कहता हूं कि हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय खोलने की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और क्वांटिटी बढ़ाते-बढ़ाते हम मेडिकल का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, इस क्षेत्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं और हमारी क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। मैं उन बातों का जिक्र करूं, जो आये दिन अखबारों में सामने आती हैं। सभापति महोदय, इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन के साथ मैं देख रहा था कि विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया है, शायद सेक्शन 4 होगा, उसमें जिन बातों को लिखा गया है, उन सारी बातों को अगर मैं देखूं और उन उद्देश्यों को देखूं तो निश्चित तौर पर इन्होंने विश्वविद्यालय के 14 उद्देश्य लिखे हैं। उद्देश्य लिखे जा सकते हैं। जब हम नया विश्वविद्यालय खोलें और उसके पीछे हमारा मकसद यह हो कि हम विश्व मानक स्तर पर, हमारे विश्वविद्यालय के अनुसन्धान से लेकर, अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था करें। सबसे पहले हमारे सामने खड़ा होता है कि अध्ययन और अध्यापन के लिए हम किस हालात में खड़े हैं, किस जगह पर खड़े हैं। हमारे पास कितनी फैकल्टी है। मुझसे पहले बिल्कुल सही कहा। मैं नैक के एफिलिएशन की बात पहले ही कह चुका हूं। इसमें मैं दोहराऊंगा नहीं। मंत्री जी, ये संस्थाएं क्यों बनायी गयीं? नैक जैसी संस्था इसलिए बनायी गयी कि विश्वविद्यालयों में मानकता के आधार, जो पैरामीटर्स तय किये गये हैं, वे पैरामीटर चाहे आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित हो, मानव संसाधनों से सम्बन्धित हों, शोध से सम्बन्धित हों, शोध-पत्रों से सम्बन्धित हों, इन मानकों को पूरा किया जाना चाहिए। आज जब मेडिकल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कालेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात चलती है तो जेहन में एक बात उठती है कि जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी आयेगी, निश्चित तौर पर आज जिस प्रकार बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है, हम वैश्विक महामारी कोरोना से रूबरू होकर निकले हैं, जिस प्रकार प्रिवेंटिव सोशल मेडिसन से हम दूर होते जा रहे हैं, हम न चाहते हुए भी बीमारियां आमन्त्रित कर रहे हैं। जिस प्रकार का हमारा प्रदूषण और खानपान है, उन सब पर शोध करने वाली संस्था, उन सब पर हमारे pattern of treatment को बताने वाली संस्था बनेगी। मंत्री जी, निजी क्षेत्र में 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। 2 उदयपुर में हैं, 3 जयपुर में हैं। आपके पास 31 मेडिकल कालेज हैं। 31 मेडिकल कालेज में 2 यूनिवर्सिटीज पूरे देश में कहीं नहीं हैं। मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मेडिकल कालेज के नाम पर हमने व्यवस्थाएं खड़ी कर दीं। क्या सोचकर हमने खड़ी कीं? क्या सोच है?

आपको मालूम है किसी देश और किसी प्रदेश के प्रगति के मानकों में हमारे एस.डी.जी. के गोल्स भी हैं। यू.एन.ओ. ने तय किया एम.जी.डी. के गोल्स, बाद में एस.डी.जी. के गोल्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा हैल्थ इंडिकेटर, उसमें है कि हमारी जन्म दर क्या है, हमारी मृत्यु दर क्या है? इन सबमें हम कहां खड़े हैं? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये क्वालिटी गिरती जा रही है, इस पर भी आप निश्चित तौर पर विचार कीजिए।

आज राजमेस, जिसकी बात मुझसे पहले कही, सभापति महोदय, यहां एकमात्र सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी आर.यू.एच.एस. है। आर.यू.एच.एस. में आज अगर एन.एम.सी. आ जाए, उसके एफिलिएशन पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। वहां न प्रोफेसर हैं, न एसोसिएट प्रोफेसर हैं, न असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 80 परसेंट पद रिक्त हैं। अब यूनिवर्सिटी खोलो, बिलकुल खोलो, मारवाड़ के नाम से खोलो और जिस दिन चुनाव में जाएं, उस दिन कहिए कि हमने ये कर दिया था, पर दूरबीन लगाकर हम खोजेंगे कि जो संस्था है, चाहे वह एजुकेशन के क्षेत्र में खुले हुए अंग्रेजी महात्मा गांधी विद्यालय हों, चाहे महाविद्यालय हों, चाहे मेडिकल कालेज हों, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हों, ये संस्थाएं जनता की नजर में जब एग्जिस्ट करेगी, जब जनता महसूस करेगी कि उच्च से उच्चतर संस्था, मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम की संस्था, मारवाड़ के नाम की संस्था और मारवाड़ का इतिहास जो गौरवशाली इतिहास था, उसी तरह की गौरवशाली होंगी, परन्तु आर.यू.एच.एस.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में कोई शोध हो रहे हों, तो मुझे बताओ। आज एक हजार बेड हैं, मंत्री महोदय, कोरोना में काम किया, मैं मानता हूं। वीआई.पी. के ट्रीटमेंट का केन्द्र बन गया। एक हजार बेड के अंदर 15 परसेंट बेड आक्यूपेंसी नहीं है, क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है, फैकल्टी नहीं है आपके पास। पैरा मेडिकल स्टाफ खाली पड़े हैं। आपने बड़ी-बड़ी मशीनें लाकर खड़ी कर दीं। हमारे समय भी यही रहा उनको चलाने वाला आदमी नहीं है।

सभापति महोदय, मैं साढ़े आठ बरस तक इस विभाग का मंत्री रहा हूं। मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि आज जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जिस तरह की बीमारी, इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, पहले पेरीफेरी में डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल की चर्चा होती थी, अब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल के साथ मेडिकल कालेज की चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है, बीमारी का तौर-तरीका बदला है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने मापदंड तय कर रखे हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. के मापदंड के अनुसार हमें डाक्टर्स तैयार करने हैं। हमें नर्सिंग कालेज के माध्यम से पैरा मेडिकल स्टाफ तैयार करना है। परन्तु क्या आज की तारीख में उस कारखाने को चलाने वाला, वह बिग व्यक्तित्व है क्या, जो उससे डाक्टर भी पैदा कर दे और नर्सिंग पैरा मेडिकल पैदा कर दे। हमारे पास फैकल्टी नहीं हैं। आपके 17 मेडिकल कालेज चल रहे हैं राजमेस से। फैकल्टी 42 परसेंट हैं और 50 परसेंट विद्यार्थियों से आप पेमेंट फीस के नाम पर दस लाख रुपये साल के ले रहे हैं। बैठने की जगह नहीं है। लैबोरेट्री में जगह नहीं, प्रोपर क्लासरूम नहीं। आज जो संलग्न चिकित्सालय, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य लंबी-लंबी डींग हांक रहे थे, मैं भी हैल्थ मिनिस्टर था तो मैं भी मेडिकल कालेज लेकर गया था। हमने भी सोचा बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा। आज सी.एच.सी. के अंदर जो सुविधाएं हैं, एक ट्रोमा सेंटर मेडिकल कालेज का नहीं चलता। सारा लोड आता है तो आपके एस.एम.एस. में आता है, पी.बी.एम. में आता है। डिविजनल हैडक्वार्टर पर जो हास्पिटल्स हैं, उनके अलावा कोई नहीं चल रहा।

सभापति महोदय, हम इस बात को लेकर आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि 'पहला सुख निरोगी काया' की बात जब आती है तो ये संस्थान बेहतर होने चाहिए, मंत्री जी। आपने कोशिश की, हमने कोशिश की। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टि से आंख से आंख मिलाकर देखना चाहिए कि हम संस्था खोल रहे हैं। हम मारवाड़ के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, परन्तु

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज हालात क्या हैं? मैं निवेदन करूं कि आज आवश्यकता तो इस बात की थी कि आपके यहां नर्सिंग यूनिवर्सिटी खोलते। 27 से ज्यादा नर्सिंग कालेज हैं, आपके सरकारी क्षेत्र में। नर्सिंग यूनिवर्सिटी खोलते तो समझ में आता, परन्तु नहीं। 2015 के बाद आपके यहां किसको पढ़ाएंगे, कहां लाओगे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में किसको लेकर जाएंगे? 2015 के अंदर जब भर्ती प्रारम्भ हुई थी एक बार इस आरयू.एच.एस. में, सरकार चाहे किसी की रही हो, विवाद हुआ, भर्ती रद्द हुई।

हम घोषणा दर घोषणा करें, निश्चित तौर पर करें, मंत्री महोदय, इसी पिछले 2022-23 के अंदर आपने घोषणाएं कीं। आर.यू.एच.एस. में डेंटल कालेज और डेंटल कालेज के लिए बजट 2022-23 में बिंदु संख्या 17, आपके यहां से चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के जो मेडिकल सैक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कुलसचिव, राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को लिखा है कि 91.49 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी, परन्तु लिखा है कि विश्वविद्यालय के स्वयं के स्तर पर जमा राशि का उपयोग करके इस काम को कीजिए। ये बजट की घोषणा है। इसलिए इसको अतिशीघ्र पूरा कीजिए।

इसी तरह की घोषणा 2022-23 के अंदर आपने, आर.यू.एच.एस. में 23 करोड़ की सुपर स्पेशियलिटी क्रिएट करनी थी। कार्डियोलोजी, यूरोलोजी, नेफ्रोलोजी, न्यूरोलोजी; सभापति महोदय, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं रिलेवेंट बात कर रहा हूं कि इससे पहले हमें एक सिंहावलोकन करना चाहिए कि जो आज एकमात्र सरकारी क्षेत्र में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके हालात क्या हैं? उसको सरकार किस प्रकार उसके संसाधन नहीं देकर पिछले दरवाजे से कहती है कि अपने संसाधन जुटाओ। कहां से जुटाएंगे ये? इसमें भी लिख रहे हैं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्वयं के संसाधनों से इसको पूरा करे। बजट घोषणा आप करो। कौनसे संसाधन हैं, मंत्री महोदय मुझे बताएं? ये 80 करोड़ का Centre for Collaborative Research Excellence cum Convention Centre, ये 2023-24 पैरा 57, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्वयं के ख़र्चे पर करे। इसी प्रकार Centre for Post Covid Rehabilitation Institute, 95.56 करोड़ का, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्वयं के संसाधनों से करे।

इसी प्रकार आर.यू.एच.एस. में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री प्रसूति रोग, तीन-तीन यूनिट्स बननी थी 34 करोड़ की, ये विश्वविद्यालय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वयं के संसाधन से करो। 'पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने', जब पैसा है नहीं, आप 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए। मैं समझता हूं कि इस आदत से हम सबको बचना चाहिए। हर सरकार इस लोकतंत्र में पांचवें साल अपना कार्यकाल पूरा करती है। मैं पूछना चाहता हूं ये पांचवा साल, ये विधान सभा का आखिरी सत्र, इस सत्र के अंदर हम रिकार्ड बना रहे हैं कानून बनाने के, विधेयक बनाने के। विधान बनाने वाली सभा की सक्रियता पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि ये माजरा क्या है? ये एक के बाद एक बिल क्यों आ रहे हैं? एक के बाद एक यूनिवर्सिटीज क्यों स्थापित हो रही हैं? ये कागजी हवाई दावे, हवाई बातें, निश्चित तौर पर चाहे हम आएं या आप आएं, ये वही बात है, सभापति महोदय, जब मार्च का आखिरी महीना होता है तब स्वीकृतियां दनादन दौड़ती हैं, दनादन निकलती हैं, पी.डी. खाते में पैसा जाता है। हमें यथार्थ से आंख मिलानी चाहिए। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में आपके पास जितने मेडिकल कालेज हैं, उसके अनुपात में आपके पास उनके एफिलिएशन के लिए आर.यू.एच.एस. मेडिकल यूनिवर्सिटी है। निजी क्षेत्र के अंदर आपके पास जयपुर में जे.एन.यू., निम्स और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय हैं। उदयपुर में गीतांजली और पैसिफिक विश्वविद्यालय हैं। आप इन सारे मामलों को देखकर विश्वविद्यालय खोलने के लिए वाहवाही जरूर ले लें। आप कहेंगे, थोड़ी देर में मेजे थपथपायी जाएंगी, परन्तु मैं रिकार्ड पर बात ले जाना चाहता हूं कि यह विश्वविद्यालय अपने कागज से निकलकर, जिस तरह बच्चा गर्भ से निकलकर किलकारी मारता है, उस तरह किलकारी मार दे तो आप मुझे कह देना। अब नौवां विश्वविद्यालय है अकेले जोधपुर में।

मैं अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य देवनानी जी की बात की ताईद नहीं करता, परन्तु कुछ बातें हमें आभास दे जाती हैं। आज सदन के नेता, उनके सामने समानता की बात रहनी चाहिए थी। नौ, स्किल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी तो जोधपुर में खुलेगी, जोधपुर इस तरह जीता नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहूंगा इसको जनमत जानने के लिए परिचालित कीजिए।

सभापति महोदय, मैं सेक्शन पर इसलिए नहीं बोला, मैंने इनको देखा ये बिलकुल एक तरह से रिप्लीकेट, डुप्लीकेट हैं, जिन पर हमने पहले चर्चा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर ली। अब मैं कुलपति के अधिकार से लेकर इन सब बातों पर कहूं कि सरकार इसमें क्या नियम बनाएगी, क्या शक्तियां हैं, क्या-क्या कर रही है, इसका मतलब नहीं है। परन्तु मैं यह जरूर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि फैकल्टी नहीं है आपके पास। नॉन-क्लिनिकल फैकल्टी बिलकुल नहीं है आपके पास। एन.एम.सी. के अंदर इंस्पेक्शन के अंदर इधर से उधर, उधर से इधर, अहमदिया की टोपी मेहमदिया को और मेहमदिया की टोपी अहमदिया पर, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये लोगों के जीवन स्तर से जुड़ी हुई चीजे हैं। अगर आप उच्चतम मानक स्तर की सेवाएं देना चाहते हैं तो हमारी जो सेवाएं, आज हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कालेज है, उनमें भगवान के लिए मापदंड आपके सामने हैं, डब्ल्यू.एच.ओ. के मापंदड आपने पढ़ रखे हैं, एन.एम.सी. के मापदंड आपने पढ़ रखे हैं। उन सारे मापदण्डों के अनुसार, उन मानकों के अनुसार पहले उनकी परिपूर्ति करो, वह परिपूर्ण हो जाएगा, वह फैकल्टी पूरी हो जाएगी, बच्चों के अध्यापन की व्यवस्था हो जाएगी। एक-एक असिस्टेंट लेक्चरर दो-तीन साल के एडहॉक के तौर पर आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पी.एस.एम. पढ़ा रहे हैं, दूसरे सबजैक्ट पढ़ा रहा हैं। सभापति महोदय, हम किस प्रकार के डाक्टर तैयार कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों को आने वाले समय में, यह यहां से निकलकर जाएगा और मेरी नब्ज पर हाथ रखेगा, किसी के जीवन पर हाथ रखेगा, धरती के दूसरे देवताओं को पैदा करने में, कम से कम इस विश्वविद्यालय में तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए भेज दो। बाकी होता तो मैं इतने जोर से नहीं कहता। आप अच्छे लोग हो, इसलिए इस पर विचार करें। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर छह बजे तक दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी विधेयक, 2023 पर माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय विपक्ष के नेता हैल्थ के मामले में बहुत ही ज्ञानी, सबसे ज्यादा लम्बे समय तक राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर रहे। इन्होंने भी मेडिकल कालेज खोलने की जो प्रक्रियाएं बताईं, उनसे भी आप सब गुजरे हैं। किन परिस्थितियों में आपने मेडिकल कालेज खोले, किन परिस्थितियों में हमने खोले, राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को मेडिकल में हम कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे युवाओं को, बच्चों को किस तरह हर ज़िले में रोजगार दें। माननीय सभापति महोदय, पहले 6-7 मेडिकल कालेज थे, तब एम.बी.बी.एस. करने के लिए बैंगलोर, महाराष्ट्र व दूसरे प्रदेशों में जाते थे। आज हमें खुशी है माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से इस कार्यकाल में 16 मेडिकल कालेजों की हमने शुरुआत की। सात पहले से चल रहे थे, आपने भी खोले। मुख्य मंत्री जी का विजन है कि हर ज़िले में मेडिकल कालेज हो, हर ज़िले में नर्सिंग कालेज हो। आज हम दो-तीन ज़िलों सीकर, झुन्झुनूं, चूरू पर नर्सिंग के लिए डिपेंड हैं। इससे आगे तो है नहीं। अब यह परिस्थितियां है। मैं भी डेढ़ साल से इस विभाग का मंत्री हूं, महसूस किया कि दूसरे ज़िलों में नर्सिंग के प्रति किसी का कोई रुझान ही नहीं है, कोई नर्सिंग करने जाते ही नहीं हैं, नर्सिंग कालेज है ही नहीं। पूरे प्रदेश का किस तरह से समुचित विकास हो, किस तरह से युवा मेडिकल से जुड़ें, इसलिए आज सारे ज़िलों में मेडिकल कालेज खोलने का मुख्य मंत्री जी का विजन है। जब सब ज़िलों में मेडिकल कालेज खुलेंगे, सब ज़िलों में नर्सिंग कालेज खुलेंगे, डेन्टल कालेज खुलेंगे, पैरामेडिकल कालेज खुलेंगे, तो निश्चित रूप से व्यवस्था करने में हमारा अभी जो आर.यू.एच.एस. है, उस पर बहुत अधिक भार आ जाएगा। हमारा जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, सिरोही कितनी दूरदराज इलाक़े हैं, उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने 2023-24 के बजट में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जोधपुर खोलने का फैसला किया, सबको स्वागत करना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी की जगह दो हों, तीन हों, चार हों, पांच हों, इसमें किसको एतराज होना चाहिए। एतराज करना भी नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी, जितने ज्यादा मेडिकल कालेज होंगे, राजस्थान की बहबूदी उतनी ही बढ़ेगी।

(श्री परसादी लाल)

नेता, प्रतिपक्ष वित्त के मामले में मत किया करो। मुख्य मंत्री जी खुद कह चुके, मैं जादूगर हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। डी.पी.आर. तैयार कर दी है, आर.एस.आर.डी.सी. को डी.पी.आर. बनाने के लिए कह दिया है। बहुत जल्द ही मुख्य मंत्री जी ठीक हो जाएंगे, उसका शिलान्यास भी कर देंगे। जमीन हो गई। इस तरह की आशंका क्यों करते हो। मुख्य मंत्री जी ने जो भी कहा है, जो भी बजट घोषणाएं की हैं, उनको 100 प्रतिशत हम पूरा करेंगे।

अभी पदों की बात भी आई। पदों की भी स्वीकृति जारी कर दी। सारी स्वीकृतियां जारी कर दीं। यह सही बात है कि बजट घोषणा के बाद विधान सभा का सत्र अभी आया है, इसी में विधेयक को पास कराया जाना था। यह लेट नहीं करना था, इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि आप जैसे ज्ञानी को तो इसका स्वागत करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर आपको इसकी बात करनी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, किसको एतराज है। प्राइवेट, उससे तो बेहतर है कि सरकारी यूनिवर्सिटी होगी, कहीं भी होगी तो उससे हमारे प्रदेश का भला ही होगा, आने वाली पीढ़ी का भला होगा। नेता, प्रतिपक्ष, देख लीजिए आने वाली पीढ़ी अशोक गहलोत जी को याद करेगी, आप यह मानकर चलिए।

भारत सरकार ने जब 75 मेडिकल कालेज दिये थे, हमारे प्रयासों से, हमारी सरकार के प्रयासों से सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान को मिला, आपको व हमको खुशी होनी चाहिए। इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। 60 परसेंट भारत सरकार का है, 40 परसेंट हमारा है, जमीन हमारी है। भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है, हमको ही नहीं सारे देश को दे रही है। हमने 15 लिए, इसके लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आपको भी मिला था, आप चूरू में ले गये। आप कह रहे हो कि जोधपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी ले गये। आप चूरू क्यों ले गये? एक मिली उसको ही चूरू ले गये। इसमें यह कहने की क्या बात है। जोधपुर का भी विकास हो, बीकानेर का भी विकास हो, अजमेर का भी विकास हो, उदयपुर का भी विकास हो, सब जगह का विकास हो। एक खुली है, दूसरे की मांग करते तो अच्छा लगता। किसी की आलोचना करने की बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी की मांग करते। जैसा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर में यूनिवर्सिटी हो, अशोक गहलोत जी

(श्री परसादी लाल)

आ गये तो आपकी सब इच्छा पूरी कर देंगे अगली बार। किसी की भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अशोक गहलोत जी तो वह जादूगर हैं। कोई सोचता था क्या हर ज़िले में हो जाएगा? हमारे दौसा जैसे ज़िले में मेडिकल कालेज हो जाएगा, बूंदी में हो जाएगा, टोंक में हो जाएगा, सवाईमाधोपुर में हो जाएगा, बारां में हो जाएगा, धौलपुर में हो जाएगा? कोई सोचता था क्या कि मेडिकल कालेज हो जाएगा? मेडिकल कालेज होने से वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी स्तर बढ़ेगा। नया डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल बनेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। जो लोग आज जयपुर आते हैं, हमारे मेडिकल कालेज के हास्पिटल होंगे तो लोग वहीं पर इलाज करवाएंगे, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी।

आपको जानकार आश्चर्य होगा कि हमारे मेडिकल की कितनी सीटें बढ़ी हैं। आप अभी कह रहे थे, गर्ग साहब गये, हमने तो भारत सरकार से खूब अनुरोध किया, मुख्य मंत्री जी से चिट्ठी लिखवाई कि हमारे तीन ज़िले रह गये आप इनमें भी मेडिकल कालेज खोल दो, लेकिन उन्होंने न कह दिया, कहा कि राजस्थान को पहले ही हमने बहुत ज्यादा दे दिया अब ज्यादा नहीं देंगे। हम सबको मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने स्टेट बजट से जालौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, तीन ज़िलों में भी हमको मेडिकल कालेज दिए। कितनी बड़ी बात है, सारे ज़िलों को बराबर, कोई भेदभाव नहीं।

निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनेगी, उसका बजट दे दिया, पद सैंक्शन कर दिये, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, इसमें शंका करने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि एन.एम.सी. से आते है तो डाक्टर्स को इधर-उधर करते हैं। वह तो आप भी करते आए हो, कोई नई बात नहीं है। जब सारे मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, डाक्टर्स की कमी है, डाक्टर्स की कमी है, इसीलिए तो हम मेडिकल कालेज खोल रहे हैं। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर हमको नहीं मिल रहे हैं, सही बात है। इसमें कहीं कोई छिपाने की बात नहीं है, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी करीब 400 असिस्टेंट प्रोफसर्स की भर्ती की है। किसी ने ज्वाइन भी किया, नहीं भी किया, दुबारा करेंगे। कोशिश करनी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। सबको मिलकर इस बिल का ध्वनिमत से स्वागत करना चाहिए। यह राजस्थान के भले के लिए है, चाहे मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुले, कल दूसरी जगह भी खुलेगी, हम तो यह कहते हैं कि सब जगह खुलनी चाहिए।

(श्री परसादी लाल)

सभापति महोदय, हमारे 10 नर्सिंग कालेज हुआ करते थे, आज 40 नर्सिंग कालेज। 19 कालेज तो एक ही बजट में खोले हैं, चार इस बार खोले हैं। हमारे 40 नर्सिंग कालेज हो जाएंगे। हर ज़िले में नर्सिंग कालेज, कोई सोचता नहीं था कि हर ज़िले में नर्सिंग कालेज हो जाएंगे। कोई सोचता था, जब चुनाव जीतकर आये मंत्री बने तब हम भी नहीं सोचते थे। हर जिले में नर्सिंग कालेज होंगे, वहां के बेरोजगार बच्चे हैं, ग़रीबों के बच्चे हैं वे नर्सिंग करेंगे। आज हमारे पास नर्सिंग की जो कमी है वह कमी दूर हो जाएगी।

सभापति महोदय, दूर-दराज इलाक़ों में जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर सिरोही में डॉक्टर ही नहीं जाते थे। माननीय सदस्य सही कह रहे थे। हमने कह दिया पाँच जिलों से हम कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे, किसी भी पैरामेडिकल, डॉक्टर को वहां से हटाएंगे नहीं, वहां लगा देंगे। आज वहां डाक्टर्स की यह स्थिति है। हमने 1,700 डाक्टर भर्ती किये, हमने सबसे पहले वहां लगाये। शायद आज एक भी सी.एच.सी., पी.एच.सी. ऐसी नहीं है, जहां पर हमारा डाक्टर नहीं हो।

अभी हमने नई सी.एच.सी., पी.एच.सी. खोलीं, वहां पर भी मुख्य मंत्रीजी ने हाथों-हाथ हमको पांच सौ पोस्टें एम.ओ. की दे दीं और यह कह दिया कि नई सी.एच.सी., पी.एच.सी. पर लगाओ सबसे पहले, उनको चालू करिए सबसे पहले जो अपने बजट में घोषणा की है।

(समय: 17.00 बजे)

पैरा मेडिकल स्टाफ की तीन हजार पोस्टें हमको दे दीं। यू.टी.बी. में लगा दो, तुरन्त लगा दो, तुरन्त चालू कर दो, तो मुख्य मंत्रीजी के विजन का सबको स्वागत करना चाहिए। मुख्य मंत्रीजी प्रदेश के भले के लिए जो भी योजनाएं लाये हैं, जो भी मेडिकल कालेज खोले हैं, ये सारे कालेज हमारे शुरू होंगे और जो भी हमारी शंकाएं व्यक्त की गयी हैं, प्रत्येक मेडिकल कालेज को हमने 325 करोड़, भारत सरकार के सहयोग से भी, 60 परसेंट है, कहने में कोई छिपाने की बात नहीं है, दिया है उन्होंने, तो यह तीन कालेज तो हम हमारे फंड से ही कर रहे हैं। एक हजार करोड़ रुपया मुख्य मंत्रीजी ने ही दिया है। उनकी जमीन आबंटित हो गयी। डी.पी.आर. बन गयी, काम शुरू करवा रहे हैं।

जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमको तो पता

(श्री परसादी लाल)

ही नहीं है। सब पता है, वे हाउस को छोड़कर चले गये पहले ही, इसलिए कोई बिना राजनीतिक भेदभाव के जिस तरह का हमने इसमें काम किया है, निश्चित रूप से मारवाड़ यूनिवर्सिटी की भी सारी चीज हमने आपको बताईं, जो हम बहुत जल्दी ही शुरू कर देंगे।

राजमेस में भी, आपके समय भी राजमेस था, आपने भी देखा है राजमेस का, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे। हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो जायेंगे। एन.एम.सी. का जो इंस्पेक्शन होता है, आप कहते हैं वह सही बात है, आपसे कोई छिपी हुई बात नहीं है, आज भी वही बात है इसलिए जो भी डाक्टर्स की कमी हमारे पास है उसको भी हम दूर करेंगे। आज हमने 1,763 डाक्टर्स लगाये हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, हमने बिना भेदभाव के लगाये हैं। हमने काउंसलिंग करके लगाये हैं। जहां पर पोस्ट वेकेंट है, चाहे एक ही डाक्टर लगे पी.एच.सी., सी.एच.सी. पर, वहां पर डाक्टर होना चाहिए। डाक्टर नहीं होगा तो हमारी जो योजनाएं हैं, उनका एग्जिक्यूशन कैसे होगा? फ्री दवाई कैसे मिलेगी? दवाई कौन लिखेगा? पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं होगा तो वहां पर कौन करेगा? हम यू.टी.बी. पर भर्ती कर रहे हैं। यह जो भी आपने आशंकाएं व्यक्त की हैं, निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी ने यूनिवर्सिटी की जो घोषणा वर्ष 2023-24 में की है, हम उसको अमलीजामा पहना रहे हैं और एम.बी.बी.एस. की सीटें बढ़कर, पहले हमारे ये 750 थीं, अब आप देखिये कि ये 3230 हो जायेंगी, तो सारे मेडिकल कालेज हमारे शुरू हो जायेंगे तो आप देखेंगे। पहले हमारे यह 7 मेडिकल कालेज थे। राजमेस के 12 मेडिकल कालेज है। इस वर्ष प्रारम्भ होने वाले कालेज हमारे दौसा, बूंदी, करौली, हनुमानगढ़ और अलवर, यह पांचों मेडिकल कालेज हमारे शुरू हो जायेंगे। सिरोही वगैरह हमारे शुरू हो गये। ये जो प्रस्तावित हैं, इस साल बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, नागौर, जैसलमेर, टोंक, बारां, झुन्झुनूं माननीय सभापति महोदय, इनका सिविल वर्क हमने शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही इनका काम हो जायेगा। इस साल जो हमारे तीन मेडिकल कालेज खोले हैं मुख्य मंत्रीजी ने, उनकी भी हम जल्दी ही डी.पी.आर. बनाकर काम शुरू करेंगे। नर्सिंग कालेज का भी हमारे इतना बड़ा, हमने भी नहीं सोचा था कि नर्सिंग कालेज दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सब जगह खुल जायेंगे, यह किसी ने सोचा नहीं था, पर मुख्य मंत्रीजी का विजन है।

जब इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं हर जिले में मेडिकल कालेज, हर

(श्री परसादी लाल)

जिले में नर्सिंग कालेज तो इसके लिए फण्ड की कहीं कोई कमी नहीं है हमारे पास। कोई कमी नहीं है, सब एडवांस है हमारे पास। अभी राजमेस के पास तो पैसा ज्यादा पड़ा है, 500 करोड़ रुपया ज्यादा पड़ा हुआ है, उसको खर्च कहां करें? तो यह निश्चित रूप से पैसे की, नेता, प्रतिपक्ष, कमी नहीं आयेगी। सारी चीजें जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषित की है, हम सब उनको पूरा करेंगे और ये मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटीज जो खुल रही हैं, यह राजस्थान के भले के लिए हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए आसान होगा वहां पर आना-जाना, उनका काम कराना। हमारे नर्सिंग कालेज, हमारे जो दो डेंटल कालेज सब इनसे जुड़ेंगे। यह होगा तो निश्चित रूप से काम में सरलता आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित कराएं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री सभापति: जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री सभापति: जो विपक्ष में हों, वे ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 50, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 50 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 से 50 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: थर्ड स्टेज पर बोलने के लिए दो नाम प्राप्त हुए हैं, एक श्री बलवान पूनियांजी का और दूसरा श्री हरीशजी चौधरी का। बलवान पूनियांजी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पारित होने को है और यह जोधपुर और मारवाड़ की जनता के लिए और राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कालेज के लिए एक सौगात साबित होगा। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और

(श्री बलवान पूनियां)

यह उम्मीद करते हैं कि आज राजस्थान की विधान सभा एक और मेडिकल कालेज देगी, मेडिकल विश्वविद्यालय देगी जैसे चूरू में कभी मेडिकल कालेज बना था।

मंत्री महोदय ने यह बहुत ही जोरदार बात कही है कि जब कालेज खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, जब विश्वविद्यालय खुलते हैं तो हम सब लोगों को बहुत मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और इन फैसलों का स्वागत करना चाहिए, ताकि हमें सारे संसाधन जुटाते वक्त दिक्कत नहीं आए।

हम तो एक बात चाहते हैं, हमने बार-बार इस विधान सभा में बात की कि यह जो मेडिकल कालेज और मेडिकल विश्वविद्यालय बन रहे हैं, हम जिस विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, उसमें इतनी बड़ी कैन्सर की स्थिति है कि हर गांव में दस-दस मरीज कैन्सर के हैं। आपने हमारे हनुमानगढ़ में जैसे मेडिकल कालेज खोला है, वैसे ही कैन्सर का रिसर्च सेंटर भी खोलिए। हम स्वागत करेंगे उस दिन जोरदार ऐसे विश्वविद्यालयों का। हमारे हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में जो यह पानी आता है नदियों का और उन नदियों में जो गंदगी आती है, पानी में मिलावट, तो, मंत्री महोदय, पूरे इलाके में कैन्सर पसर गया है। दस-दस, बीस-बीस मरीज एक-एक गांव में कैन्सर के हैं, इसलिए हमारे इलाके की इस महत्वपूर्ण बात पर भी आप विधेयक लेकर आएं, जैसे मारवाड़ विश्वविद्यालय का विधेयक लेकर आये हैं।

मंत्री महोदय, मैं एक बात इससे जुड़ी हुई कहना चाहूंगा। हमने यह महसूस किया कि आज जो डॉक्टर मेडिकल कालेज में और मेडिकल विश्वविद्यालयों में, 60 साल की उम्र का इसमें लिखा हुआ है कि 60 साल के बाद रिटायर होंगे। आज आपने इतने मेडिकल कालेज खोले हैं और इतने विश्वविद्यालय खुल रहे हैं तो 60 साल के बाद ये रिटायर हो जायेंगे और नये लोग आयेंगे। जैसे 750 से 3,200 सीटें हुई हैं तो नये लोग आने में वक्त लगेगा तो ये जो आज मेडिकल कालेज में डाक्टर हैं, जैसे एस.एम.एस. में डाक्टर हैं, तो थोड़े ही दिनों में आपके ये 30 रिटायर होने वाले हैं, उनका अनुभव प्राइवेट सैक्टर में जायेगा, इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आप उनकी समयावधि बढ़ाइये और आप उनकी सेवाएं एस.एम.एस. में और राजस्थान भर के इन मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालयों में लीजिए, ताकि जनता को जन सुविधा देने में आपको, सरकार को फायदा हो।

(श्री बलवान पूनियां)

इस बात के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की इस सरकार का और इस असेम्बली का, असेम्बली में उपस्थित तमाम माननीय सदस्यों का कि आज इस जोरदार विश्वविद्यालय के बिल को पास करेंगे। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री हरीश चौधरी।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के माध्यम से जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव लेकर आयी है।

माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय का मूल मकसद क्या है? विश्वविद्यालय का मूल मकसद है कि उस संस्था के अन्दर शोध हो और उस शोध को मदद करने के लिए, सहायक तौर के ऊपर उसमें अकेडेमिक एक्टीविटीज हों और उस अकेडेमिक एक्टीविटीज को अमलीजामा पहनाने के लिए परीक्षा हो।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के सामने एक सवाल करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि हमारे यहां पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के अन्दर जो मूल उद्देश्य है, वे विश्वविद्यालय के शोध कार्य हैं, रिसर्च वर्क हैं, वे कितना हो रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, लगभग पौने पांच वर्ष हो गये मुझे यहां विधायक के तौर पर, सिर्फ एक दफा मैं विपक्षी बेंच की तरफ गया और मैंने व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया प्रतिपक्ष के नेता से, निवेदन था कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों के आज हालात क्या हैं?

मैं आज मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये दोनों कोन्ट्राडिक्ट्री बातें हैं एक तो मैं समर्थन कर रहा हूं और दूसरी जो वहां की बात कर रहा हूं उसके अन्दर। सरकार मारवाड़ विश्वविद्यालय का जो प्रस्ताव लेकर आयी है, उसमें जो उद्देश्य हैं, तमाम उद्देश्य हैं, जिसकी शुरुआत नवीन उन्नति और ज्ञान का प्रसार करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने से लेकर जो तमाम जो प्रावधान हैं, उसके अन्दर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है। सिर्फ और सिर्फ शोध है।

(श्री हरीश चौधरी)

विधेयक के खण्ड 5 के अन्दर शक्तियों और कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं। इन 19 बिन्दुओं में सिर्फ 14 बिन्दु एकेडमिक के लिए हैं और मात्र 2 रिसर्च के लिए हैं। आज हम रिसर्च के माध्यम से इस देश को आगे लेकर नहीं जायेंगे तो कब लेकर जायेंगे?

इस देश की स्थापना के वक्त एक तरफ तो हम लोग दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। हम लोगों के परिवार के पास न्यूनतम आवश्यकताएं पेयजल नहीं था, तन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, पर उस वक्त भी देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरूजी ने संस्थाएं बनायीं। उस समय दुनिया में एटोमिक रिसर्च के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी और भाभा एटोमिक रिसर्च सेन्टर बनाया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाया और तमाम संस्थाएं बनायीं। इन संस्थाओं को बनाने के पीछे मूल उद्देश्य रिसर्च एण्ड डवलपमेंट था।

माननीय सभापति महोदय, आज अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे विकसित देश क्यों है? अमेरिका के अन्दर सबसे बड़ा योगदान चिकित्सा के क्षेत्र का है, फार्मास्युटिकल क्षेत्र और डिफेंस का है। आज जितना रिसर्च एण्ड डवलपमेंट चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर अमेरिका में हो रहा है, उसके कारण आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी दवाई, उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, उसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वह है अमेरिका।

मारवाड़ रेगिस्तानी इलाके के अन्दर आता है और उसके अन्दर जो बीमारियां हैं, बिलकुल अलग ढंग की बीमारियां हैं। रेगिस्तानी इलाके में बीमारियों के सन्दर्भ में यदि वहां विश्वविद्यालय खुले तो शायद ही किसी को इसके लिए आपत्ति होगी। रेगिस्तानी इलाके की बीमारी बिलकुल अलग है। हमको सर्वसम्मति से धन्यवाद देना चाहिए कि उन बीमारियों के लिए शोध का कार्य जोधपुर सम्भाग में मारवाड़ विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय की बात करते-करते हम लोग बात कहां तक लेकर चले गये। सरदार पटेल को प्रधान मंत्री बनाना चाहिए था, यहां तक हम लोग बात लेकर चले गये। जब बात शुरू ही हो गयी तो सरदार पटेल ने आर.एस.एस. के सन्दर्भ में क्या कहा, अगर वह भी जिक्र कर लेते तो ठीक रहता।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उन्होंने ही प्रतिबन्ध हटाया था।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): देवनानीजी, आपने बात की थी कि ये जो मेडिकल कालेज हैं, वे नरेन्द्र मोदीजी की देन हैं। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं। आपकी मजबूरी अच्छी तरह से जानता हूं कि राजनीतिके अन्दर आपके द्वारा नरेन्द्र मोदीजी का नाम नहीं लेना कितना घातक होगा और आपके आगे का राजनीतिक भविष्य नरेन्द्र मोदीजी का नाम लेने से सुरक्षित रहेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपको गहलोतजी का नाम लेना पड़ेगा। आप गहलोत चालीसा पढ़ें।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं जब लोक सभा का सदस्य था, सदस्य रहते हुए बाड़मेर के अन्दर मेडिकल कालेज का फैसला हुआ। उस वक्त केन्द्र में कौन थे? यदि आप भूल गये हों तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय केन्द्र में डाक्टर मनमोहन सिंहजी थे। आप सिर्फ बातें कर रहे हो कि मेडिकल कालेज नरेन्द्र मोदीजी की देन है तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। बाड़मेर मेडिकल कालेज, जब मैं लोक सभा का सदस्य था, उस वक्त हम लोगों ने स्वीकृत कराया। वह अलग बात है कि पांच साल तक राजेन्द्र राठौड़जी, आपने वह मेडिकल कालेज शुरू नहीं करवाया। मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी और उस रुके हुए बाड़मेर के मेडिकल कालेज की शुरुआत सरकार ने करवायी। (व्यवधान)

टिकटों की चर्चा इस सदन में मत करो। टिकटों की चिन्ता और चर्चा का एक अलग खेल है। वह सफर ही अलग है। टिकटों का सफर कहां से राजेन्द्र राठौड़जी का शुरू हुआ, वह खतम नहीं हुआ। कल्याण सिंहजी कालवी के साथ वह सफर शुरू हुआ। देवनानीजी, अब आपके साथ हैं। टिकटों का खेल ही निराला है। इसकी चर्चा हम सदन में नहीं करें। सार्वजनिक मंचों पर करें, मीडिया से करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्टीन्यू।

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अन्दर एक और विश्वविद्यालय है एन.एल.यू.। वह विश्वविद्यालय राजस्थान के अन्दर ही है। उस विश्वविद्यालय के अन्दर ओ.बी.सी. के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। यह बड़े दु:ख की बात है। संविधान के अन्दर ओ.बी.सी. के आरक्षण की व्यवस्था है और इस विश्वविद्यालय के अन्दर ओ.बी.सी. के लिए सीट रिजर्व्ड नहीं है।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, यह जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, उसके अन्दर इस प्रकार का कृत्य वापस नहीं दोहराया जाए। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ओबी.सी. रिजर्वेशन की व्यवस्था पूरे देश और राजस्थान में नहीं है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, केन्द्र सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ओबी.सी. रिजर्वेशन की जो हम बात करते हैं, वह ओ.बी.सी. रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्ड के तौर पर दर्ज किया जाए। ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन राजस्थान के अन्दर नहीं है। ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन केन्द्र में नहीं है। सिर्फ आर्थिक पिछड़े ओ.बी.सी. का रिजर्वेशन है और आर्थिक पिछड़े राजस्थान की तमाम जातियों का एस.सी. और एस.टी. के अलावा है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो 27 परसेंट आरक्षण उच्च संस्थाओं के अन्दर है, वह 27 परसेंट आरक्षण ओ.बी.सी. इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का राजस्थान के अन्दर भी लागू होना चाहिए जो मेरी खुद की पार्टी, कांग्रेस पार्टी का भी यह मत है। माननीय सभापति महोदय, उसके अन्दर विवाद हो सकता है, तर्क हो सकते हैं, कुतर्क हो सकते हैं, लेकिन मैं इस अवसर पर यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसका आधार देश के अन्दर जातिगत जनगणना के माध्यम से ही जो कुतर्क कर रहे हैं, उनको, कि देश में जातिगत जनगणना हो चुकी है। देश के अन्दर जातिगत जनगणना जो 2011 के अन्दर हुई, वह सरकार, जिनका ये गुणगान कर रहे हैं, जैसे ही नरेन्द्र मोदीजी की सरकार आयी, अरुण जेटलीजी ने लोक सभा में यह बात कही कि जातिगत जनगणना के अन्दर त्रुटियां है और त्रुटियों का अध्ययन करने के लिए पनगड़िया कमेटी बनायी। अब वह पनगड़िया कमेटी आज तक नहीं बनी। मेरा सरकार को निवेदन है कि अगर केन्द्र जातिगत जनगणना नहीं करती है तो इसकी शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिये। ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में विश्वास रखने वाले नहीं हैं। अगर ये खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी लाइन, आपके लीडर यहीं खड़े होकर यह बात कह दें कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन के अन्दर हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। OBC पर विवाद करने से नहीं होगा। SC, ST का रिजर्वेशन भी राजस्थान में कभी बढ़ा तो वह अशोक गहलोत जी के मुख्य मंत्री रहते हुए बढ़ा है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, ये बिल पर बोल रहे हैं क्या?

श्री हरीश चौधरी (बायतू): मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए। आप इनको कम्प्लीट करने दीजिए। अपनी बात तो कहने दीजिए इनको।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह कौनसा बिल है?

श्री हरीश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, यह बिल में ही है। बिल के अन्दर सीटों के आरक्षण का प्रावधान, जो संवैधानिक हक है और यह हक राजस्थान के अन्दर लॉ यूनिवर्सिटी के अन्दर OBC के छात्रों का मारा जा रहा है। आज हम लोग, एक जन-प्रतिनिधि के तौर पर कहूंगा कि जो अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, इसी विश्वविद्यालयों की सीटों के अन्तर्गत हो रहा है और भविष्य में नहीं हो, यह अगर विषय नहीं है तो कौनसा विषय है? विश्वविद्यालय बनते हैं, विश्वविद्यालयों के अन्दर इन सीटों के अन्दर आरक्षण हो। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संविधान के अन्दर हम लोगों को हक दे रखा है और यह विषय नहीं है तो और क्या विषय है? OBC के नाम पर विवाद करना, यह विषय है।

माननीय सभापति महोदय, जो विश्वविद्यालय बन रहा है, इस विश्वविद्यालय के अन्दर मारवाड़ के अन्दर सबसे बड़ी चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर चुनौती है स्टेराइड की। इसके अन्दर उद्देश्यों में भी यह बिलकुल उल्लेख है, इसका प्रचार-प्रसार भी करें। जो स्टेराइड के माध्यम से पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान, विशेषकर मारवाड़ के अन्दर हम लोगों के ऊपर स्टेराइड का दुष्प्रभाव हो रहा है, वह हम लोगों के लिए मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी चुनौती है। आज डाक्टर भी स्टेराइड दे रहे हैं, मरीज भी स्टेराइड ले रहे हैं। डाक्टर इसलिये दे रहे हैं कि तत्काल उनके इलाज के अन्दर राहत मिलती है और मरीज भी इसलिये लेते हैं कि तत्काल उनको राहत मिलती है। स्टेराइड जैसी जो व्यवस्था है, उसके सन्दर्भ में भी हम लोगों को ऐसी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, यह मेडिकल साइंस एक अलग दौर में जा रही है। आज इस मेडिकल साइंस को, जो आने वाले समय के अन्दर एक नया रूप लेगी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जब हम इस संस्था की नींव रख रहे हैं, इन लोगों की नीति नहीं है, मंत्रीजी इन लोगों का विश्वास भी नहीं है कि

(श्री हरीश चौधरी)

राजस्थान कहां तक बढ़ रहा है। मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर चिरंजीवी योजना चलाई। इन लोगों को चिरंजीवी योजना का ही नहीं पता। इस योजना का इनको इसलिये नहीं पता कि ये लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। सिर्फ बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े लोगों की बीच ही ये जाते हैं। गरीब के लिए चिरंजीवी योजना का क्या महत्व है, अगर राजस्थान के सदन में बैठा हुआ सदस्य नहीं जानता है तो यह हम लोगों का दुर्भाग्य है।

माननीय सभापति महोदय, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से आने वाले समय के अन्दर इस चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर बहुत आमूलचूल परिवर्तन आयेगा। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत करते वक्त इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के लिए रिसर्च, डवलपमेंट के माध्यम से राजस्थान के अन्दर चिकित्सा के नये क्षेत्र के अन्दर हम लोग नेतृत्व करें। परसादी लाल जी मीणा, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से सिर्फ भारत के अन्दर, अध्ययन यह कहता है कि 2025 तक 11.78 बिलियन डालर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर भागीदारी होगी। 2035 तक एक ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था के अन्दर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी की भागीदारी मेडिकल क्षेत्र के अन्दर होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी भी इसके अन्दर पूरा रखें।

माननीय सभापति महोदय, इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के कारण अध्ययन यह कहता है कि USA के अन्दर 2026 तक एक वर्ष के अन्दर 150 बिलियन डालर कम खर्च होगा। इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से सर्जरी की रिस्क, मेडिकल डायग्नोसिस हो, और भी तमाम क्षेत्रों के अन्दर बहुत बड़ा, जो हम लोगों की एप्रोच है, रिएक्टिव एप्रोच, जो राजेन्द्र राठौड़ के अनुभव के टाइम पर, जब ये मेडिकल मिनिस्टर थे उस वक्त, हम लोगों की रिएक्टिव एप्रोच होती थी पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से हमारी एप्रोच में भी परिवर्तन आयेगा और वह प्रो-एक्टिव एप्रोच होगी, ऐसा दुनिया के विशेषज्ञों का कहना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी को हम लोग प्राथमिकता दें। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से होगा क्या? आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से डायग्नोसिस के अन्दर

(श्री हरीश चौधरी)

क्लियरिटी आयेगी। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के माध्यम से हमारे पेशेंट की रिकवरी में भी फर्क पड़ेगा, हास्पिटलाइजेशन भी कम होगा। डाक्टर इस बारे में चिंता कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी में भी डाक्टरों की आवश्यकता रहेगी और जो पैसा खर्च होगा, उसके अन्दर भी आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंसी के माध्यम से हम लोगों को फायदा होगा। इस आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंसी के कई सोल्यूशन आज दुनिया के अन्दर आ चुके हैं। हिन्दुस्तान में भी आ चुके हैं। वह चीज हम लोग राजस्थान के अन्दर कैसे लेकर आएं? जैसे पैथ आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस हैं, बॉयो हैल्थ है, ये तमाम जो आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंसी के माध्यम से मेडिकल साइंस के अन्दर आ रहे हैं, वे भी हम लोग यहां पर कैसे लेकर आएं। जेनेटिक कोर्स भी कैसे लेकर आएं?

माननीय सभापति महोदय, अभी यह बात चल रही थी कि एम्स जैसी संस्था है तो दूसरी संस्था की क्यों आवश्यकता है। एम्स जैसी संस्थाएं अलग दिशा के अन्दर काम करेंगी। मेरा भी सौभाग्य रहा कि जोधपुर के एम्स के अन्दर फाउण्डर बोर्ड मैम्बर मैं भी रहा। एम्स के माध्यम से आज मारवाड़ और जोधपुर के अन्दर, राजस्थान के अन्दर उस एम्स के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिली हुई है, वह हम लोगों को ही पता है। इस तरह की संस्था का हम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिये, विवाद नहीं करना चाहिये। अगर जोधपुर में है तो कल बाड़मेर में भी होगा। बाड़मेर में है तो कल बीकानेर में भी आयेगा। हमारी संकीर्ण सोच को हम लोग ऊपर करें और जो भारत की सोच है, इन्क्लुजिवनेस और कंसेंसस, समग्रता और सामंजस्य, उसके माध्यम से हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। यह टकराव के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाना और ये आगे रहें, ये पीछे रहें, इस सोच से हम इस राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा जी को और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को, कि आमूलचूल परिवर्तन, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक सब-सेन्टर भी ये लोग खोल नहीं पाये। PHC और CHC तो अलग बात है। वह PHC जो इन्होंने खोली, तमाम PHC के अन्दर मेडिकल डाक्टर और स्टाफ मेडिकल डिपार्टमेंट ने दिया, उसके लिए मैं तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तहेदिल से धन्यवाद देना

(श्री हरीश चौधरी)

चाहता हूं इस विभाग को, कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोरोना के वक्त के अन्दर दुनिया के सामने अगर किसी ने रखा तो राजस्थान के इस विभाग ने रखा है। आज इस अवसर पर मैं तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। जो दुनिया का मॉडल हुआ करता था केन्द्रीकृत मॉडल, वह राजस्थान के अन्दर इस मेडिकल डिपार्टमेंट ने विकेन्द्रीकृत मॉडल के तहत जो कोविड सेन्टर्स खोले और अब वे आंकड़े अपने आप में इतिहास के अन्दर दर्ज हो गये। कोरोना सेन्टर खोलकर व्यवस्थाएं की हैं और बेहतर प्रबन्धन आक्सीजन का किया। पांच दवाइयों का किट इन्होंने हर परिवार को दिया। इतिहास के अन्दर दर्ज हुआ इनका यह काम है। इसी प्रकार भविष्य के अन्दर मारवाड़ विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग इतिहास के अन्दर एक और कदम आगे बढ़ें। यही आप लोगों को शुभकामनाएं।

माननीय सभापति महोदय, अंत में एक पीड़ा जो प्रोफेसर की है, वह मैं रखना चाहता हूं। इन प्रोफेसर का मूल काम सिर्फ, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तब उनको कम लेक्चर देने पड़ते हैं। एसोसियेट होते हैं तो उससे कम देने पड़ते हैं और प्रोफेसर को और कम देने पड़ते हैं, क्योंकि वे पूरा का पूरा समय रिसर्च और डवलपमेंट के अन्दर लगाते हैं। उनकी पेंशन, हम विश्वविद्यालयों को छोड़ रहे हैं, जब देश के अन्दर सबसे पहले एक ऐतिहासिक कदम हमने OPS का राजस्थान के अन्दर यह निर्णय किया है, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, मेरा आपसे निवेदन है कि इन तमाम विश्वविद्यालयों और विशेषकर इस विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग हैं, एकेडमिक और नोन-एकेडमिक, जो फैकल्टीज हैं, उनको भी OPS के अन्तर्गत लाया जाए, उनकी भी हम लोग पेंशन सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पारित किया गया।

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023, माननीय मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023, अभी हमने मारवाड़ यूनिवर्सिटी पर चर्चा की, अब नई वेटरनरी यूनिवर्सिटी पर चर्चा हो रही है। कहने को तो राजस्थान 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज वाला पहला प्रदेश बन रहा है और इस बिल के माध्यम से 2 वेटरनरी यूनिवर्सिटीज वाला भी पहला प्रदेश बन रहा है, उसकी तो मंत्री जी आपको बधाइयां।

हम रोज नई यूनिवर्सिटी खोलते हुए इस उच्च शिक्षा के साथ करते क्या जा रहे हैं, उसका कितना नुकसान हम करते जा रहे हैं? उसकी हम कल्पना मात्र भी नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, राजुवास, बीकानेर पहली विश्वविद्यालय वेटरनरी की थी। पेरेंटल यूनिवर्सिटी जिसको कहें, उसको ही बाइफर्केट करके आप नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं।

(समय : 17.31 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

उस विश्वविद्यालय को भी बने हुए मात्र 13 वर्ष हुए हैं। 2010 में वेटरनरी विश्वविद्यालय बीकानेर बना था। उस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, शिक्षक उसको सजाने, संवारने में, आगे बढ़ाने में लगे हुए ही हैं। उसका शैशव काल ही है। उस शैशव काल में ही उसका बंटवारा करने जा रहे हैं। उसका विभाजन करने जा रहे हैं। हालांकि पशुओं की जनसंख्या घनत्व के मामले में, कैटल पापुलेशन में राजस्थान से कई प्रदेश आगे हैं। वहां भी एक ही यूनिवर्सिटी है। अब आपने घोषणा कर दी है, सरकार ने घोषणा कर दी, आप विधेयक ले आये तो पेरेंटल यूनिवर्सिटी के साथ कैसा सौतेला बर्ताव करने जा रहे हैं, उस पर भी नजर डाल लीजिए।

(श्री बिहारीलाल)

सभापति जी, आप भी डाक्टर हैं। पेरेंटल यूनिवर्सिटी के साथ सौतेला बर्ताव, विश्वविद्यालय का विभाजन इसमें आने वाले कालेज, पशु विज्ञान केन्द्रों और अन्य इकाइयों की संख्या के आधार पर न करके सम्भागीय स्तर पर किया जा रहा है। इस प्रकार विभाजन करने से राजुवास, बीकानेर को कितना नुकसान होगा, इसके 2-3 मोटे-मोटे उदाहरण मैं आपको दूंगा।

वर्तमान में राजस्थान में कुल स्थापित और घोषित वेटरनरी कालेज की संख्या 12 है। जो विभाजन किया जा रहा है उसके अनुसार राजुवास, बीकानेर के हिस्से में मात्र 4 कालेज आ रहे हैं और 8 नये विश्वविद्यालय जोबनेर के हिस्से में जा रहे हैं। इसी प्रकार राज्य में कार्यरत और घोषित निजी क्षेत्र के भी कुल 12 वेटरनरी कालेज हैं। उन 12 में से 11 कालेज जोबनेर की नई यूनिवर्सिटी के हिस्से में जा रहे हैं और पेरेंटल यूनिवर्सिटी बीकानेर के पास मात्र 01 कालेज बच रहा है। वर्तमान में कुल 70 एनिमल हस्बैंडरी डिप्लोमा कालेज है, जो राजुवास, बीकानेर से सम्बद्ध हैं और इस विभाजन के बाद उनमें से 50 कालेज जोबनेर के नये विश्वविद्यालय को चले जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि विश्वविद्यालय आटोनोमस बॉडी हैं, सरकार की कुछ आंशिक सहायता होती है, खुद को अपने इनकम के सोर्स जनरेट करने पड़ते हैं। राजुवास, बीकानेर की आय का मुख्य स्रोत यही कालेज हैं। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की फीस, इनसे एफिलिएशन लेने वाले कालेज से उनको आय होती है। अभी राजुवास, बीकानेर के अंदर 17 पशु विज्ञान केन्द्र हैं। जिनमें से 9 नये विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। यह बंटवारे का तरीका है?

मेरे पीछे वरिष्ठ साथी नागौर से आने वाले माननीय विधायक मोहन जी विराजे हैं। मैं इनसे पूछ रहा था। खेती-किसानी, पशुपालन के मंत्री भी किसान परिवार से आते हैं। इस सदन में बैठे हुए अधिसंख्यक विधायक किसान परिवार से आते हैं। जब घर में बंटवारा होता है तो बंटवारे में पेरेंटल, पीछे छूटता है, उसके पास क्या हिस्सा रहता है? सभापति महोदय, बडेर में जो छोटो हुवै रहैवे और बडेर वाले का हमेशा ही लाड़ होता है लेकिन यहां तो उलटा हो रहा है। पेरेंटल यूनिवर्सिटी के साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है कि जिस राजुवास की इन सारी चीजों से 25 करोड़ की आय हो रही थी और 18 करोड़ तो उसकी पेंशन लायबिलिटी है, जब आप इसको इस तरह

(श्री बिहारीलाल)

भेदभावपूर्ण तरीके से बांट देंगे तो नया जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसकी पेंशन लायबिलिटी तो जीरो होगी लेकिन पेरेंटल यूनिवर्सिटी की पेंशन लायबिलिटी 18 करोड़ है। आप उसकी 25 करोड़ की टोटल आय को इस तरह से बांट देंगे, असमान बंटवारा कर देंगे तो उस विश्वविद्यालय का क्या हश्र होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं।

राजस्थान के पहले कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, जो एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा का था, उसका इसी तरह से बंटवारा कर बाइफर्केशन किया गया। आज 5-5 विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के हैं, लेकिन नये विश्वविद्यालय जो बनते हैं उनके ऊपर जीरो लायबिलिटी पेंशन की है और पेंशन के बोझ तले वह पेरेंटल कृषि विश्वविद्यालय भुगत रहा है। वही हश्र इस पेरेंटल राजुवास, बीकानेर विश्वविद्यालय का रहेगा। यह जो बंटवारा माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने किया है, इस बंटवारे को उचित तरीके से करना चाहिए। यह न्याय संगत नहीं है।

सभापति महोदय, जब हम नया विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो पुराने विश्वविद्यालय की स्थिति देख लीजिए। 10 वर्षों से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर आदि शैक्षणिक स्टाफ की एक भी स्थायी भर्ती नहीं हुई है। 13 वर्षों से जो विश्वविद्यालय चल रहा है, उसकी यह स्थिति है तो इस विश्वविद्यालय का क्या हश्र होगा? महाविद्यालयों में वर्षों से रिक्त पद पड़े हैं। क्वालिटी एजुकेशन समाप्त होती जा रही है। नये विश्वविद्यालय और कालेज का भविष्य क्या होगा, हम इस बात को जानते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसी विश्वविद्यालय या संस्था का विभाजन होता है तो पेरेंटल संस्था के पास बड़ा हिस्सा होता है, जैसा मैंने मोहन जी का नाम लेकर जिक्र किया था। यहां तो बड़ा छोड़ आधा भी नहीं मिल रहा है। बीकानेर की जनता ही नहीं, बीकानेर के पशुपालकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

यह जो बीकानेर वेटरिनरी यूनिवर्सिटी है, जो कभी वेटरिनरी कालेज हुआ करता था। वेटरिनरी कालेज बीकानेर, 1954 में कालेज बना था। इस साल में उसकी प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है। उसमें बीकानेर सम्भाग ही नहीं हरियाणा, पंजाब से भी पशुओं का इलाज वहां होने आता है। आज उसकी क्या स्थिति रह जायेगी, यह हम कल्पना कर सकते हैं।

(श्री बिहारीलाल)

बीकानेर से सत्तारूढ़ पार्टी के 3-3 विधायक हैं और सौभाग्य से तीनों के तीनों कैबिनेट मंत्री हैं। एक को परकोटे से बाहर झांकने की फुर्सत नहीं है। एक को बजरी कालोनाइजेशन की जमीनों से फुर्सत नहीं है। किसी को जिप्सम से फुर्सत नहीं है। कई ऐसे भी कैबिनेट का दर्जा प्राप्त लोग हैं, मारवाड़ी में कहैवें, बिना ब्याव मुकलावा हो गयो, बानै रॉयल्टी सूं फुर्सत कोनी। अब लारे बचे म्हांका प्रभारी मंत्री जी, जिकां इं बिल न राख्यौ है। ये बीकानेर के प्रभारी मंत्री हैं।

माननीय सभापति जी, हमारे प्रभारी मंत्री को बीकानेर ने खूब मान-सम्मान दिया, लेकिन आज जब यह बिल पेश किया प्रभारी मंत्री जी ने तो बीकानेर के साथ यह व्यवहार कर रहे हैं। जोबनेर में नये विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। मुझे पता चला कि जोबनेर इनकी विधान सभा में पड़ता है। अब हमारे मान-सम्मान का क्या रहा? जो रसगुल्ले की मिठास, जो नमकीन का तीखापन और 5 साल की हमारी आवभगत, यह तो वह बात हो गयी कि 'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का'। यह बीकानेर के साथ माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा कि इसी बजट में बीकानेर राजूवास विश्वविद्यालय, वेटरनरी विश्वविद्यालय का नाम दुनिया के पहले पर्यावरणविद् भगवान जम्भेश्वर के नाम से बजट अनाउंसमेंट है। आज ही हमने कौशल विश्वविद्यालय का नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किया है। इस सदन ने पारित किया है। बजट घोषणा के बाद भी उसका बिल यहां नहीं आना सरकार की मंशा जाहिर करता है। बजट घोषणा आपकी है।

माननीय सभापति जी, हो सकता है किसी का एतराज हो। जो मेरे संज्ञान में आया है कि वेटरनरी कालेज को जमीन उस वक्त राज परिवार ने दी थी। राज परिवार का तो बीकानेर के इंस्टीट्यूशंस पर बहुत बड़ा एहसान है। अभी हमने मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय का बिल पास किया। उसकी डिबेट में भी मैंने कहा था कि यह विश्वविद्यालय हमारे बीकानेर में होता तो, जोधपुर में तो 30-40 किलोमीटर दूर जगह ढूंढनी पड़ी है, बीकानेर में तो बीकानेर के दिल में एस.पी. मेडिकल कालेज के पीछे है। सभापति जी, आप खुद डाक्टर हैं, कितना बड़ा मैदान पड़ा है? यह हमारे विजनरी महाराजा गंगासिंह जी की सोच थी कि इतनी बड़ी जमीन इस अस्पताल के लिए रखी।

(श्री बिहारीलाल)

ऐसी ही सोच, इस वेटेरनरी कालेज को 1954 में जमीन दी। विजय भवन, पूर्व प्रिंस विजय सिंह जी के नाम पर अगर किसी की मांग है कि उनका नाम होना चाहिए तो मैं भी उस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं और पूरा बीकानेर करता है कि प्रिंस विजय सिंह के नाम से वेटेरनरी कालेज हो, जो 1954 में बना। आज हम प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं, उसका नाम प्रिंस विजय सिंह के नाम पर किया जाए। बजट घोषणा में तो विश्वविद्यालय गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम से करने की बात थी और यह विश्वविद्यालय तो 13 वर्ष पहले शुरू हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 27 वर्ष गुरु महाराज ने गायें चराईं। करणी माता, गुरु महाराज, तेजाजी का गायों के लिए बलिदान हुआ, उस भूमि पर गुरु महाराज की भूमि पर पशुपालन, गो रक्षा, जीव रक्षा, पर्यावरण में गुरु जम्भेश्वर भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नाम हो नहीं सकता। इसलिए सरकार प्रिंस विजय सिंह के नाम से वेटेरनरी कालेज बीकानेर के नाम का बिल लेकर आए और यह बिल गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम पर वेटेरनरी राजूवास, बीकानेर के नाम का बिल लेकर आए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान, सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यह तो बात हम विश्वविद्यालय की कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के साथ-साथ आप पशुपालन महकमे के मंत्री भी हैं। पांच वर्ष से, 2017 की हम बात तो करें इन विश्वविद्यालयों में वेटेरनरी के स्टूडेंट तैयार करेंगे, हम पशु चिकित्सक बनाएंगे, लेकिन जो पशु चिकित्सक बने हुए हैं, जो डिग्रियां लिए हुए घूम रहे हैं उनका क्या हश्र हो रहा है? 2017 में 900 डाक्टर्स की वैकेंसी निकली, पिछली वसुन्धराजी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 900 डाक्टर्स की वैकेंसी निकली, ... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में पूरा कर दूंगा, आज बोलने वाले कम ही हैं, मंत्रीजी को जवाब देना है।

मैं कह रहा हूं कि 900 डाक्टर्स की वैकेंसी निकली 2017 में, आज 2017 को कितने वर्ष हो गये, एग्जाम हो चुके, सब हो चुके और लम्पी जैसा संकट पशुपालकों पर आया, कोरोना का संकट आया, टिड्डी का संकट आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी का कि टिड्डी के संकट में, हमने इस बात को सदन में रखा तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती जो अटकी पड़ी थी, ए.ए.ओ. की भर्ती जो अटकी पड़ी थी, हजारों नौजवानों का भला हुआ और वे नौकरी लगे, लेकिन यहां उलटा हुआ, लम्पी के संकट में लाखों गायें काल कवलित हो

(श्री बिहारीलाल)

गईं। राजेन्द्र राठौड़ साहब ने सरकार से सवाल पूछा, कितनी गायें लम्पी में मरीं तो सरकार का जवाब आया कि 76 हजार 30 गायें काल कवलित हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा दावा है कि 70 हजार गायें तो मेरे अकेले नोखा विधान सभा क्षेत्र में काल कवलित हुई हैं और बीकानेर जिले, जो काऊ बैल्ट कहा जाता है, वहां पर तीन से लेकर चार लाख गायों की मौत हुई है, राजस्थान का पूरे का आंकड़ा 76 हजार है और मात्र 41 हजार पशुपालकों को 40 हजार प्रति पशु देकर इतिश्री कर ली जाती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं।

900 डाक्टर्स की भर्ती 2017 से लेकर आज तक पूरी नहीं हुई। आज नया विश्वविद्यालय बनाकर नये वेटेरनरी के डाक्टर्स और तैयार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 900 डॉक्टर्स दर-दर भटक रहे हैं, उनकी नियुक्तियां कब सरकार करेगी? दो महीने का समय बचा है। सरकार और मंत्रीजी से आग्रह है कि उनकी भर्ती क्लीयर करें और उनको नौकरी पर लाएं।

माननीय सभापति महोदय, आज की वेटेरनरी इंस्टीट्यूशंस की, पशु-पालन के अस्पतालों की स्थिति देखिए। न डाक्टर हैं, न बिजली है। कोई भी कोल्ड चैन मेन्टेन नहीं कर सकता। कहीं भी फ्रिज नहीं है, 80 प्रतिशत में स्टाफ नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं हैं। यह स्थिति पशुपालन विभाग की है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस यूनिवर्सिटी के बंटवारे को आप इकाइयों के आधार पर करिए न कि संभाग के आधार पर। सीकर और झुंझुनूं को राजूवास, बीकानेर में रखिए, यह न्याय संगत बंटवारा कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। माननीय श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 द्वारा सरकार नया विश्वविद्यालय खोलकर, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत है, वो कर रही है, गोदी हाळा न मार कर पेट हाळा की

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आस ना करो, वो जवान हो जाएगा जल्दी गोदी हाळो। यानी मेरा कहने का भावार्थ है कि बीकानेर कालेज के ऊपर यह जो कुठाराघात किया है, मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि बंटवारा करने में भेदभाव न करें। घरां कोनी फकत को बीज और +++ न भावै आखातीज, सामान थारै कनै ह ही कोनी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, इस शब्द को डिलीट कराओ।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अनपढ़ आदमी हां। आप पढ्यो लिख्यो जतो कोनी, मेरा भाई।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां, तो वही बात कह रहा हूं कि इसको डिलीट कराओ।

श्री सभापति: प्लीज डिलीट इट।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, विद्वान लोगों की बात मानो जी।

माननीय सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे पशु चिकित्सालय जो हैं, उनकी हालत क्या है? लम्पी की जब बीमारी आई थी तो गांवों के अंदर कोई पशुधन सहायक नहीं था। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां सूरतगढ़ में 09 डॉक्टर्स की पोस्टें हैं और 01 डाक्टर पोस्टेड था। एक सिंगल, ओनली वन। हूं कोनी पढ़ेड़ो?

माननीय सभापति महोदय, यानी मेरा कहना यह है कि हमारी व्यवस्था आगे ही बहुत बुरी है। दूसरा विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है, पर हमारे पास विश्वविद्यालय के अंदर जो-जो सुविधा चाहिए, बजट होना चाहिए तो इस बीकानेर विश्वविद्यालय को बर्बाद करके नया विश्वविद्यालय आप पनपाना चाहते हो, यह नामुमकिन है, बिलकुल ही गलत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा विस्तार से चर्चा इस मामले में नहीं करना चाहता। (व्यवधान) हमारे नेता राठौड़ साहब तैयारी करते हैं, सातवीं बार आये हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि सरकार पहले जो विश्वविद्यालय है, उसमें तो पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवा दें, दुनिया भर के पद उसमें रिक्त पड़े हैं। दुर्दशा हो जाएगी अगर इस तरह से बंटवारा कर दिया तो एक जीता-जागता विश्वविद्यालय बीकानेर का बर्बाद हो जाएगा। यही कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। इस विधेयक को जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए परिचालित करें।

श्री सभापति: माननीय श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (अनुपस्थित),

माननीय श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित),

माननीय श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित),

माननीय श्री अभिनेश महर्षि (अनुपस्थित),

माननीय श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित)।

माननीय श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अभी भी दस मिनट पहले इसी बात पर चर्चा थी कि विश्वविद्यालय खुले, बहुत अच्छा राजस्थान के लिए संकेत है पर मेरे साथी बीकानेर सम्भाग के माननीय सदस्य, बिहारीलालजी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जब बंटवारा होता है तो चीजों को ढंग से बंटवारा करना चाहिए। हमारा पुराना विश्वविद्यालय है। इसमें जो सीकर और झुंझुनूं के कालेज और लायबिलिटीज हैं, वे हमारे बीकानेर विश्वविद्यालय में रहें और इसके साथ नया विश्वविद्यालय काम करे, वह देशी गाय के संवर्धन में तेजी से काम करे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यह जो काऊ बैल्ट का जिक्र किया इन्होंने, बीकानेर में इस विश्वविद्यालय का इतना बड़ा फायदा हुआ कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा गाय का पालन होता है तो बीकानेर में होता है। बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा फायदा हुआ था। हमारे देशी गाय के और राठी गाय के संवर्धन पर बहुत बड़ा काम हुआ था। इसमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आज भी हमारे घरों में देशी गाय की जगह अमेरिकन गाय ने, जर्सी नस्ल की गायों ने जगह ले ली है, जो हमारे खेत के लिए, हमारे खलिहान के लिए, हमारे आंगन के लिए, हमारे दूध के लिए अच्छी बात नहीं है। जो पशु विश्वविद्यालय, दूसरा जनरेट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि काम के बंटवारे के साथ-साथ संसाधनों का बंटवारा करना जरूरी है। राजस्थान में जो कृषि की बात करता है उसको कतई यह नहीं भूलना चाहिए कि कृषि के साथ-साथ राजस्थान के किसान की 40 फीसदी आमदनी पशुपालन से होती है। पशुपालन में अगर सबसे ज्यादा नफा और फायदा कोई चीज देती है तो वह देशी गाय देती है। देशी गाय के संवर्धन पर दोनों विश्वविद्यालय काम करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, हम यह भी मांग करना चाहते हैं कि लम्पी के समय में जो दिक्कत आई, आपने एल.एस.ए तो ले लिये लेकिन आपके पास डाक्टर्स थे ही नहीं और आपके पास पिछले 2017 से अब तक 900 डाक्टर्स की भर्ती अटकी पड़ी है। AAG से यहां तक फाइल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। बार-बार उनके डेलिगेशंस आये हैं, जिसकी वजह से आपने हमारे हास्पिटल्स भी क्रमोन्नत कर दिये, लेकिन उनमें डाक्टर्स नहीं लग पाये। इसलिए हमारी सरकार से इल्तिजा है कि यह विधेयक तो ठीक है और इससे हमारी उन्नति होगी, इसमें कोई दोराय नहीं, लेकिन ये जो भर्तियों के काम पैंडिंग हैं। गाय के समर्थन का जो काम है, मैं समझता हूं, अधिकारी बैठे हैं, ये भी इसे बहुत तेजी से देखेंगे। राजस्थान की अगर कोई सांस्कृतिक पहचान है तो राजस्थान की राठी गाय से, गिर गाय से, थारपारकर से, इन गायों की नस्लों से है। इन गायों से ही हमारा राजस्थान आगे बढ़ता आया है।

राजस्थान की सरकार पशुपालन को मजबूत करने के लिए यह विधेयक लायी है। जो उत्तर पूर्वी जिले हैं, वहां उन्हें दूर जाना पड़ता है, इसलिए जोबनेर विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया है। इसके लिए धन्यवाद है, पर हमारी जो चिन्ता है, कन्सर्न है, उसे बंटवारे के समय ध्यान रखेंगे। हालांकि, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सहमति बनेगी सरकार और विश्वविद्यालय के बीच, जो कर्मचारी रिटायर होंगे, उनकी लायबिलिटी तो इनके चली जायेगी, लेकिन हमारे सीकर और झुंझुनूं के कालेज बीकानेर के विश्वविद्यालय में रखें जाएं, इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: माननीय संयम लोढ़ा। माननीया श्रीमती शोभा चौहान।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं खड़ा हूं। थोड़ी नजरए-इनायत रखें, सर।

माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान का जब निर्माण हुआ था, तब क्या था राजस्थान में? पूरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर निर्भर थी। इन 75 सालों में हमने तरक्की तो बहुत की, लेकिन पशुपालन के प्रति नजरिया आम जनता का बहुत सकारात्मक नहीं हुआ है। मैं आज देखता हूं कि देहात में भी बहुत लोगों की यह मानसिकता रहती है कि जिस घर में पशु होते हैं, वे अपनी बच्चियां उन घरों में देना पसन्द नहीं करते। इस तरह

(श्री संयम लोढ़ा)

की सोच विकसित हुई है। यह सही है कि राजस्थान की जीएस.डी.पी. में आज भी पशुपालन का योगदान 11 फीसदी है, लेकिन जब समाज में इस तरह का नजरिया बन रहा है कि हमारी बच्चियां यह काम नहीं करेंगी तो ऐसे वक्त में पशुपालन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यह सरकार के सामने और हम सबके सामने सबसे यक्ष प्रश्न है।

आज दुनिया के दूसरे देशों में रोबोट आ गये हैं जो यह काम कर रहे हैं। दूध दुहना वगैरह वे सब कर लेते हैं। जब इस तरह की यूनिवर्सिटीज बनेंगी, शोध होंगे, तभी तो पशु धन का संवर्धन होगा, पशु धन का संरक्षण होगा, पशु धन का विकास होगा, पशु धन का उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए मैं राजस्थान के पशुपालन मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस75 साल के अन्दर इतिहास रचा है उन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में। क्या पशु चिकित्सा उप केन्द्र, क्या पशु चिकित्सालय, क्या बहूद्देशीय चिकित्सालय, क्या पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों के भवन निर्माण, क्या चिकित्सालयों का निर्माण, पांच सरकारी कालेज होते थे, नौ सरकारी पशुपालन के कालेज इन्होंने अपने कार्यकाल में खोले हैं और अब एक दूसरी यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं। याद रखा जायेगा उनके कार्यकाल को, जिन्होंने नये सिरे से, जो हमारी सनातन सोच है, हमारी सनातन संस्कृति की बुनियाद है, उससे फिर शासन को, शासन की नीतियों को जोड़ा है और एक सकारात्मक प्रभाव पूरे राजस्थान पर डाला है।

क्या हालात थे 2018 में? आलोचना के लिए आलोचना तो सरकार की बहुत की जा सकती है। इन पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों पर ताले पड़े हुए थे। कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था, लेकिन इन्होंने न केवल भर्ती की, बल्कि उन जगहों पर उन्होंने लगाया। क्या यह कोई कम बात है कि साढ़े चार साल में 1,600 से ज्यादा पशु चिकित्सा उपकेन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों में आप नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोल दें? क्या इस बात के लिए उन्हें बधाई नहीं दी जानी चाहिये?

वे एक सोच के साथ आये कि आने वाले एक साल में हम राजस्थान की तमाम ग्राम पंचायतों को पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों से लैस कर देंगे। राजस्थान देश में पहला राज्य बनेगा, जहां हर ग्राम पंचायत में एक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र होगा। क्या यह हम सबके लिए सामूहिक बधाई का विषय नहीं है? माननीय सभापति महोदय, क्या कठिन समय हमारे पशुओं के लिए नहीं आया? यह बी.जे.पी. की सरकार पशुधन बीमा योजना बंद करके चली

(श्री संयम लोढ़ा)

गयी थी। कितना नुकसान हुआ पशुपालकों को, आज इन्हें अहसास नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा, चूंकि वे खुद एक पशुपालक हैं किसान के बेटे हैं, उन्होंने फिर से कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है और हर पशुपालक के दो दुधारू पशुओं का बीमा करना सुनिश्चित किया है। उसमें से यदि किसी की मौत हो जाये तो 40 हजार रुपये मुआवजा देना भी सुनिश्चित किया है।

क्या कठिन समय था गायों के लिए? लम्पी, कितना कठिन समय था? कैसे गायें मरीं, कैसे उनका इलाज हुआ, कैसे उनकी देखभाल हुई, हमारी आंखों के सामने है। खाली सरकार ही नहीं, इस सरकार के नुमाइन्दों ने, हमारे मंत्री जी ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और इस गो रक्षा के आन्दोलन से उन्हें जोड़ा। लम्पी के कठिन समय में गो संरक्षण का काम किया। हमारे साधु-सन्त, मैंने उन साधु-सन्तों को भी देखा है, जिन्होंने माचिस की तीलियों से गायों पर पड़े हुए कीड़ों को साफ किया है। इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला..

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इससे भी ज्यादा हिन्दुस्तान की यह पहली सरकार है, जिसने लम्पी से गाय की मौत पर मुआवजा भी पशुपालकों को दिया। माननीय सभापति महोदय, ऊंट हमारा

(श्री संयम लोढ़ा)

गौरव है। आज राजस्थान के बाहर का कोई भी आदमी जब राजस्थान की कल्पना करता है तो सबसे पहले क्या ध्यान में आता है, ऊंट ध्यान में आता है। जगह-जगह हम अपने पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। हम जगह-जगह पर इश्तहार लगाते हैं, "पधारो म्हारे देस", तो हमारा सिम्बल क्या होता है, वही बैठा हुआ ऊंट, पर हमें इस पर पर चिन्तन जरूर करना चाहिये कि ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है और भयानक रूप से घट रही है। उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से इस संख्या में कमी आ रही है? वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से पशुपालक ऊंटों के पालन से हट रहे हैं? इन सभी बातों पर विचार करके इस दिशा में प्रयास करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में 566 लाख पशु धन है और 146 लाख कुक्कुट है। हमारे नागौरी बैल पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। हमारी गायें- गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज पूरे देश में लोगों की पहली पसन्द हैं। हमारे मालानी घोड़े हर जगह एक आकर्षण का केन्द्र होते हैं। अब तो जब से कारपोरेट इस घोड़े के धन्धे में घुसे हैं, अम्बानी साहब, तब से तो आप देखिए, राजस्थान के घोड़ों के क्या भाव हो रहे हैं, क्या उनकी कीमत लग रही है? एक घोड़ा पालने वाला सोचता नहीं था, उससे ज्यादा कीमत में, सवा-सवा करोड़ कीमत में, 50-50 लाख कीमत, 80 लाख कीमत। राजस्थान के घोड़े की इतनी वैल्यू बढ़ी है। इसके साथ ही बीकानेरी और जैसलमेरी ऊंट, जो अपने आप में एक नया रूप, प्रतिरूप प्रकट करता है। जखराना, सिरोही व मारवाड़ी नस्ल की बकरियां, ये सब-कुछ राजस्थान में हैं। इसके साथ चौकला, मारवाड़ी, नाली पुंडल नस्ल की भेड़ें, क्या कमी है राजस्थान में?

(समय: 18.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, इन सबने राजस्थान को समृद्ध और सक्षम किया है। पूरे भारतवर्ष में हमारे इन पशुपालकों की बदौलत पशुधन में दूसरे स्थान पर हैं और दूध उत्पादन में पूरे देश के अन्दर हमारा दूसरा स्थान है। पूरे भारत का 15 प्रतिशत दूध हम उत्पादित करते हैं। पहले उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर हुआ करता था। हम दूध उत्पादन में पहले नम्बर पर हैं, ऊन उत्पादन में पहले नम्बर पर हैं। पशुधन संख्या में दूसरा है और 15 परसेंट दूध उत्पादनकर्ता हैं। पहले उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर हुआ करता था। राजस्थान बकरे का मांस 35 परसेंट सप्लाई करता है। 30 परसेंट ऊन राजस्थान उत्पादित करता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि राजस्थान पशुधन

(श्री संयम लोढ़ा)

के क्षेत्र के अन्दर पूरे भारतवर्ष में अपना अहम स्थान रखता है और शासन का विशेष फोकस पशुधन पर होना बहुत ही आवश्यक है।

अशोक गहलोत जी की पहले सरकार थी। पहली वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी उन्होंने ही राजस्थान में स्थापित की थी, 2010 के अन्दर बीकानेर में, और 5 सरकारी कालेज, 7 प्राइवेट कालेज ही राजस्थान में रहे हैं। नये 9 कालेज प्रोसेस में हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात के लिए मंत्री जी का ध्यान जरूर आकृष्ट करूंगा कि आपने इस साल बजट में जो कालेज अनाउंस किये हैं, पांच महीने हो गये हैं। अभी तक आपके प्रस्ताव तैयार होकर एस्टीमेट फाइनेंस डिपार्टमेंट तक में नहीं गये हैं। यह जो यूनिवर्सिटी के लेवल पर कमी है, जो शिथिलता है, कभी ए.ईएन. का पद खाली है तो एस्टीमेट नहीं बन रहा है। ये यूनिवर्सिटी जैसा काम, इसका एस्टीमेट कौन बनायेगा? जब अभी तक कालेज के एस्टीमेट तक आपके नहीं बने हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, जिससे जो आपने लक्ष्य निर्धारित किये हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

अब जो यह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, अच्छी बात है। उन सारी प्रक्रियाओं को इसमें रखा है। कुलपति के चयन की प्रक्रिया, सर्च कमेटी, कुलपति की सर्च कमेटी में आल इंडिया का नोमिनी, बोर्ड आफ मैनेजमेंट का नोमिनी, चांसलर का नोमिनी, स्टेट का नोमिनी और उसके माध्यम से आप इसका चयन करेंगे। यह जो नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, चार सम्भाग- जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर और 17 जिले इस यूनिवर्सिटी के अधीन रहेंगे तो मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। एक तरफ पशुओं के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वे लोग, जो गायों का नाम लेकर दिल्ली की हुकूमत में आये और आज पूरी दुनिया के अन्दर गायों का मांस बेचने में, डॉलर कमाने में सबसे अग्रणी रूप से जाकर खड़े हो गये। एक तरफ आप हैं, जहां 2018 के अन्दर राजस्थान की गोशालाओं में सिर्फ तीन लाख गोवंश पल रहा था, आज इस सरकार की मेहनत से और सरकार ने जो नियम परिवर्तन किये, आज 11 लाख गोवंश राजस्थान की गोशालाओं में पल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में 200 गायों की गोशाला पर अनुदान मिलता था। आपने नियम बदला 100 गायों की गोशाला पर आज अनुदान मिल रहा है। उनके वक्त पर 16 रुपये, 20 रुपये मिलते थे। आज

(श्री संयम लोढ़ा)

32 रुपये और 40 रुपये एक पशु पर अनुदान मिल रहा है। अब आप नन्दीशाला का कान्सेप्ट लेकर आये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने इस साल के बजट में 12 महीने का अनुदान तमाम राजस्थान की नन्दीशालाओं के लिए स्वीकृत करने का फैसला किया है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): पंचायत हैड क्वार्टर पर एक भी नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, इंटरेप्ट न करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय कासनियां साहब, इस साल के बजट में 1,400 ग्राम पंचायतों के अन्दर गोशाला स्थापित करने का फैसला किया गया है। जो गोशाला आयेगी, जो नन्दीशाला की स्थापना के लिए आगे आयेंगे, उनको वह अवसर दिया जायेगा।

मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र सिरोही में जिला स्तर की नन्दीशाला की सरकार ने स्वीकृति दी है। उसमें 10 हजार नन्दी रखे जायेंगे। शिवगंज के अन्दर भी नन्दीशाला की स्वीकृति दी है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों से विनती करूंगा कि वे इस दिशा में प्रयास करें। ग्राम पंचायतों को जाग्रत करें। कहां 2018 में, जब बीजेपी की सरकार थी। गोमाता के लिए सिर्फ 300 करोड़ पर खर्च किया जाता था और कहां आज अशोक गहलोत की सरकार है, जिसने 2023-24 के अन्दर 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान अपने बजट के अन्दर गोमाता के लिए रखा है। एक इतिहास रचा है। किसकी ड्यूटी का हिसाब करो, पूरे भारतवर्ष में गोमाता की सेवा के अन्दर अशोक गहलोत ने जो काम किया, उसका पूरे भारत के इतिहास में 75 साल में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है।

ये लोग सिर्फ गोमाता का नाम लेकर दिल्ली की हुकूमत में बैठे हैं। मैं आज आपके माध्यम से विनती करता हूं, हमेशा इस बात के लिए कहते रहे कि गो हत्या पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। कांग्रेस नहीं बनाती है। आज 9 साल हो गये आपकी दिल्ली में सरकार आये हुए। 310 सीटों का बहुमत लेकर आप बैठे हुए हो, कौन रोक रहा है आपको? गो हत्या पर रोक के लिए राष्ट्रीय कानून बनाने से, लेकिन आपकी नीयत में खोट है। आप नोर्थ ईस्ट में जाकर तो गोमांस खाने की वकालत करते हो और यहां गोमाता के संरक्षण की बात करते हो?

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके घोषणा पत्र में, 2014 के घोषणा पत्र के अन्दर यह प्रावधान था। यह आपने वादा किया था कि हम गो हत्या रोकने के लिए राष्ट्रीय कानून लायेंगे, लेकिन 2019 के घोषणा पत्र में से उसको हटा दिया। यह तो अपने आप में जाहिर करता है कि आपकी नीयत में क्या है?

माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे पशुपालन मंत्री जी को, हमारे मुख्य मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अत्यन्त ऐतिहासिक काम पशुपालन के क्षेत्र में किया है। आज के समय के मुताबिक इसमें हम और कैसे आगे बढें, इसके लिए आप नये कालेज खोल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। राजस्थान की तमाम जनता की ओर से मैं आपका बहुत-बहुत साधुवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती शोभा चौहान (अनुपस्थित),

माननीय श्री फूल सिंह मीणा (अनुपस्थित),

माननीय श्रीमती सन्तोष (अनुपस्थित)। माननीय श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं बोलूंगा, साहब। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की तरफ से आज राजस्थान विधान सभा में एक और बिल राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान का दूसरा विश्वविद्यालय होगा। पहले बीकानेर और अब जोबनेर-जयपुर के अन्दर। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से पशु चिकित्सा के क्षेत्र में उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो रही है, जहां सरकार के अनुसार स्वास्थ्य और अभिजनन सेवाओं, उत्पादन, रोजगार के अवसरों में सुधार और पशुपालन सेक्टर के समग्र विकास में सुधार और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि के विचार को लेकर इस बिल को प्रस्तुत किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक बात है, यहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना तो हो जायेगी। इसमें अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो राजस्थान के अन्दर अधिकतम जो पशु चिकित्सा उप-केन्द्र हैं, जो भवनहीन हैं। राजस्थान में जहां अधिकतम संख्या में लोग पशुपालन करते हैं, अधिकतर

(श्री अविनाश)

लोगों की चाहे वे किसान हों, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, उनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर करती है। अभी थोड़े दिन पहले लम्पी की बीमारी आई थी। लम्पी की बीमारी के बाद आपने बजट में घोषणा की कि अर्जेन्ट टेम्प्रेरी बेसिस पर हण्ड्रेड परसेंट जितने भी पद हैं, वे हम भरेंगे, लेकिन आप भर नहीं पाये। आपके इन पदों को नहीं भरने के कारण लम्पी का जो आंकड़ा था, पूरे राजस्थान का अनुमानित आंकड़ा 10 लाख के करीब था। जहां गोवंश मरे थे और मृत गोवंश का पी.एम. करके उनकी रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन हास्पिटल्स के अन्दर अपने पास चिकित्सक नहीं थे, अपने पास पशुधन सहायक नहीं थे। उस कारण यह आंकड़ा सरकार के हिसाब से मात्र 70 -75 हजार के करीब आपने बताया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि अगर आपने ये पद भर दिये होते, अर्जेंट टेम्प्रेरी बेसिस पर आपने ले लिये होते तो आज ये सारे रिकार्ड राजस्थान की जनता के सामने होते। जो आपने ये चालीस हजार रुपये के हिसाब से प्रति पशुपालक को जो मुआवजा राशि देने का एलान किया, यह आपने कितने गोवंश को दिया, कितने पशुपालकों को दिया, उसका रेशो भी अगर हम लोग निकालें तो मैं समझता हूं कि मुश्किल से दस प्रतिशत भी नहीं होगा, अगर हम इस पर बात करें तो।

माननीय सभापति महोदय, अभी आज की तारीख में चाहे वह पशु चिकित्सक हो, चाहे पशुधन सहायक हो, पशु चिकित्सा उप केन्द्र में काम करने वाले अधिकतर स्टाफ के पद खाली हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ करते हैं, ताकि पशुधन के समग्र विकास के लिए हम लोग काम कर सकें, क्योंकि आपने इसमें कहा है कि इसमें उत्पादन भी होगा, रोजगार के अवसर में सुधार भी होगा, सेवाओं का विस्तार भी होगा, पशुपालन सेक्टर में समग्र विकास होगा, उसमें सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। यह सब कैसे होगा, जब इसके लिए अपने पास में आधारभूत संरचना नहीं होगी?

आज गांवों में हजारों की संख्या में पशुधन हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने वाले पंचायत मुख्यालय पर न उप चिकित्सा केन्द्र है, न भवन है, न उनके अन्दर स्टाफ है। कैसे हम लोग इसकी कल्पना कर पायेंगे? और तो और, माननीय सभापति महोदय, 2003 से लेकर 2008 में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने पशुधन संवर्धन के लिए गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के लिए और पशुपालकों के लिए बीमा योजना शुरू की थी,

(श्री अविनाश)

दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने उन सारी योजनाओं को बन्द कर दिया। कैसे फायदा मिलेगा, आपने पशुधन बीमा की बात तो कर ली लेकिन जो हमारी सरकार के समय योजना चालू थी वह कैसे पूरी होगी? एक मेरा मानना है, माननीय सभापति महोदय, कि गोशालाओं में जो अनुदान मिलता है, गोशालाओं के अनुदान के लिए आपने राशि बढ़ायी, धन्यवाद आपको लेकिन प्रत्येक गोशाला का एक बार फिजिकल वैरीफिकेशन करके जहां वाकई में, जो संस्था चलाती है, चाहे वह गोचर की जमीन पर भी क्यों नहीं चलती हो, वहां उस गोशाला में पलने वाले प्रत्येक पशुधन को आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से सहायता मिले। छोटे पशुधन को बीस रुपये, बड़े को चालीस रुपये के हिसाब से अगर देंगे तो मैं समझता हूं कि गोशालाओं का संचालन आराम से होगा और एक आजकल क्या है, इसमें तीन साल की आडिट की आपने अनिवार्यता कर दी। मैं समझता हूं कि इसको भी खतम करना चाहिये। तीन साल की आडिट रिपोर्ट आप उनसे मांगते हैं। एक सबसे बड़ा अपने प्रदेश में पशुपालक समाज देवासी समाज है। आज वह अपने पशुधन को लेकर राजस्थान के बाहर मालवा की तरफ जाता है, महाराष्ट्र की तरफ जाता है, राजस्थान के बाहर कहीं भी जाता है। वहां उनके साथ में प्राकृतिक आपदा के कारण या किन्हीं असामाजिक तत्वों के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं, पशुधन को नुकसान होता है, पशुधन चुरा कर ले जाते हैं उसके बाद में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं राजस्थान सरकार एक हैल्प सेन्टर बनायें उन पशुपालकों के लिए जो राजस्थान से बाहर अपने पशुधन को चराने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद में हैल्प सेन्टर के माध्यम से उनको वह सम्मान मिले सके, वहां उस पर कॉल कर सकें, उनकी मदद ले सकें, ताकि उनके पशुधन का और कोई नुकसान नहीं हो। मैं समझता हूं कि यह भी राजस्थान सरकार को चालू करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना निवेदन है, इसमें राजस्थान में गो संवर्धन के लिए और एक छोटा सा निवेदन है कि आज जितना चाहे वह दूध हो, चाहे घी हो, उसमें उतना शुद्धिकरण रहा नहीं पहले जैसा, क्योंकि हम लोग रासायनिक चीजों को काम में लेने लग गये। आज गायों के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के खाने में वे चीजें परोसने लगे जिससे उसमें चाहे वह दूध की मात्रा हो, चाहे घी हो उसमें, मिलावट आने लग गयी है। मैं अभी थोड़े दिन पहले हैदराबाद गया था। माननीय मंत्री महोदय, बताऊं कि मैं एक मिठाई की

(श्री अविनाश)

दुकान पर गया। वहां मुझे किसी ने कहा कि यहां गाय का शुद्ध घी मिलता है और उसने मुझे कहा कि इसका भाव पूछो एक बार। मैंने भाव पूछा तो चार हजार रुपये किलो का भाव बताया उसने गाय के शुद्ध घी का। कितना महंगा लेकिन उसके बावजूद भी गारंटी नहीं कि वह स्वच्छ रूप से गाय के दूध का ही घी होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि, माननीय मंत्री महोदय, आप तो बड़े काबिल हैं। आपके ऊपर मुझे लगता है कि किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस मंशा के साथ इस बिल को लाये हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से आपने जो-जो उद्देश्य तय किये हैं वे निश्चित रूप से पूरे होंगे, लेकिन मैंने जो आपको बातें बतायी हैं, मैं समझता हूं कि राजस्थान में पशुधन विकास के लिए इन सुझावों को भी शामिल करें। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित),

श्री छगनसिंह (अनुपस्थित)।

माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह सदन राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, मैं मेरी बात प्रारम्भ करूं, चूंकि आज राजस्थान देश का पहला प्रदेश बनेगा जहां दो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय रहेंगे। मैं आपको इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि आपने इस राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम के आगे जोबनेर लिखवा डाला। यह नाम बस्सी लिखा जाना था। यह आपकी काबिलियत थी और अच्छा रहता कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर की जगह आप जिले का नाम लिखते, पर कौनसे जिले का नाम लिखते जयपुर-I का लिखते, जयपुर-II का लिखते, जयपुर ग्रामीण का लिखते, दूदू का लिखते? कई संकट आपके सामने थे। मैं इसके लिए तो आपको धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय खुले, ट्रैजरी बेंचेज की तरफ से बड़ी बधाई आयी, बड़े क़सीदे पढ़े गये, क्योंकि बजट में घोषणा थी। मुख्य मंत्री जी ने बजट 2023-24 में घोषणा की और घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए आज यह बिल आया है। इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने लिखा कि राजस्थान राज्य में एक पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय था। यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वविद्यालय सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, शिक्षा अनुदान और शिक्षा के विस्तार में काम कर रहा था, एकमात्र पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर, जिसकी चर्चा मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने की। मैं समझता हूं कि एक वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया है जो वेटरिनरी कालेजज और वेटरनरी यूनिवर्सिटी को मान्यताएं देती है। यह वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया इसके मानदण्ड और मापदण्ड बने हैं। क्या यह सही नहीं कि एकमात्र विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा के क्षेत्र में बीकानेर चल रहा है, आज उसकी हालत क्या है? आज अगर वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया का इंस्पेक्शन हो जाए तो, 23 प्रोफेसर के पद हैं जिनमें 5 काम कर रहे हैं। 38 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 10 काम कर रहे हैं। 46 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से 27 काम कर रहे हैं और हम चले हैं दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के लिए।

आप अब कह रहे हैं कि बजट का कमिटमेंट है, बजट से पवित्र कोई कमिटमेंट नहीं, तो, मंत्री महोदय, मुझसे पहले सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, आप याद कर लें। इस बजट में नहीं, पिछले बजट में आपने क्या कहा था? माननीय उप मुख्य सचेतक पधार गये। इनके इलाके में आप एक वेटरिनरी कालेज खोल रहे थे। पशु महाविद्यालय खोल रहे थे। एक कोटपूतली में खोल रहे थे। कहां है? एक साल गुजर गया। मलसीसर का पशु चिकित्सा महाविद्यालय कहां चला गया, लालसोट का कहां चला गया, बस्सी का कहां चला गया, भरतपुर का कहां चला गया? आप अगर बजट घोषणा के कमिटमेंट की बात करते हो, पूर्ति करने की बात करते हो, तो, सभापति महोदय, अगर ये महाविद्यालय खोल भी दिये जायेंगे तो फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए। इन महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दिला पायेंगे आप। हम सिर्फ एक ही बात करें कि हम संस्था खोल दें। यह जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने की बात कर रहे हो, यह किसी गांव के अन्दर किसी पशु चिकित्सा हास्पिटल खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आज जब देश की बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन हमारे हैं 5 करोड़ 68 लाख। देश के अन्दर 11.2 फीसदी पशुधन राजस्थान में हैं। हम चाहते हैं और हमारे कृषकों की आर्थिक मेरुदण्डता रखता है यह। 11.2 प्रतिशत जी.डी.पी. में इसका योगदान है, पर कम से कम ऐसी संस्थाएं खोलें, दंतहीन और नखहीन तो नहीं खोलें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सभापति महोदय, फिर मुलाकात होगी। फिर मुलाकात होगी तो मैं पूछूंगा, पूरी सरकार से पूछेंगे कि एक के बाद एक विश्वविद्यालय खोलो, यह विश्वविद्यालय खोलो, विश्वविद्यालय खोलो, खेल चला दिया। क्या हमारे पास संसाधन हैं? क्या इसके लिये जो संस्थाएं हैं, वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया के मापदंड और मानदंडों को आपने पढ़ा? सभापति महोदय, आज 17 वेटरिनरी कालेज हैं। 10 वेटरिनरी कालेज सरकारी क्षेत्र में हैं, 7 वेटरनरी कालेज प्राइवेट क्षेत्र में हैं। 17 वेटरिनरी कालेजों पर दो विश्वविद्यालय, मेरी समझ में नहीं आया। मेरे तो वे मित्र हैं, इनको किसी ने कह दिया कि इतिहास याद करेगा, अपनी कांस्टीट्यूएंसी जोबनेर में विश्वविद्यालय खोल जाओ। इन्होंने सोच लिया। आपने जन घोषणा पत्र में मोबाइल वेटरिनरी हास्पिटल खोलने की बात कही थी।

अभी चर्चा चली कामधेनु बीमा योजना की। मैं बड़े-बड़े विज्ञापन पढ़ रहा था, आपने जो महंगाई राहत कैम्प या महंगाई आफत कैम्प, कौनसे खोल रखे हैं, उसमें 1 करोड़ 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। इस कामधेनु के लिए अभी 2-4 दिन में किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ इनका कोई एग्रीमेंट या एम.ओ.यू. हुआ है तो मुझे मालूम नहीं। आपने सदन में मुझे कहा है कि लघु सीमान्त और सीमान्त पशुओं की जो मुफ्त योजना चलती थी, आपने कहा कि भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार इंश्योरेंस का पैसा भारत सरकार देती है, उसके अनुसार प्रीमियम की रेट ज्यादा आ गई, इसलिए हमारे पास एजेंसी नहीं आई। साढ़े तीन-चार साल तक आपने बंद किया है। सभापति महोदय, पशुपालन ऐसे थोड़े ही होगा। आप खुद पशुपालक हो, मैं खुद पशुपालक हूं, उसके लिए जीवट और जीवन देना पड़ता है। आज नन्दीशाला की बात बहुत चल गई। नन्दीशाला के लिए बहुत मेज थपथपा दीं। दो बजट में उसका एनहांस्ड बजट भी कर दिया, लेकिन खोल कितनी दीं?

सभापति महोदय, लम्पी में मैंने आपको दु:खी देखा। मेरे मन में भी आया कि अब एक किसान का बेटा दु:खी है। मंत्री महोदय, आपसे और मुझ से सरपंच संघ के लोग मिले थे। आपने डाइरेक्शन जारी कर दिये कि लम्पी में गाय मर गई तो उसको 6 फीट नीचे गहरा गड्ढा खोद कर जे.सी.बी. से उसको दफनाओ। सरपंच संघ ने कहा कि हमारे पास पैसा कहां से आयेगा? आपने कहा कि अपने संसाधनों से कर लो, रिक्यूप करेंगे। आपको ज्ञापन दिया, मुझे ज्ञापन दिया, 5 लाख 13 हजार पशु लम्पी में काल कवलित हुए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे थे जब 41 हजार पशुओं को आप लम्पी में किश्तें जारी कर रहे थे। इसी सदन में मेरे सवाल में आपने 78 हजार की बात मानी। हम सब लोग जन प्रतिनिधि हैं। सभापति महोदय, जन और प्रतिनिधि, दोनों हम हैं, हमारे ऊपर से विश्वास क्यों उठता जा रहा है? कम से कम इस सदन में तो हम वह बात करें जो यथार्थ के साथ आखें मिलाई हुई हो। सभापति महोदय, आज जिस तरह की हालत आपने एकमात्र वेटरिनरी कालेज की कर रखी है, जहां फैकेल्टी नहीं है। वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया के मापदंड और मानदंड पूरे नहीं हो रहे, इसके बारे में आपको निश्चित तौर पर सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को लम्बी नहीं करूंगा। आपने सैक्शन 49 में यह तय कर दिया कि इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर नहीं होंगे, आपने फ्रीज कर दिया। आज तक विश्वविद्यालय खुले तो उसमें आप्शन दिये जाते हैं। मैं देख रहा था कि चार सम्भाग आप इसमें अपनी तरफ कर रहे हो। आपने इसके सैक्शन 2 में लिखा, 'पशु' सभी पालतू पशुओं से अभिप्रेत है। पालतू पशु कौन-कौनसे हैं? आप गधे को पालतू पशु नहीं मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? मैं समझता हूं कि आप इसको खोल देते। सभापति महोदय, कौन-कौनसे पालतू पशु हैं? आप ऊंट को मानते हो या नहीं, गधे को मानते हो या नहीं, सूअर को मानते हो या नहीं, एक बार इसको खोल देते तो ज्यादा अच्छा रहता।

सभापति महोदय, मैं पहली बार देख रहा हूं, मेरे से पहले वाले माननीय सदस्य की जो पीड़ा थी, वह सही कही उन्होंने, विश्वविद्यालय खुलते हैं, क्षेत्राधिकार भी बंटता है, परन्तु जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा सम्भाग, अभी तो आपका जन्म नहीं हुआ और उधर सैक्शन 49 में आप फ्रीज कर रहे हो कि जो जहां है, वहीं काम करेगा। ये सारे के सारे आप ले रहे हो, इसके बारे में आपको सोचना चाहिये। सैक्शन 49 के सब सैक्शन 4 के (1) में आपने लिखा है कि आपको यथास्थिति कर्मचारी समझा जायेगा। इसमें आप संशोधन करें। एक बार इनको ऑप्शन का मौका दें। मैं फिर कह रहा हूं कि पंद्रहवीं विधान सभा का यह आखिरी सदन कई बातों के लिए जाना जायेगा और यह इस बात के लिए भी जाना जायेगा हवा-हवाई करने के लिए हमने इतने एक्ट बना दिये, इतने कानून बना दिये। इनके रूल्स बनेंगे, गजट में नोटिफाइड होंगे, इससे पहले आचार संहिता की गिरफ्त में सरकार आ जायेगी। कहां तो जमीन, काहे का शिलान्यास, 50 करोड़ में आप बनाने चले हो और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विश्वस्तरीय संस्था बनाने चले हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाला जमाना आपको अच्छी निगाहों से नहीं देखेगा। जोबनेर का नाम करने से विश्वविद्यालय नहीं बनेगा, इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्री जी।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 पर आज जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा की, सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, आदिकाल से हमारी आजीविका का साधन खेती और पशुपालन रहा है। पिछले कई वर्षों से, लगातार 4-5 साल से जिस तरह का वातावरण प्रदेश में बना, देश और दुनिया में बना, कोविड काल के बाद में लम्पी जैसी महामारी, जिसकी चर्चा नेता, प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों ने की, उसमें जिस प्रकार से गोवंश पर कहर बरपा, यदि राजस्थान में पशुपालन विभाग के पास में संसाधन नहीं होते, हमारे एल.एस.ए. और वेटरनरी डाक्टर नहीं होते तो इसको रोक पाना असम्भव था। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि पैसे की कमी नहीं आने दी, दवा की कमी नहीं रही, टीकाकरण की कमी नहीं रही और उसी का परिणाम है कि राजस्थान में लम्पी में जिस प्रकार का कहर बरपा और उसको रोकने का काम सरकार ने और मुख्य मंत्री जी ने किया और जब सारा दृश्य मुख्य मंत्री जी ने देखा तो उनके मन में पीड़ा रही कि राजस्थान में पशुधन को बचाने के लिए, पशु चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। उसी मंशा के अनुसार उन्होंने जयपुर के नजदीक जोबनेर में विश्वविद्यालय खोलने की गत बजट में घोषणा की और उसका बिल आज हम सदन में लेकर आये हैं। इससे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी का बिल भी आया।

वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार, जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जमाना बदल गया है। एक समय था जब हमारे परिवारों में ऐसे संस्कार थे कि जिस घर में पशुधन ज्यादा होता था, वहां रिश्ता पहले होता था। जैसे-जैसे समय में बदलाव आया, शिक्षा और संसाधन आगे बढ़े तो वर्तमान समय में परिस्थिति बदली और आज जिस घर

(श्री लालचन्द कटारिया)

में पशुधन ज्यादा होता है तो कोई भी बाप अपनी लड़की को देने से पहले देखता है कि मेरी लड़की को पशुधन का काम करना पड़ेगा, जो पढ़ी लिखी है। समय के बदलाव के कारण और जो पशु चिकित्सा में बदलाव हुआ है और देश और दुनिया में जो नई तकनीकी आई है, यदि हम आने वाली पीढ़ी को वह नहीं दे पाये तो खेती, किसानी के साथ में पशुधन पर भी बहुत बड़ा संकट आयेगा।

सभापति महोदय, आज जितना बजट चिकित्सा में खर्च हो रहा है, उस मात्रा में हम पशुधन में नहीं कर पा रहे हैं। अभी देश के अन्दर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान पहला प्रदेश है, जिसमें पशु चिकित्सा के दो विश्वविद्यालय, यह दूसरा है, जो बिल हम लेकर आये हैं, स्थापित होगा। बाकी पूरे देश में अन्य राज्यों में एक-एक विश्वविद्यालय है। हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि ग्रामीण परिवारों के बच्चे, जो पशु चिकित्सा में दूसरी जगह जाते थे, उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। अध्ययन और अध्यापन का काम होगा।

बिहारीलाल जी बीकानेर की चर्चा कर रहे थे। एक जमाने में, 1954 में एक महाविद्यालय बीकानेर में हुआ करता था। मैं कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद यह जो परिवर्तन आया है, कोविड के अन्दर खास तौर से खेती, किसानी और पशुपालन में हमारी पढ़ी-लिखी जो नौजवान पीढ़ी है, वह उसमें आगे आयी है। आज हमारे राज्य में 5 लाख 66 हजार पशुधन हैं और 1 लाख 46 हजार कुक्कुट सम्पदा है। हमारा प्रदेश मरु प्रदेश कहलाता है और यहां की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, वह हमसे छिपी हुई नहीं है। राजस्थान में पशुधन के अन्दर, एक जमाने में नागौरी बैल, गाय के अन्दर गिर, राठी, थारपारकर, कांकरेज गायें, मालानी और मेवाड़ी घोड़े, बीकानेरी एवं जैसलमेरी ऊंट और जकराना, सिरोही, मारवाड़ी नस्लों की बकरियां। आज दूसरे प्रदेशों में हमारी डिमांड है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध उत्पादन में हम देश में दूसरे नम्बर पर थे। इस वर्ष भारत सरकार के जो नये आंकड़े आये हैं, उसमें हम पहले स्थान पर हैं। हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पीछे छोड़ा है। हमारा दूध का कलेक्शन बढ़ा है। उसका कारण है कि लगातार, जो कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने ग्राम पंचायत स्तर पर पशुधन केन्द्र

(श्री लालचन्द कटारिया)

खोले हैं, वहां पशुधन सहायक लगाये हैं। यह सही है कि कोर्ट के कारण हमारे वेटरनरी डाक्टरों की भर्ती रुकी है, पर उसका फैसला भी आ गया है। आने वाले महीने या बीस दिन में उनकी पोस्टिंग भी हो जायेगी।

राजस्थान में सरस डेयरी के माध्यम से हमारे जो जिला संघ हैं, उनका जो कलेक्शन है, वह पिछले तीन-चार साल में कई गुना बढ़ा है। कुछ नये जिला संघ भी बने हैं। उसी का परिणाम है कि पशुधन के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में रुचि बढ़ी है। नयी पढ़ी-लिखी पीढ़ी आगे आ रही है और नयी टेक्नोलॉजी आ रही है।

हमारे कई साथियों ने रोबोट की चर्चा की। सभापति महोदय, विदेशों के अन्दर जहां मैनपावर की कमी है और शिक्षा के साथ-साथ पशु को रखने की जो व्यवस्था है, उसमें काफी परिवर्तन आया है। रोबोट के माध्यम से दूध निकाला जाता है। उसको रखने का जो घर है, उसकी पूरी सफाई मशीनरी से होती है। उसको बांट देने का जो सिस्टम है, हरी घास देने का जो सिस्टम है या जो सूखा चारा देने का है, वह सारा काम मशीनरी के माध्यम से हो रहा है और यही परिवर्तन धीरे-धीरे अपने देश में हो रहा है। यदि हम ऐसे विश्वविद्यालय नहीं खोलेंगे और वह तकनीक हम हमारे प्रदेश में नहीं लेकर आयेंगे, हमारी पीढ़ी को नहीं बतायेंगे तो आने वाले समय में जो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है, जो पशुधन आजीविका का बहुत बड़ा साधन है, जिससे दो पैसे घर में आते हैं, परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिलती है, उसको बढ़ाने का काम हम करेंगे।

बिहारीलाल जी विभाजन की बात कह रहे थे। सभापति महोदय, बिहारीलाल जी को तो खुश होना चाहिए कि आपके राजुवास, बीकानेर की स्थिति काफी सुधरी है। जिस बात के लिए आप आशंकित हैं कि विभाजन के साथ में व्यक्तियों और सम्पत्तियों के बारे में जो चर्चा की, नेता, प्रतिपक्ष ने भी, मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर), जयपुर के बिल अध्याय 8 में विविध धारा 48 में अन्य विश्वविद्यालयों से व्यक्तियों और सम्पत्तियों के स्थानान्तरण की शक्ति निहित की गयी है। इस धारा के अन्तर्गत कुलाधिपति राज्यपाल महोदय को राज्य सरकार के परामर्श से किसी भी समय अन्य विश्वविद्यालय, व्यक्ति और सम्पत्तियों के स्थानान्तरण के लिए आदेश किये जाने का प्रावधान है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

अब रही बात सम्भागों की और विभाजन की। हमने 17 जिले जोबनेर के लिए रखे हैं और 16 बीकानेर के लिए रखे हैं। इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। प्रदेश का भला होगा। नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो राजुवास बीकानेर थी, वह पश्चिम भाग में स्थित थी। इधर के जितने भी जिले हैं, उस नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका कब मिलता था? आज भी नौजवान छात्र और छात्राएं पहले मेडिकल का टेस्ट देते हैं। यदि उनमें सफलता नहीं मिलती है तो ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र-छात्राएं हैं, वे वेटरनरी की तरफ रुख करते हैं। वेटरनरी में एक मात्र विश्वविद्यालय बीकानेर में था। मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की सोच और प्रदेश के इस पशुधन को बचाने के लिए, इसको आगे बढाने के लिए, चाहे वह नस्ल सुधार का कार्यक्रम हो, हमारे को नयी तकनीकी ईजाद के साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा।

राजस्थान में वर्तमान में 3 सरकारी व 7 निजी महाविद्यालय संचालित हैं तथा 9 नवीन सरकारी संघटक महाविद्यालयों की स्थापना बजट घोषणाओं के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। विगत चार वर्षों में प्रदेश में 1 हजार 637 संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में हमने नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना की। उसी का परिणाम है कि हमारा दूध का प्रतिशत बढ़ा है। पूरे देश का 15 प्रतिशत दूध उत्पादन का काम राजस्थान में होता है। आगामी वर्षों में प्रदेश में समस्त ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा विद्यमान होगी। हर ग्राम पंचायत के अन्दर हम पशु उप केन्द्र खोलेंगे, यह मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा भी की है। विगत चार वर्षों में प्रदेश में 13 नवीन बहु-उद्देश्यीय पशु चिकित्सालय की स्थापना की गयी तथा 49 संस्थाओं को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 432 संस्थाओं को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 9 हजार 550 पशु चिकित्सा संस्थाएं संचालित हैं।

सभापति महोदय, वेटरनरी शिक्षा के अन्दर, हमारे जो वेटरिनरी में स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जो डॉक्टर बन रहे थे, उनका स्टाइपेंड 3,500 रुपये था, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने गत बजट में 3,500 को बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया, जो कि मेडिकल के आसपास है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान की बहबूदी और विकास के लिए खेती और पशुपालन में जी.डी.पी. का जो योगदान है, उसको और अधिक मजबूत कैसे किया जा सकता है, इसके लिए यह सरकार यह बिल लेकर आयी है।

(श्री लालचन्द कटारिया)

मैं नेता, प्रतिपक्ष को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जिला तो जयपुर ग्रामीण के नाम से बन रहा है, पर मेरी कोशिश है कि जोबनेर भी बने। मैंने आस अभी छोड़ी नहीं है। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव पेश किया है, उसे अस्वीकार किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 62, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 62 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 62 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

माननीय प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

कोई सदस्य बोलना चाहे तो अनुमति है। दो नाम आये हैं। माननीय श्री अमीन खां।

सूचना

चौमूं के निकट गोवंश पर तेजाब डालने की घटना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता, परन्तु मंत्री महोदय, अभी चौमूं के पास गो वंश पर तेजाब डालने के कारण आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर रखा है। आप कृपया किसी को भेजकर मालूम करें। गोवंश पर तेजाब डाल दिया। गोरक्षक कार्यकर्ताओं ने जयपुर हाईवे जाम कर रखा है। कोई ऐसी बात नहीं हो जाए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, पहले पारित का प्रस्ताव करें आप।

विधेयक का पारण

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे? माननीय अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, पशुपालक हम पीढ़ियों से आज तक भी हैं। हमारी खेती की जमीन ऐसी है, जिसमें गुजारा हमें आज भी नहीं होता है क्योंकि न तो कोई नहर है वहां और न अंडरग्राउण्ड जल है जमीन में, और पशुओं पर हमारा गुजारा चलता है। आज की तारीख में तीन पशुधन ऐसे हैं, जिनकी कोई टका ही कीमत नहीं रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में ऊंट को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। उसके बाद में मंत्री महोदय, मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि ऊंटों की संख्या बढ़ी है या घटी है और घटी है तो पशुपालकों के लिए जबरदस्त धोखा है। आज ऊंट का एक रुपया कोई नहीं देता है।

(श्री अमीन खां)

दूसरा पशु है, दुनिया में ये बाहर की चीजें बाजार में आने से ऊन की कीमत, भेड़ साल में दो दफा, इसकी ऊन की कटाई होती थी और ऊन का, मेरी यादगिरी में मैंने खुद ने ऊन बेची है, 150 रुपया में एक किलो ऊन, आज उस ऊन का 20 रुपया किलो कोई नहीं देता है। अब उस भेड़ में सिर्फ आमदनी है, आर्मी के जो गोश्त के ठेकेदार हैं, वे घेटे खरीदते हैं सालाना, उसमें भेड़ की वजह से कुछ पशुपालकों को आमदनी है।

तीसरा पशु है गाय। गाय पशु का आज की तारीख में कोई एक रुपया नहीं देता है क्योंकि एक तो धर्म के नाम से बधिया करना किसी बछड़े को ये बड़ा गुनाह मानते हैं और हम इनके गुनाह में शामिल हो गये कि हम गुनहगार नहीं हो जाएं। जब इंसान को देश के हित में चाहे औरत, चाहे आदमी की नसबंदी की जाती है, इसमें कोई गुनाह नहीं होता है तो पशु की नस्ल अच्छी रखने के लिए, अच्छी कीमत मिले, पशुपालक मेहनत करे, उससे दो रुपया उसको ज्यादा मिले तो बछड़े को बधिया करना हम तो कोई गुनाह नहीं मानते। बछड़ा जब बधिया नहीं होता है तो आवारा बछड़े जो गांवों में, शहरों में घूमते हैं, उससे बच्चे जो पैदा होते हैं तो न तो वह बछड़ा किसी काम का और न कोई गाय के दूध की उसमें कोई कीमत है।

गायें हमारे यहां तीन किस्मों की हैं। एक गाय असली जो है, जिससे सात पीढ़ी लोगों ने उससे अच्छा गुजारा कमाया, उस गाय का नाम थारपारकर है। दूसरी गाय कांकरेज है, जो नागौर से, गुजरात से और जालौर एरिये से आती है। तीसरी नस्ल है राठी, जो बीकानेर, गंगानगर एरिये से आती है। इन बछड़ों का बधियापन न होने से नस्ल सारी सत्यानाश हो गयी है और पशुपालकों की हालत बहुत नाजुक है।

अब रहा इलाज का सवाल। ये जहां लोग ज्यादा-ज्यादा बड़े-बड़े आदमी रहते हैं और बड़े भाषण देने के जानकार होते हैं, उनके तो हास्पिटल में, सब-सेन्टर में नर्स, पशु सहायक और डाक्टर है। हमारे यहां 80 परसेंट पशुपालकों के, डाक्टरों के पद खाली हैं और 90 परसेंट पशु सहायकों के पद खाली हैं। इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारा आपकी मार्फत पशुपालन मंत्री महोदय से निवेदन है कि पशु की नस्ल असली थारपारकर गाय को बचाया जाए। राठी और कांकरेज गाय को बचाया जाए। हमारे जो बछड़े हैं, उनको बधिया किया जाए। गोशाला में करोड़ों रुपये सरकार अनुदान देती है। दूसरे

(श्री अमीन खां)

धन्ना सेठों से चन्दा लिया जाता है, उसमें ये भर्ती किये जाएं और गरीब पशुपालकों की सुरक्षा की जाए अन्यथा पशुपालक आज की तारीख में जितना भूखा है, इतना डेली मजदूरी करने वाला, तगारी-फावड़े वाला आदमी भी भूखा नहीं है। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, धन्यवाद। मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर, इसकी नितांत आवश्यकता थी। हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बाल्यकाल में हमने प्रारम्भिक शिक्षा में पढ़ा कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है। मेरी नजरों में भारत शत-प्रतिशत पशुपालन प्रधान देश रहा है। हमारी सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति पशुओं पर निर्भर थी। हमारी शत-प्रतिशत कृषि पशुओं द्वारा की जाती थी। पशु नहीं तो हमारी खेती नहीं थी। इसलिए जब कहते हैं कि 80 प्रतिशत पशुओं पर, कृषि आधारित प्रदेश था, नहीं हमारा देश पशुपालन आधारित था।

आज क्या स्थिति हो गयी है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कीं और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी सोच को धन्यवाद दूंगा और आपकी सोच को सेल्यूट करता हूं। आपने जो भ्रांति हटाई है, प्रदेश के अंदर पशुओं के प्रति जो हम एक उस हीन भावना से, पूर्व के वक्ताओं ने भी इस बात को कहा कि अब इसको थोड़ा निम्न दृष्टि में देखा जाता है जो पशुपालक हैं, उनको। उनके दूध निकालने के लिए, पशु पालने के लिए लोग हमें उपलब्ध नहीं होते हैं और न हम स्वयं ये काम कर पाते हैं। एक जमाना था जब पशु इसलिए हम रखते थे कि खेती उस पर आधारित थी। अब मशीनरी युग आने की वजह से यह सम्भव नहीं है।

सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आपने और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे गांव में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जो नई टेक्नोलोजी आई है, उसको एडोप्ट करते हुए मेरे यहां भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र खोला। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी क्रांति है। उस क्रांति के माध्यम से मैं चाहूंगा कि अभी तक काम करने वाली मशीनरी है, वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस सोच के साथ

(श्री खुशवीरसिंह)

आपने व मुख्य मंत्री ने हमें यह केन्द्र दिया है, उस सोच के साथ हमारे अधिकारी समर्पण भाव के साथ लग जाएं। अभी बात चल रही है थी कि तेजाब डाल दिया गया, आवारा घूम रहे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। इन समस्याओं का निदान हो जाएगा। यह 9 वर्ष का पीरियड है। 9 वर्ष में सम्पूर्ण प्रदेश के अन्दर भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र, इसमें भी एक नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई है एसएस.एक्स., सोर्टेड सीमन, उसमें 98 परसेंट बछड़ियां ही होती हैं। अगर हमारी दुधारू गिर नस्ल की गाय जो ब्राजील में जाकर 25 से 40 लीटर दूध दे सकती है, क्यों न उन गायों को हम हमारे यहां उपयोग में लें। इस तकनीक को हम उपयोग में लें। सरोगेट मदर के रूप में हमारे यहां जो आवारा घूमने वाले पशु हैं, बेसहारा गायें, जो बाजारों में प्लास्टिक खाती घूम रही है, उन गायों में भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाए। नारे देने से, राजनीति करने से, गले में गऊ माता का गमछा डालने से गाय की सेवा नहीं होगी। मंत्री जी, अगर वास्तव में गाय की सेवा करनी है तो इस तकनीक को व्यापक स्तर पर हमें काम में लेना होगा। इसी के माध्यम से हमारी गायों का वह दिन वापस आएगा। नारे लगाने से, राजनीति करने से कि हर हिन्दू को, सनातन धर्म वाले को गाय रखनी चाहिए, यह सिर्फ आपके वोटों तक ही आधारित है, उसके आगे सोच नहीं है। हमें यह सोच बदलनी होगी। मंत्री महोदय, इस तकनीक को मैंने मेरे गांव में शुभारम्भ किया है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

मैं एक बात और कहूंगा। सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें तो पशुओं में हज़ारों वर्षों से हमारे देश की रक्षा करने वाले घोड़े भी शामिल होते हैं। देशी नस्ल के घोड़े विलुप्त हो रहे हैं। आज ऐसे पशुपालक भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, जो अपने शौक के लिए घोड़ों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। मंत्री महोदय, उसके लिए एक सुझाव दूंगा। कई बार ऐसी बीमारी उन घोड़ों में हो जाती है कि उसके ब्लड की जांच यहां नहीं होती है। हमें हरियाणा जाना पड़ता है। वहां ब्लड एनेलाइजर मशीन के माध्यम से उसकी जांच का पता चलता है। ट्रिपनेशिया एक बीमारी है। तुरन्त अगर जांच नहीं हो और इलाज नहीं हो तो करोड़ों का घोड़ा मर जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा कि ऐसी मशीन हमारे हर जिला स्तर पर आप उपलब्ध कराएं। उसके टेक्नीशियन भी वहां उपलब्ध करवाएं ताकि तुरन्त ब्लड की जांच हो सके और उन्हें राहत प्रदान कर सकें।

(श्री खुशवीरसिंह)

दूसरा, ऊंट हमारा राज्य पशु घोषित हुआ। मैं ऊंट के बारे में कहना चाहूंगा। मेरा कृषि फार्म है मैं वहां रह रहा हूं। उस ढाणी का नाम अंजी की ढाणी है। मेरे बचपन के समय वहां 5 हजार ऊंट थे। आज उस ढाणी में मात्र 300 से 350 ऊंट ही बचे हैं। हम इन ऊंटों को कैसे बचाए। राज्य पशु घोषित करने से, बिना सोचे समझे कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छी सोच के साथ किया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ा पाए। उसकी वजह से आज ऊंट को खरीदने वाला नहीं है। मेरे यहां सादड़ी में प्राइवेट स्तर पर एक व्यक्ति ने रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल रखा है, जिसमें ऊंटनी का दूध, कई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत महंगे बिक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके अन्दर और रिसर्च हो। इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। मेडिसिनल यूज होगा और व्यापक स्तर पर, आप यह विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, आपकी सोच है, उसके माध्यम से हम ऊंट को बचा सकेंगे।

आज सिंथेटिक आने के बाद भेड़ों की ऊन का उत्पादन होता था, आय होती थी, वह समाप्त हो गई है हमारे गोडवाड़ क्षेत्र में। जब भेड़ की ऊन काटते तो हम कहते कि लब हो रहा है, आज हमें लब करना है तो हमारे तो वहां लब ही बंद हो गया है। कोई भेड़ों की ऊन तक नहीं काटते हैं, क्योंकि उसकी कीमत नहीं आती है और महंगी पड़ जाती है। मैं चाहूंगा कि आप उस ऊन का किस तरह उपयोग कर सकें, जिस तरह उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ में घास से वस्त्र बनाने का एक नवाचार हुआ है, उसी तरह इस ऊन को प्रमोट किया जाए। जिस तरह मिलेट्स की उपयोगिता आज हम पूरे देश में बढ़ा रहे हैं, उससे आम जन की रुचि उसकी ओर बढ़ रही है और आय भी बढ़ेगी। मेरे यहां इसके हिसाब से माननीय मुख्य मंत्री जी ने मिनी फूड पार्क स्वीकृत किया है। उसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी।

मंत्री महोदय, आपने मेरे यहां पॉली क्लिनिक भी दिया है। हमारे यहां वन्यजीव भी खूब हैं। हमने उस जगह एक वन्य रेस्क्यू सेन्टर भी बना रखा है। आपने भर्ती भी की है, हमारे अधिकांश पद भर गये, कोई सोच भी नहीं सकता था। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इतना ही कहूंगा और धन्यवाद दूंगा। कौन कहता है कि हमारी सरकार पशुपालकों के लिए संवेदनशील नहीं है। मेरे यहां का उदाहरण देता हूं।

(श्री खुशवीरसिंह)

भूतो न भविष्यति, आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में मेरे ही गांव के, मेरे ही क्षेत्र के पशुपालकों की भेड़ें चित्तौड़ के बांध में एक रात भारी बारिश होने से, बादल फटने से डूब गईं। न्यूज मिलते ही सुबह मैं वहां पहुंचा। मैं मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उस स्थिति की गम्भीरता को समझा और आपने तुरन्त उन भेड़ों के लिए, आज से पहले कल्पना नहीं की होगी, वह राशि आपने उपलब्ध करवाई है। 48 घंटे के अन्दर 48 लाख रुपये उनको वितरित किये। यह हमारी सरकार की संवेदनशीलता है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय का विस्तार हो। इस विश्वविद्यालय के लिए मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हम नई तकनीक का उपयोग करे, ताकि हमारे यहां जो आवारा पशुओं की समस्या आ रही है, वह समाप्त हो जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.59 बजे शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ब्लाक मुख्यालयों पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल

513. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने ब्लाक मुख्यालयों पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश में प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर उक्त माडल स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने ब्लाक मुख्यालय अब तक उक्त से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ब्लाक मुख्यालय खींवसर पर स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के 134 ब्लाक मुख्यालयों पर वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े EBB (Educationally Backward Blocks) 186 ब्लाकों में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय खोले जाने थे। वर्तमान में 52 EBB इससे वंचित हैं, क्योंकि भारत सरकार के पत्र दिनांक 21.04.2015 के अनुसार सत्र 2015-16 से केन्द्र सरकार द्वारा मॉडल स्कूल योजना को Delinked कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त योजना राज्य सरकार से वित्त पोषित है। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ग्राम पंचायत स्तर पर आउटडोर खेल मैदान विकसित करने की योजना

530. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम, 2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो जिला भीलवाड़ा में उक्त कार्यक्रम के तहत कितने खेल मैदान स्कूलों, कालेज व अन्य स्थानों पर बनाये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में सरकार द्वारा खेलकूद को व्यवस्थित व सुचारु रूप से प्रोत्साहन देने हेतु क्या कार्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least one outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है, जो स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जाते हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (मनरेगा) से प्राप्त सूचना के अनुसार भीलवाड़ा जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान स्वीकृत किये गये हैं, जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष 2015-16 से अब तक स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या
1.	आसीन्द	36	24	12
2.	बदनोर	7	2	5
3.	बनेड़ा	17	10	7

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष 2015-16 से अब तक स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या
4.	बिजौलिया	34	27	7
5.	हुरडा	71	44	27
6.	जहाजपुर	19	3	16
7.	करेड़ा	53	35	18
8.	कोटड़ी	15	15	0
9.	माण्डल	39	16	23
10.	माण्डलगढ़	45	23	22
11.	रायपुर	10	8	2
12.	सहाड़ा	10	2	8
13.	शाहपुरा	72	53	19
14.	सुवाणा	73	55	18
	योग	**501**	**317**	**184**

(2) वर्तमान में खेलकूद को व्यवस्थित व सुचारु रूप से प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाने प्रस्तावित हैं-

- राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल वर्ष 2022 में आयोजित किये गये हैं तथा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक खेल, 2023 का शुभारम्भ 05 अगस्त, 2023 से किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक-सांसद निधि/जनप्रतिनिधि/जन सहयोग/सी.एस.आर. से प्राप्त राशि बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जाती है, जो वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2023-24 में बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है। उक्त योजना के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति जारी की जावेगी।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

- बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप सम्भागीय मुख्यालय पर इन्डोर जिम एवं जिला मुख्यालय पर ओपन जिम की स्थापना की जावेगी।
- बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप सम्भागीय मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे।
- खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से कोच के 100 पदों पर भर्ती करने की कार्यवाही की जावेंगी।
- भरतपुर में स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाया जावेगा।
- चौगान स्टेडियम, जयपुर का जीर्णोद्धार किया जावेगा।
- कोलिड़ा-सीकर व बांसवाड़ा में फुटबाल, बीकानेर में साइकिलिंग, भीलवाड़ा में कुश्ती, राजगढ़-चूरू में एथलेटिक्स, बाड़मेर व सीकर में बास्केटबाल तथा डीडवाना-नागौर में कबड्डी अकादमी शुरू की जावेगी।
- धौलपुर, जालौर व नागौर में Multipurpose Indoor Halls बनाये जायेंगे।
- स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जोधपुर में all weather swimming pool बनाया जायेगा।
- बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जावेगा।
- सम्भाग स्तर पर खेल प्रबन्धक तथा जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबन्धक के नवीन पदों का सृजन कर भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
- अमृतलाल स्टेडियम चैनपुरा-जोधपुर को स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जायेगा।
- राजगढ-चूरू एवं जैसलमेर में Indoor Halls का निर्माण करवाया जायेगा।
- उदयपुर में पोलो ग्राउण्ड एवं डबल ट्रैप शूटिंग रेंज का निर्माण करवाया जावेगा।

सीकर में सिन्थेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जायेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने की कार्ययोजना

456. श्री वाजिब अली (नगर): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माह जनवरी, 2019 से माह जनवरी, 2023 तक किन-किन भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र परीक्षा आयोजन से पूर्व ही लीक हुए तथा कितनी भर्ती परीक्षाएं प्रश्न-पत्र लीक होने से निरस्त की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक करने वालों पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कानून व नियम बनाये गये हैं व उक्त के अन्तर्गत किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2023 तक निम्नांकित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं-

1. पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-।।। सीधी भर्ती परीक्षा 2018

2. कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिग्रीधारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020

3. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 (द्वितीय पारी)

4. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) (लेवल-द्वितीय) 2021

5. वनक्षक भर्ती परीक्षा 2022 (द्वितीय पारी)

6. वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-।। (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-ए)

7. वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-।। (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-बी)

8. वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-।। (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-सी)

(कार्मिक मंत्री)

इस अवधि में प्रश्न पत्र लीक होने से निरस्त की गई भर्ती परीक्षाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	निरस्त की दिनांक
1.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III सीधी भर्ती परीक्षा 2018	01.01.2020
2.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (डिग्रीधारक) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2020	29.12.2020
3.	कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 (द्वितीय पारी)	14.05.2021
4.	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) (लेवल-द्वितीय) 2021	11.02.2022
5.	वनक्षक भर्ती परीक्षा 2022 (द्वितीय पारी)	13.11.2022
6.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-सी)	24.12.2022
7.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-ए)	17.06.2023
8.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान (ग्रुप-बी)	17.06.2023

(2)

1. पेपर लीक करने वालों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। (पृष्ठ 1/सी से 5/सी)
2. पेपर लीक करने वालों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। (पृष्ठ 6/सी से 8/सी)
3. पेपर लीक करने वालों पर गृह विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है। (पृष्ठ 9/सी से 15/सी)

(कार्मिक मंत्री)

4. पेपर लीक करने वालों पर शिक्षा (माध्यमिक) विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 (क) (पृष्ठ 16/सी से 20/सी) एवं परिशिष्ट-4 (ख) पर संलग्न है। (पृष्ठ 21/सी से 23/सी)

(3) भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक को रोकने हेतु सरकार द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 एवं राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 लागू किया गये है, जिनकी प्रतिलिपि क्रमशः (परिशिष्ट-5) (पृष्ठ 24/सी से 26/सी) व (परिशिष्ट-6) (पृष्ठ 27/सी से 38/सी) पर संलग्न है। इन नियमों के तहत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है। (पृष्ठ 39/सी से 40/सी)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चूरू में विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालयों की स्थापना

457. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2021-22 में जिला चूरू में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों की स्थापना किये जाने की नीतिगत घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कुल कितना बजटीय प्रावधान कर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों की बजट घोषणानुसार विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने पदों का सृजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 44 के अन्तर्गत कोटा, अजमेर, पाली, जोधपुर, चूरू एवं भरतपुर में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए रुपये 12,455.00 लाख का बजटीय प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण राशि का पूर्ण व्यय नहीं हो पाया था, इस कारण चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12545.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया

(शिक्षा मंत्री)

जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि आहरण वितरण की शक्तियां प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 44 के क्रम में चूरू जिले में विशेष योग्यजन वाले आवासीय विद्यालयों में पदों का आबंटन विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2022 द्वारा किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में क्षतिग्रस्त विद्यालयों का पुनर्निर्माण

458. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण एवं उक्त के नवीन कक्षा कक्षों के लिए राशि स्वीकृत नहीं की गई है? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में कौन-कौन से विद्यालय कब से क्षतिग्रस्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्या? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में कोई भी विद्यालय सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त नहीं है।

यू-डाइस 2021-22 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वयं के भवन वाले राजकीय विद्यालयों में वृहद् मरम्मत की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) समग्र शिक्षा योजनान्तर्गत जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं वृहद् मरम्मत कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रावधान हैं। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण एवं वृहद् मरम्मत कार्यों की स्वीकृति जारी की जाती है। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(शिक्षा मंत्री)

उक्त विधान सभा क्षेत्र में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना 2022-23 (Rejueventation) तथा राज्य मद अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में राजकीय विद्यालयों में वृहद् मरम्मत कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है, जिनका विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा शहर के विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण

459. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा शहर में विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी है? यदि हां, तो प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की प्रत्येक विद्यालय की छात्र संख्या एवं उक्त विद्यालयों में स्थित कक्षा-कक्षों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कार्यालय समग्र शिक्षा, जिला भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा शहर में स्वयं के भवन में संचालित राजकीय विद्यालयों में से 12 विद्यालयों में 34 कक्षा-कक्षों की कमी है, जिनका विवरण (छात्र संख्या व स्थित कक्षा कक्षों की संख्या सहित) परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के लिए कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य स्वीकृत करने का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रतिवर्ष जारी की जाती है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत पद

460. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सी.उ.मा. विद्यालय कितने हैं तथा उक्त में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं व कितने-कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ के सी.उ.मा.वि. परतीपुरा, माध्यमिक विद्यालय माण्डव जेहर में कक्षा-कक्षों की कमी की पूर्ति के लिए निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में 109 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र तथा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) यू-डाईस 2021-22 के अनुसार घाटोल विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति पीपलखूंट के सी.उ.मा.वि. परतीपुरा में विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर 04 कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माण्डव जेहर सत्र 2022-23 से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। अतः अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों में समग्र शिक्षा अन्तर्गत कक्षा-कक्षों की स्वीकृति का प्रावधान है। योजना के प्रावधानानुसार प्रतिवर्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रतिवर्ष कक्षा कक्षों के निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर विभाग द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी नगरपालिका में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में जारी पट्टे

461. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरपालिका बड़ी सादड़ी में पट्टों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने पट्टे जारी किये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि पात्र लोगों को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका बड़ी सादड़ी में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टों हेतु कुल 860 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 747 पट्टे जारी किये गये हैं।

(2) जी। नहीं। नगरपालिका बड़ी सादड़ी द्वारा सभी पात्र व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अभियान के दौरान किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लापरवाही नहीं बरती गई है।

त्रिवेणी नगर (जयपुर) में नाले व सीवरेज लाइन की समस्या का निराकरण

462. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास स्थित त्रिवेणी नर्सरी पार्क के पास बरसाती नाले में सीवरेज लाइन से जुड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त नाले को ढंकने एवं सीवर लाइन की समस्या का स्थाई समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब-तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त स्थल-बरसाती नाला जयपुर विकास प्राधिकरण के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्षेत्राधिकार में स्थित है। नाला कवरिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीवर लाइन का संधारण नगर निगम जयपुर ग्रेटर द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। हालांकि मौका निरीक्षण के दौरान बरसाती नाले में सीवरेज लाइन का जुड़ना नहीं पाया गया है, फिर भी इस सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल समाधान करवा दिया जाता है।

बालोतरा नगर परिषद में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में पट्टों के आवेदन

463. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद् बालोतरा में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक कुल कितने पट्टों के आवेदन प्राप्त हुए? वार्डवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवेदनों की आपत्ति सूचना किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई? अखबार की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में खांचा भूमि नियमन, स्टेट ग्रांट, 69 के सहित अन्य वाणिज्यिक व आवासीय पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो कितने? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त पट्टों से कितनी आय प्राप्त हुई व उक्त आय का व्यय कहां-कहां किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद बालोतरा में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक कुल 8,187 पट्टों के, जिनमें कृषि भूमि पर आवासीय योजना के 5078, 69-ए के 2,160, स्टेट ग्रांट के 589, निकाय की स्वयं की योजना के 100, समर्पण पश्चात् पुन: पट्टा हेतु 12, फ्री होल्ड से लीज होल्ड के 129 तथा अवाप्तशुदा भूमि के 119 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

चूंकि इन आवेदनों में मास्टर प्लान में सम्मिलित उन गांवों तथा पेरीफेरी क्षेत्र के भी आवेदन शामिल हैं, जो नगर परिषद् के वार्डों की सीमा में नहीं आते हैं। इसी कारण नगर परिषद् में वार्डवार संख्यात्मक विवरण तैयार नहीं किया जा कर सभी को सम्मिलित करते हुए इकजाई रखा गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) राजस्थान संवाद के माध्यम से उक्त आवेदनों की आपत्तियों का प्रकाशन दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवज्योति, राष्ट्रदूत, दैनिक जनगण, मरू लहर, मरूमंच, दैनिक प्रतिनिधि उजाला भारत, दैनिक मरू त्रिकोण, दैनिक मारवाड़ दूत, हिन्दुस्तान बोर्डर, जलते दीप आदि समाचार पत्रों में करवाया गया है।

(3) जी हां। नगर परिषद् बालोतरा द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में कृषि भूमि पर आवासीय योजना पर 5,074, 69-ए के 2,155, स्टेट ग्रांट के 571, निकाय की स्वयं की योजना के 90, समर्पण पश्चात् पुन: पट्टा हेतु 12, फ्री होल्ड से लीज होल्ड के 129 तथा अवाप्तशुदा भूमि के 88 पट्टे जारी किये गये हैं। इस प्रकार कुल 8,119 पट्टे जारी किये गये हैं।

(4) उक्त पट्टों से नगर परिषद् बालोतरा को लगभग 38.25 करोड़ रुपये की आय हुई है।

इस राशि में से निम्न प्रकार से व्यय हुआ:-

1. राज्य सरकार में लीज जमा 4.08 करोड़,
2. सफाई कार्य 6.28 करोड़,
3. एस.बी.एम. 5.78 करोड़,
4. सड़क-नाली निर्माण 11.01 करोड़,
5. सीवरेज कार्य 2.42 करोड़,
6. पाइपलाइन कार्य 1.78 करोड़,
7. शहरी सौन्दर्यकरण 2.74 करोड़,
8. बिजली लाइन वृद्धि व सामान में 1.05 करोड़।

इस प्रकार कुल 35.14 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

जयपुर में हवा सड़क एवं रामनगर सड़क से अतिक्रमण हटाने की कार्ययोजना

464. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या 5 के अंतर्गत हवा सड़क से रामनगर होते हुए न्यू सांगानेर रोड तक सड़क की चौड़ाई कितनी निर्धारित है? क्या प्राधिकरण द्वारा उक्त सड़क को चौड़ा करने हेतु कोई सर्वे

(श्री गोपाल लाल मीना)

किया गया है? यदि हां, तो कब एवं सर्वे के आधार पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा सड़क पर कितना-कितना अतिक्रमण करना पाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त मार्ग पर यातायात को देखते हुए सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार रामनगर में बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए चम्बल पावर हाउस से स्वेज फार्म को जोड़ने वाली सड़क सीतादेवी अस्पताल से रामनगर को जोड़ने वाली लिंक रोड को चौड़ा करने का विचार रखती है?

(4) उक्त सड़क की स्वीकृत चौड़ाई कितनी है व सड़क को निर्धारित चौड़ाई के अनुसार चौड़ा करने हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन संख्या-5 के अन्तर्गत हवा सड़क से रामनगर होते हुए न्यू सांगानेर रोड तक सड़क की चौड़ाई जोनल प्लान 2004 के अनुसार रामनगर तक 40 फीट (12 मी.) है। रामनगर से न्यू सांगानेर रोड की चौडाई 60 फीट (18 मी.) है। प्राधिकरण द्वारा इस सड़क को चौड़ा करने हेतु कोई सर्वे नहीं किया गया है।

(2) बिन्दु संख्या-1 में वर्णित सड़क की निर्धारित चौड़ाई में अतिक्रमण हटाने बाबत सर्वे कराकर सक्षम स्तर पर स्वीकृति पश्चात् सड़क सीमा में अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(3) उक्त सड़क की चौड़ाई जोनल प्लान 2024 के अनुसार 24 मीटर (80 फीट) है। वर्तमान में प्रश्नगत क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ाने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) उक्त सड़क की स्वीकृत चौड़ाई जोनल प्लान 2004 के अनुसार 24 मीटर (80 फीट) है। प्रश्नगत क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई जोनल विकास योजना-04 में अंकित है। पार्ट प्लान की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। शेष विवरण बिन्दु संख्या 2 व 3 में समाहित है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

लूणकरणसर के ग्राम नापासर में फैक्टरियों से गंदे पानी की निकासी

465. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम नापासर में स्थित पाण्ड्या की तलाई के पास कृषि भूमि का उपजाऊपन फैक्ट्रियों के गन्दे पानी की निकासी के कारण खराब होता जा रहा है? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि में उक्त का प्रभाव दिखाई दे रहा है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव नापासर में फैक्ट्रियों का गन्दा पानी नाले में से जाता था? यदि हां, तो अब इसका बहाव क्षेत्र किस तरफ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नापासर में गन्दगी के कारण फसलों का स्तर गिरता जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में गंदे पानी की निकासी के कारण खेतों में जाने के रास्ते भी बन्द हो रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त का प्रभाव हो रहा है? क्या सरकार उक्त का समाधान करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव नापासर में गोचर भूमि में पाण्ड्या की तलाई के पास फैक्ट्रियों के गन्दे पानी की निकासी के कारण पानी इकट्ठा होता है जो गोचर भूमि में फैल जाता है। गोचर भूमि के कुल 169.68 हैक्टेयर क्षेत्र में से 3 हैक्टेयर क्षेत्र गन्दे पानी से प्रभावित हैं, इसमें फसलों की बुवाई नहीं की जाती है। गोचर भूमि के पूर्व दिशा में कृषि भूमि है जिसमें मौके पर फसल नहीं है तथा वर्तमान में दूषित पानी भी इकट्ठा नहीं हुआ है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र के गांव नापासर में आबादी क्षेत्र से

(पर्यावरण मंत्री)

जनित सीवेज के निस्तारण हेतु सीवर लाइन डाली गयी है, जिससे रीको क्षेत्र की नालियों का भी जुड़ाव है। इस कारण उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ के पूर्व में उक्त सीवर लाइन में निस्त्रावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का औद्योगिक प्रदूषित जल किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा रीको की नालियों में निस्त्रावित/प्रवाहित होना नही पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत- नापासर, पंचायत समिति बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्तमान में सीवरेज को पाण्ड्या की तलाई क्षेत्र में ग्राम पंचायत की बंजर जमीन पर छोड़ा जाता है जबकि उद्योगों को उच्छिष्ठ के परिसर से बाहर निस्त्राव किये जाने की अनुमति नहीं है।

कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव नापासर में गोचर भूमि में पाण्ड्या की तलाई के पास फैक्ट्रियों के गन्दे पानी की निकासी के कारण पानी इकट्ठा होता है जो गोचर भूमि में फैल जाता है। गोचर भूमि के कुल 169.68 हैक्टेयर क्षेत्र में से 3 हैक्टेयर क्षेत्र गन्दे पानी से प्रभावित है। इसमें फसलों की बुवाई नहीं की जाती है।

(3) कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव नापासर में गोचर भूमि में पाण्ड्या की तलाई के पास फैक्ट्रियों के गन्दे पानी की निकासी के कारण पानी इकट्ठा होता है जो गोचर भूमि में फैल जाता है। इसमें फसलों की बुवाई नहीं की जाती है।

(4) प्रश्न का उत्तर खण्ड 3 के अनुसार है।

शेरगढ़ में नवीन एनिकटों का निर्माण

466. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में माह दिसम्बर, 2021 से माह मार्च, 2023 तक कौन-कौन से ग्रामों में एनिकट बनाये गये? उक्त में से कितने पूर्ण हो गये व कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण एनिकटों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार को जिला जोधपुर में नवीन एनिकट बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(4) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों व अन्य नवीन एनिकट बनाने के प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2021 से अब तक जल संसाधन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के एनिकट का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत कोई भी एनिकट अपूर्ण नहीं है।

(3) जी हां। जोधपुर जिले में नवीन/जीर्णोद्धार हेतु एनिकटों की मांग अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) एनिकट निर्माण/जीर्णोद्धार की मांग अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों में से स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। शेष कार्यों की तकनीकी उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धता अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में संविदाकर्मियों का नियमितीकरण

467. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कार्यरत संविदा कर्मचारी व सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाये गये कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं? यदि हां, तो कब से? उक्त में से कितने कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सहकारी समितियों में कार्यरत उक्त कार्मिकों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में वर्ष 1988 से लगातार संविदा कर्मचारी व सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाये गये कार्मिकों की सेवाएं ली जा रही हैं।

इनमें से हनुमानगढ़ जिले की रावतसर एवं संगरिया क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक-एक कर्मचारी का नियमितीकरण किया गया है।

(2) जी नहीं। राज्य की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में संविदा कर्मचारी/सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से लगाये गये कार्मिकों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन नहीं है।

पाली में डिफाल्टर काश्तकारों की भूमि कुर्क करने की कार्यवाही

468. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में किस-किस ग्राम पंचायत के कितने काश्तकार कितनी-कितनी राशि जमा नहीं करवाने के कारण डिफाल्टर घोषित किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने काश्तकारों की जमीन कुर्की की कार्यवाही की गई तथा कितनों की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के सहकारी बैकों से सम्बद्ध डिफाल्टर (अवधि पार) काश्तकारों की संख्या व बकाया ऋण राशि की सूचना परिशिष्ट-अ व ब पर संलग्न है।

(2) उक्त में से किसी भी कृषि काश्तकार की जमीन कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई है तथा न ही कुर्की की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा सम्भाग में निर्माण कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन

469. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनारायण मीना)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन में विधायकों को सम्मान देने तथा शिलालेखों में नाम अंकित करने के सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश, परिपत्र तथा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही भी है कि माडा योजना क्षेत्र के कोटा सम्भाग में जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्षेत्रीय शुभारम्भ, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा उनके शिलालेखों में स्थानीय विधायक की अनदेखी की गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त त्रुटि की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय भवनों के शिलान्यास के शिलान्यास/उद्घाटन समारोह में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक समन्वय एवं सुधार (अनुभाग-1) के परिपत्र क्रमांक प.21(20)प्रसु/सम/अनु-1/2021 दिनांक 12.05.2022 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। (परिशिष्ट-क)

(2) संभागीय आयुक्त, कोटा के अनुसारः-

"सम्भाग के जिले बूंदी, बारां एवं झालावाड़ में किसी भी पंचायत समिति में माडा योजनान्तर्गत किसी कार्य का शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है।

कोटा जिले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा से प्राप्त प्रत्युत्तर अनुसार सूचना निम्नानुसार हैः-

पं.स. इटावा- हां। माडा योजना क्षेत्र के कोटा सम्भाग में जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्षेत्रीय शुभारंभ, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा उनके शिलालेखों में स्थानीय विधायक की कोई अनदेखी नहीं की गई है। शिलालेखों पर माननीय विधायक महोदय का नाम अंकित है।

(प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय मंत्री)

पं.स. सुल्तानपुर-कार्यालय पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा माडा योजना क्षेत्र के जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्षेत्रीय शुभारंभ, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किये गये हैं।

पं.स. खैराबाद-कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद द्वारा कार्यों का क्षेत्रीय शुभारम्भ, शिलान्यास, उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं, शिलालेखों पर माननीय विधायक महोदय का नाम अंकित है।

पं.स. लाडपुरा- कार्यालय पंचायत समिति लाडपुरा में माडा योजना के तहत किसी भी कार्य का शिलान्यास एवं उद्घाटन नहीं करवाया गया है।

पं.स. सांगोद- कार्यालय पंचायत समिति सांगोद में माडा योजना के तहत किसी भी कार्य का शिलान्यास एवं उद्घाटन नहीं करवाया गया है।

सम्भागीय आयुक्त, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) सम्भागीय आयुक्त, कोटा के अनुसार माडा योजना क्षेत्र के कोटा सम्भाग के इटावा, खैराबाद में जनजाति विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्षेत्रीय शुभारम्भ/शिलान्यास/उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक की कोई अनदेखी नहीं की गई है तथा शिलालेखों पर माननीय विधायक महोदय का नाम अंकित है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग द्वारा राजकीय भवनों के शिलान्यास/उद्घाटन समारोहों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना कठोरता से किये जाने हेतु विभाग के परिपत्र दिनांक 20.02.2023 द्वारा सभी विभागों को पुनः निर्देशित किया गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बरसात के मौसम में होने वाली घटनाओं में सहायता

470. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक बरसात के मौसम में किसानों के खेत में काम करने व मवेशी ले जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कितने किसानों की मृत्यु हुई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(2) उक्त अवधि में जिला कोटा के किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में उक्त प्रकार के कितनी घटनाएं होने की सूचना सरकार को प्राप्त हुई तथा उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही कर किस-किस प्रकार से राहत प्रदान की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक बारिश के मौसम के दौरान किसानों के खेत में काम करने व मवेशी ले जाने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से कुल 217 किसानों की मृत्यु हुई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला कोटा में उक्त प्रकार के हादसों का विधान सभावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**खेत पर काम करने के दौरान**	**मवेशी ले जाने के दौरान**
01	लाडपुरा	00	02
02	पीपल्दा	01	03
03	सांगोद	04	00
04	रामगंज मण्डी	00	01
	योग	**05**	**06**

एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार प्रत्येक प्रकरण में मृतकों के पात्र आश्रितों को राशि रुपये 4.00 लाख की दर से 10 प्रकरणों में 40.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है।

विधान सभा क्षेत्र सांगोद के 01 प्रकरण में निवासी बिहार का होने के कारण मूल प्रकरण जिला कटिहार बिहार को भिजवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

471. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में माह जनवरी, 2023 में पाला पड़ने से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार फसल खराबे का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रदेश में रबी फसल सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) में पाला एवं शीतलहर से फसलों में खराबे की विशेष गिरदावरी करवाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2023 को गिरदावरी के आदेश जारी किये गये।

रबी फसल सम्वत् 2079 (वर्ष 2023) में प्रदेश के 09 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, नागौर, सीकर एवं श्रीगंगानगर में 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार प्रभावित पात्र 1,42,152 काश्तकारों को 181.11 करोड़ रुपये का कृषि आदान-अनुदान भुगतान किया गया।

निजी वाहन फिटनेस सेन्टरों को जारी अनुज्ञा पत्र

472. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा वाहनों के फिटनेस के लिए निजी फिटनेस सेन्टर को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौनसे जिले में किन-किन सेन्टर को अनुज्ञा पत्र जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की फिटनेस कम्प्यूटराइज्ड होना अनिवार्य है? यदि हां, तो उक्त अनुज्ञाधारी फिटनेस सेन्टरों द्वारा निर्धारित मानदंडानुसार वाहनों की फिटनेस जांच नहीं की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सेन्टर खोलने से विभाग को राजस्व की हानि हुई है? यदि हां, तो विगत चार वित्तीय वर्षों में कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय आदेश 13/2018 दिनांक 24.04.2018 जारी कर निजी फिटनेस सेन्टरों को अधिकृत किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। फिजा 2018 के प्रावधानानुसार राज्य में संचालित अधिकृत निजी फिटनेस सेन्टरों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

(2) जी नहीं। वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों की फिटनेस कम्प्यूटराइज्ड होना अनिवार्य नहीं है, परन्तु विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु निजी फिटनेस सेन्टर्स को अधिकृत किया गया है। आटोमेटेड फिटनेस सेन्टर खोलने का प्रावधान मोटर वाहन नियम, 1988 की धारा 56(2) में किया गया है तथा इस प्रावधान के तहत केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 63 से 73 में इससे संबंधित विवरण को विनिर्दिष्ट किया गया है।

वर्तमान में विभाग द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र विभागीय साफ्टवेयर वाहन 4.0 के माध्यम से ही जारी किये जा रहे हैं।

निर्धारित मापदण्डानुसार फिटनेस नहीं करने वाले निजी फिटनेस सेन्टर्स के विरुद्ध फिजा 2018 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाकर निजी फिटनेस सेन्टर्स को निरस्त/निलम्बित किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट - 2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 56 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 63 से 73 में अधिकृत जांच केन्द्रों द्वारा फिटनेस जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसी अनुरूप शुल्क के सम्दर्भ में प्रावधान नियम 81 में किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार विभाग द्वारा सडक सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने एवं मानवीय हस्तक्षेप को नगण्य करने हेतु कार्यालय आदेश 13/2018, दिनांक 24.04.2018 जारी कर निजी फिटनेस सेन्टरों को अधिकृत किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये। अधिकृत निजी फिटनेस सेंटरों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 81 के तहत ही फिटनेस निरीक्षण शुल्क की राशि वाहन स्वामी से वसूल की जाती है। निजी फिटनेस केन्द्रों पर फिटनेस कराने वाले वाहनों का विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं किये जाने के प्रावधानों के कारण विभाग को फिटनेस निरीक्षण शुल्क नियमान्तर्गत देय नहीं है। अत: इससे विभाग को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा में शिक्षित बेरोजगारों के आवेदन

473. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) माह जनवरी, 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों ने आवेदन किया तथा कितनों को भुगतान किया गया? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को मासिक भत्ता समय पर नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अवधि में जिला कोटा में शिक्षित बेरोजगारों द्वारा किये गये आवेदनों की दिनांक एवं भुगतान की दिनांक व निरस्त आवेदनों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा राज्य के पात्र शिक्षित बेरोजगारों को आवेदन करने पर नियमानुसार पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपये एवं महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 4,500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

(2) वर्ष जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक अक्षत योजनान्तर्गत एवं मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु कुल 9,51,500 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6,46,839 पात्र आशार्थियों को उक्त अवधि में लाभांवित करते हुए कुल 1,823.57 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत पात्र आशार्थियों को नियमित रूप से भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

(4) जनवरी, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक कोटा जिले में 17,917 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पात्रता जांच, स्वीकृति उपरांत 8,815 आवेदकों को दिसम्बर, 2022 तक अद्यतन भुगतान किया जा चुका है। उक्त वर्णित अवधि तक 3,832 आवेदक योजना के प्रावधान के अनुसार निरस्त किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर खेल अकादमियों की स्थापना

474. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उप खण्ड स्तर पर खेल अकादमी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खेल अकादमी स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर अकादमी स्थापना के संबंध में विचार किया जाता है।

जालौर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम में स्वीकृत पद

475. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र जालौर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम में अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र जालौर में अभियन्ताओं व तकनीकी कर्मचारियों के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। तकनीकी कर्मचारियों के पद समय-समय पर स्थानान्तरण, सेवानिवृत्ति व पदोन्नति एवं कार्मिकों की मृत्यु होने के कारण रिक्त हुए हैं जिनको डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती, पदोन्नति व स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जाता रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना में वी.सी.आर. भरने में अनियमितताएं

476. श्री रूपा राम (मकराना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रूपाराम)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं वी.सी.आर. भरने का विभाग को अधिकार है? यदि हां, तो वी.सी.आर. भरने का मानदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में बाहरी विजिलेंस टीमों द्वारा विद्युत चोरी रोकने की बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों के विभिन्न अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतर्कता जांच किये जाने हेतु अधिकृत हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

सतर्कता जांच के दौरान किसी भी परिसर में मीटर से छेड़छाड़ अथवा विद्युत चोरी पाये जाने पर, साक्ष्य एकत्रित कर, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 विद्युत चोरी एवं धारा 138 अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेडछाड़ पाये जाने पर वी.सी.आर. भरी जाती है। मौके पर पकड़ी गयी विद्युत चोरी के तरीकों (Mode of theft) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विद्युत चोरी में पाये गये सम्बद्ध भार की गणना कर, उसका उपकरणवार विवरण वी.सी.आर. में इन्द्राज किया जाता है। मौके पर जब्तशुदा सामान/उपकरण की फर्द जब्ती तैयार कर, दोषी व्यक्ति का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र मकराना में बाहरी विजिलेंस टीमों द्वारा विद्युत चोरी रोकने की बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को परेशान किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। विद्युत चोरी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। किसानों/अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी या वैधानिक दायित्व की राशि से सहमत नहीं होने की स्थिति में किसान/उपभोक्ता नियमानुसार 'विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी' के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कार्ययोजना

477. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या प्रदेश में विगत तीन वर्षों में एकल संकाय के महाविद्यालय खोले गये हैं? यदि हां, तो संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में एकल संकाय के छोटे-छोटे राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के विपरीत है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के स्थान पर बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के संस्तुत विविध घटकों को चरणबद्ध रूप से 2040 तक लागू किया जाना है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विविध घटकों को चरणबद्ध रूप से 2040 तक लागू किया जायेगा।

इस नीति को लागू करने की बिन्दुवार समय योजना को उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये प्रारूप में साझा किया गया है।

(2) जी हां। प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में एकल संकाय में खोले गये राजकीय महाविद्यालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण घटकों जैसे पहुंच (Access), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भविष्य की तैयारी पर चरणबद्ध रूप में कार्य कर रही है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु सकल नामांकन अनुपात (GER) को बढ़ाने एवं दूर-दराज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु पांच वर्षों में कुल 347 राजकीय महाविद्यालय, जिनमें से 131 कन्या महाविद्यालय एवं 3 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय खोले हैं।

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

सामान्यतः राजकीय महाविद्यालय कला संकाय के साथ 7 विषयों में खोले जाते हैं। मांग एवं आवश्यकतानुसार संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर एकल संकाय वाले महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाते हैं। पांच वर्षों में विभिन्न महाविद्यालयों में 90 नवीन संकाय प्रारम्भ किये गये। साथ ही 80 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया, स्नातक स्तर पर 131 नवीन विषय तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 208 नवीन विषय प्रारम्भ किये गये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के क्रम में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम 2023-24 से लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

चित्तौड़गढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में अव्यवस्था की शिकायतें

478. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ की देखरेख के अभाव में अव्यवस्थाओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय का छात्रावास विगत दो वर्षों से बंद है तथा महाविद्यालय में कन्याओं के लिए उपयुक्त शौचालय, एन.सी.सी. तथा स्पोर्ट्स की व्यवस्था नहीं होने के कारण छात्राओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं के समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ के छात्रसंघ द्वारा महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अनुरोध किया गया है। उक्त महाविद्यालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

से स्वीकृत राशि से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त डी.एम.एफ.टी. फंड के तहत महाविद्यालय के मुख्य भवन के बाहर शौचालय के निर्माण एवं सोलर एनर्जी पैनल लगाना भी स्वीकृत है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(2) बजट घोषणा 2023-24 की अनुपालना में छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु नियुक्त एजेन्सी पीडीकोर द्वारा किये गये निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

महाविद्यालय में छात्राओं हेतु रूसा द्वारा नवीन शौचालय निर्मित किये गये हैं तथा पुराने शौचालय का नवीनीकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। महाविद्यालय में एन.सी.सी. विंग हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। खेलकूद गतिविधियों हेतु पी.टी.आई. की व्यवस्था कर वार्षिक खेलकूद सम्पन्न करवाये जाते हैं।